वार्षिक रिपोर्ट

2017–18

पवन हंस लिमिटेड

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

हमारा लक्ष्य

हेलीकॉप्टर और सी–प्लेन सेवाओं में एशिया का मार्केट लीडर बनना, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट परिचालनों द्वारा क्षेत्रीय संपर्कता उपलब्ध कराना तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हेलीकॉप्टर की मरम्मत/ओवरहॉल संबंधी सुविधाएं प्रदान करना।

तालिका

- निदेशक मंडल 4
- प्रबंध समूह 5
- सूचना 6
- सदस्यों को अध्यक्ष का संदेश 9
- निदेशकों की रिपोर्ट 13
- प्रबंधन का विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट 37
- मुख्य वित्तीय अंश 42
- संक्षिप्त लेखे 44
- वर्ष के खाते 45
- इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण 49
- नकदी प्रवाह विवरण 50
- लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर 124
- भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट व प्रबंधन का उत्तर 152
- साचिविक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 155
- नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना/गतिविधि 158
- संबंधित पार्टी लेन देन 161
- वार्षिक विवरणी का सार 162

निदेशक मंडल

डॉ. बी. पी. शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अशोक नायक
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. हरीश चौधरी
स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती गार्गी कौल
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय परामर्शदाता
नागर विमानन मंत्रालय

श्रीमती उषा पाढी
संयुक्त सचिव
नागर विमानन मंत्रालय

श्री संजीव कपूर
एवीएसएम वीएम
एसीएएस ऑप्स (टी एवं एच)
वायु सेना मुख्यालय

श्री बी. एस. भुल्लर
नागर विमानन महानिदेशक

श्री राजेश कक्कड़
निदेशक (अपतट)
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.

प्रबंध समूह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	डॉ. बी. पी. शर्मा
मुख्य सतर्कता अधिकारी	श्री राकेश कुमार, भा.दू.से.
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी एवं व्यवसाय संवर्धन व विपणन)	एयर कमोडोर (सेवानिवृत) टी. ए. दया सागर
मुख्य वित्तीय अधिकारी	श्री आशीष कुमार यादव
कंपनी सचिव एवं संयुक्त महाप्रबंधक (विधि)	श्री रंजीत सिंह चौहान
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य अधिकारी एवं महाप्रबंधक (संरक्षा)	श्री एम. एस. बूरा
महाप्रबंधक (व्यवसाय संवर्धन एवं विपणन)	श्री वनराजसिंह डोडिया
स्थानापन्न महाप्रबंधक (विमान अनुरक्षण अभियांत्रिकी)	श्री विजय एम. पथियन
स्थानापन्न महाप्रबंधक (परिचालन)	कैप्टन बी. वी. बदूनी
संयुक्त महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं निगमित योजना)	श्री राम कृष्ण
संयुक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)	श्री ए. सी. परिछा
विभागाध्यक्ष (सामग्री)	श्री विजय एम. पथियन
उप महाप्रबंधक (आंतरिक लेखा परीक्षा)	श्री आशीष कुमार यादव
महाप्रबंधक (पश्चिमी क्षेत्र)	श्री संजीव राजदान
महाप्रबंधक (उत्तरी क्षेत्र)	श्री संजय कुमार
महाप्रबंधक (पूर्वी क्षेत्र)	श्री एम. पी. सिंह

पंजीकृत कार्यालय :
रोहिणी हेलीपोर्ट, सेक्टर–36
नई दिल्ली–110 085

प्रधान कार्यालय :
सी–14, सेक्टर–1
नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301

क्षेत्रीय कार्यालय :

पश्चिमी क्षेत्र
जूहू ऐरोड्रोम
एस. वी. रोड
विले पार्ले (पश्चिम)
मुम्बई–400056

उत्तरी क्षेत्र
सी–14, सेक्टर–1
नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301

पूर्वी क्षेत्र
ग्राउण्ड फ्लोर, मनोरमालय
वीआईपी, एलजीबीआई एयरपोर्ट रोड
गुवाहाटी–781015

रोहिणी हेलीपोर्ट
सैक्टर–36
नई दिल्ली–110085

लेखापरीक्षक
मैसर्स जे.पी., कपूर एवं उबेराय
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली–110016

शाखा लेखापरीक्षक
मैसर्स कैलाश चंद जैन एवं कंपनी
(पंजीकृत)
सनदी लेखाकार
मुम्बई–400020

बैंकर्स
विजया बैंक
पंजाब नैशनल बैंक

पवन हंस लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : रोहिणी हेलीपोर्ट, सैक्टर–36, रोहिणी, नई दिल्ली–110085

सीआईएन : यू62200डीएल 1985जीओआई022233

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यावसायिक मुद्दों पर चर्चा के लिए कम्पनी की 33वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को दोपहर 1.00 बजे सम्मेलन केन्द्र, स्कोप सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में किया जाएगा :–

सामान्य व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण से युक्त लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा उनके संबंध में की गई टिप्पणियां, साचिविक लेखा परीक्षित रिपोर्ट तथा निदेशक रिपोर्ट की प्राप्ति करना, उसके संबंध में विचार तथा अंगीकार किया जाना।

2. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए लाभांश की घोषणा करना

   विचार किए जाने तथा उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में संशोधन अथवा बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के तौर पर पारित किया जाना :–

   "एतद्द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कर पश्च लाभ पर 30% लाभांश की दर से 616.42 लाख रुपए की राशि का लाभांश तथा 126.71 लाख रुपए के निगमित लाभांश कर का भुगतान करने का संकल्प लिया जाता है तथा अनुमोदन दिया जाता है जो निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग के निर्णय की शर्त के अध्याधीन होगा। तथापि, निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग द्वारा इसका अनुमोदन न किए जाने की स्थिति में लाभांश का भुगतान निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अर्थात 5607.73 लाख रुपए के लाभांश की राशि (जो निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल सम्पति के 5% तथा कर पश्च लाभ के 30% से उच्च है) तथा 1152.71 लाख रुपए की निगमित लाभांश कर का भुगतान किया जाएगा।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(आर. एस. चौहान)
कम्पनी सचिव
एफ.सी.एस. संख्या 8785

नई दिल्ली
24 दिसम्बर, 2018

सेवा में,

1. कम्पनी के सभी सदस्य
2. सांविधिक लेखा परीक्षक
3. साचिविक लेखा परीक्षक

नोटः

1) बैठक में भाग लेने के पात्र तथा बैठक में मतदान के पात्र सदस्य अपनी ओर से बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने के पात्र होगें जिसका कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है ।

2) बैठक के स्थल का मार्ग चित्र संलग्न है।

पवन हंस लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
परोक्षी फार्म

मैं, ——————————————————————————पवन हंस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय रोहिणी हैलीपोर्ट, सेक्टर–36, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 के सदस्य के रूप में एतद्‌वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को अथवा स्थगन के पश्चात किसी अन्य दिन आयोजित की जा रही कम्पनी की 33वीं वार्षिक आम सभा में मेरी ओर से भाग लेने के लिए ———————————————————के श्री —————————————————— को प्राधिकृत करता हूं।

यह मेरे हस्ताक्षर से दिनांक ——————————दिसम्बर, 2018 को जारी किया गया है।

(सदस्य के हस्ताक्षर)

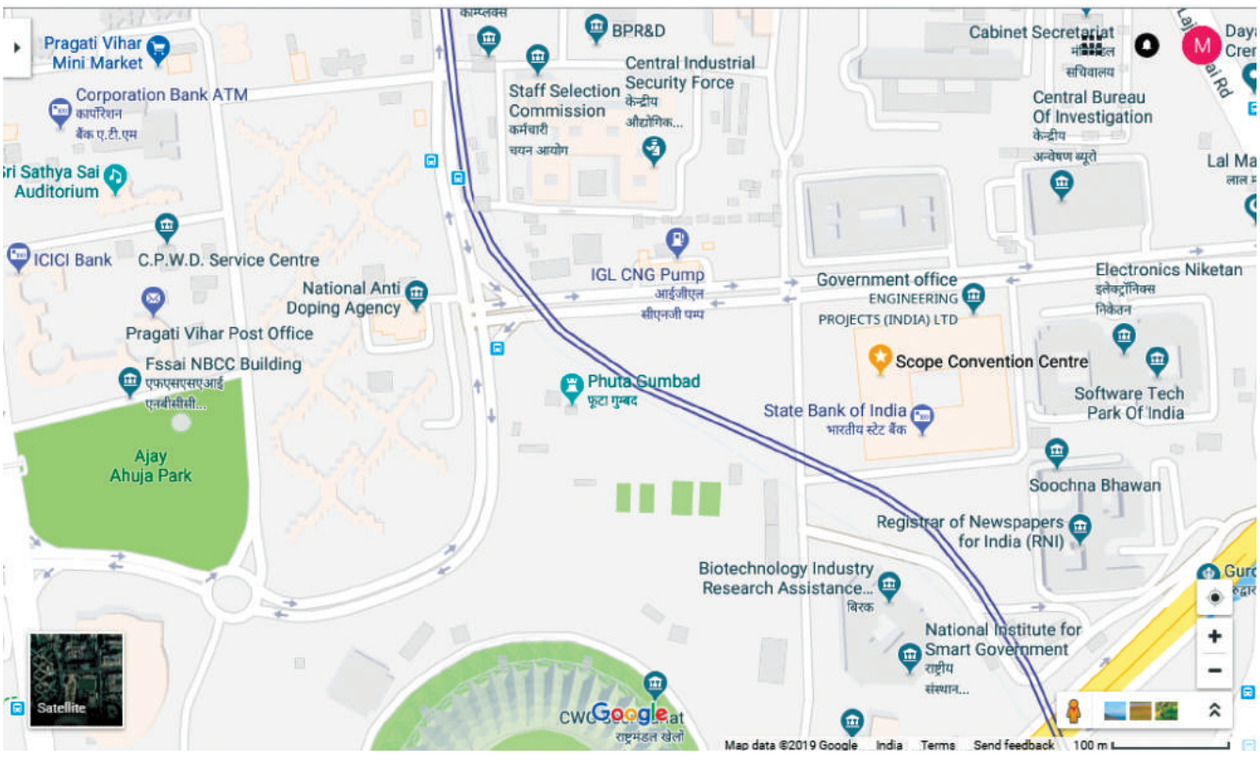

अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कम्पनी की 33वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन के अवसर पर आपकी उपस्थिति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वित्तीय वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट वितरित कर दी गई है तथा अब आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा मान रहा हूं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 चुनौतियों से भरा वर्ष रहा है तथा कम्पनी द्वारा अपने नेतृत्व की स्थिति एवं अपने दीर्घकालिक ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने और कुछ नए क्षेत्रों/ चार्टर व्यवसाय के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारम्भ करने के प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान अनेकों नए प्रयास किए गए हैं और अनेकों नए व्यवसाय प्राप्त किए गए हैं। कम्पनी द्वारा गोवा, आंध्र प्रदेश और दमन दीव जैसे विभिन्न राज्यों एवं प्रशासनों के साथ हैली पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए समझौता ज्ञापन किए गए हैं। हेलीकॉप्टर उद्योग में अनुभवी हेलीकॉप्टर पायलटों की अत्यधिक कमी है तथा पवन हंस लिमिटेड को भी पिछले दो वर्षों से अपने कार्यों में पायलटों की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। अपनी इस कठिनाई के समाधान के लिए हाल ही में पवन हंस लिमिटेड द्वारा भारतीय वायु सेना के साथ समझौता ज्ञापन करके पायलटों को प्रतिनियुक्ति तथा स्थाई समावेश के आधार पर प्राप्ति की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा एक नए प्रयास के तौर पर कमर्शियल हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस – कैडेट पायलट योजना का शुभारंभ करने के साथ साथ पीएचएल विमानन अकादमी की स्थापना करके मुम्बई विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के साथ डीजीसीए प्रमाण पत्र तथा बीएससी वैमानिकी डिग्री के दोहरे प्रमाण पत्र/डिग्री प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन किए गए हैं। कर भुगतान एवं अपने शेयरधारकों को लाभांश दिए जाने के पश्चात कम्पनी द्वारा अर्जित किए जा रहे लाभ जारी हैं।

हेलीकॉप्टर उद्योग में प्रतिस्पर्धा काफी अधिक हो गई है तथा पवन हंस लिमिटेड द्वारा अर्जित किए जाने वाले प्रचालन राजस्व का 85% भाग प्रतिस्पर्धी निविदाओं के माध्यम से किए जाने वाले अनुबंधों से प्राप्त होता है जिसके कारण मुनाफे में कमी आई है। कम्पनी द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय की क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना – उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) में भागीदारी की गई है तथा इसे 4 राज्यों के 11 मार्गों पर सेवाएं प्रारम्भ करने का दायित्व सौंपा गया है। इसमें कम्पनी के लिए व्यापार संवर्धन की अपार संभावनाएं उपलब्ध हुई हैं और ऐसी आशा है कि कम्पनी को इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी।

इसी के साथ साथ मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, भारत सरकार द्वारा प्रबंधन नियंत्रण के साथ साथ कम्पनी की शेयरधारिता का 51% रणनीतिक विनिवेश करने के संबंध में सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है तथा विनिवेश से संबंधित प्रक्रिया नागर विमानन मंत्रालय तथा निवेश एवं लोक सम्पति प्रबंधन विभाग द्वारा की जा रही है। इसके अलावा, सफल बोलीदाताओं को ओएनजीसी द्वारा धारित 49% हिस्सेदारी समान चुकता मूल्य/ हिस्सेदारी के लिए भारत सरकार को देय समान मूल्य पर खरीदने का विकल्प दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा जून, 2017 में नए निदेशकों का समावेश करने के लिए की गई प्रक्रिया तथा पूंजीगत व्यय भी लम्बित कर दिए गए हैं जिसके कारण 2016 के पश्चात से नए हेलीकॉप्टरों की खरीद नहीं की गई है। इससे वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2017 में हेलीकॉप्टरों की संख्या विभिन्न दुर्घटनाओं में हेलीकॉप्टरों की क्षति होने के कारण 46 से घटकर 42 हो गई है। इसके अलावा भी 17 डॉफिन हेलीकॉप्टर परिपक्वता की 31 वर्ष की अधिकतम आयु पूरी कर चुके हैं जिससे उनकी सेवायोज्यता न हो पाने/ उच्चतर अनुरक्षण लागत होने के कारण कम्पनी के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है। भारत सरकार द्वारा लिए गए विनिवेश के निर्णय के कारण हेलीकॉप्टरों की खरीद पर प्रतिबंध है अतः वर्ष 2015 में दुर्घटना में नष्ट हुए तीन हेलीकॉप्टरों तथा जनवरी, 2018 में नष्ट हुए एक हेलीकॉप्टर के स्थान पर पवन हंस लिमिटेड नए हेलीकॉप्टरों की खरीद नही कर पा रहा है और हेलीकॉप्टर उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2017–18 के दौरान राजस्व की हानि बनी रही है। तदनुसार, वर्ष 2017–18 के दौरान कम्पनी का कुल राजस्व 458.02 करोड़ रुपए है जो कि वर्ष 2016–17 के दौरान 507.73 करोड़ रुपए था।

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान 43 हेलीकॉप्टरों के विमान बेड़े में से 30 हेलीकॉप्टर का औसत मासिक बेड़ा उपयोग रहा है। अनेक अपवादों के बावजूद भी वर्ष के दौरान विमान बेड़े की औसत सेवायोज्यता पिछले वर्ष के 88% की तुलना में 97% रही है परन्तु अपतटीय उड़ानों के लिए हेलीकॉप्टरों की संख्या में कमी होने के कारण कुल उड़ान घंटों की संख्या पिछले वर्ष के 26,054 उड़ान घंटों की तुलना में घट कर वर्ष 2017–18 के दौरान 23,329 घंटे हुई है। वर्ष 2017–18 में पवन हंस लिमिटेड द्वारा

395.42 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 2014 से प्रभावी मध्यस्थता निर्णय दिए जाने के परिणामस्वरूप भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मुम्बई, गुवाहाटी तथा सफदरजंग हवाईअड्डों के पट्टा किरायों में पांच गुणा बढ़ोतरी हुई है। इससे किराया बढ़ जाने के कारण राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। इसके अलावा दुर्घटनाओं में हुई क्षति से हेलीकॉप्टरों के नियोजन में हुई कमी से भी राजस्व प्रभावित हुआ है।

इसके अलावा वर्ष 2017–18 के दौरान कर पश्च लाभ वर्ष 2016–17 के 253.92 करोड़ रुपए की तुलना में इंड एएस लेखांकन प्रणाली पर आधारित लेखा परीक्षित बहियों के अनुसार 19.61 करोड़ रुपए था। भारत सरकार द्वारा विनिवेश का निर्णय लिए जाने के परिणामस्वरूप हेलीकॉप्टरों की खरीद प्रतिबंधित थी जिसके कारण पवन हंस लिमिटेड द्वारा वर्ष 2015 में दुर्घटना में नष्ट हुए तीन हेलीकॉप्टरों तथा जनवरी, 2018 में नष्ट हुए एक हेलीकॉप्टर के स्थान पर नए हेलीकॉप्टरों की खरीद नही की जा सकी और हेलीकॉप्टर उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2017–18 के दौरान राजस्व की हानि बरकरार रही।

वर्ष 2017–18 के दौरान कम्पनी का रक्षित एवं अधिशेष वर्ष 2016–17 के 747.08 करोड़ रुपए की तुलना में 564.06 करोड़ रुपए हो गया है। 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक ऋण 19.28 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 24.98 करोड़ रूपए) थे।

निदेशक मंडल द्वारा कर पश्च लाभ पर 30% की दर से 6.16 करोड़ रुपए के लाभांश जमा लाभांश पर 1.27 करोड़ रुपए के निगमित कर (पिछले वर्ष समायोजित निवल सम्पति पर 5% की दर परः 36.99 करोड़ जमा लाभांश पर 7.53 करोड़ रुपए निगमित कर) की अनुशंसा की गई है। लाभांश 557.482 करोड़ रुपए की पूर्ण चुकता पूंजी पर देय है। कम्पनी द्वारा लाभ अर्जित/लेखाबद्ध किया गया है तथा पिछले छः वर्षों से शेयरधारकों को लाभांश चुकता किया जा रहा है। लाभ के लिए अनुशंसित राशि निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग से अनुमोदन प्राप्त होने की शर्त के अध्याधीन है तथा निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग से इसका अनुमोदन प्राप्त न होने की स्थिति में लाभांश की राशि 56.08 करोड़ रुपए (जो निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल सम्पति के 5% अथवा कर पश्च लाभ के 30% से अधिक है) की अनुशंसा निदेशक मंडल द्वारा की गई है।

निम्नलिखित महत्वपूर्ण विकास कार्य किए गए हैं:–

i) नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से जुलाई, 2017 में राइट इश्यू द्वारा भारत के राष्ट्रपति को 159.05 करोड़ रुपए एवं ओएनजीसी को 152.816 करोड़ रुपए मूल्य के अतिरिक्त शेयर आबंटित किए जाने से कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 250 करोड़ रुपए से बढ़कर 560 करोड़ हो गई है।

ii) ओएनजीसी द्वारा पवन हंस लिमिटेड को 5 वर्षों की अवधि के लिए 4 हेलीकॉप्टरों का अनुबंध दिया गया है जिससे 80 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

iii) पवन हंस ने क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना – उड़ान के अंतर्गत अपने हेलीकॉप्टर शामिल करने के बोली प्रक्रिया में भाग लिया गया है। पवन हंस लिमिटेड को जनवरी, 2018 में क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के अंतर्गत असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा उत्तराखंड में 11 क्षे.सं.यो. मार्ग प्रदान किए गए हैं जिनके लिए अगले छः माह के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारम्भ की जानी हैं। क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के अतर्गत पवन हंस लिमिटेड को 60 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुमानित राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। यह एक नया राजस्व प्रवाह होगा तथा कम्पनी अब क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ करेगी।

iv) कम्पनी को क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना–उड़ान II के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश नामक पांच राज्यों में 31 हैलीपोर्टों के निर्माण का परामर्शी कार्य प्रदान किया गया है। इस कार्य के अंतर्गत तीन चरणों में संभाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना का निर्माण तथा निष्पादन के दौरान परामर्श के कार्य शामिल हैं। इसके पहले दो चरणों में लगभग 14 करोड़ रुपए तथा तीसरे चरण में लगभग 30 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

v) पवन हंस लिमिटेड को लक्षद्वीप के 3 द्वीपों के लिए 10.36 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रात्रि लैंडिंग सुविधा का परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य प्राप्त हुआ है जिसमें पवन हंस लिमिटेड को प्राप्त होने वाला संभावित राजस्व लगभग 1.50 करोड़ रुपए है।

vi) पवन हंस द्वारा पहली बार "रणनीतिक निगमित योजना :2020" तथा नई व्यवसाय योजना 2027 के विजन दस्तावेज निर्मित किए गए हैं। तथापि, प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश के कारण इसकी योजना फिलहाल विनिवेश प्रक्रिया से लम्बित पड़ी हुई है। अब एक नई मध्य कालिक योजना 2024 तैयार की गई है। कम्पनी के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को विचार में लेते हुए इसके निर्णय पर

अब समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

vii) कम्पनी द्वारा लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है। विचाराधीन अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व निकायों के साथ नियमित बैठकों का आयोजन किया गया। विकास की अपार संभावनाओं से युक्त भारत के हेलीकॉप्टर उद्योग में कम्पनी द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।

viii) श्री मचेल माता के लिए एक हेलीकॉप्टर के नियोजन का 1.50 करोड़ रुपए के अनुमानित राजस्व का एक नया अनुबंध प्राप्त हुआ है।

ix) पवन हंस लिमिटेड को अपनी सेवाओं के उत्कृष्ट स्तर एवं नागर विमानन में अपने योगदान के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्नानुसार अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किए गए हैं:

अप्रैल, 2018 में गवर्नेंस नॉव द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री मनसुख एल. मांडविया एवं कृषि राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा राज द्वारा पवन हंस को इसके विकासशील कार्यक्रमों के लिए सम्मानित किया गया है।

अगस्त, 2017 में पवन हंस को सर्वोत्कृष्ट सामान्य विमानन कम्पनी के सम्मान के साथ एएसएसओसीएचएएम (एस्सोचॉम) द्वारा ''हैली पर्यटन एवं दूरस्थ क्षेत्र वायु सम्पर्कता पुरस्कार'' प्रदान किया गया है।

सितम्बर, 2017 में इंडियन चेम्बर आफ कामर्स ने पवन हंस द्वारा राष्ट्र के प्रथम एकीकृत हेलीपोर्ट के विकास के लिए प्राप्त की गई उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता प्रदान की है।

नवम्बर, 2017 में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा देश में ग्रामीण भारत से सम्पर्कता उपलब्ध करवाने के लिए पवन हंस को उत्कृष्ट सामान्य विमानन कम्पनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

दिल्ली में दिसम्बर, 2017 में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पवन हंस लिमिटेड को आई.डब्ल्यू.पी.ए. द्वारा ''महिला पॉयलटों के सशक्तीकरण'' की मान्यता प्रदान की गई है।

इस अवसर पर प्रबंधन के प्रति अपना विश्वास कायम रखने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं कम्पनी के कार्यकुशल प्रबंधन में सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय तथा अन्य विभिन्न एजेंसियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं कम्पनी के प्रति अपने विश्वास को बरकरार रखने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जीएसपीसी, नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन, गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, मेघालय, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, असम, उड़ीसा, जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की राज्य सरकारों तथा इनके कर्मचारियों द्वारा कम्पनी के विकास के लिए प्रदान की गई सेवाओं के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

(डा. बी.पी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 28 दिसम्बर, 2018

निदेशक रिपोर्ट

सम्मानित शेयरधारको,

आपके निदेशकों को अपनी तैंतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियां, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखा के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 चुनौतियों से भरा वर्ष रहा है तथा कम्पनी द्वारा हेलीकॉप्टर उद्योग में अपनी नेतृत्वकर्ता की स्थिति को बनाए रखने, दीर्घकालिक ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने और कुछ नए क्षेत्रों / चार्टर व्यवसायों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारम्भ करने के प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा कंपनी ने कई नई पहलें की हैं और वर्ष के दौरान नए व्यवसायों को अर्जित किया है, जैसा कि रिपोर्ट के अग्रांकित अनुच्छेदों में विवरण दिया गया है। कंपनी ने विभिन्न सरकारों और प्रशासन के साथ उनके राज्य में हेली–पर्यटन विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जैसे गोवा, आंध्र प्रदेश और दमन–दीव। हेलीकॉप्टर उद्योग अनुभवी हेलीकॉप्टर पायलटों की कमी का गम्भीरता से सामना कर रहा है और पवन हंस भी विगत दो वर्षों में पाइलटों के कम्पनी छोड़कर जाने की उच्च दर के कारण कारोबार पर बुरे प्रभाव का सामना कर रहा है। हाल ही में कम्पनी ने भारतीय वायु सेना के साथ पाइलटों की प्रतिनियुक्ति और स्थाई आधार पर समामेलन के साथ प्रवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने पीएचएल एविएशन अकादमी स्थापित करने के लिए एक नई और अधिक कारगर पहल की है जिसमें सीएचपीएल–कैडेट पायलट स्कीम लॉन्च करने के अलावा अपने छात्रों को डीजीसीए सर्टिफिकेट और बीएससी एयरोनॉटिक्स की दोहरी डिग्री/ प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने कर पश्चात लाभ अर्जित करना और शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करना जारी रखा है।

हेलीकॉप्टर उद्योग में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती जा रही है तथा पवन हंस को लगभग कुल प्रचालनात्मक राजस्व का 85% भाग अब प्रतिस्पर्द्धी निविदाओं के माध्यम से प्राप्त हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप लाभ का अंतर कम हो गया है। पवन हंस ने हाल ही में आरसीएसयूडीएन योजना के अंतर्गत विभिन्न पहाड़ी और उत्तर पूर्व राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए एमओसीए–आरसीएस योजना में भाग लिया है और चार राज्यों में 11 रूटों पर कार्य प्रदान किया गया है। इसकी एक अच्छी व्यावसायिक संभावना है और कंपनी इस क्षेत्र में अच्छी तरह से काम करने की उम्मीद करती है।

इसके अलावा, निदेशक शेयरधारकों को सूचित करना चाहेंगे कि सीसीईए, भारत सरकार ने प्रबंधन नियंत्रण के साथ अपनी 51% शेयरधारिता के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी है और विनिवेश की प्रक्रिया एमओसीए और डीआईपीएएम द्वारा प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त सफल बोलीदाताओं को स्टेक के लिए भारत सरकार को भुगतान किए गए/किए जाने वाले मूल्य पर ओएनजीसी द्वारा धारित 49% स्टेक को क्रय करने के लिए एक विकल्प भी दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप जून, 2017 में पीएसईबी चयन प्रक्रिया के उपरांत नए निदेशकों के शामिल होने पर रोक लग गई और पूंजीगत व्यय को भी रोक कर रखा गया है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2016 से कोई नया हेलीकॉप्टर क्रय नहीं किया गया है। इसके कारण बेड़े का आकार विभिन्न दुर्घटनाओं में हेलीकॉप्टरों की हानि के दृष्टिगत कम होकर वर्ष 2015 में 46 हेलीकॉप्टरों से वर्ष 2017 में 42 हेलीकॉप्टर हो गया। इसके अलावा 17 डॉफिन हेलीकॉप्टरों ने 31 साल की विंटेज को पार कर लिया है और उच्च सेवाप्रयोज्यता / उच्च अनुरक्षण लागत का सामना कर रहे हैं जो कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

I. प्रचालन

क) प्रचालन परिणाम

भारत सरकार के विनिवेश के निर्णय के कारण हेलीकॉप्टर के क्रय पर प्रतिबंध था ऐसी स्थिति में पवन हंस 2015 में दुर्घटनाओं में नष्ट तीन हेलीकॉप्टरों और जनवरी 2018 में दुर्घटना में नष्ट एक हेलीकॉप्टर को प्रतिस्थापित करने के लिए नए हेलीकॉप्टरों का अर्जन नहीं कर सका और हेलीकॉप्टरों की अनुपलब्धता के कारण राजस्व की हानि वर्ष 2017–18 में जारी रही।

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाओं का दमन और दीव में शुभारंभ

हेलीकॉप्टरों की औसत मासिक तैनाती 43 हेलीकॉप्टरों के बेड़ा आकार में से 30 हेलीकॉप्टरों की रही। सभी बाधाओं के बावजूद, वर्ष के दौरान बेड़े की औसत सेवा क्षमता 97% थी जो पिछले वर्ष में 88% थी, लेकिन अपतटीय उड़ान में कम हेलीकॉप्टर होने के कारण वर्ष 2017–18 में कुल उड़ान घंटे घटकर 23,329 घंटे रह गए, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 26,054 घंटे थे। वर्ष 2017–18 के दौरान पवन हंस द्वारा परिचालनों से अर्जित राजस्व रु. 395.42 करोड़ है।

ख) बेड़ा प्रोफाईल

अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ पवन हंस अपने परिचालन बेड़े में वर्तमान में स्वयं के कुल 42 हेलीकॉप्टरों की संतुलित संख्या के साथ एशिया के विशालतम हेलीकॉप्टर परिचालक के रूप में बरकरार है। कंपनी ने अपनी स्थापना से अब तक अपने बेड़े से 10.00 लाख घंटे से अधिक की उड़ान भरी है तथा 25 लाख से अधिक की लैन्डिग की है। एरियल 2सी इंजन पर 1 मिलियन घंटे के विश्व के सर्वश्रेष्ठ उड़ान के रूप में कीर्तिमान स्थापित करने के लिए मैसर्स टर्बोमेका द्वारा पवन हंस को पुरस्कृत किया गया है।

वर्तमान में कम्पनी के प्रचालनात्मक बेड़े का स्वरूप निम्नानुसार है :–

हेलीकॉप्टर प्रकार	हेलीकॉप्टरों की संख्या	औसत आयु (वर्ष)
डॉफिन एसए365एन	17	31
डॉफिन एएस365 एन3	14	8
बेल –407	3	13
बेल 206एल4	3	21
एएस 350 बी3	2	6
एमआई–172	3	9
योग	**42**	

ग) बेड़ा परिनियोजन

बम्बई अपतटीय प्लेटफार्म पर स्थित ड्रिलिंग रिग्स तक ओएनजीसी के अपतटीय प्रचालनों हेतु दिन रात अनवरत उनके व्यक्तियों एवं महत्वपूर्ण आपूर्तियों के वहन के लिए पवन हंस द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पवन हंस द्वारा मुम्बई के भू–भाग से 130 नॉटिकल मील के दायरे में स्थित ओएनजीसी की रिग्स (मदर प्लेटफार्म एवं ड्रिलिंग रिग्स) तथा प्लेटफार्म (कुओं) के लिए प्रचालन किए जाते हैं। मार्च, 2015 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पद्धी बिडिंग में 7 वर्ष की विशिष्टता के साथ

निम्नतम बोली होने से ओएनजीसी को 3 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों की सेवाएं उपलब्ध करवाने की क्रू चेंज टास्क संविदा भी पवन हंस द्वारा ही पुनः प्राप्त की गई। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार कम्पनी द्वारा ओएनजीसी को संविदा के अंतर्गत ओएनजीसी के अपतटीय कार्यों के लिए 7 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों से सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिनमें से आपात निकासी के लिए रात्रि एम्बूलेंस के लिए नियत 1 हैलीकॉटर के अतिरिक्त मुख्य प्लेटफार्म पर 2 डॉफिन हेलीकॉप्टर रात भर परिनियोजित रहते हैं। वर्तमान में कंपनी ओएनजीसी को कुल 7 डॉफिन एन–3 हेलीकॉप्टर प्रदान कर रही है।

वर्तमान में कंपनी मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मणिपुर राज्य सरकारों और गृह मंत्रालय में प्रत्येक के लिए 1 डॉफिन हेलीकॉप्टर प्रदान कर रही है और 1 डॉफिन एन 3 हेलीकाप्टर मेघालय राज्य सरकार को। कंपनी क्रमशः 1 बेल 407 हेलीकॉप्टर सिक्किम और 1 एमआई –172 हेलीकॉप्टर को क्रमशः ओडिशा और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों को प्रदान कर रही है।

कंपनी 3 डॉफिन एन हेलीकॉप्टर और 1 डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर अंडमान–निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन के लिए और 02 डॉफिन एन हेलीकाप्टर और एक डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर लक्षद्वीप द्वीपसमूह को प्रदान कर रही है।

कंपनी ने जम्मू–कश्मीर सरकार को 2 बेल 206 एल 4 और 1 बेल 407 हेलीकॉप्टर प्रदान किए हैं। कंपनी एनटीपीसी और जीएसपीसी प्रत्येक को एक डॉफिन एन –3 हेलीकॉप्टर और जीएआईएल एवं ऑयल इंडिया लिमिटेड प्रत्येक को 1 एएस–350 बी3 हेलीकॉप्टर प्रदान कर रही है। कंपनी ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को 1 ध्रुव हेलीकाप्टर को एचएएल से पट्टे पर लेकर दिया है। कंपनी संघ राज्य क्षेत्र दमन और दिउ को भी 1 डॉफिन एन हेलीकॉप्टर प्रदान कर रही है। कंपनी ने चार्टर कारोबार के लिए गुवाहाटी में 1 डॉफिन एन हेलीकॉप्टर भी रखा है।

पवन हंस मौसम के दौरान प्रत्येक वर्ष मई–जून तथा सितम्बर–अक्तूबर के दौरान फाटा से पवित्र केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं चलाता है। कंपनी ने इस वर्ष जम्मू व कश्मीर में श्री मचेल माता के लिए अनुबंध हासिल किया है और रु. 1.50 करोड़ के कारोबार की कमाई की है।

पवन हंस देश के विभिन्न भागों में जॉय राइड भी प्रदान करता है। वर्ष 2016–17 के दौरान

भारत के माननीय राष्ट्रपति का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लिमिटेड द्वारा राष्ट्र के प्रथम एकीकृत हेलीपोर्ट, रोहिणी हेलीपोर्ट, सैक्टर–36, रोहिणी, दिल्ली पर स्वागत

हेलिकॉप्टर पर्यटन और विरासत शहर को बढ़ावा देने के लिए हेलिकॉप्टर द्वारा "फेस्टिवल जॉय राइड" और प्रमुख "सिटी दर्शन" शुरू किया, जैसे कि दिल्ली दर्शन, हम्पी महोत्सव, मैसूरू दशहरा, पाधिथिलि और कृष्णा पुष्करम महोत्सव आदि। इस उद्यम ने 2017–18 के दौरान पवन हंस के लिए एक अतिरिक्त राजस्व प्रदान किया। छोटी अवधि के इन कार्यों ने कंपनी को अपने बेड़े को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने, हेली–टूरिज्म को बढ़ावा देने और राजस्व अर्जित करने में मदद की है।

हेलीकॉप्टरों का औसत मासिक परिनियोजन निम्नानुसार रहाः–

औसत मासिक बेड़ा उपयोग

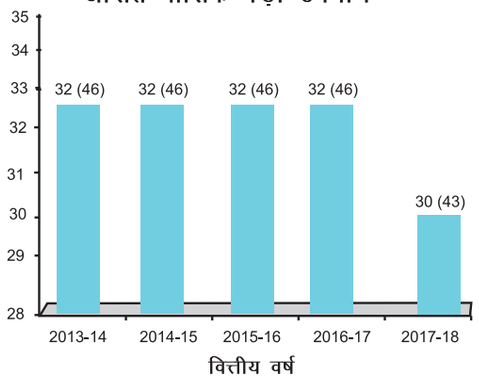

कंपनी को हाल ही में ओएनजीसी द्वारा 4 हेलीकॉप्टरों की अपतटीय तैनाती के लिए अनुबंध प्रदान किया गया है। कंपनी इस नए व्यवसाय में तैनात करने के लिए हेलीकॉप्टर को पट्टे पर लेने की कोशिश कर रही है।

घ) पवन हंस का रणनीतिक विनिवेश

भारत सरकार ने प्रबंधन नियंत्रण के स्थानांतरण सहित पवन हंस लिमिटेड में भारत सरकार की 51% शेयर धारिता के सम्पूर्ण विनिवेश का निर्णय लिया है। एसबीआई कैपिटल मार्केट को डीआईपीएएम, वित्त मंत्रालय द्वारा 20वीं मार्च, 2017 को उक्त रणनीतिक विनिवेश के लिए लेनदेन परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया। गतिविधियों की प्रक्रिया में प्रारम्भिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) के साथ सम्मिलित अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) पूर्ण हो चुका है और यह समाचार पत्रों में दिनांक 14.04.2018 को प्रकाशित हुआ था। उपर्युक्त प्रक्रिया से वैश्विक निविदा आमंत्रित की गई थी और पवन हंस के रणनीतिक विनिवेश के लिए दिनांक 14 अप्रैल, 2018 को जारी प्रारम्भिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) और दिनांक 31 मई, 2018 को जारी पीआईएम के शुद्धिपत्र के प्रतिउत्तर में ईओआई को जमा करने की अंतिम तिथि 18 जून, 2018 थी। बोलीदाताओं से निम्न प्रतिक्रिया के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

उपरोक्त के फलस्वरूप तेल और प्राकृतिक गैस निगम ("ओएनजीसी") ने अपने बोर्ड प्रस्ताव दिनांक 02 अगस्त, 2018 द्वारा पवन हंस में 49% की अपनी संपूर्ण शेयरधारिता समाप्त करने के उद्देश्य से संचार किया है। इस विकास के दृष्टिगत सभी संभावित और मौजूदा बोलीदाताओं को विनिवेश प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए दिनांक 15.08.2018 को पीआईएम का एक परिशिष्ट जारी किया गया था। तदनुसार, इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 12 सितंबर, 2018 तक बढ़ा दी गई थी, जिसे पुनः दिनांक 19 सितंबर, 2018 तक बढ़ा दिया गया था। वर्तमान में, योग्य बोलीदाताओं को आरएफपी जारी किया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त डीआईपीएएम ने मेसर्स क्रौफोर्ड बैले एंड कंपनी को उक्त रणनीतिक विनिवेश के लिए विधिक परामर्शदाता के रूप में भी नियुक्त किया है। मेसर्स आरबीएसए परामर्शदाता को नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पवन हंस की आस्तियों के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया गया। मेसर्स आरबीएसए द्वारा आस्तियों के मूल्यांकन से जुड़ा कार्य पूर्ण हो चुका है।

ङ) पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण और सफदरजंग हवाई अड्डा को खाली किया जाना

कंपनी के शेयरधारकों ने दिनांक 16 फरवरी, 2018 को आयोजित 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक के माध्यम से विशेष संकल्प को पारित कर पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली एनसीआर से उत्तर प्रदेश स्थानांतरण को मंजूरी दे दी। कंपनी के पंजीकृत

कार्यालय को आंतरिक उपाय के रूप में रोहिणी हेलीपोर्ट, सेक्टर–36, रोहिणी, दिल्ली–110085 स्थानांतरित किया गया चूंकि कंपनी को अपना कार्यालय सफदरजंग हवाई अड्डा से स्थानांतरित करना था। अब पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली से सी–14 सेक्टर–1, नोएडा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है।

च) बेड़े के विस्तार

पीएचएल ने 4 लाइट हेलीकाप्टरों और 2 हेवी ड्यूटी हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए भी आंतरिक संसाधनों से 20% निधियन और बैंकरों से 80% मियादी ऋण के साथ निविदाओं की प्रक्रिया की थी। बोलियां प्राप्त की गई और तकनीकी रूप से मूल्यांकन किया गया। हालांकि, सरकार द्वारा पवन हंस के रणनीतिक विनिवेश के निर्णय के दृष्टिगत नागर विमानन मंत्रालय ने दीर्घकालिक निवेश के लिए निर्णय नहीं लिया जिससे इन नई खरीद निविदाओं की कोई और कार्रवाई नहीं की जा सकी। अब बेड़े के अर्जन के लिए लीज के रास्ते प्रयास किए गए हैं हालांकि बारंबार के लीज निविदा की प्रतिक्रिया अत्यंत ही निराशाजनक रही है।

छ) दिल्ली में रोहिणी हेलीपोर्ट

डीजीसीए और गृह मंत्रालय से परिचालन की अनुमति के बाद 28 फरवरी, 2017 को निर्माण पूरा कर लिया गया है और हेलीपोर्ट शुरू किया गया है। हेलीपोर्ट में एक टर्मिनल बिल्डिंग है जिसमें 150 यात्री (किसी भी समय) की क्षमता है, 4 हैंगर हैं और 16 हेलीकाप्टरों की पार्किंग क्षमता और 9 पार्किंग बेज हैं। यह हेलीकॉप्टर व्यवसाय के लिए एक–बिंदु समाधान प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है जिसमें नियमित हेलीकॉप्टर संचालन, लैंडिंग और अन्य ऑपरेटरों के लिए पार्किंग सुविधा, एमआरओ सेवाएं और प्रशिक्षण सेवाएं शामिल हैं। उद्घाटन के बाद हेलीपोर्ट का उपयोग जोर पकड़ रहा है।

पवन हंस के रणनीतिक विनिवेश और नागर विमानन मंत्रालय के पक्ष में लंबी अवधि के पट्टे पर डीडीए द्वारा रोहिणी हेलीपोर्ट के आवंटन के दृष्टिगत रोहिणी में हेलीपोर्ट रणनीतिक बिक्री के प्रस्तावित लेनदेन का हिस्सा नहीं होगा। इसलिए, नागर विमानन मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के एक विशेष उद्देश्य वाहन के माध्यम से पूरा होने से पहले रोहिणी हेलीपोर्ट की संपत्ति पीएचएल की बहियों से से ले ली जाएगी। नागर विमानन मंत्रालय के निर्देश के अनुसार एमओसीए और ओएनजीसी की अलग दर्पण कंपनी के गठन की प्रक्रिया एक सलाहकार के माध्यम से मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ रोहिणी

माननीय नागर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु द्वारा पीएचटीआई का दौरा

हेलीपोर्ट के एनसीएलटी में डिमर्जर का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी है।

ज) हडपसर, पुणे में प्रशिक्षण अकादमी और हेलीपोर्ट

पवन हंस को हडपसर, पुणे के मौजूदा ग्लाइडिंग सेंटरजो डीजीसीए के स्वामित्व में है में एक हेलीकाप्टर ट्रेनिंग अकादमी एवं हेलीपोर्ट का विकास करने के लिए कार्य सौंपा गया था। परियोजना को नागर विमानन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और डीजीसीए ने उद्देश्य के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि जीबीएस के रूप में जारी की है। पवन हंस ने जमीन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के उपयोग के लिए 17 मई, 2010 को डीजीसीए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पवन हंस ने 11.25 करोड़ रुपये की लागत से एनबीसीसी के माध्यम से जमा कार्य आधार पर नियोजन और डिजाइन और निर्माण कार्य किया। पीएचएल ने 3.24 करोड़ रुपये के अतिरिक्त काम की अंतिम समाप्ति लागत के अनुमोदन के लिए डीजीसीए से संपर्क किया है और सुविधा के प्रभावी लाभकारी उपयोग के प्रशिक्षण और व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए पवन हंस को सुविधा सौंपने का अनुरोध किया है। रणनीतिक विनिवेश के निर्णय के दृष्टिगत, पवन हंस ने पुणे में प्रशिक्षण अकादमी के मामले को डीजीसीए के साथ बंद करने का प्रस्ताव किया है।

II. वित्त एवं लेखा

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016–17 से इंड एएस का कार्यान्वयन किया है। कंपनी ने यथास्थिति 31.03.2018 तुलन पत्र की वित्तीय विवरणियों को तैयार किया है, लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण के साथ संशोधित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए इंड एएस के अनुरूप खाते को तैयार किया है।

क) वित्तीय परिणाम

2016–17 और 2017–18 के दौरान वित्तीय प्रदर्शन निम्नानुसार थेः –

(₹करोड़ में)

विवरण	**2016–17 इंड एएस के अनुसार ऑडिट अकाउंट**	**2017–18 इंड एएस के अनुसार ऑडिट अकाउंट**
क) अन्य आय सहित कुल राजस्व	507.73	458.02
ख) व्यय i) पूर्व अवधि समायोजन सहित परिचालनगत और गैर–परिचालनगत व्यय ii) मूल्यह्रास योग	389.98 80.82 470.80	361.24 84.77 446.01
ग) आपवादिक मदों से पूर्व लाभ	36.92	12.00
घ) असाधारण मदें/आपवादिक मदें	339.31	-
ङ) लाभ/(हानि) समायोजन पश्चात	37.62	12.00
च) आय कर के लिए प्रावधान/आस्थगित कर देयता	122.31	(7.61)
छ) कर पश्चात शुद्ध लाभ	253.92	19.61
ज) निगमित कर सहित लाभांश	44.52	7.43

कंपनी के आरक्षित और अधिशेष 564.06 करोड़ रुपए (विगत वर्ष रुपए 747.08 करोड़), 19.28 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 24.98 करोड़ रुपए) की मौजूदा परिपक्वता के अलावा रुपए 5.69 करोड़ (विगत वर्ष रुपए 5.36 करोड़) के गैर चालू उधार हैं।

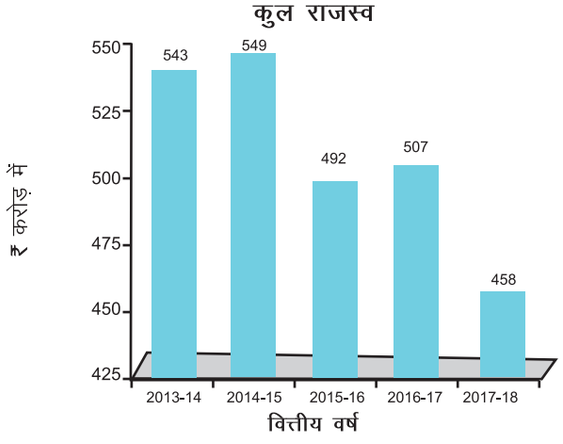

राजस्व में कमी का मुख्य कारण 2018 में दुर्घटना में एक हेलीकाप्टर की हानि के कारण ओएनजीसी से अनुबंध की हानि और ओएनजीसी, वैष्णो देवी, अमरनाथ में सही विंटेज वाले हेलीकाप्टरों की गैर उपलब्धता के कारण हेलीकाप्टरों का अनुबंध प्रदान करने में कमी रही।

ख) लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा कर पश्च लाभ पर 30% की दर से 6.16 करोड़ रुपए के लाभांश जमा लाभांश पर 1.27 करोड़ रुपए के निगमित कर (पिछले वर्ष समायोजित निवल सम्पति पर 5% की दर पर : 36.99 करोड़ जमा लाभांश पर 7.53 करोड़ रुपए निगमित कर) की अनुशंसा की गई है। लाभांश 557.482 करोड़ रुपए की पूर्ण चुकता पूंजी पर देय है। कम्पनी द्वारा लाभ अर्जित/लेखाबद्ध किया गया है तथा पिछले छः वर्षों से शेयरधारकों को लाभांश चुकता किया जा रहा है। लाभ के लिए अनुशंसित राशि निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग से अनुमोदन प्राप्त होने की शर्त के अध्याधीन है तथा निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग से इसका अनुमोदन प्राप्त न होने की स्थिति में लाभांश की राशि 56.08 करोड़ रुपए (जो निवेश एवं लोक परिसम्पति के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल सम्पति के 5% अथवा कर पश्च लाभ के 30% से अधिक है) की अनुशंसा निदेशक मंडल द्वारा की गई है।

ग) नागर विमानन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

आपकी कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग में समझौता–वार्ता बैठक के पश्चात प्रत्येक वर्ष नागर विमानन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है। आपकी कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2015–16 के लिए पवन हंस की रेटिंग "उत्तम" थी और वर्ष 2016–17 के लिए "अति उत्तम" थी और वर्ष 2017–18 के लिए "अति उत्तम" रहने की संभावना है।

घ) इक्विटी पूंजी

दिनांक 10.07.2017 को पीएचएल के निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त इक्विटी शेयरों के आवंटन के बाद निम्नलिखित शेयर धारण पैटर्न सामने आए हैं: –

इक्विटी शेयरधारक	आवंटन से पहले शेयरधारिता	इक्विटी शेयरों का अधिकार निर्गम	आवंटन के बाद कुल शेयरधारिता	% शेयरधारिता
नाविमं के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	125266	159050	284316	51%
ओएनजीसी	120350	152816	273166	49%
योग	**245616**	**311866**	**557482**	**100%**

कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रु. 557,48,20,000/– है जिसमें रु. 10,000/– प्रत्येक के 5,57,482 इक्विटी शेयर हैं।

ङ) ऋण ग्रहण

यथास्थिति 31.3.2018 को, वर्तमान परिपक्वताओं के अलावा अन्य गैर–चालू ऋणों की राशि रु 19.28 करोड़ (पिछले वर्ष के रु. 4.98 करोड़) और गैर–चालू ऋणों की वर्तमान परिपक्वता राशि रु. 5.69 करोड़ (पिछले वर्ष के रु. 5.36 करोड़) है। यथास्थिति 31.03.2018 रुपये 19.28 करोड़ रुपये का सुरक्षित ऋण (पिछले वर्ष की रु. 24. 98 करोड़) के रूप में एनटीपीसी से प्राप्त की गई थी।

च) वित्तीय वर्ष 2017–18 की समाप्ति के पश्चात घटित महत्वपूर्ण घटनाएं/विकास

i) दिनांक 03.10.2018 को, बेल 206एल4 हेलिकॉप्टर वीटी–पीएचडी (8.75 करोड़ रुपये की बीमित राशि) ने पडौम से उड़ान भरी और लेह से आगे ज़ांस्कर के करगीक में आपातकालीन लैंडिंग हुई। हेलिकॉप्टर की पूंछ बूम और लैंडिंग स्किड में क्षति है और खराब मौसम के कारण साइट पर अटक गया है। उसको बीमा कंपनी को सूचित किया गया है।

i) समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंतर्गत दमन डिटैचमेंट के तत्कालीन बेस सहायक द्वारा जारी किए गए टिकटों के लिए दमन और दीव प्रशासन की ओर से संग्रहित रु. 3,56,000/– (लगभग) के दुरुपयोग को सूचित किया गया था। राशि की वसूली के लिए सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है और अब तक संबंधित कर्मचारी से 2,30,000/– रुपये की वसूली की गई है और रु. 1,26,000/– की शेष राशि के संबंध में राशि की वसूली के लिए अन्य समुचित कार्यावाईयों के साथ आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

III. अभियांत्रिकी/अनुरक्षण क्रियाकलाप

अपने हेलीकॉप्टरों के बेड़े के अनुरक्षण के लिए कम्पनी द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमोदन प्राप्त कर मुम्बई तथा नई दिल्ली में उत्कृष्ट अनुरक्षण सुविधाओं की स्थापना की गई है। विस्तृत कार्यशालाओं में हेलीकॉप्टरों के संबंध में अति सूक्ष्म अनुरक्षण परीक्षण सेवाओं के लिए आंतरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉफिन

पवन हंस द्वारा नागर विमानन मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए लाभांश का भुगतान

हेलीकॉप्टरों के संबंध में प्रमुख "जी" परीक्षण किए जाने के लिए अनुरक्षण सामर्थ्य बढ़ाया गया है जिसके लिए किसी विदेशी सहायता के बिना पूर्ण रूप से आंतरिक व्यवस्था की गई है तथा इसके परिणामस्वरूप मरम्मत/परीक्षण पर होने वाली कम लागत से विदेशी मुद्रा की बचत संभव हो पाई है। विचाराधीन वर्ष के दौरान मुम्बई में अनुरक्षण सुविधाओं के कार्यक्षेत्र को "जी" परीक्षण (5400 घंटों पर एयरफ्रेम ओवरहॉल) सहित विस्तारित किया गया है।

अपने स्वयं के संसाधनों से टी/2टी/5टी(600 घंटे/1200 घंटे/3000 घंटे) के संबंध 23 परीक्षण किए गए तथा डॉफिन हेलीकॉप्टरों के संबंध में 2 'जी' परीक्षण (5400 घंटे) किए गए हैं।

इसके अलावा, रोहिणी हेलिपोर्ट डीजीसीए द्वारा अनुमोदित है

- 1500 घंटे के बेल 207–एल 4 हेलीकॉप्टर के अनुरक्षण निरीक्षण के लिए
- 1200 घंटे के बेल 407 हेलीकॉप्टर का अनुरक्षण/24 महीने के निरीक्षण के लिए
- प्रमुख संशोधनों/मरम्मत को छोड़कर, 1200 घंटे/48 महीने के निरीक्षण तक इक्यूरियल एएस 350 बी3 हेलीकॉप्टर के अनुरक्षण के लिए
- डॉफिन एसए 365एन हेलिकॉप्टर का अनुरक्षण 100 घंटे/06 महीने के निरीक्षण के लिए
- 1200 घंटे तक डॉफिन एसए 365 एन 3 हेलीकॉप्टर के अनुरक्षण/04 वर्ष निरीक्षण के लिए
- एमआई –172 हेलीकॉप्टर के अनुरक्षण और 500 घंटे से 1000 घंटे तक निरीक्षण के लिए

कार्यशाला सुविधाओं का संवर्धन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसमें होने वाला प्रत्येक विस्तार स्वयं में एक उपलब्धि होता है। वर्ष के दौरान डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों के संबंध में 'जी' परीक्षण को शामिल किए जाने के साथ साथ डॉफिन एन3 उपकरणों के बैंच परीक्षण के लिए कार्यशाला सुविधाओं के कार्यक्षेत्र में भी विस्तार किया गया था। इसके अलावा, बेस पर बेल हेलीकॉप्टरों के संबंध में प्रमुख अनुरक्षण परीक्षण तथा प्रमुख संघटक परिवर्तन भी वर्ष के दौरान जारी रहे।

पवन हंस के निदेशक मंडल ने कंपनी में अनुरक्षण प्रणाली को सुधारने और बाहरी कारोबार लाने हेतु एमआरओ को एक पृठक शीर्ष के रूप में स्थापित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त रक्षा हेलीकॉप्टरों के एमआरओ के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने हेतु एचएएल के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

IV. सामग्री प्रबंधन

अचल माल सूची के बेहतर नियंत्रण के संबंध में सामग्री प्रबंधन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सभी प्राप्तियों के लिए माल सूचियों के स्तर के निर्धारण इंजीनियरिंग तथा सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा की गई संयुक्त समीक्षा के आधार पर किए गए हैं तथा पूर्जों के लिए आदेश पूर्वानुमानों के उपायों का प्रयोग करते हुए जारी किए जाते हैं। सामग्री प्रबंधन क्रियाकलाप एकीकृत कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से ऑनलाईन किए जाते हैं। मांग तथा पूर्ति की प्रक्रिया कार्यकुशल हुई है। आंकड़ों में पारदर्शिता आई है तथा सभी क्षेत्रों तथा बेस पर ये अब प्रयोक्ताओं को नेटवर्क पर उपलब्ध हैं। सामयिक चेतावनियों के माध्यम से माल सूचियों का प्रबंधन किए जाने से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की प्रभावोत्पादकता बढ़ी है। ई–प्राप्ति प्रक्रिया का प्रयोग प्रभावोत्पादक रूप से किया जा रहा है।

V. सूचना प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी पहल

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत पवन हंस ने "ई–भुगतान", :ई–प्रापण", "ई–टिकटिंग" और मोबाइल एप्प की शुरुआत के माध्यम से त्वरित व पारदर्शी सुशासन की दिशा में सूचनाओं के बेहतर प्रवाह के लिए एक आंतरिक एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापित की है। पीएचएल बेड़े के लिए प्रधान कार्यालय में सीओसीआर और कंट्रोल रूम की स्थापना के माध्यम से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बेड़ा ट्रैकिंग सिस्टम का अभिनव प्रोजेक्ट विकसित और कार्यान्वित किया गया है।

सूचना प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी योजना के अंतर्गत परिचालन, अभियांत्रिकी, सामग्री एवं वित्त जैसे सूक्ष्म कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए मेसर्स टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा विकसित एक एकीकृत साफ्टवेयर से कार्य कुशलता, प्रभाव्यता तथा ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त नोएडा स्थित प्रधान कार्यालय तथा सफदरजंग हवाईअड्डा, मुम्बई एवं गुवाहाटी में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए एकीकृत एलएएन/डब्लूएएन अवसंरचना स्थापित की गई है। प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कुछ डिटेचमेंटों के लिए एकीकृत ध्वनि संचार का कार्यान्वयन भी किया गया है। कम्पनी द्वारा प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के मध्य वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) को भी स्थापित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप यात्रा लागत में बचत हुई है। वेब आधारित एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग और ई–पेमेंट गेटवे हेतु परियोजना को भी कार्यान्वित किया गया है।

कंपनी द्वारा केदारनाथ जी के लिए यात्री सेवा परिचालनों के संबंध में ई–टिकटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। कंपनी की वेबसाइट http://pawanhans-co-in नियमित रूप से हिंदी तथा अंग्रेजी में अद्यतन की जाती है। कम्पनी द्वारा कर्मचारियों के लिए नियमित अपडेटों से युक्त इन्ट्रानेट सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। कम्पनी के पास अपना स्वयं का नोएडा में स्थित प्राथमिक डाटा केन्द्र (पीडीसी) तथा मुम्बई में आपदा भरपाई केन्द्र है। कार्यकुशल ई–गवर्नेंस तथा पारदर्शिता की प्राप्ति के लिए कम्पनी द्वारा रु. 2 लाख तथा अधिक मूल्य के माल एवं सेवाओं हेतु ई–ऑफिस प्रणाली तथा ई–प्रापण प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है।

VI. मानव संसाधन प्रबंधन

क) जनशक्ति

31 मार्च, 2018 की तुलना में 738 (425 नियमित कर्मचारियों और 313 संविदागत कर्मचारियों सहित) के स्थान पर 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की कुल जनशक्ति 767 थी जिसमें 123 पायलट, 107 विमान अनुरक्षण अभियंता, 53 अधिकारी, 149 तकनीशियन तथा 306 अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारी हैं। कंपनी छोड़कर जाने वाले पाइलटों की दर अधिक रही। मासं विभाग ने पइलटों की नियुक्ति के सतत प्रयास किए और साक्षात्की/चयन किए परंतु कमी बनी रही।

ख) औद्योगिक संबंध

अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध सद्भावपूर्ण रहे तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं। कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे विचार–विमर्श के माध्यम से विभिन्न बैठकों द्वारा सुलझाए गए। अधिकारियों, पाइलटों और इंजीनियरों (नियमित और संविदागत दोनों) के आईडीए वेतनमान और भत्तों को निदेशक मंडल द्वारा मंजरी दे दी गई है और कार्यान्वित किया जा चुका है। यद्यपि कर्मचारियों के यूनियनबद्ध कोटि के बेतनमान और भत्ते संबंधित निकायों से समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर प्राप्ति के बाद सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्ति के लिए प्रक्रियाबद्ध है।

ग) कर्मचारी कल्याण

कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को वृहद चिकित्सा सुविधा, आवास ऋण, सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा सुविधा एवं सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से कल्याण लाभ प्रदान किए जाते हैं। कम्पनी द्वारा अपनी नीतियों का संरेखण अर्थव्यवस्था एवं व्यावसायिक पर्यावरण के बदलते परिवेश के अनुरूप किया जाता है। कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए तीन ट्रस्ट यथा कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट तथा कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन ट्रस्ट स्थापित किए गए हैं।

घ) प्रशिक्षण

सभी कर्मचारियों यथा अधिशासियों, पॉयलटों, इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा सहायक कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रबंधन दक्षता से संबंधित विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से व्याख्यान दिए जाते हैं। कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण

कार्यक्रमों तथा आंतरिक कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने के लिए भी नामांकित किया जाता है। पॉयलटों, इंजीनियरों तकनीशियनों को नियमित रूप से पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने के लिए एविएशन ट्रेनिंग स्कूल के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा सितम्बर, 2009 में मुम्बई में जिसमें एएमई लाइसेंस की प्राप्ति के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित बुनियादी विमान अनुरक्षण इंजीनियरिंग लाइसेंस प्रारंभिक पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है।

पॉयलटों को आपात्त स्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए पवन हंस लिमिटेड विमान कर्मियों के प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण पद्धति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उड़ान के दौरान जोखिमकारी परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए सभी कर्मियों के लिए सिम्यूलेटर प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करने का भी सुनिश्चय किया जाता है। पिछले एक वर्ष में कम्पनी द्वारा 43 पॉयलटों को मैसर्स हैट्सऑफ, बंगलौर में सिम्यूलेटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पॉयलटों की सेवानिवृत्ति/सेवा त्याग तथा बेड़े विस्तार की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के कारण अनुभवी एवं युवा पॉयलटों की भर्ती एवं उनके प्रशिक्षण के संबंध में कार्रवाई की गई है।

अपतटीय एएस–4 अर्हता प्राप्त पायलटों की बाज़ार में अनुपलब्धता एक मुख्य बाधा है और इसलिए, अनुभवी साथ ही साथ नए पायलटों को शामिल करने के लिए नियमित प्रवेश साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं।

VII. सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली एफओसीए प्रणाली और सुधारः

सुरक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और कंपनी एक सतत प्रक्रिया के रूप में अपने संचालन और रखरखाव गतिविधियों में सुरक्षा का अनुपालन कर रही है। ग्लोबल डोमेन विशेषज्ञों द्वारा तृतीय पक्ष सुरक्षा (एसएमएस) ऑडिट समय–समय पर किए जाते हैं। मेसर्स ब्यूरो वेरिटास एरोनॉटिक्स एंड स्पेस डिवीजन – फ्रांस ने 21 अगस्त, 2018 से 3 सितंबर, 2018 के दौरान मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, पोर्ट ब्लेयर, राजामुंदरी, गंगटोक और दमन परिचालन ठिकानों पर कंपनी का सेफ्टी ऑडिट किया है। ऑडिट के बाद, मैसर्स ब्यूरो वेरिटास ने आकलन किया है कि पवन हंस लिमिटेड एक अच्छी तरह से संरचित संगठन है जो अच्छे कर्मियों की भागीदारी और अच्छी तरह से प्रलेखित सुरक्षा प्रणालियों के साथ सक्षम कर्मियों द्वारा समर्थित है। रिपोर्ट में संगठन की शक्तियों के साथ–साथ कमजोरियों को भी उजागर किया गया है।

थर्ड पार्टी ऑडिट की सिफारिशें ली जाती हैं और उन्हें लागू किया जाता है। राजमुंदरी, पोर्टब्लेयर, कवारत्ती आदि प्रमुख ठिकानों पर सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के साथ पीएचएल के सुरक्षा निदेशालय को और मजबूत किया जा रहा है।

मुंबई के अलावा, अब एफओसीए सिस्टम दिल्ली में भी स्थापित किया गया है, जो कमजोरी वाले क्षेत्रों में सुधार के लिए दैनिक उड़ान डेटा विश्लेषण के लिए भी है। हेलीकॉप्टर ट्रैकिंग सिस्टम को पांच हेलीकॉप्टरों में और पांच और हेलीकॉप्टरों के लिए प्रक्रिया में भी लगाया गया है।

पवन हंस द्वारा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संघ/नागर विमानन महानिदेशालय (आईसीएओ/डीजीसीए) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रचालनों एवं अनुरक्षण कार्यकलापों के लिए संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) को क्रियान्वित किया गया है कम्पनी की संरक्षा नीति को भी संशोधित करके इसमें संरक्षा को कम्पनी प्रमुख ध्येयों में से एक ध्येय के रूप में स्थान दिया गया है। दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन सेफ्टी एंड सर्विसेज द्वारा विमान संरक्षा के संबंध में पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

VIII. निदेशक मंडल

वर्ष 2017–18 में निदेशक मंडल की सात बैठकें

आयोजित की गई। निदेशक मंडल में विद्यमान तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित सदस्य थे :–

विद्यमान

डा. बी. पी. शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री बी.एस. भुल्लर	सरकार नामित निदेशक
श्रीमती गार्गी कौल	सरकार नामित निदेशक
श्रीमती ऊषा पाधी	सरकार नामित निदेशक
श्री अशोक नायक	स्वतंत्र निदेशक
डॉ. हरीश चौधरी	स्वतंत्र निदेशक
एवीएम संजीव कपूर	भारतीय वायु सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकार नामित निदेशक (01.09.2017 से)
श्री राजेश कक्कड़	ओएनजीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक (19.02.2018 से)

वर्ष 2017–18 व उत्तरवर्ती के दौरान निवर्तमान निदेशक

श्री टी. के. सेनगुप्ता	निदेशक (अपतट), ओएनजीसी (01.02.2014 से 31.12.2017)
एवीएम एन. एम. सैमुअल	एसीएएस (प्रचालन, टी एंड एच), भारतीय वायु सेना (20.06.2016 से 31.08.2017)

यह निदेशक मंडल श्री टी. के. सेनगुप्ता तथा एवीएम एन. एम. सैमुअल द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान प्रदत्त मूल्यवान सेवाओं के लिए अपना आभार रिकार्डबद्ध करता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान तथा अंतिम वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है :–

निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठक की तिथि – वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति							निदेशकों की वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
	02.5.17	**10.07.17**	**23.08.17**	**20.11.17**	**01.12.17**	**30.01.18**	**16.02.18**	**16.02.18**
डॉ. बी.पी. शर्मा, अप्रनि	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
श्री अशोक नायक	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
सुश्री गार्गी कौल	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
सुश्री उषा पाधी	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
एवीएम एन. एम. सैमुअल	हां	हां	हां	लागू नहीं	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
श्री टी.के. सेनगुप्ता	हां	छुट्टी	हां	छुट्टी	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
श्री बी एस भुल्लर	लागू नहीं	छुट्टी	छुट्टी	छुट्टी	छुट्टी	छुट्टी	छुट्टी	-
श्री हरीश चौधरी	छुट्टी	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
एवीएम संजीव कपूर	लागू नही	लागू नही	लागू नही	हां	हां	हां	हां	हां

उड़ान योजना के अंतर्गत विभिन्न असेवित हेलीपैडों को जोड़ते हुए पवन हंस द्वारा अपने पंखों का विस्तार

पिछले तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:–

वार्षिक आम बैठक	**वार्षिक आम बैठक का आयोजन स्थल तथा (विशेष संकल्प)**
दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को 12.30 बजे आयोजित 30वीं वार्षिक आम बैठक	सफदरजंग हवाईअड्डे, नई दिल्ली–110003 में स्थित पंजीकृत कार्यालय
दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को 12.30 बजे आयोजित 31वीं वार्षिक आम बैठक जो स्थगित कर दी गई और अंततः 13 जनवरी, 2017 को अप. 05.00 बजे आयोजित हुई।	सफदरजंग हवाईअड्डे, नई दिल्ली–110003 में स्थित पंजीकृत कार्यालय
दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 को 12.00 बजे आयोजित 32वीं वार्षिक आम बैठक स्थगित कर दी गई और अंततः 16 फरवरी, 2018 को अप. 06.00 बजे आयोजित हुई।	रोहिणी हेलीपोर्ट सैक्टर 36, रोहिणी नई दिल्ली में स्थित पंजीकृत कार्यालय और स्थगित बैठक होटल अशोक चाणक्यापुरी, नई दिल्ली। पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली एनसीआर से उत्तर प्रदेश स्थानांतरण का विशेष संकल्प पारित।

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों एवं जिम्मेदार प्रबंधक से संबंधित विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 203(1) तथा कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 8(5)(iii) के अनुसरण में कम्पनी के पास निम्नलिखित पूर्ण कालिक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं:–

i) डा. बी. पी. शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (09.03.2015 से)
ii) श्री धीरेन्द्र सहाय, मुख्य वित्त अधिकारी (बोर्ड द्वारा 145वीं बैठक में दिए अनुमोदन के अनुसार 17.10.2014 से 30.11.2018 तक)
iii) श्री संजीव अग्रवाल, कम्पनी सचिव (बोर्ड द्वारा 145वीं बैठक में दिए अनुमोदन के अनुसार 17.10.2014 से 30.11.2018 तक)
iv) श्री रंजीत सिंह चौहान, कम्पनी सचिव (बोर्ड द्वारा 166वीं बैठक में दिए अनुमोदन के अनुसार 31.08.2018 से प्रभावी)
v) एयर कमोडोर टी ए दयासागर, कार्यपालक निदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय नियमों के अधीन अपेक्षित जिम्मेदार प्रबंधक होंगे।
vi) श्री एम. एस. बूरा, महाप्रबंधक (संरक्षा)

पवन हंस को प्रदान एसोचैम अवार्ड–2018

IX. निदेशक का उत्तरदेयता विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 134(5) के प्रावधानों के अनुसरण में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों के संबंध में निदेशक द्वाराः–

(क) वार्षिक लेखा की तैयारी के लिए लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है तथा सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, का समावेश किया गया है।

(ख) वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के क्रियाकलापों की सत्य एवं स्पष्ट रूपरेखा तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी की लाभदेयता को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है तथा उनका सुसंगत प्रयोग किया गया है जो निर्धारण एवं अनुमानों के लिए औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत हैं।

(ग) कम्पनी की परिसम्पतियों के संरक्षण तथा धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव एवं उनकी पड़ताल के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत लेखांकन के उपयुक्त रिकार्ड का अनुरक्षण उचित एवं पर्याप्त सावधानी के साथ किया गया है; तथा

(घ) वार्षिक लेखों को संबद्ध प्रयोजन आधार पर तैयार किया गया है।

(ङ) सभी लागू विधानों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिस उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है वह प्रक्रिया यथोचित एवं कार्यकुशल थी।

X. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सांविधिक ऑडिटर रिपोर्ट– कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 139 के अंतर्गत मेसर्स जे पी कपूर एवं उबेराय, सनदी लेखाकार की नियुक्ति सांविधिक ऑडिटर के तौर पर की गई है। मेसर्स जे पी कपूर एवं उबेराय, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखा के संबंध में किए गए प्रेक्षण तथा उनसे संबंधित उत्तर अनुबंध–क (पृष्ठ संख्या 124) पर प्रस्तुत किए गए हैं।

भारत के नियंत्रण एवं महालेखाकार की रिपोर्ट– कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6)(क) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की रिपोर्ट टिप्पणियों सहित अनुबंध–ख (पृष्ठ संख्या 152) पर प्रस्तुत की गई है।

साचिविक ऑडिट रिपोर्ट– कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 204(1) के अनुसरण में कम्पनी द्वारा 31.3.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए साचिविक अनुपालन ऑडिट किए जाने हेतु मेसर्स एसजीएस एंड एसोसिएट्स की सेवाएं साचिविक ऑडिटर के रूप में पूर्णकालिक प्रक्रिया के लिए प्राप्त की गई हैं। उनकी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट में अनुबंध–ग (पृष्ठ संख्या 155) पर प्रस्तुत की गई है।

साचिविक ऑडिटरों द्वारा अपनी रिपोर्ट में किए गए उल्लेखानुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 149(4) के अनुसरण में पर्याप्त न होने के संबंध में किए गए प्रेक्षण के उत्तर में यह प्रस्तुत है कि पवन हंस लिमिटेड एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है तथा इसके सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के अनुसार नियुक्ति किए जाने का मामला नागर विमानन मंत्रालय के सम्मुख पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

XI. निगमित संचालन

कम्पनी द्वारा निगमित संचालन के संबंध में प्रयास किए गए हैं तथा इसके क्रियाकलापों को विभिन्न भागीदारों द्वारा सराहा गया है। कम्पनी द्वारा लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 6.7.2007 को जारी निगमित संचालन दिशानिर्देशों को अंगीकार किया गया है। लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14.5.2010 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से इन दिशानिर्देशों का अनुपालन अनिवार्य किया गया है।

ऑडिट समिति

निदेशक मंडल द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 177 का अनुसरण करते हुए वित्तीय विवरणियों, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट, सांविधिक ऑडिटरों की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों की समीक्षा करने तथा वित्तीय वर्ष में अपेक्षित बैठकों का आयोजन करने के लिए एक ऑडिट समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 दौरान ऑडिट समिति की बैठकें दिनांक 02.05.2017, 20.11.2017, 01.12.2018 और 16.02.2018 को आयोजित की गई थी। वर्तमान में ऑडिट समिति में श्री अशोक नायक, स्वतंत्र निदेशक ऑडिट समिति के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती गार्गी कौल, सरकार नामित निदेशक, डॉ. हरीश चौधरी, स्वतंत्र निदेशक एवं श्री राजेश कक्कड़ निदेशक सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं।

पारिश्रमिक समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 02.05.2017 को एक पारिश्रमिक समिति के गठन को अनुमोदन प्रदान किया जिसमें श्री अशोक नायक, अध्यक्ष डॉ. हरीश चौधरी, श्रीमती उषा पाढ़ी, और श्री टी के सेनगुप्ता पारिश्रमिक समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं। श्री टी. के. सेन गुप्ता की सेवा निवृत्ति के उपरान्त उनके स्थान पर श्री राजेश कक्कड़ को पारिश्रमिक समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

सीएसआर समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 02.05.2017 को एक सीएसआर समिति के गठन को अनुमोदन प्रदान किया जिसमें डॉ हरीश चौधरी अध्यक्ष डॉ. बी पी शर्मा, श्री अशोक नायक और एवीएम एन एम सैमुअल सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं। एवीएम एन एम सैमुअल की सेवा निवृत्ति के उपरान्त उनके स्थान पर एवीएम संजीव कपूर को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध–घ (पृष्ठ संख्या 158) पर प्रस्तुत की गई है।

आंतरिक ऑडिट/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली/शक्तियों का प्रत्यायोजन– वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कम्पनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षण किया गया। निदेशक मंडल की ऑडिट समिति द्वारा ऑडिट पर्यवेक्षणों की संवीक्षा आवधिक आधार पर की जाती है तथा अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक निदेश जारी किए जाते हैं। कम्पनी द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एवं प्रक्रिया के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कंपनी द्वारा निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात 1 नवम्बर, 2015 से प्रभावी संशोधित शक्तियों के प्रत्यायोजन मैनुअल के माध्यम से अपने विभिन्न अधिशासियों के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन विधिवत परिभाषित किया गया है।

राष्ट्रपति के निदेश – इस वर्ष के दौरान राष्ट्रपति निदेश जारी नहीं किए गए हैं।

चौकसी तंत्र व्यवस्था – चौकसी तंत्र व्यवस्था के एकीकृत भाग के रूप में सरकारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए कम्पनी द्वारा कर्मचारियों एवं

जनता को उनकी शिकायतों की सुनवाई के लिए सरल यंत्र व्यवस्था स्थापित की गई है। सरकारी लोक शिकायत पोर्टल पर लोक शिकायतों की नियमित मॉनीटरिंग एक समर्पित अधिकारी द्वारा की जाती है।

आचरण संहिता – कम्पनी द्वारा निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचरण संहिता तैयार करके उसे कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

सचेतक नीति – एक सचेतक नीति कार्यान्वित की गई है। इस नीति से किसी विशुद्ध सचेतक को शिकायत जांच अधिकारी तथा ऑडिट समिति तक पहुंच उपलब्ध करवाए जाने सहित किसी भी प्रकार के अत्याचार से सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह नीति कम्पनी के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है तथा इसे कम्पनी के इन्ट्रानेट पर अपलोड किया गया है।

सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन कार्यान्वयन– कम्पनी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याधीन निगमित कार्यालय में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा पश्चिमी क्षेत्र में सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर कार्रवाई के लिए अपने समग्र संगठन में व्यवस्था स्थापित की गई है। निगमित कार्यालय में प्रथम अपीलिय अधिकारी भी नामित किया गया है। कम्पनी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों पर त्वरित कार्रवाई की गई है तथा केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

कार्यस्थलों पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेद्ध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटीकरण– महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेद्ध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी में महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को कार्यस्थलों पर निवारण, प्रतिषेद्ध एवं प्रतितोष के लिए समिति बताई गई है।

2017 –18 में लैंगिक उत्पीड़न का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

नागरिक चार्टर – कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुरूप नागरिक चार्टर प्रदर्शित किया गया है।

सत्यनिष्ठा अनुबंध – कम्पनी द्वारा ट्रांसपरेसी

श्री सुरेश प्रभु, माननीय नागर विमानन मंत्री द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लिमिटेड को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत अभियान पखवाड़ा के प्रथम पुरस्कार विजेता का शील्ड प्रदत्त

हिमाचल प्रदेश सरकार एवं पवन हंस द्वारा शिमला–चंडीगढ़ हेली सेवाओं के लिए शिमला से शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश द्वारा शिमला हवाई अड्डे से पहली उड़ान को झंडी दिखाई गई

इंटरनेशनल इंडिया के साथ दिनांक 9.11.2011 को सत्यनिष्ठा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सत्यनिष्ठा अनुबंध के अंतर्गत विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर की जाने वाली एक करोड़ से अधिक मूल्य की प्रमुख निविदाएं आती हैं।

संबद्ध पार्टी कार्य व्यवहार – कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 188 के अंतर्गत वर्ष के दौरान किया गया संबद्ध पार्टी कार्य व्यवहार अनुबंध–ङ (पृष्ठ संख्या 161) पर प्रस्तुत है।

व्यावसायिक कम्पनी सचिव से निगमित संचालन दिशानिर्देशों का अनुसरण किए जाने का प्रमाण पत्र – व्यावसायिक कम्पनी सचिव से निगमित संचालन दिशानिर्देशों का अनुसरण किए जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए लोक प्रापण नीति संबंधी अनुपालन – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आदेश, 2012 की अनुपालना मे पवन हंस के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से क्रय के विवरण निम्नानुसार हैं :

शीर्ष	वितीय वर्ष (आंकड़े लाख में)	
	2017-18	2016-17
कुल वार्षिक प्रापण मूल्य	12058.56	13575.06
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (अनुजा/अनुजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित)	578.00	330.00
मात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (अनुजा/अनुजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित)	शून्य	शून्य

XII. कम्पनी अधिनियम का अनुपालन

कर्मचारियों से संबंधित विवरण – निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 की गजट अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी अधिनियम के खंड 197(12) के प्रावधान पवन हंस के लिए लागू नहीं हैं। पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों एवं निबंधनों का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कम्पनी सचिव के वेतन तथा नियुक्ति की शर्तों एवं निबंधनों का निर्धारण प्रमुख प्रबंधन कार्मिक होने के कारण लोक उपक्रम विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करते हुए किया जाता है।

प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट– प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी प्रयोग– कम्पनी (निदेशक मंडल से संबंधित विवरण का रिपोर्ट में प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के अंतगर्त नियम 8(3)(क) तथा (ख) के अनुसार कम्पनी के क्रियाकलापों को दृष्टिगत रखते हुए ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी प्रयोग के प्रभाव अत्यंत सीमित हैं। जहां कहीं आवश्यकता होती है कम्पनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण, प्रतिस्थापन आयात, आंतरिक अनुरक्षण, उत्पाद सुधार, लागत कटौती तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में प्रयास किए जाते हैं।

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय – कम्पनी को वर्ष 2017–18 के दौरान 89.76 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 91.03 करोड़ रुपए) की विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त हुई। वर्ष 2017–18 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय की राशि 80.91 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 145.95 करोड़ रुपए) है।

जोखिम प्रबंधन नीति– कम्पनी अधिनियम के खंड 134(3)(एढ) के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए जोखिम प्रबंधन नीति के विकास के लिए जोखिम प्रबंधन परामर्शदाता की खुली निविदा के

श्री के.टी रामा राव, माननीय उद्योग, वाणिज्य और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, तेलंगाना सरकार टीम पवन हंस के साथ

माध्यम से नियुक्ति के लिए आंतरिक समिति का गठन किया जा रहा है।

वार्षिक विवरण का संक्षेप सार – कम्पनी अधिनियम के खंड 92(3) की अपेक्षाओं के अनुसार फार्म एमजीटी–9 में वार्षिक विवरणी का संक्षेप सार अनुबंध–च (पृष्ठ संख्या 162) पर प्रस्तुत किया गया है।

निदेशक की नियुक्ति इत्यादि हेतु नीति – निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 की गजट अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी अधिनियम के खंड 134(3)(ङ) के प्रावधान पवन हंस के लिए लागू नहीं हैं।

प्रदर्शन मूल्यांकन – कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 01.06.2015 के दृष्टिगत एक सरकारी कंपनी के रूप में पवन हंस पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुच्छेद 134(3)(त) लागू नहीं होगा।

सांविधिक प्रकटीकरण –

क) वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है।

ख) वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कम्पनी द्वारा जनता से कोई जमाराशियां नहीं ली गई हैं।

ग) विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा कम्पनी की प्रतिष्ठा तथा प्रचालनों पर भविष्य में किसी प्रकार के प्रभाव डालने से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अथवा तात्विक आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

घ) कम्पनी द्वारा उचित मॉनीटरिंग प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण के लिए पर्याप्त वयवस्था की गई है जिसके द्वारा विभिन्न व्यवसाय व्यवहारों, प्रचालनों के कार्यकौशल तथा सांविधिक विधानों, विनियमों एवं कम्पनी नीतियों के अनुसरण का सुनिश्चय किया जाता है।

श्री पी. पी. चौधरी, माननीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री द्वारा पवन हंस को इंटरवेट ऑफ थिंग्स का कार्यान्वयन करने के लिए मान्यता

ङ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति यथा 31.03.2018 तक तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालने से संबंधित किसी प्रकार का तात्विक परिवर्तन एवं प्रतिबद्धता नहीं है।

राजभाषा नीति

विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन की दिशा में हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन, हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन, नकद प्रोत्साहन प्रदान किए जाने तथा द्विभाषिक विज्ञापन जारी करने एवं राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन किए जाने जैसे कार्य करते महत्वपूर्ण कार्यान्वयन किए गए हैं। कम्पनी द्वारा अपने सभी कार्यालयों के लिए यूनिकोड हिन्दी साफ्टवेयर प्रारम्भ किया गया है तथा हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है।

XIII. निःशक्त जन के लिए रोजगार एवं प्राथमिकता प्राप्त वर्ग के लिए सरकारी निदेशों का कार्यान्वयन

कम्पनी द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के संबंध में सभी विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

XIV. सतर्कता

कम्पनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी की देखरेख में एक सतर्कता विभाग स्थापित किया गया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए ई–निविदा, ई–टिकटिंग, ई–भुगतान तथा फाईल ट्रैकिंग को कार्यान्वित किया गया है। प्राप्तियों के संबंध में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए नवम्बर, 2011 में ट्रांसपरेंसी इंटरनेशल इंडिया के साथ सत्यनिष्ठा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से एक स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (आईईएम) की नियुक्ति भी की गई है। कम्पनी की सचेतक नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है।

सतर्कता की दृष्टि से आवश्यक समझे गए मामलों के

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा डिजिटल कॉफी टेबल बुकलेट का पवन हंस के स्टाल में विमोचन करते हुए

संबंध में सतर्कता मामले प्रारम्भ किए गए हैं तथा कुछ अधिकारियों/वरिष्ठ अधिशासियों को प्रमुख दंड प्रक्रियाओं के लिए आरोप पत्र जारी किए गए हैं। सतर्कता विभाग की कार्यात्मकता में सचेतना के परिणामस्वरूप संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है और साथ ही इसकी छवि उत्तरदेयता के आचरण के प्रति सुधार हुआ है।

सतर्कता विभाग द्वारा कार्यकुशलता में वृद्धि लाने, व्ययों को कम करने तथा पारदर्शिता प्रदान करने के उद्देश्य से विशेषकर विद्यमान प्रक्रियाओं तथा कार्य प्रणालियों में सुधार लाने एवं उन्हें सरल बनाने के उद्देश्य से कंपनी के बेस कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण के साथ ही विभिन्न मामलों के मामला अध्ययन भी किए जा रहे हैं। ऐसे अध्ययन देरी के मामलों पर केंद्रित हैं जिनमें देरी के कारण तथा देरियों को कम करने के लिए उचित संभव प्रक्रिया अपनाकर देरी के कारणों को कम करने तथा भ्रष्टाचार की गुंजाइश को समाप्त करने की ओर बल दिया गया है। ऐसे अध्ययनों में पारदर्शिता स्थापित करने तथा सतर्कता यंत्र व्यवस्था को सबल बनाने के लिए वार्षिक सम्पति विवरण की समीक्षा, सतर्कता जागरूकता प्रशिक्षण, कलपुर्जो की प्राप्ति तथा प्रौद्योगिकी के लाभ उठाने की ओर भी ध्यान दिया गया है।

इस अवधि के दौरान, सतर्कता विभाग ने इन्वेंटरी प्रबंधन में अनियमितताओं की जांच की और प्रबंधन को आवश्यक प्रणालीगत सुधार सुझाए गए, जिन्हें सामग्री विभाग द्वारा संबंधित मैनुअल में शामिल किया गया है।

सीवीसी के निर्देश पर सतर्कता विभाग ने 30वीं अक्टूबर से 4 नवंबर 2017 की अवधि में सतर्कता जागरुकता सप्ताह का आयोजन किया और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के साथ बाहर के विद्वानों द्वारा विभिन्न इंटरैक्टिव सत्रों का भी आयोजन किया गया।

पवन हंस की पत्रिका का विमोचन

XV. नई पहल

नए कारोबारः हाल फिलहाल निम्नलिखित नए कारोबारी उद्यम प्रारंभ व पूर्ण किए गए हैं:

- पवन हंस लिमिटेड द्वारा वर्ष 2017 में मुम्बई विश्वविद्यालय के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत विज्ञान स्नातक (वैमानिकी) एवं पीएचटीआई के अंतर्गत विमान अनुरक्षण अभियांत्रिकी के प्रमाणन के दोहरे पाठ्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया है। जुलाई, 2017 में पवन हंस लिमिटेड द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के साथ तीन वर्षीय विज्ञान स्नातक वैमानिकी डिग्री दिए जाने के लिए भी अकादमिक सहभागिता की गई है। पवन हंस लिमिटेड में कमर्शियल हेलिकॉप्टर पायलट लाइसेंस एवं कैडेट पायलट योजना के लिए कौशल विकास केन्द्र भी स्थापित है। वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ पवन हंस लिमिटेड द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की प्रशिक्षण सेवाओं के उपयोग से 'कैडेट पायलट' के लिए चयनित प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है जिससे वे वाणिज्यिक हेलिकॉप्टर पायलट लाइसेंस प्राप्त कर सकें और यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की शीर्ष क्रम वाली उड़ान अकादमियों से टाईअप करने की प्रक्रिया में है।
- पवन हंस को 04 हेलीकॉप्टरों के लिए ओएमजीसी द्वारा 5 वर्षों के लिए प्रत्याशित वार्षिक राजस्व ₹80 करोड़ का अनुबंध प्रदान किया गया है।
- कंपनी को पांच राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आरसीएस उड़ान–II योजना के अंतर्गत 31 हेलीपोर्टों के निर्माण के लिए परामर्श का कार्य प्रदान किया गया है। इस कार्य में तीन स्तर व्यवहार्यता अध्ययन डीपीआर की तैयारी और क्रियात्वयन के दौरान परामर्श सम्मिलित है। प्रथम दो स्तरों के लिए प्रत्याशित राजस्व ₹14 करोड़ अनुमानित हैं और तीसरे स्तर के लिए ₹30 करोड़ अनुमानित है।
- पवन हंस को लक्षद्वीप में 3 द्वीपों पर अनुमानतः ₹10.36 करोड़ की कुल परियोजना लागत पर हेली

पवन हंस को रोहिणी हेलीपोर्ट के लिए आईसीसी उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार

पैडों पर रात में लैंडिंग की सुविधा हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य प्रदान किया गया है जिसमें पवन हंस के लिए प्रत्याशित राजस्व लगभग ₹1.50 करोड़ होगा।

- जुलाई, 2017 में हेली तीर्थाटन पहल के अंतर्गत गोवर्धन, उ.प्र. मे पहली बार हेली यात्रा।
- मैसूरू दशहरा उत्सव में हेलीकॉप्टर सेवाओं का परिचालन और अक्टूबर, 2017 में ₹50.00 लाख का राजस्व अर्जित।
- हम्पी, कर्नाटक में हम्पी उत्सव के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं का परिचालन और नवम्बर, 2017 में ₹25.00 लाख के राजस्व अर्जित किया गया।
- कम्पनी की 32वीं वर्षगांठ एवं राष्ट्र को समर्पित सेवाओं के स्मरणोत्सव पर पवन हंस द्वारा नवम्बर, 2017 में पहले ''हेली–एक्सपो'' एवं ''सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, हेलिकॉप्टरों की बहु–उद्देश्यों से उपयोज्यता तथा क्षेत्रीय वायु सम्पर्कता'' के लिए ''नागर हेलीकॉप्टरों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन'' का आयोजन किया गया था जिसमें नागर विमानन क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतिभागियों द्वारा काफी अधिक संख्या में प्रतिभागिता की गई।
- क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना–उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) में अपने हेलिकॉप्टरों को शामिल करने के प्रयास किए गए हैं तथा बोली प्रक्रिया में भाग लिया गया है। पवन हंस को क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस) के अंतर्गत जनवरी, 2018 में असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड की 11 आरसीएस मार्गो के लिए अनुबंध प्रदान किए गए हैं जिनकी सेवाएं अगले छः माह के समय में प्रारंभ होंगी। आरसीएस योजना के अंतर्गत पवन हंस को रु. 60 करोड़ से अधिक राशि के प्राक्कलित वार्षिक राजस्व की प्राप्ति संभावित है। यह एक नया राजस्व स्रोत होगा जिससे कम्पनी क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ कर सकेगी।
- जम्मू व कश्मीर पुलिस के साथ जून, 2018 में अदद 1 लाइट हेलीकॉप्टर की तैनाती के लिए एक अनुबंध हासिल किया।
- जून, 2018 में शिमला–चंडीगढ़–शिमला क्षेत्र में हेली टैक्सी सेवाओं की शुरूआत।
- असम सरकार के साथ एक हेलिकॉप्टर के नियोजन के लिए एक नया अनुबंध किया गया है जिससे प्रतिवर्ष 8.75 करोड़ का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा।
- श्री माइचल माता के साथ दो हेलिकॉप्टर के नियोजन का नया अनुबंध जुलाई, 2018 में किया गया है जिससे 1.50 करोड़ का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा।
- पवन हंस ने रु. 12.50 करोड़ के प्राक्कलित वार्षिक राजस्व की राशि का दमन एवं द्वीप प्रशासन से वर्ष 2020 तक के लिए दीर्घावधि के अनुबंध को हासिल किया है।
- पवन हंस ने 2020 तक के लिए लक्षद्वीप से रु. 15.60 करोड़ के प्राक्कलित वार्षिक राजस्व की राशि के लिए एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर का दीर्घावधि अनुबंध हासिल किया है।
- पवन हंस लिमिटेड द्वारा गोवा सरकार के साथ राज्य में हेली–पर्यटन एवं नगरों के बीच सम्पर्कता स्थापित करने के लिए 5 वर्षों के एकल अधिकार प्राप्त करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- पवन हंस को मणिपुर राज्य सरकार द्वारा आरंभतः 6 माह की अवधि के लिए एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर के लीज का अनुबंध प्रदान किया गया है।
- पवन हंस लिमिटेड द्वारा पहली बार ''रणनीतिक निगमित योजनाः 2020'' एवं नई व्यवसाय योजना 2027 के विजन दस्तावेज का विकास किया गया है। तथापि, प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश को ध्यान में रखते हुए योजना को वर्तमान में रोककर रखा गया है। इस निर्णय की समीक्षा अपेक्षित है क्योंकि कंपनी के कारोबार पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

XVI. सराहनाएं

अप्रैल, 2018 में गवर्नेंस नॉव द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री मनसुख एल. मांडविया एवं कृषि राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा राज द्वारा पवन हंस को इसके विकासशील कार्यक्रमों के लिए सम्मानित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हेली टैक्सी सेवाओं का शुभारंभ

अगस्त, 2017 में पवन हंस को सर्वोत्कृष्ट सामान्य विमानन कम्पनी के सम्मान के साथ एएसएसओसीएचेए (एस्सोचॉम) द्वारा ''हैली पर्यटन एवं दूरस्थ क्षेत्र वायु सम्पर्कता पुरस्कार'' प्रदान किया गया है।

सितम्बर, 2017 में इंडियन चेम्बर आफ कामर्स ने पवन हंस द्वारा राष्ट्र के प्रथम एकीकृत हेलीपोर्ट के विकास के लिए प्राप्त की गई उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता प्रदानकी है।

नवम्बर, 2017 में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा देश में ग्रामीण भारत से सम्पर्कता उपलब्ध करवाने के लिए पवन हंस को उत्कृष्ट सामान्य विमानन कम्पनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

दिल्ली में दिसम्बर, 2017 में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पवन हंस लिमिटेड को आई.डब्ल्यू.पी.ए. द्वारा ''महिला पॉयलटों के सशक्तीकरण'' की मान्यता प्रदान की गई है।

XVII. कृतज्ञता

यह निदेशक मंडल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त अनवरत सहयोग, दिशानिर्देशन एवं सहायता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

यह निदेशक मंडल, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, विभिन्न राज्य सरकारों तथा अन्य ग्राहकों एवं देश में प्रचालन कर रहे अन्य सभी भागीदारों द्वारा प्रदत्त विश्वास के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है।

यह निदेशक मंडल कम्पनी की प्रगति के लिए कार्यरत सभी वर्ग के अपने कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सत्यनिष्ठ एवं समर्पित सेवाओं के लिए भी अपना आभार व्यक्त करता है।

कृते तथा
पवन हंस लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

(डॉ. बी. पी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांकः 28 दिसम्बर, 2018
स्थानः नई दिल्ली

प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट

हेलीकॉप्टर प्रचालनों के संबंध में सिंहावलोकन

औद्योगिक संरचना एवं विकास

भारत में हेलीकॉप्टरों के लिए संभावनाएं अपार हैं। विविध परिस्थितियों में उड़ान भरने के हेलीकॉप्टरों के सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए तथा फिक्स्ड विंग वाले विमानों की अवसंरचना का विस्तार केवल आनुक्रमिक रूप से ही संभव हो सकने के तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए हेलीकॉप्टरों का अभूतपूर्व गति से विकास स्वतः स्वाभाविक ही है। वर्तमान में भारत में लगभग 267 नागर हेलीकॉप्टर प्रचालन कर रहे हैं जो 35,750 के अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े की तुलना में अत्यंत कम हैं। वर्ष 2011–12 से वर्ष 2017–18 के दौरान नागर हेलीकॉप्टरों की संख्या कुल 300 से घटकर 267 होने से हेलीकॉप्टर उद्योग का नकारात्मक विकास हुआ है।

यह प्रचालन की बढ़ती लागत के परिणामस्वरूप हुआ था जो अधिकांश हेलीकॉप्टरों तथा उनके कलपूर्जो के आयात के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मुद्रा अमेरिकी डालर/यूरो की तुलना में रुपए के अवमूल्यन सहित अन्य अनेक घटकों के कारण है। इसके अलावा हवाई अड्डा प्रशुल्क, एयर टर्बाइन फ्यूल की लागत तथा स्थल संचलन प्रभारों में बढ़ोतरी होने से प्रचालनों की लागत में वृद्धि हुई। ये सभी कारण थे जिनके कारण हेलीकॉप्टर प्रचालन अव्यवहार्य हुए और अनेक प्रचालकों को अपने हेलीकॉप्टर का निपटान विदेशों में करना पड़ा। तथापि, अर्थव्यवस्था के बदलते हुए स्वरूप एवं रुपए के मूल्य में स्थिरता तथा सरकारी सेक्टर में बढ़ रही हेलीकॉप्टरों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह आशा है कि प्रचालनों की लागत किफायती होगी तथा नागर हेलीकॉप्टरों का बेड़ा पुनः निकट भविष्य में विकास का रूख अख्तियार करेगा।

इन स्थितियों में भी हमारे देश में लगभग 267 नागर हेलीकॉप्टर पंजीकृत हैं तथा हमारी जनसंख्या लगभग 1.25 बिलियन है जिसके अनुसार प्रति 2.9 मिलियन व्यक्तियों के लिए हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है तथा इस स्थिति के अनुसार हम विश्व के अनेकों विकासशील देशों से काफी पीछे हैं।

फिक्स्ड विंग वाले विमानों तथा रोटेरी विंग वाले विमानों के संबंध में देश का आर्थिक विकास विमानन विकास के लिए उत्प्रेरक रहा है। सरकार द्वारा प्रतिपादित की गई उचित नीतियों से भी विकास को बढ़ावा मिला है।

भारत में हेलीकॉप्टर प्रचालनों के विकास को सौभ्य बनाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अलग से एक हेलीकॉप्टर विंग विकसित किया गया है। इस सेक्टर के विकास के लिए हेलीकॉप्टरों के लिए विनियामक व्यवस्था को निरंतर उन्नत किए जाने की आवश्यकता है।

विषय	अनुकूल प्रयास
हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से हवाई सम्पर्कता	हेलीकॉप्टर प्रचालनों का त्वरित विकास
अवसंरचना निर्माण	i. देश में हेलीपोर्टों तथा हेलीपैडों का निर्माण ii. हेलीकॉप्टरों के विश्व श्रेणी के अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल (एमआरओ) केन्द्रों का विकास iii. मानव संसाधन क्षमता विकास के हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण

वर्ष 2005–06 से वर्ष 2017–18 के दौरान भारत में पंजीकृत नागर हेलीकॉप्टरों के विकास को दर्शाने वाला रेखाचित्रः

भारत में नागर हेलीकॉप्टरों के पंजीकरण में सम्वृद्धि

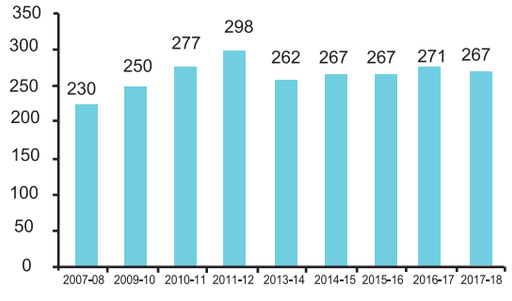

वर्ष 2017–18 की स्थिति के अनुसार भारत में पंजीकृत कुल 267 नागर हेलीकॉप्टरों में से 188 हेलीकॉप्टरों के बेड़े का प्रचालन 55 गैर अनुसूचित प्रचालकों द्वारा किया जा रहा है, 15 सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र प्रचालकों के पास 25 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा आकार है, सीमा सुरक्षा बल के बेड़े में 15 हेलीकॉप्टर हैं तथा 24 निजी प्रचालकों के बेड़े

में 39 हेलीकॉप्टर हैं। कुल 267 हेलीकॉप्टरों में से 52% अर्थात कुल 138 हेलीकॉप्टर दोहरे इंजन वाले हैं तथा शेष देश के कुल हेलीकॉप्टर बल का 48% अर्थात 129 हेलीकॉप्टर एकल इंजन वाले हैं। देश में नागर प्रयोग के लिए कुल 267 हेलीकॉप्टरों में से 43 हेलीकॉप्टर (16%) ई एंड पी कम्पनियों को परिचालनों में सहयोग के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं, 200 हेलीकॉप्टर (75%) हेलीचार्टरों के रूप में तथा 24 हेलीकॉप्टर (9%) तीर्थयात्रा/हेली पर्यटन के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं।

वर्तमान में पवन हंस के पास अपने 42 हेलीकॉप्टरों तथा एचएएल से लीज पर लिए एक/ध्रुव हेलीकॉप्टर का स्वामित्व है। भारत में चार अथवा अधिक हेलीकॉप्टरों के साथ 6 वाणिज्यिक प्रचालकों द्वारा प्रचालन किए जा रहे हैं। पवन हंस सबसे बड़ा प्रचालक है तथा दीर्घकालिक आधार पर प्रयोग में लाए जा रहे वाणिज्यिक प्रचालनों का प्रमुख बाजार अंश इसके पास है। ग्लोबल वैक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड दूसरा सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर प्रचालक है तथा इसके 29 हेलीकॉप्टरों से प्रचालन किए जा रहे हैं। अन्य वाणिज्यिक प्रचालकों में हिमालयन हेली सर्विस द्वारा 6 हेलीकॉप्टरों के साथ, हेलीगो चार्टर्स द्वारा 13 हेलीकॉप्टरों के साथ तथा हेरीटेज एविएशन 6 हेलीकॉप्टर, तथा ओएसएस एयर मैनेजमेंट द्वारा 5 हेलीकॉप्टरों के साथ प्रचालन किया जा रहा हैं।

कम्पनी के सम्मुख प्रस्तुत होने वाले संभावी (अवसरों) तथा महत्वपूर्ण जोखिमों के संबंध में कम्पनी की आउटलुक के लिए प्रबंधन मूल्यांकन

नेतृत्वकर्ता की अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए पवन हंस ने एक पंचवर्षीय कारोबारी योजना 2019–2024 तैयार की है जिसमें अगले 5 वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा उल्लिखित 5 प्रमुख प्रयास निमित्त निम्नांकित मुख्य पहलों को सम्मिलित किए गए हैं :–

- हेलीकॉप्टर प्रचालन
  - विद्यमान बाजार में अपनी प्रतिस्पद्धी स्थिति को सशक्त करना
  - नए बेड़े का अधिग्रहण
  - नए क्षेत्रों में व्यवसाय संवर्धन
  - अन्यों के स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टरों के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए करार
- अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल सेवाओं की स्थापना
- हेलीपोर्टों तथा हेली हब की स्थापना
- सी–प्लेन प्रचालन
- फिक्स्ड विंग प्रचालन
- ग्राहक संतुष्टि में संवर्धन

पवन हंस ने पहली बार एक संदृश्य प्रलेख कार्यनीतिक नैगमिक योजनाः 2020 विकसित की है और दीर्घावधि की कारोबारी योजना के विकास के लिए भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय (एएससीआई) को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। एएससीआई ने अगले 10 वर्षों में कंपनी के हेलीकॉप्टरों के वर्तमान 43 से बढ़कर 83 होने और वर्तमान राजस्व 477 करोड़ के बढ़कर 1685 करोड़ रुपए होने की परिकल्पना के साथ कारोबारी योजना 2027 प्रस्तुत की है।

विद्यमान बाजार में अपनी प्रतिस्पद्धी स्थिति को सशक्त करना

- बाजार लाभ की प्राप्ति के लिए विद्यमान करारों का नवीकरण।
- संरक्षा एवं विश्वसनीयता के उच्च मानकों का अनुरक्षण।
- मध्यम श्रेणी के नए हेलीकॉप्टरों का अधिग्रहण करते हुए अपतट प्रचालनों के लिए क्षमता में वृद्धि लाना।
- जब कभी अवसर उपलब्ध हो चयनित अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन प्रारम्भ करना।
- प्रतिस्पर्द्धा हेतु ग्राहक आवश्यकताओं के प्रति अधिक ध्यान देते हुए अनुकूलता का संवर्धन।
- ग्राहकों एवं अन्य व्यावसायिक सहभागियों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना।

नए बेड़े का अधिग्रहण

कंपनी में वर्ष 2011–12 से हेलीकॉप्टरों का अर्जन शून्य रहा है। कंपनी ने वर्ष 2016 में एक नई रणनीतिक कारोबारी योजना 2027 तैयार किया और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ की। अन्य पहलों के अतिरिक्त 10

हेलीकॉप्टरों अर्थात मीडियमः 3, हेवी ड्यूटीः 3 और सिंगल इंजनः 4 के अर्जन के लिए प्रापण 2016 में किया गया। विनिवेश प्रकृिया के प्रारंभ होने के फलस्वरूप अर्जन की योजना को रोक दिया गया। इसका कंपनी के कारोबार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अब रणनीतिक कारोबारी योजना के आधार पर एक समीक्षा मध्यावधि योजना तैयार की गई है।

नए क्षेत्रों में व्यवसाय संवर्धन

- विभिन्न राज्यों के साथ हेलीकॉप्टरों के लिए परामर्श और परियोजना प्रबंधन 1 कंपनी ने आरसीएस योजना के अंतर्गत पांच राज्यों में 31 हेलीपोर्टों के लिए परामर्श का कार्य हाथ में लिया है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार और गोवा सरकार से संबंधित राज्यों में बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टरों को विकसित करने के लिए रुचि जागृत हुई है और कंपनी इस पर एक नए कारोबारी अवसर के रूप में कार्यरत है। 2 स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों और निदेशक मंडल के उप समिति की बमें भाग लेने के अतिरिक्त
- चिकित्सा बचाव कार्य, विधि प्रवर्तन, समाचार संग्रहण, प्रमुख नगरों के नगर केन्द्रों से हवाईअड्डा क्नेक्ट करने के लिए नगरों के मध्य परिवहन, निगमित यात्रा, पावर इनसुलेटरों की हॉटलाईन वाशिंग इत्यादि।
- देश में पर्यटन/तीर्थ क्षेत्रों के लिए अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं जिनकी ओर बस सावधानी पूर्वक कदम ही बढ़ाए जाने अपेक्षित हैं। इन उद्देश्यों से नए क्षेत्रों की खोज हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, दक्षिण भारत, गोवा तथा पूर्वोत्तर स्थित राज्यों से की जा सकती है।

आपदा प्रबंधन–समर्पित आपात चिकित्सा सेवाएं/एसएआर प्रचालन

- ओएनजीसी को देश में पहला मैडीवैक हेलीकॉप्टर पवन हंस लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करवाया गया था।
- पवन हंस लिमिटेड द्वारा एनडीएमए के सहयोग से मैडीवैक /एसएआर सेक्टर के लिए संभावनाओं की खोज की जाएगी।
- आपात चिकित्सा सेवाओं/एसएआर भूमिकाओं एवं बेहतर गवर्नेंस के लिए जिला स्तरों पर हेलीपैड/हेलीपोर्टों के निर्माण के लिए जीबीएस के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय समर्थन दिया जाना अपेक्षित है।

हेलीकॉप्टर अनुरक्षण सेवाएं

डॉफिन श्रृंखला के हेलीकॉप्टरों के लिए पवन हंस मैसर्स यूरोकॉप्टर, फ्रांस का प्राधिकृत अनुरक्षण केन्द्र है। शुरूआती दौर में पवन हंस डॉफिन के बेड़े का प्रयोग करने वाले अन्य प्रचालकों को सेवाओं की प्रस्तुति करते हुए मरम्मत एवं ओवरहॉल के अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है। इस उद्देश्य से एक उत्कृष्ट श्रेणी का अनुरक्षण केन्द्र बनाए जाने की योजना बनाई गई है। पवन हंस द्वारा रोहिणी हेलीपोर्ट में एचएएल के ध्रुव हेलीकॉप्टरों के अनुरक्षण के लिए अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल की स्थापना हेतु एचएएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

हेलीपोर्ट

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा रोहिणी, नई दिल्ली में हेलीपोर्ट के विकास का दायित्व सौंपा गया और पवन हंस ने देश के पहले एकीकृत हेलीपोर्ट का निर्माण किया है जिसमें हेलीकॉप्टरों के प्रचालन तथा पार्किंग, अनुरक्षण सुविधाएं, छोटे वाणिज्यिक केन्द्र इत्यादि का प्रावधान है।

ग्राहक संतुष्टि में संवर्धन

पवन हंस द्वारा अपने यात्रियों तथा अन्य ग्राहक संस्थानों से समय समय पर अपनी सेवाओं के प्रति जानकारियां प्राप्त की जाती हैं तथा उनसे ऐसी जानकारियां प्राप्त किए जाने के लिए एक बाह्य एजेंसी की सेवाएं प्रोफार्मे का पुनः विकास किए जाने के लिए ली गई हैं।

शक्ति एवं निर्बलताः– पवन हंस के पास संस्थागत ग्राहकों (जैसे ओएनजीसी, राज्य सरकारें, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम) को दीर्घकालिक आधार पर हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने, उत्कृष्ट श्रेणी की अनुरक्षण सुविधाएं, ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार का हेलीकॉप्टर बेड़ा होने का लाभ प्रतिस्पर्द्धा के रूप में उठाने, कुशल कार्य बल का विशाल स्वरूप (अनुभवी पॉयलट, इंजीनियर तथा तकनीशियन) और सरकारी समर्थन जैसी कुछ शक्तियां हैं। तथापि, प्रतिर्स्पद्धा के विद्यमान परिवेश के परिणामस्वरूप निम्नतर हेलीकॉप्टर चार्टर दें तथा बढ़ी हुई इनपुट लागत के परिणामस्वरूप

आने वाले समय के लिए लाभ का मार्जिन घटने की आशा की गई है।

जोखिम एवं उनसे संबद्धता

ओएनजीसी तथा जीएसपीसी जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा हेलीकॉप्टरों के लिए 7 से 10 वर्ष की विशिष्टता शर्त के साथ निविदाएं जारी की गई हैं। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश द्वारा भी 5 वर्ष की विशिष्टता के लिए हैवी हेलीकॉप्टरों के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। ऐसी स्थिति में यदि यही चलन अन्य ग्राहकों द्वारा भी अपना लिया गया तो हेलीकॉप्टरों के पुराने बेड़े के साथ नए ग्राहकों को खोजना कठिन हो जाएगा। ग्राहकों, विशेषकर राज्य सरकारों, से प्राप्त की जाने वाली वसूलियों की अवधि काफी लम्बी होती है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी राशियां बकाया रहती हैं। इससे कम्पनी का नकद प्रवाह प्रभावित होता है जिससे हेलीकॉप्टरों के नए बेड़े के लिए आवधिक ऋण को चुकता करने की निधि आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। बहरहाल, ग्राहकों के साथ किए जाने वाले अधिकांश करारों में विदेशी मुद्रा एवं एविएशन टर्बाइन फ्यूल की दरों के उतार चढ़ाव से बचाव के लिए प्रावधान रख दिए जाते हैं जिनके न किए जाने से नियत एवं निश्चित दरों पर चार्टर सेवाएं सेवाएं प्रदान करने पर ऐसे उतार चढ़ावों के परिणामस्वरूप इनपुट लागत बढ़ सकती है तथा लाभ के मार्जिन कम हो सकते हैं। विमानन व्यवसाय के संलक्षण आकाश तथा धरती पर संरक्षा के लिए हैं। हेलीकॉप्टरों से होने वाली दुर्घटनाओं से ग्राहकों का विश्वास कम होता है तथा कम्पनी का व्यवसाय प्रभावित होता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां एवं उनकी पर्याप्तता

प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलापों में संस्थागत बेहतर प्रक्रियाओं का प्रयोग किए जाने के लिए मानक प्रक्रियाएं एवं दिशानिर्देश समय समय पर जारी किए जाते हैं। सभी क्रियाकलापों तथा परिसम्पतियों के अनाधिकृत प्रयोग की मॉनीटरिंग तथा प्रत्येक व्यवहार सही प्रकार से प्राधिकृत, रिकार्डबद्ध एवं सूचनाबद्ध होने का सुनिश्चय किए जाने के लिए पवन हंस में पर्याप्त आंतरिक व्यवस्था की गई है। कम्पनी द्वारा सभी आंतरिक नियंत्रण नीतियों तथा प्रक्रियाओं का उनसे जुड़े विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन किए जाने का सुनिश्चय किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार सुधार कार्रवाई कर ली जाती है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षण समिति द्वारा आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता की देख रेख की जाती है। समय समय पर विनियामक प्राधिकरणों द्वारा प्रचालनात्मक एवं संरक्षा की दृष्टि से ऑडिट किए जाते हैं।

वित्त एवं प्रचालनों का विश्लेषण

प्रत्येक तिमाही में भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन के औसत का विश्लेषण करके उसका अंतिम स्वरूप निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। कम्पनी की वेबसाईट पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ साथ कार्यालय से संबंधित समाचार नियमित एवं सुलभ स्वरूप में प्रकाशित किए जाते हैं।

अंशकालिक निदेशकों तथा कम्पनी के मध्य वित्तीय अथवा व्यवहार संबंध

विचाराधीन वर्ष के दौरान किसी भी अंशकालिक निदेशक के साथ कम्पनी के वित्तीय संबंध नहीं हैं। इसके अलावा दो स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों और निदेशक मंडल के उप समिति की बैठकों में भाग लेने के अतिरिक्त, किसी भी अंशकालिक निदेशक को किसी प्रकार का पारिश्रमिक अथवा उपस्थित प्रभार का भुगतान नहीं किया गया है।

मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध तथा प्रतिभा प्रबंधन मामले

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष में कुल कर्मचारियों की संख्या 767 होने की तुलना में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष में यह संख्या 738 है। वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। कम्पनी द्वारा अपने पॉयलटों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तथा नियमित आधार पर कर्मचारियों के संबंध में आंतरिक प्रशिक्षण विकास भी किए जाते हैं। कर्मचारियों के साथ औद्योगिक संबंध सामान्यतः सौहार्दपूर्ण हैं।

ऊर्जा संरक्षण, अक्षय ऊर्जा प्रयोग तथा अनुसंधान एवं विकास मामले

ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकों का समावेश सदैव ही कम्पनी

का परम लक्ष्य रहा है तथा विचाराधीन वर्ष के दौरान इस लक्ष्य को प्राथमिकता प्रदान की गई है। पर्यावरण एवं संरक्षा के घटकों को समाहित किए जाने से ज्ञात एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के लिए कम्पनी को आईएसओ–14001 तथा 18001 प्रमाणन प्राप्त है। इस प्रमाणपत्र के नवीकरण की प्रक्रिया की जा रही है। कम्पनी द्वारा रोहिणी में हेलीपोर्ट के विकास के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। नवोपाय के रूप में कम्पनी द्वारा कलपुर्जों के स्वदेशीकरण एवं एचएमयू (डॉफिन एन–3 हेलीकॉप्टरों) की विश्वसनीयता में संवर्धन के लिए अध्ययन किए गए हैं।

सचेतक विवरण

प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण की इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी के उद्देश्यों, प्रक्षेपणों, अनुमानों, आंकड़ों तथा प्रत्याशाओं से संगत विधान एवं विनियमों के अर्थ के दायरे में "अग्रसारित उन्नति" का आभास हो सकता है। वास्तविक परिणाम की गई अभिव्यक्ति तथा विविक्षा से वस्तुगत रूप से भिन्न हो सकते हैं।

अनुवर्ती विकास क्रमों, सूचना अथवा घटनाओं के आधार पर भविष्य में किए जाने वाले परिवर्तनों के संबंध में कम्पनी द्वारा यहां प्रस्तुत अग्रसारित उन्नति के विवरण के प्रति किसी प्रकार के उत्तरदायित्व का दावा नहीं किया गया है।

वित्तीय अंश
2017–18 के लिए

आय के स्रोत

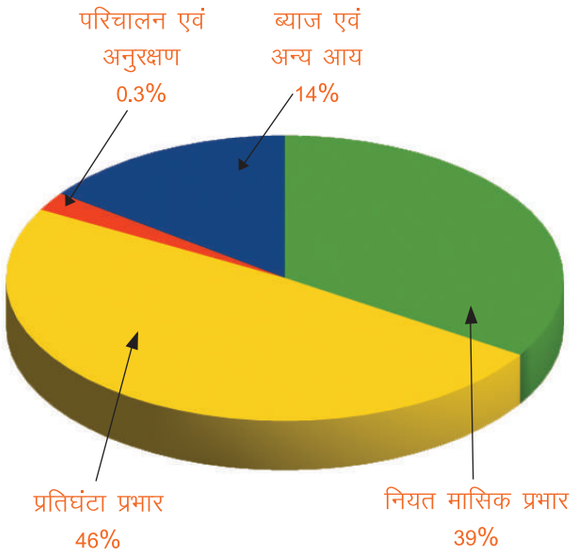

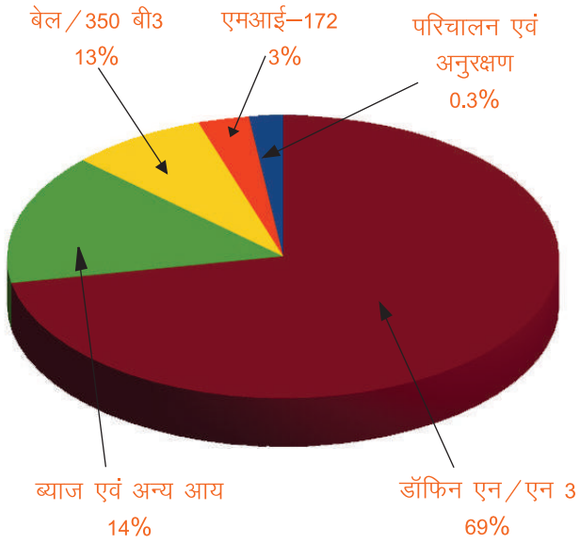

लागत संरचना

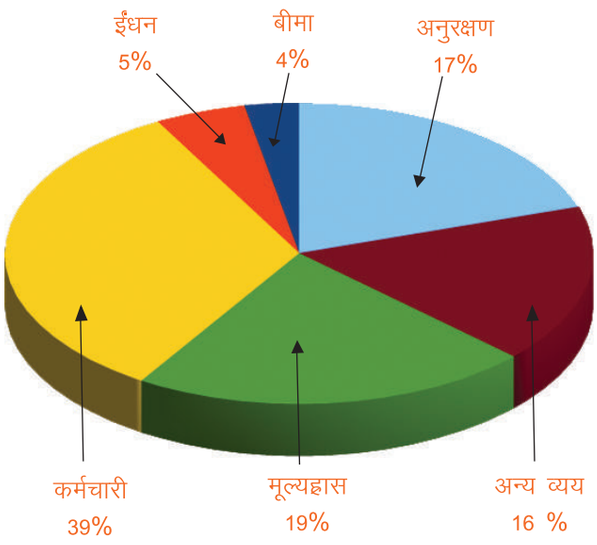

जनशक्ति विवरण

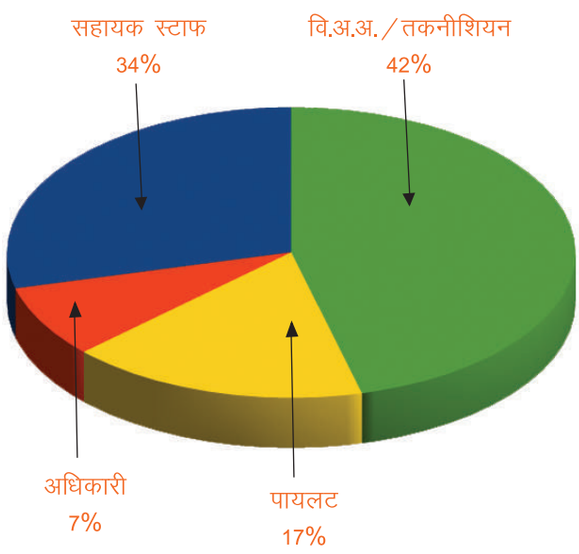

परिचालन से राजस्व, परिचालन लाभ और शुद्ध लाभ

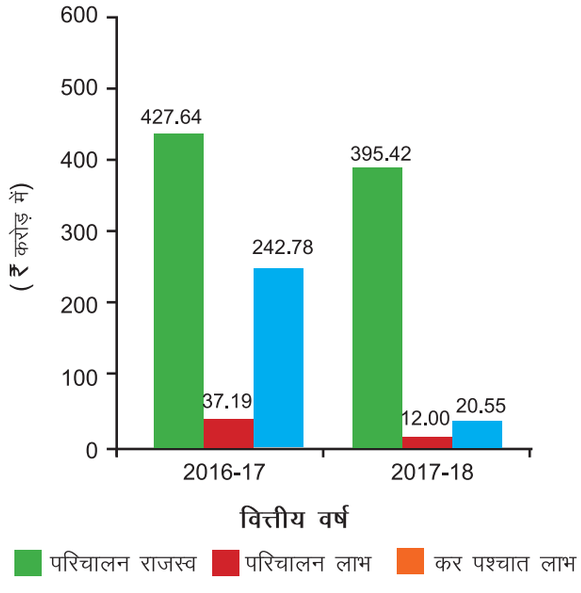

राजस्व उड़ान घंटे

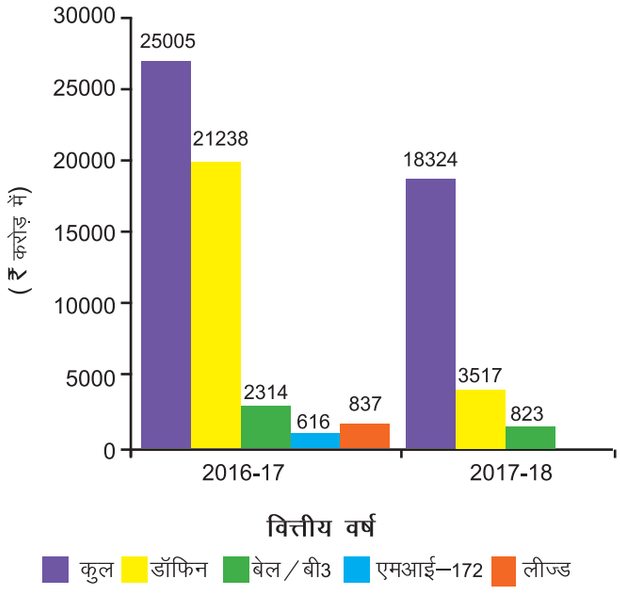

राजस्व

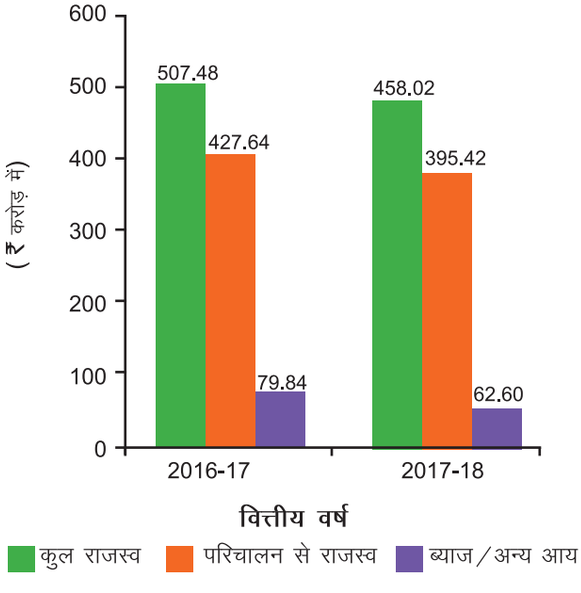

संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर

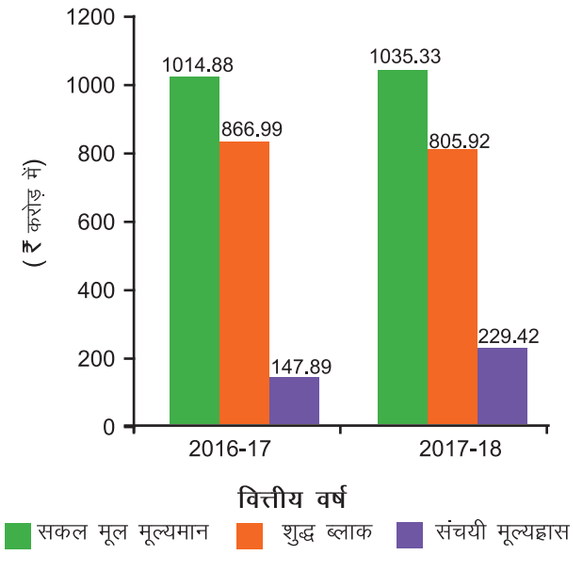

पवन हंस लिमिटेड
2013–14 से 2017–18 के संक्षिप्त लेखे

₹/करोड़

विवरण	अनुपात	2017-18 (इंडएएस)	2016-17 (इंडएएस)	2015-16 (इंडएएस)	2014-15 (आईजीएएपी)	2013-14 (आईजीएएपी)
संसाधन						
निवल मूल्य		112154.63	99269.95	59611.46	54112.98	51383.82
गैर चालू देयताएं						
– ऋण निधियां सुरक्षित ऋण		1928.19	2497.72	16125.21	3868.36	10059.26
– अन्य दीर्घावधिक देयताएं		96.52	163.41	34072.41	47136.58	47121.89
– दीर्घाविधि प्रावधान		3057.66	2854.91	2983.62	2723.57	4690.57
– आस्थागित कर देयताएं		20241.42	21515.18	18266.28	15769.69	14362.99
योग		**137478.42**	**126301.17**	**131058.98**	**123611.18**	**127618.53**
संसाधनों का उपयोग						
नियत आस्तियां		103533.35	101686.32	88747.63	148237.48	145779.63
घटा : मूल्यह्रास		22941.73	15123.26	7060.03	60157.47	52386.08
शुद्ध नियत संपत्तियां		80591.62	86563.06	81687.60	88080.01	93393.55
पूंजीगत कार्य प्रगति पर		2158.57	677.30	5393.65	1804.33	1135.97
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		600.17	601.71	609.42	7839.39	7873.40
अन्य गैर चालू आस्तियां		10380.47	9944.20	6336.58	227.24	248.43
अन्य वित्तीय आस्तियां		177.55	200.28	238.44	144.67	289.34
शुद्ध कार्यशील पूंजी		43492.37	28212.29	36637.96	27319.86	25813.84
		137400.75	126198.84	130903.65	125415.50	128754.53
प्रयुक्त पूंजी		**126242.56**	**115452.65**	**123719.21**	**117204.20**	**120343.36**
आय						
परिचालन से राजस्व		39541.79	42763.93	45324.55	53814.71	52958.81
ब्याज/अन्य आय		6259.78	8009.12	3842.44	1155.38	1346.00
योग		**45801.57**	**50773.05**	**49166.99**	**54970.09**	**54304.81**
व्यय						
हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय		11844.81	13132.58	11708.17	18093.82	18740.26
कर्मचारी हितलाभ व्यय		17363.49	15444.99	15168.50	15416.34	14898.91
वित्तीय लागत		201.17	203.51	450.13	1749.35	3180.68
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय		8477.19	8082.5	7214.75	7652.34	7971.29
अन्य व्यय		6714.46	10216.92	5004.70	4740.12	4044.57
योग		**44601.12**	**47080.50**	**39546.25**	**47651.97**	**48835.71**
असाधारण पूर्व वर्ष के लिए लाभ		1200.45	3692.55	9620.74	7318.12	5469.10
आपवादिक मदें		-	33931.19	-	(144.67)	654.29
कर पूर्व लाभ		1200.45	37623.74	9620.74	7173.45	6123.39
कराधान के लिए प्रावधान		3350.32	8943.02	1405.00	1720.00	1450.00
घटाः मैट जमा लाभ		(2,784.06)	-	-	-	-
पूर्व वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान		(3.98)	42.10	-	165.85	80.56
आस्थागित कर देयता		(1,322.47)	3245.82	2498.53	1406.70	736.18
आय व्यापक आय		94.08	16.28	93.27	-	-
कर पश्चात शुद्ध लाभ		**2,054.72**	**25409.08**	**5810.48**	**3880.90**	**3,856.65**
सार्थक अनुपात						
क) शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ /(हानि) / कुल राजस्व शुद्ध लाभ/(हानि)	5.2%	59.4%	12.8%	7.2%	7.1%
ख) निवेश पर प्रतिफल	प्रयुक्त पूंजी शुद्ध लाभ/(हानि)	1.6%	22.0%	4.7%	3.3%	3.2%
निवल मूल्य पर प्रतिफल	निवल मूल्य परिचालनगत ऋण	1.8%	25.6%	9.7%	7.2%	7.5%
ऋण वसूली की अवधि (माह)	औ.मा.परि. राजस्व वर्ष एवं इंनवेट्री	5.52	5.39	6.26	6.48	6.22
इंवैनट्र टर्नऑवर (माह)		1.41	1.26	1.33	1.26	1.25
वर्तमान अनुपात	औ.मा.परि. राजस्व सी ए : सी एल	3.07	2.87	3.90	2.80	1.95
ऋण इक्विटी	ऋण/इक्विटी ऋण/निवल मूल्य	0.03 0.02	0.10 0.03	0.66 0.27	0.16 0.07	1.11 0.53

लेखे

यथातिथि 31 मार्च, 2018 को
तुलन पत्र

(मूल्य लाख में)

विवरण	नोट संख्या	यथातिथि 31 मार्च, 2018	यथातिथि 31 मार्च, 2017
परिसम्पतियां			
(1) गैर–चालू परिसम्पतियां			
(क) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण	3.1	80,585.96	86,553.73
(ख) पूंजी कार्य प्रगति पर	3.1	2,158.57	677.30
(ग) अमूर्त परिसम्पतियां	4	5.67	9.34
(घ) वित्तीय परिसम्पतियां			
(i) निवेश	5	77.66	102.31
(ii) ऋण	6	600.17	601.71
(iii) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	7	177.55	200.28
(ङ) अन्य गैर–चालू परिसम्पतियां	8	10,380.47	9,944.20
योग गैर–चालू परिसम्पतियां		**93,986.05**	**98,088.87**
(2) चालू परिसम्पतियां			
(क) मालसूचियां	9	4,649.24	4,496.69
(ख) वित्तीय परिसम्पतियां			
(i) व्यवसाय प्राप्य	10	18,178.79	18,909.96
(ii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	11.1	3,851.21	5,029.34
(iii) अन्य बैंक शेष	11.2	30,185.06	10,302.43
(iv) ऋण	12	542.41	488.25
(v) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	7	1,378.64	1,016.91
(ग) चालू कर परिसम्पतियां (निवल)	13	1,281.00	930.54
(घ) अन्य चालू परिसम्पतियां	8	4,424.32	2,316.25
(ङ) निपटान/वितरण के लिए वर्गीकृत धारित परिसम्पतियां	3.2	-	0.84
योग चालू परिसम्पतियां		**64,490.67**	**43,491.21**
कुल परिसम्पतियां		**158,476.72**	**141,580.08**
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14.1	55,748.20	24,561.60
(ख) अन्य इक्विटी	14.2	56,406.43	74,708.35
योग इक्विटी		**112,154.63**	**99,269.95**
देयताएं			
(1) गैर–चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण	15	1,928.19	2,497.72
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	96.52	163.41
(ख) प्रावधान	16	3,057.66	2,854.90
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	17	20,241.42	21,515.18
योग गैर–चालू देयताएं		**25,323.79**	**27,031.21**
(2) चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) व्यवसाय प्राप्य	19	11,003.58	7,357.50
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	860.85	864.90
(ख) अन्य चालू देयताएं	20	4,302.03	1,948.18
(ग) प्रावधान	21	4,265.58	2,297.71
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	13	566.26	2,810.63
योग चालू देयताएं		**20,998.30**	**15,278.92**
योग इक्विटी एवं देयताएं		**158,476.72**	**141,580.08**

नोट 1 से 32 वित्तीय विवरणियों का एक अभिन्न भाग हैं।
यह तुलन पत्र समान तिथि की हमारी रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कृते जे.पी., कपूर एंड उबराय
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000593एन

(डॉ. बी. पी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 07125290

(श्रीमती गार्गी कौल)
निदेशक
डीआईएन सं. 07173427

(विनय जैन)
साझीदार
सदस्यता सं. 095187

(रनजीत सिंह चौहान)
कम्पनी सचिव

(धीरेन्द्र सहाय)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 22.10.2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की विवरणी

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
I	परिचालनों से राजस्व	22	39,541.79	42,763.93
II	अन्य आय	23	6,259.78	8,009.12
	कुल आय (III)		**45,801.57**	**50,773.05**
IV	व्यय			
	हेलीकॉप्टर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय	24	11,844.81	13,132.58
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	25	17,363.49	15,444.99
	वित्तीय लागतें	26	201.17	203.51
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	27	8,477.19	8,082.50
	अन्य व्यय	28	6,714.46	10,216.92
	कुल व्यय (IV)		**44,601.12**	**47,080.50**
V	**असाधारण मदों तथा कर से पूर्व लाभ (III-IV)**		**1,200.45**	**3,692.55**
VI	असाधारण मदें	29	-	33,931.19
VII	**कर पूर्व लाभ**		**1,200.45**	**37,623.74**
VIII	कर व्यय:			
	(1) चालू कर		3,350.32	8,943.02
	घटाएं: एमएटी क्रेडिट प्रयुक्त		(2,784.06)	-
	(2) पूर्व वर्षों के लिए आयकर प्रावधान		(3.98)	42.10
	(3) आस्थगित कर		(1,322.47)	3,245.82
			(760.19)	**12,230.94**
IX	**अवधि के दौरान लाभ (VII-VIII)**		**1,960.64**	**25,392.80**
X	**अन्य व्यापक आय**			
	(क) अन्य व्यापक आय का पुनःवर्गीकरण अनुगामी अवधियों में लाभ अथवा हानि में किया जाना है:			
	(i) उपर्युक्त पर निवल लाभ/(हानि)		-	-
	(ii) उपरोक्त पर कर प्रभाव		-	-
			-	-
	(ख) अन्य व्यापक आय का पुनःवर्गीकरण अनुगामी अवधियों में लाभ अथवा हानि में नहीं किया जाना है:			
	(i) उपर्युक्त पर निवल लाभ/(हानि)	30	142.79	24.90
	(ii) उपर्युक्त पर कर प्रभाव		(48.71)	(8.62)
			94.08	**16.28**
XI	**अवधि के दौरान कुल व्यापक आय (IX+ X) अवधि के दौरान लाभ एवं अन्य व्यापक आय से युक्त)**		**2,054.72**	**25,409.08**
XII	प्रति इक्विटी शेयर आय	31		
	(1) मूल		435	10,345
	(2) डायलूटिड		435	9,371

नोट 1 से 32 वित्तीय विवरणियों का एक अभिन्न भाग हैं।
यह लाभ एवं हानि विवरण समान तिथि की हमारी रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कृते जे.पी., कपूर एंड उबराय
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000593एन

(डॉ. बी. पी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 07125290

(श्रीमती गार्गी कौल)
निदेशक
डीआईएन सं. 07173427

(विनय जैन)
साझीदार
सदस्यता सं. 095187

(रनजीत सिंह चौहान)
कम्पनी सचिव

(धीरेन्द्र सहाय)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22.10.2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों की विवरणी

(₹ लाख में)

विवरण	इक्विटी शेयर पूंजी	शेयर आवेदन धन लंबित आबंटन	आरक्षिति एवं अधिशेष		ओसीआई की मदें			कुल अन्य इक्विटी
			सामान्य आरक्षिति	प्रतिधारित उपार्जन	ऋण लिखतों के माध्यम से अन्य व्यापक आय	इक्विटी लिखतों के माध्यम से अन्य व्यापक आय	अन्य व्यापक आय की दूसरी मदें	
यथातिथि 1 अप्रैल, 2016	**24,561.60**	**-**	**2,050.00**	**32,912.14**	**-**	**(12.35)**	**105.61**	**35,055.40**
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	15,905.00	-	-	-	-	-	15,905.00
पूर्वावधि त्रुटियाँ	-	-	-	(358.23)	-	-	-	(358.23)
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	24,561.60	15,905.00	2,050.00	32,553.91	-	(12.35)	105.61	50,602.17
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	25,392.80	-	-	-	25,392.80
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	(14.46)	30.74	16.28
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**25,392.80**	**-**	**(14.46)**	**30.74**	**25,409.08**
लाभांश और कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(1,082.52)	-	-	-	(1,082.52)
प्रतिधारित उपार्जन पर हस्तांतरण	-	-	-	(220.38)	-	-	-	(220.38)
कोई अन्य परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
यथातिथि 31 मार्च, 2017	**24,561.60**	**15,905.00**	**2,050.00**	**56,643.81**	**-**	**(26.81)**	**136.35**	**74,708.35**
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार से प्राप्त राशि	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्वावधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	**24,561.60**	**15,905.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	1,960.64	-	-		1,960.64
अन्य व्यापक आय	-	-	-		-	(15.41)	109.49	94.08
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**24,561.60**	**15,905.00**	**-**	**1,960.64**	**-**	**(15.41)**	**109.49**	**2,054.72**
लाभांश	-	-	-	(3,698.68)	-	-	-	(3,698.68)
लाभांश वितरण कर का भुगतान	-	-	-	(752.96)	-	-	-	(752.96)
ओएनजीसी से प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	15,281.60	-		-	-	-	15,281.60
भारत सरकार तथा ओएनजीसी को आवंटित इक्विटी शेयर	31,186.60	(31,186.60)	-	-	-	-	-	(31,186.60)
प्रतिधारित उपार्जन पर हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
यथातिथि 31 मार्च, 2018	**55,748.20**	**-**	**2,050.00**	**54,152.80**	**-**	**(42.22)**	**245.84**	**56,406.43**

नोट 1 से 33 वित्तीय विवरणियों का अभिन्न अंग बनाते हैं

यह इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी भी है जो कि हमारी तिथि की रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कृते जे.पी., कपूर एवं यूबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म निबंधन सं. 000593एन

(डॉ. बी. पी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 07125290

(श्रीमती गार्गी कौल)
निदेशक
डीआईएन सं. 07173427

(विनय जैन)
साझीदार
सदस्यता सं. 095187
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 22.10.2018

(रनजीत सिंह चौहान)
कम्पनी सचिव

(धीरेन्द्र सहाय)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की विवरणी

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि			
	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
क. प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ		1,343.24		37,648.64
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय (निवल)	8,477.19		8,082.50	
बैंक जमा से ब्याज आय	(1,260.86)		(626.62)	
बीमा दावा–केवल हल्ल	(2,955.25)		(1,488.28)	
अचल परिसम्पतियों की बिक्री से लाभ	(0.40)		-	
ब्याज लागत	201.17		203.51	
बट्टाकृत अचल परिसम्पतियां	503.82		179.94	
संदेहास्पद ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	486.77		876.94	
अचल मालसूची/कालातीत मदों के लिए प्रावधान	164.89		209.55	
विनिमय दर उतार चढ़ाव (निवल)	(366.83)		(619.64)	
भारत सरकार देयताओं के ब्याज पर छूट	-		(33,931.19)	
पॉयलटों तथा एएमई के लाइसेंस सम्बद्ध भत्तों के अतिरिक्त प्रावधान	(926.39)		(4,381.16)	
प्रतिलेखन के लिए अतिरिक्त प्रावधान(अन्य)	(214.88)		(163.54)	
परिसम्पतियों की क्षति से हानि	54.43		0.15	
निवेश के मूल्य पर घटत के प्रावधान	24.65		22.11	
		4,188.31		(31,635.73)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		5,531.55		6,012.91
परिसम्पतियों एवं देयताओं में परिवर्तन				
व्यवसाय प्राप्य	519.61		3,780.76	
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य परिसम्पतियां	(2,615.57)		(4,041.75)	
मालसूचियां	(317.61)		313.59	
व्यवसाय देय, अन्य देयताएं तथा प्रावधान	9,720.94		5,170.98	
प्रचालनों से उत्पन्न रोकड़		7,307.37		5,223.58
चुकता आय कर		(3,723.36)		(6,226.98)
प्रचालन क्रियाकलापों से उत्पन्न निवल रोकड़		**9,115.56**		**5,009.51**
ख. निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह				
अचल परिसम्पतियों का क्रय	(6,346.36)		(7,049.20)	
अचल परिसम्पतियों की बिक्री/बीमा दावे/समायोजन	6,216.25		5,530.00	
पूंजी कार्य प्रगति पर	(1,634.16)		(1,391.23)	
3 माह से अधिक परिपक्वता तथा ग्रहणाधिकार युक्त सावधि जमा की उत्पति/निवेश	(19,882.63)		(3,736.18)	
प्राप्त ब्याज	1,260.86		626.62	
निवेश क्रियाकलापोंमें प्रयुक्त निवल रोकड़		**(20,386.04)**		**(6,019.99)**
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह				
ब्याज लागत	(201.17)		(203.51)	
लाभांश	(3,698.68)		(1,082.52)	
लाभांश पर निगमित कर	(752.96)		(220.38)	
शेयर आवेदन प्राप्त एवं आबंटन	15,281.60		15,905.00	
दीर्घकालिक ऋणों का पुनर्भुगतान	(536.44)		(13,927.89)	
वित्तीय क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल रोकड़		**10,092.35**		**470.70**
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य की निवल वृद्धि/उपयोग		**(1,178.13)**		**(539.78)**
अवधि के प्रारम्भ में रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य		5,029.34		5,569.12
अवधि के अंत में रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य		**3,851.21**		**5,029.34**

नोट 1 से 32 वित्तीय विवरणियों का अभिन्न भाग हैं।

नोटः

1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े रोकड़ बर्हिप्रवाह दर्शाते हैं।
2. उपर्युक्त रोकड़ प्रवाह विवरण का निर्माण इंड एएस–7 रोकड़ प्रवाह विवरण में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि से किया गया है।

यह रोकड़ प्रवाह विवरण समान तिथि की हमारी रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कृते जे.पी., कपूर एंड उबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म निबंधन सं. 000593एन

(डॉ. बी. पी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 07125290

(श्रीमती गार्गी कौल)
निदेशक
डीआईएन सं. 07173427

(विनय जैन)
साझीदार
सदस्यता सं. 095187

(रनजीत सिंह चौहान)
कम्पनी सचिव

(धीरेन्द्र सहाय)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 22.10.2018

29. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. निगमित सूचना

पवन हंस लिमिटेड (''कम्पनी'') (सीआईएन संख्या यू 62200डीएल1985जी01022233) एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है जिसका निगमन 15 अक्तूबर, 1985 को हुआ था तथा भारत में स्थित इस कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय रोहिणी हेलीपोर्ट, सेक्टर–36, नई दिल्ली–110085 में है। यह कम्पनी सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है तथा इसका पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के अध्याधीन कम्पनी पंजीयक के कार्यालय में किया गया है।

कम्पनी भारत के विमानन सेक्टर का पथप्रदर्शक के रूप में नेतृत्व कर रही है तथा यह कम्पनी समग्र राष्ट्र को अवसंरचना निर्माण, मानव संसाधन विकास तथा हेलीकॉप्टर प्रचालनों के संरक्षा स्तरों में संवर्धन के साथ साथ विविध श्रेणी की हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान कर रही है। कम्पनी द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों नामतः मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, गुजरात, गृह मंत्रालय, लक्षद्वीप प्रशासन,अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, केदारनाथ यात्रा के साथ साथ एमटीडीसी एवं जीटीडीसी के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और साथ ही ओएनजीसी, एनटीपीसी, ओआईएल, जीएसपीसी, गेल, महाराष्ट्र पुलिस, सीमा सुरक्षा बल आदि को भी अपनी सेवाएं दी जा रही हैं।

2. क. निर्माण का आधार

(i) अनुपालन विवरण

कम्पनी के वित्तीय विवरण कम्पनी भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') में निर्धारित है और अधिनियम के संबंधित प्रावधानों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन मानकों में किए गए निर्धारण के अनुसार इंड ए एस का अनुपालन करते हुए तैयार किए गए हैं। निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 16 फरवरी, 2015 की अधिसूचना, जिसके माध्यम से कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 अधिसूचित की गई है, के अनुसरण में कम्पनी द्वारा 1 अप्रैल, 2016 की पारमगन तिथि के साथ 1 अप्रैल, 2015 से भारतीय लेखांकन मानक (इंड ए एस) अंगीकार किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों को जारी करने का प्राधिकार निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर, 2018 को प्रदान किया गया है।

(ii) मापन का आधार

ये वित्तीय विवरण उचित मूल्य अथवा परिशोधन लागत पर मापे गए कुछ वित्तीय उपकरणों के अलावा ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं।

(iii) महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान तथा निर्धारण

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन द्वारा लेखांकन नीतियों एवं सूचित परिसम्पतियों, देयताओं, आय एवं व्यय की राशियों की उपयोज्यता पर प्रभावी होने वाले निर्धारण किए गए हैं, अनुमान लगाए गए हैं तथा पूर्वानुमान लगाए गए हैं। वास्तविक परिणाम ऐसे अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों तथा पूर्वानुमानों की समीक्षा अविरत आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में किए गए संशोधनों की स्वीकृति भावी प्रभाव के लिए की है।

लेखांकन नीतियों के उपयोग से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए लगाए गए जिस अनुमान/अनिश्चितता तथा निर्धारण से वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं उससे संबंधित सूचना नीचे दी गई है:–

नीचे प्रस्तुत नोट 32 (XII) तथा मद संख्या 2 (vi) – परिभाषित लाभ दायित्वों का मापनः प्रमुख वास्तविक पूर्वानुमान

नीचे प्रस्तुत नोट 2 (vi) – सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का उपयोज्य जीवन एवं अवशिष्ट मूल्य का मापन।

नोट 32 (XXI) – ओवरहॉल लागत का अनुमान।

नोट 32 (II (ग ,घ ड. तथा च)– यह ज्ञात करने के लिए निर्धारिण किया जाना अपेक्षित है कि क्या संसाधनों के बर्हिगमन से उत्पन्न लाभ कराधान विवादों एवं विधिक दावे के निपटान के लिए संभाव्य होंगे अथवा नहीं।

नोट 32 (XXIX) तथा नीचे प्रस्तुत मद संख्या 2 (iii) – वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य का मापन।

ऐसे कोई पूर्वानुमान तथा अनुमान अनिश्चितताएं नहीं हैं जिनके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष में सामग्रीगत समायोजन के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम हो।

ख. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

नीचे प्रस्तुत की गई लेखांकन नीतियों का अनवरत उपयोग प्रस्तुत वित्तीय विवरणों की सभी अवधियों के संबंध में किया गया है।

(i) चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

सभी परिसम्पतियों तथा देयताओं का वर्गीकरण चालू तथा गैर–चालू के रूप में किया गया है।

परिसम्पतियां

किसी परिसम्पति का वर्गीकरण चालू के रूप में तब किया जाता है जब निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक के प्रति संतुष्टि हो :

- वह नकदीकरण अथवा बिक्री के लिए नियत हो अथवा कम्पनी के सामान्य प्रचालन कम में खपत की जाने वाली हो;
- वह प्रारम्भ से ही व्यवसाय के लिए धारित की गई हो;
- वह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बिक्री की जानी हो, अथवा
- वे विनियम के लिए प्रतिबंधित न होने अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात किसी देयता के समाधान के लिए कम से कम बारह माह के लिए उपयोग की जा रही होने के अलावा रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य हो।

चालू परिसम्पतियों में गैर–चालू वित्तीय परिसम्पतियों का चालू भाग भी शामिल है। अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया गया है।

देयताएं

किसी देयता का वर्गीकरण चालू देयता के रूप में तब किया जाता है जबः

- कम्पनी के सामान्य प्रचालन क्रम में इसका निपटान संभावित हो;
- यह मुख्यतः व्यवसाय के उद्देश्य से धारित की गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर इसका समाधान किया जाना हो, अथवा
- कम्पनी के पास इसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह की अवधि के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का किसी प्रकार का कोई असंबंध अधिकार न हो। देयताओं के निबंधन दूसरी पार्टी को उपलब्ध विकल्प के अनुसार इक्विटी उपकरण को जारी करने के निपटान के तौर पर परिणत होते हों तथा जिससे यह वर्गीकरण प्रभावित न होता हो।

चालू देयताओं में गैर–चालू वित्तीय दायित्वों का चालू भाग शामिल है। अन्य सभी दायित्वों का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों तथा देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति तथा देयताओं के रूप में किया गया है।

प्रचालन काल क्रम संसाधन के लिए परिसम्पतियों के अधिग्रहण तथा उनकी नकदी अथवा नकदी समतुल्य प्राप्ति के बीच का समय है। प्रचालनों की प्रकृति तथा उनके नकदी अथवा नकदी समतुल्य प्राप्ति के आधार पर कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं को चालू अथवा गैर–चालू वर्गीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से अपने प्रचालन काल क्रम की अवधि बारह माह निर्धारित की गई है।

(ii) विदेशी मुद्रा संव्यवहार एवं अंतरण

कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा

प्रबंधन द्वारा उस मुद्रा को कार्यात्मक मुद्रा अर्थात भारतीय रुपए (₹) को उपयोग के लिए अपनाया गया है जिसके प्राथमिक आर्थिक परिवेश में कम्पनी द्वारा अपने कार्य किए जाते है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में प्रस्तुत किए गए हैं जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा है। यदि कहीं अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है तो सभी राशियों को दो दशमलव स्थल तक निकटतम लाख रुपए में राउंड ऑफ किया गया है।

संव्यवहार एवं शेष

विदेशी मुद्राओं में किए जाने वाले मौद्रिक एवं गैर–मौद्रिक संव्यवहार की प्रारंभिक स्वीकृति कार्यात्मक मुद्रा में संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर के अनुसार रिकार्ड की जाती है।

रिपोर्टिंग तिथि को समाधान न की गई मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसम्पतियों तथा देयताओं का समाधान रिपोर्टिंग तिथि की प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार किया जाता है। विदेशी मुद्रा संव्यवहार की स्वीकृति/समाधान से होने वाले लाभ/(हानियों) तथा मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसम्पतियों एवं देयताओं की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है जिसमें 31 मार्च, 2016 से पूर्व लिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक ऋणों के अंतरण से उत्पन्न ऐसी लाभ/(हानियां) शामिल नहीं होती हैं जो मूल्यह्रास योग्य सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण के अधिग्रहण के लिए उपयोग में लाई गई हैं तथा जिनका समायोजन सम्प. ति, संयंत्र तथा उपकरण की लागत पर किया गया है। उपर्युक्त व्यवस्था विदेशी मुद्रा ऋण का पुनर्भुगतान कर दिए जाने तक जारी रखी जाती है।

विदेशी मुद्रा मौद्रिक ऋणों के अंतरण से उत्पन्न विदेशी मुद्रा विनिमय दर लाभ/(हानि) को निवल आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया है। तथापि, विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न मुद्रा विनिमय अंतर उनकी वित्त लागतों के दायरे में लाभ एवं हानि विवरण में ऋण लागतों को समायोजित करते हुए दर्शाए गए हैं।

(iii) उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य की राशि वह होती है जो मापन की तिथि को बाजार भागियों के मध्य व्यवस्थित संव्यवहार द्वारा किसी परिसम्पति की बिक्री से प्राप्त हो अथवा जो किसी देयता के अंतरण के लिए चुकता की जा सकती हो। उचित मूल्य के मापन का आधार परिसम्पति की बिक्री अथवा देयता के अंतरण से संबंधित संव्यवहार पर आधारित है जो निम्नलिखित में से किसी में भी किया जा सकता है:–

– परिसम्पति अथवा देयता के लिए श्रेष्ठ बाजार में, अथवा

– परिसम्पति अथवा देयता के लिए श्रेष्ठ बाजार उपलब्ध न होने की स्थिति में अत्यधिक लाभकारी बाजार में।

श्रेष्ठ अथवा अत्यधिक लाभकारी बाजार कम्पनी के लिए/द्वारा गम्य होने चाहिए।

वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य के साथ मापन अथवा प्रकटीकरण की गई सभी परिसम्पतियों तथा देयताओं का वर्गीकरण उनके उचित मूल्य के क्रम में निम्नानुसार न्यूनतम स्तर इनपुट को पूर्ण रूप में उचित मूल्य मापन के निर्धारण के आधार पर वर्णित किया गया है:–

- स्तर 1 – सक्रिय बाजार में समान परिसम्पतियों अथवा देयताओं का उद्धृत (गैर–समायोजित) मूल्य
- स्तर 2 – न्यूनतम स्तर इनपुट के लिए मूल्यांकन तकनीक जो उचित मूल्य मापन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में विचार योग्य है।
- स्तर 3 – न्यूनतम स्तर इनपुट के लिए मूल्यांकन तकनीक जो उचित मूल्य मापन के लिए विचार योग्य नहीं है।

वित्तीय विवरणों में आवृत्ति आधार पर मान्य परिसम्पतियों एवं देयताओं के लिए कम्पनी द्वारा यह संज्ञान किया जाता है कि क्या इनके संबंध में स्तरों के मध्य वर्गीकरण के मूल्यांकन करते हुए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में

(पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर) अंतरण किए गए हैं अथवा नहीं।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्गों का निर्धारण उनकी प्रकृति, विशिष्टता तथा परिसम्पति अथवा देयता के जोखिम तथा ऊपर स्पष्ट क्रम बद्ध उचित मूल्यों के अनुसार किया गया है।

कम्पनी द्वारा निवेश जैसे (सहायक कम्पनियों में किए गए निवेश के अलावा) वित्तीय उपकरणों का मापन रिपोर्टिंग तिथि को उनके उचित मूल्य के अनुसार किया गया है। इसके अलावा वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्यों का मापन नोट 32(XI) में प्रकटीकरण की गई परिशोधन लागत पर किया गया है।

(iv) वित्तीय उपकरण

किसी करार के ऐसे वित्तीय उपकरण जिनसे किसी एक इकाई की वित्तीय परिसम्पतियां तथा किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयताएं अथवा इक्विटी उपकरण का उत्थान होता हो।

क) वित्तीय परिसम्पतियां

स्वीकृति तथा प्रारम्भिक मापन

प्रारंभिक स्वीकृति करते हुए वित्तीय परिसम्पतियों का प्रारंभिक मापन एवं स्वीकृति केवल उस स्थिति के अलावा उचित मूल्य पर होती है जिस स्थिति में कम्पनी द्वारा पारगमन की तिथि के पश्चात किए गए संव्यवहार के लिए उचित मूल्य का मापन भावी प्रभाव पर करने के लिए इंड ए एस 101 के पैरा डी20 में अंगीकरण किए जाने पर पहली बार दी जाने वाली छूट का प्रयोग किया है। लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर रिकार्ड में न ली गई वित्तीय परिसम्पति के मामले में उसकी संव्यवहार लागतें वित्तीय परिसम्पति के अधिग्रहण से संबद्ध की गई हैं।

वर्गीकरण एवं अनुवर्ती मापन

वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा अपनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण नीचे उल्लिखित अनुवर्ती मापन वर्गों में किया गया है:–

- वे, जिनका अनुवर्ती मापन उनके उचित मूल्य (जो या तो अन्य विस्तृत आय अथवा लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से है) पर किया जाना है, तथा
- वे, जिनका अनुवर्ती मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।

ऐसा वर्गीकरण वित्तीय परिसम्पतियों के प्रबंधन, रोकड़ प्रवाहों के संविदागत उपबंधों के प्रबंधन के लिए कम्पनी के व्यवसाय मॉडल पर निर्भर करता है। उचित मूल्य, लाभ एवं हानि पर मापन की गई परिसम्पतियों को लाभ एवं हानि विवरण अथवा अन्य विस्तृत आय में रिकार्ड किया जाता है। ऋण उपकरणों में किए गए निवेश की स्थिति में यह उस व्यवसाय मॉडल पर निर्भर है जिसमें निवेश किया गया है। इक्विटी उपकरण में निवेश के लिए इसकी निर्भरता कम्पनी द्वारा अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए इक्विटी निवेश की प्रारंभिक स्वीकृति लेखे में करते समय अप्रतिसंहरणीय का चयन किए जाने अथवा न किए जाने पर निर्भर करती है।

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

अनुवर्ती मापन

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियों का मापन

किसी वित्तीय परिसम्पति का मापन परिशोधन लागत पर तब किया जाता है जब उसका धारण ऐसे व्यावसायिक मॉडल में किया गया हो जिसका लक्ष्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों के संग्रहण के लिए परिसम्पति का धारण करना है तथा वित्तीय परिसम्पति के संविदागत उपबंधों से विशिष्ट तिथियों को ऐसे रोकड़ प्रवाह उत्पन्न होते हों जो केवल मूलधन एवं मूलधन के ब्याज की बकाया राशि के भुगतान के लिए हों।

यह श्रेणी कम्पनी के लिए श्रेयस्कर है। प्रारंभिक मापन के पश्चात ऐसी परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि

के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण की वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। क्षति के कारण उत्पन्न हानियों (यदि कोई हों) की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। यह श्रेणी सामान्यतः कर्मचारियों को दिए गए ऋणों, व्यवसाय प्राप्यों, सुरक्षा जमा राशियों तथा अन्य प्राप्यों के लिए लागू होती है।

अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां (एफवीटी ओसीआई)

किसी वित्तीय परिसम्पति का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार तब किया जाता है जब उसका धारण ऐसे व्यवसाय मॉडल में किया गया हो जिसमें उसके संविदागत रोकड़ प्रवाह तथा वित्तीय परिसम्पतियों की बिक्री के दोनों लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हों तथा उसके संविदागत उपबंधों से विशिष्ट तिथियों को ऐसे रोकड़ प्रवाह उत्पन्न होते हों जो केवल मूलधन एवं मूलधन के ब्याज की बकाया राशि के भुगतान के लिए हों।

लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां (एफवीटी पीएल)

उपर्युक्त में से किसी भी वर्ग में शामिल न की गई परिसम्पति का मापन एफवीटीपीएल के अनुसार किया जाता है।

ख) वित्तीय परिसम्पतियों की क्षति (उचित मूल्य के अलावा)

लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्यन न की गई वित्तीय परिसम्पतियों के लिए कम्पनी द्वारा संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल के उपयोग से हानि भत्ते की स्वीकृति की जाती है। किसी गैर महत्वपूर्ण वित्तीय घटक वाले व्यवसाय प्राप्यों के हानि भत्ते का मापन संभावित क्रेडिट हानि के उपयोज्यता काल की समतुल्य राशि पर किया जाता है। अन्य सभी वित्तीय परिसम्पतियों, जिनकी संभावित क्रेडिट हानियों का मापन 12 माह के संभावित क्रेडिट के समतुल्य राशि पर किया गया है, के संबंध में प्रारंभिक स्वीकृति के प्रति क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी न होने की स्थिति में ऐसी वित्तीय परिसम्पतियों का मापन उनके उपयोज्यता काल पर संभावित क्रेडिट हानि के लिए होता है। संभावित क्रेडिट हानि मॉडल के उपयोग से हानि भत्ते में किसी प्रकार के बदलाव (वृद्धिशील अथवा विपर्यय) की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में क्षति लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

ग) बट्टे खाते

वित्तीय विवरण में ऐसी सकल वहन राशि को बट्टे खाते (आंशिक अथवा पूर्ण) मान लिया जाता है जिसकी प्राप्ति की कोई उचित संभावना नहीं होती है।

घ) वित्तीय देयताएं

प्रारम्भिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय देयताओं की प्रारम्भिक स्वीकृति का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है:–

- लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं,
- परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय देयताएं,
- ऋण एवं उधार तथा देय,

सभी वित्तीय देयताओं की प्रारंभिक स्वीकृति उनके उचित मूल्य पर तथा ऋण एवं उधार तथा देय के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष संबंद्ध मूल्य पर की जाती है।

कम्पनी की सभी वित्तीय देयताओं में सुरक्षा जमा, व्यवसाय एवं अन्य देय शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

परिशोधन लागत के अनुसार मापन (जो कम्पनी की एकमात्र सम्बद्ध श्रेणी है) की गई वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज दर के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। ब्याज व्यय एवं विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ तथा

हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण की जाती है।

ङ) वित्तीय उपकरणों की स्वीकृति समाप्त करना

कम्पनी द्वारा ऐसी वित्तीय परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त की जाती है जिस वित्तीय परिसम्पति के रोकड़ प्रवाह के संविदागत अधिकारों की अवधि समाप्त हो गई होती है अथवा जिन वित्तीय परिसम्पतियों का अंतरण किया जाता है तथा ऐसा अंतरण इंड एएस 109 के अंतर्गत स्वीकृति समाप्ति के लिए योग्य होता है।

कम्पनी के तुलन पत्र में से किसी वित्तीय देयता (अथवा किसी वित्तीय देयता का कोई भाग) की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब उसकी संविदा में निर्धारित दायित्वों का निर्वाह हो जाता है अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा समाप्त हो जाते हैं।

च) वित्तीय उपकरणों की समंजन

वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं का समंजन तथा तुलन पत्र में निवल राशियों की स्वीकृति तब की जाती है जब स्वीकृत राशियों के समंजन के प्रति कोई प्रवर्तन योग्य चालू विधिक अधिकार न हो तथा ऐसा परिसम्पतियों से धर्नाजन तथा दायित्वों को चुकाने के लिए सकल आधार पर निपटाए जाने की मंशा से किया गया हो।

(v) रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में बैंकों में जमा एवं उपलब्ध तथा तीन माह अथवा कम अवधि की सामान्य परिपक्वता के साथ अल्प–कालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तन के अल्प जोखिम की शर्त पर है, शामिल हैं।

(vi) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

स्वीकृति एवं मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मापन उनकी लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन एवं संचित अपसामान्य क्षतियों को लागत, यदि कोई हों, घटाकर किया गया है। लागत में वे व्यय शामिल हैं जो प्रबंधन के अभिप्रेत उद्देश्य से प्रचालन योग्य बनाने के लिए सम्पति को स्थल तथा आवश्यक स्थिति में लाए जाने के लिए प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं। कम्पनी द्वारा सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का मूल्यह्रास उनके अनुमानित उपयोज्य काल के लिए सीधी लाइन विधि के उपयोग से किया जाता है। किसी सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की मूल लागत की 5% राशि को अवशिष्ट मूल्य माना जाता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान कम्पनी की एक तकनीकी समिति द्वारा गहन तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात हेलीकॉप्टर बेड़े के अनुमानित उपयोज्य काल का पुनः मूल्यांकन किया गया था। इस प्रकार इन परिसम्पतियों का उपयोज्य काल कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग में निर्धारित उपयोज्य कालों से भिन्न है। भिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर बेड़े लिए निर्धारित किए उपयोज्य काल का विवरण नीचे दिया गया है:–

हेलीकॉप्टर का प्रकार	अनुमानित उपयोज्य काल वर्षों में	अनुमानित उपयोज्य काल उड़ान घंटों में
डॉफिन एसए 365 एन	35 वर्ष	1,00,000 उड़ान घंटे
डॉफिन एसए 365 एन3	35 वर्ष	1,00,000 उड़ान घंटे
इक्यूरेयूइल एएस350 बी3	35 वर्ष	1,00,000 उड़ान घंटे
बेल 206 एल4	35 वर्ष	35,000 उड़ान घंटे
बेल 407	35 वर्ष	35,000 उड़ान घंटे
एमआई–172	30 वर्ष	18,000 उड़ान घंटे

कम्पनी द्वारा सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का घटक लेखांकन इंड एएस–16 के अनुसरण में उनकी स्वीकृति एवं किसी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी महत्वपूर्ण घटक, जिसकी लागत की सम्बद्धता मद की कुल लागत पर विशिष्ट हो तथा जिसका उपयोज्य काल भिन्न हो, का अलग से मूल्यह्रास करते हुए किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे घटक को विचार में लिया गया है जिनकी लागत हेलीकॉप्टर के महत्वपूर्ण घटक की कुल लागत का 8% अथवा अधिक है, तथापि, सन्निहित अनुरक्षण के रूप में प्रस्तुत हेलीकॉप्टर के प्रमुख ओवरहॉल की लागत की स्वीकृति अलग से की गई है तथा अन्य परिसम्पतियों के मामले में किसी महत्वपूर्ण घटक की स्वीकार्यता घटक लेखांकन के उद्देश्य से नहीं की गई है।

किसी परिसम्पति के प्रमुख पूर्जे को बदलने अथवा पुनः निर्मित किए जाने की स्थिति में पुराने पूर्जे की वहन राशि की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है तथा नए पूर्जे को परिसम्पति में जोड़ लिया जाता है। जब किसी स्वीकृति समाप्त किए गए/बदले गए घटक का वहन मूल्य ज्ञात नहीं होता है तो चालू लागत के अनुसार उचित अनुमान निर्धारित किए जाते हैं।

अनुवर्ती लागतें

अनुवर्ती लागतों का पूंजीयन तभी किया जाता है जब विशिष्ट परिसम्पति से संबद्ध इसके भावी आर्थिक लाभों में वृद्धि हो। अन्य मूर्त परिसम्पतियों की सभी अन्य मरम्मत एवं अनुरक्षण व्ययों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में इनके उत्पन्न होने के समय की जाती है।

हेलीकॉप्टर के संदर्भ में भिन्न उपयोज्य काल वाले स्वीकृत महत्वपूर्ण घटकों का विवरण नीचे दिया गया है:–

बेड़ा प्रकार	पहचाने गए घटक	घटक का उपयोज्य काल
डॉफिन एन	इंजन	3000 घंटे/5 वर्ष**
	एम.जी.बी.	3000 घंटे/5 वर्ष**
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	5400 घंटे/9 वर्ष**
डॉफिन एन3	इंजन	3500 घंटे/6 वर्ष**
	एम.जी.बी.	3000 घंटे/5 वर्ष **
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	5400 घंटे/9 वर्ष**
इक्यूरेयूइल एएस350 बी3	इंजन	3500 घंटे/6 वर्ष**
	एम.जी.बी.	3000 घंटे/5 वर्ष**
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	प्रमुख जांच–12 वर्ष**
बेल 407	इंजन	2000 घंटे/3 वर्ष**
	ट्रांसमिशन एसेंबली	5000 घंटे/8 वर्ष**
	हब एसेंबली	2500 घंट/4 वर्ष**
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	कोई प्रमुख ओवरहॉल नहीं
एमआई–172	इंजन	1500 घंटे/5 वर्ष**
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	4500 घंटे/15 वर्ष**

**एन, एन3, बी3 एवं बेल 407 के संदर्भ में वर्ष का निर्धारण 600 घंटों की उड़ान तथा एमआई–172 के लिए 300 घंटों की उड़ान के आधार पर किया गया है।

मूल्यह्रास

एयरफ्रेम तथा एयरो–इंजन उपकरण–रोटेबल का मूल्यह्रास एवं मध्य उपयोज्यता काल उन्नयन

कार्यक्रम (टाइप प्रमाणन लागतों के साथ)/ हेलीकॉप्टरों के प्रमुख पुनःसंयोजन का लागत आकलन सीधी रेखा आधार पर इस स्वरूप में किया गया है कि उनकी 95% राशियों का हानि मूल्य प्रमुख परिसम्पति (हेलीकॉप्टरों के प्रकार) का शेष उपयोज्यता काल वह हो जिनसे वे सम्बद्ध हैं। इस उद्देश्य से हेलीकॉप्टरों के अंतिम बैच (डाफिन एन के मामले में चूंकि इसका बेड़ा आकार में सशक्त है) अथवा नवीनतम हेलीकॉप्टर (अन्य किसी बेड़े के मामले में) को विचार में लिया गया है।

पट्टे की भूमि की लागत का परिशोधन पट्टे की अवधि के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ संयुक्त विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित आवासीय फ्लैटों की लागत का परिशोधन उनके करार से संबंधित शर्तों के अनुसार सम्पति के धारण अधिकार की अवधि पर किया गया है।

हेलीकॉप्टरों/अतिरिक्त एयरो इंजनों के संवर्धन अथवा विलोपन से संबंधित मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर अधिग्रहण की तिथि (हेलीकॉप्टरों के लिए भारत के क्षेत्र में उड़नयोग्यता अधिकारी द्वारा उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि)/निपटान से/तक दिनों की संख्या के अनुसार किया जाता है। अन्य प्रत्येक सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण से संबंधित मूल्यह्रास दिनों की संख्या के अनुसार आनुपातिक आधार पर किया जाता है। परिसम्पति का क्रय किए जाने वाले माह के अगले माह के पहले दिन को ऐसी अन्य परिसम्पतियों के संवर्धन की प्रभावी तिथि माना जाता है। इसी प्रकार विलोपन के मामले में पूर्व माह के अंतिम दिन को ऐसी परिसम्पति से संबंधित मूल्यह्रास के लिए विचार में लिया जाता है। सक्रिय उपयोग के पश्चात सामग्रीगत मूल्य वाली हटाई गई तथा निपटान के लिए धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति उनके न्यूनतम निवल बही मूल्य अथवा निवल प्राप्य मूल्य (जहां भी उपलब्ध हो) के अनुसार की जाती है तथा लेखे में अलग से उनका प्रकटीकरण किया जाता है। ऐसी परिसम्पतियों (वित्तीय वर्ष 1995–96 से वैस्टलैंड हेलीकॉप्टरों तथा संबंधित मदों सहित) के लिए मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता है। परिसम्पतियों को हटाए जाने अथवा निपटान किए जाने से उत्पन्न लाभ अथवा हानियां लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित की जाती हैं।

मोबाइल हैंडसेट का अनुमानित उपयोज्यता काल तीन वर्ष माना गया है।

मूल्यह्रास विधियों, उपयोज्यता काल तथा शेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किए जाने के साथ साथ आवधिक रूप में भी की जाती है।

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

रिपोर्टिंग तिथि को उस सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का प्रकटीकरण पूंजी कार्य प्रगति पर होने के रूप में किया जाता है जो प्रयोग के लिए तैयार नहीं हैं।

(vii) अमूर्त परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं मापन

अधिगृहित अमूर्त परिसम्पतियों का मापन अलग से उनकी प्रारंभिक स्वीकृत लागत तथा उसकी अनुवर्ती वहन लागत में से संचित परिशोधन एवं संचित क्षति हानि घटाकर, यदि कोई हो, किया जाता है।

किसी अमूर्त परिसम्पति की स्वीकृति की समाप्ति उसके निपटान अथवा उसके उपयोग अथवा निपटान से किसी प्रकार के भावी आर्थिक लाभ संभावित न होने की स्थिति में की जाती है। स्वीकृति समाप्ति से उत्पन्न लाभ अथवा हानियों का निर्धारण उनसे हुए मुनाफे की तुलना वहन राशि से करके उन्हें लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

अनुवर्ती लागतें

किसी विशिष्ट परिसम्पति की सन्निहित लागत में सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ बढ़ने पर अनुवर्ती लागतों का पूंजीयन किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसम्पतियों के अन्य सभी व्ययों की स्वीकृति किए गए व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

परिशोधन

कम्पनी द्वारा अमूर्त परिसम्पतियों का परिशोधन अमूर्त परिसम्पतियों के उपयोज्य काल पर सीधी

रेखा विधि के उपयोग से परिमत उपयोज्य काल के साथ किया जाता है। अमूर्त परिसम्पतियों के परिशोधन व्यय की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोज्य जीवन की वार्षिक समीक्षा की जाती है तथा उनका समायोजन पूर्व प्रभाव से किया जाता है।

क्रय किए गए/आंतरिक रूप से विकसित किए गए 5 लाख रुपए प्रत्येक से अधिक मूल्य के साफ्टवेयर की लागत का परिशोधन सीधी रेखा आधार पर साफ्टवेयर की सफल कमीशनिंग की तिथि से, प्रत्येक वर्ष के अंत में उनकी समीक्षा किए जाने की शर्त के साथ, 60 माह की अवधि में किया जाता है तथा राजस्व के लिए उसे क्रय के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

गैर–चालू परिसम्पतियों तथा निपटान समूहों का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित मदों के लिए तब किया जाता है जब उनकी वहन राशि की वसूली मूलतः उनके निरंतर उपयोग के स्थान पर बिक्री संव्यवहार से की जानी हो। इस स्थिति को पूर्ण तब माना जाता है जब परिसम्पति (अथवा निपटान समूह) अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए केवल व्यावहारिक एवं सामान्य शर्त के साथ उपलब्ध हो तथा ऐसी परिसम्पति (अथवा निपटान समूह) की बिक्री की संभावना उच्चतर हो। प्रबंधन ऐसी बिक्री के प्रति प्रतिबद्ध होता है जिसकी पूर्ण बिक्री उसके वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर स्वीकृति के लिए संभावित समझी गई हो।

बिक्री के लिए धारित के तौर पर वर्गीकृत की गई गैर–चालू परिसम्पतियों (तथा निपटान समूहों) का मापन उनकी वहन राशि से कम तथा उचित मूल्य में से बिक्री की लागत कम करते हुए किया जाता है।

(viii) पट्टे

जहां कहीं पट्टा अंतरण के अनुबंधों में स्वामित्व के सभी जोखिम एवं लाभ मूलतः पट्टाधारी को प्राप्त हैं वहां पट्टों का वर्गीकरण वित्त के रूप में किया गया है। ऐसे पट्टे का वर्गीकरण प्रचालन पट्टे के रूप में किया गया है जिसके महत्वपूर्ण भाग में स्वामित्व के जोखिम तथा लाभ पट्टेदाता द्वारा धारित किए जाते हैं।

1) प्रचालन पट्टा :

प्रचालन पट्टा भुगतानों की स्वीकृति, ऐसी स्थिति के अलावा जिसके अतर्गत किसी भाग के संबंध में अन्य प्रक्रिया आधार उस समय पैटर्न के लिए अधिक अनुकूल हो, जिसमें पट्टा परिसम्पतियों से आर्थिक लाभों का उपयोग किया गया है, लाभ एवं हानि विवरण में पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है। पट्टेदार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन लाभ के औसत (उन स्फीतीकारी वृद्धियों के अलावा जिनके किरायों की संरचना मात्र पट्टेदार के सफीतीकारी लागत संवर्धन की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से सामान्य स्फीति की संभावना से बढ़ाकर किए जाते हैं, ऐसी वृद्धियों की स्वीकृति उस वर्ष की जाती है जिस वर्ष लाभ उत्पन्न होते हैं) की स्वीकृति सीधी रेखा आधार पर पट्टे की अवधि में से किराया व्यय घटाकर की जाती है।

2) वित्तीय पट्टे:

वित्तीय पट्टे के अंतर्गत धारण की गई कम्पनी की परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टे के प्रारम्भ में उसके उचित मूल्य अथवा, यदि कम है तो न्यून मूल्य, के अनुसार न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर की जाती है। पट्टेदाता के उत्तरदेयी दायित्व तुलन पत्र में वित्तीय पट्टा दायित्व के रूप में शामिल किए जाते हैं।

वित्तीय पट्टे के अंतर्गत धारित परिसम्पतियों का मूल्यह्रास उनके संभावित उपयोज्यता काल पर स्वामित्व परिसम्पतियों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले आधार के अनुसार अथवा पट्टे की संबंधित अवधि, यदि कम है, के अनुसार किया जाता है। पट्टे के बकाया शेष के संबंध में नियत ब्याज दर की स्थापना के लिए वित्तीय व्ययों एवं पट्टा दायित्व में की गई कटौती के माध्यम से पट्टा भुगतान विभाजित कर दिए जाते हैं।

वित्तीय व्ययों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में शीघ्रातिशीघ्र कर दी जाती है परन्तु उनके उन योग्य परिसम्पतियों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध होने की स्थिति में उनका पूंजीयन ऋण लागतों से संबंधित कम्पनी की सामान्य नीति के अनुसरण में किया जाता है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति उन

अवधियों के व्यय के रूप में की जाती है जिस अवधि से वे सम्बद्ध होते हैं।

(ix) मालसूचियां

मालसूचियों (नीचे अलग से उल्लिखित मदों के अलावा) का मूल्य निर्धारण, उनके अप्रयोग एवं अन्य हानियों के प्रावधान करते हुए, जहां आवश्यक समझे जाएं, उनकी न्यूनतम लागत (गतिमान भ. ारित औसत आधार पर) तथा निवल प्राप्य मूल्य के अनुसार किया जाता है। लागतों में माल को उसके वर्तमान स्थल तथा स्थिति पर लाने के लिए व्यय किए गए सभी प्रभार शामिल होते हैं। वर्ष के अंत में शॉप फ्लोर में रखे गए कलपूर्जो तथा भंडार की मदों को भी मालसूची के अंतशेष के भाग के रूप में विचार में लिया जाता है।

लूज औजारों/परीक्षण औजारों का परिशोधन समान रूप से 3 वित्तीय वर्षों की अवधि में किया जाता है जिसमें इनके क्रय का वर्ष शामिल होता है तथा इनका उल्लेख उसी के अनुसार किया जाता है। इन शीर्षों के अतंर्गत रद्द की गई मदों का बट्टा एफआईएफओ आधार पर किया जाता है।

भंडार एवं अतिरिक्त पूर्जों की वे मदें, जिनका प्रा. प्ति मूल्य 1000/– रुपए से कम है, अथवा तेल, ग्रीस एवं स्नेहकों की सभी उपभोज्य मदों के व्यय उनके क्रय वर्ष में दर्शाए जाते हैं।

लेखे में भंडार, अतिरिक्त पूर्जों तथा उपभोज्य मदों (स्थल सहायता एवं परीक्षण उपकरणों तथा अनु. रक्षण औजारों के अलावा) की गैर गतिमान मदों, जो पिछले संव्यवहार की तिथि से तीन निरंतर वर्षों में वास्तविक उपयोग के लिए जारी नहीं की गई हैं, के संबंध में गतिमान भारित औसत आधार पर प्रावधान किए गए हैं।

(x) क्षति

क) <u>वित्तीय परिसम्पतियां</u>

इंड ए एस 109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा क्षति हानियों के मापन एवं स्वीकृति के उद्देश्य से निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट जोखिम विवरण के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग किया गया है:–

i. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, जमा इत्यादि पर किया गया है।

ii. व्यवसाय प्राप्य – कम्पनी द्वारा व्यवसाय प्राप्यों का मापन, यदि संव्यवहार में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है, उनके संव्यवहार मूल्य पर तथा किया जाता है तथा क्षति हानि भत्ते की स्वीकृति के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा व्यवसाय प्राप्य के लिए इंड ए एस –109 वित्तीय उपकरण में दी गई सरलीकृत विधि का उपयोग किया जाता है। सरलीकृत विधि के उपयोग से कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में होने वाले ट्रैक परिवर्तनों का अनुगमन नहीं करना होता है। इसकी अपेक्षा इसमें क्षति हानि भत्ते की स्वीकृति उनके उपयोज्यता काल की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को संभावित क्रेडिट पर की गई प्रारंभिक स्वीकृति पर आधारित है।

कम्पनी द्वारा संभावित क्रेडिट हानियों का मापन केवल उन मामलों में किया गया है जिनके लिए रिपोर्टिंग तिथि के लिए औचित्यपरक एवं समर्थनकारी सूचना किसी अदेय लागत अथवा पूर्व कार्यों, चालू स्थितियों एवं भावी आर्थिक स्थिति के पूर्वानुमान के प्रयासों के बिना उपलब्ध होती है।

किसी औचित्यपरक सूचना की अनुपलब्धि की स्थिति में कम्पनी द्वारा सामान्यतः केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश से सात वर्षों से अधिक अवधि के प्राप्य बकाया को संदेहास्पद मान लिया जाता है तथा उसे प्रभारित किया जाता है। केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों के अलावा अन्य पार्टियों से तीन वर्ष से अधिक अवधि के प्राप्य बकाया को संदेहास्पद मान लिया जाता है तथा इस अवधि से पूर्व उनके संदे. हास्पद न होने का विशिष्ट संज्ञान होने की स्थिति के अलावा स्थिति में उसे प्रभारित किया जाता है।

iii. व्यवसाय देय – बाह्य पार्टियों के दावा न किए गए क्रेडिट शेष तथा तीन वर्षों से अधिक बकाया को लेखे में लेकर आय मान लिया जाता है।

ख) गैर–वित्तीय परिसम्पतियां

सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण एवं नियत उपयोज्य काल वाली अमूर्त परिसम्पतियों के संबंध में उनकी वहन राशि की वसूली न हो पाने का कोई लक्षण होने की स्थिति में उनका मूल्य निर्धारण उनकी वसूली योग्यता के अनुसार किया जाता है। लाभ एवं हानि विवरण में उस राशि के लिए क्षति हानि की स्वीकृति की जाती है जिस राशि से परिसम्प. ति का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होता है। किसी परिसम्पति से यदि ऐसे रोकड़ प्रवाह उत्पन्न नही होते हैं, मुख्यतः जो अन्य परिसम्पतियों से अलग हो, तो उसकी वसूली योग्य राशि (उचित मूल्य का उच्चतर घटा बिक्री लागत एवं उपयोग मूल्य) का निर्धारण किसी एकल परिसम्पति के आधार पर किया जाता है। ऐसे मामलों में वसूली योग्य राशि का निर्धा. रण उसकी उस रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के लिए होता है जिससे ऐसी परिसम्पति सम्बद्ध होती है।

(xi) कर्मचारी हितलाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस बारह माह की अवधि, जिस अवधि में कर्मचारियों द्वारा संबद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं, के दौरान देय वेतन, मजदूरी, बोनस इत्यादि के सभी कर्मचारी हितलाभों की देयताओं की स्वीकृति रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक की गई है तथा उनका मापन गैर छूट प्राप्त राशि पर देयताओं के निपटान के भुगतान की संभाव्यता के साथ किया गया है।

ख) सेवानिवृत्ति उपरांत हितलाभ योजनाएं

कर्मचारी हितलाभों में भविष्य निधि अंशदान, पेंशन, सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा हितलाभ, प्रतिपूरक अनुपस्थिति तथा सेवानिवृत्ति के समय सामान भत्ता इत्यादि शामिल है।

परिभाषित अंशदायी योजनाएं

पात्र कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी सेवानिवृत्ति हितलाभ योजना के भुगतान देय होने पर व्यय में प्रभारित किए जाते हैं। योजना के अंतर्गत कम्पनी से निधि के हितलाभों में मूल वेतन के निर्धारित प्रतिशत का योगदान किए जाने की अपेक्षा की गई है। विधि के अनुसार निर्दिष्ट ऐसा अंशदान कम्पनी द्वारा स्थापित भविष्य निधि ट्रस्ट को चुकता किया जाता है। कम्पनी मासिक अंशदान एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों के आधार पर निधि परिसम्पतियों में किसी प्रकार की न्यूनता के प्रति उत्तरदायी है। ऐसे अंशदान तथा न्यूनताएं, यदि कोई हों, का प्रभारण भुगतान के वर्ष में किया जाता है।

भविष्य निधि

कम्पनी द्वारा भविष्य निधि में अंशदान के तात्पर्य से योग्य कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभ योजना के अंतर्गत परिभाषित अंशदान दिया जाता है। योजना के अंतर्गत कम्पनी से हितलाभों में निधियन के लिए मूल वेतन के विशिष्ट प्रतिशत का अंशदान किया जाना अपेक्षित किया गया है। यह अंशदान विधि द्वारा निर्दिष्ट है तथा इसका भुगतान कम्पनी द्वारा स्थापित भविष्य निधि ट्रस्ट को चुकता किया जाता है। कम्पनी से मासिक अंशदान किया जाना अपेक्षित किया गया है तथा निधि परिसम्पति में किसी प्रकार की न्यूनता भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम दरों पर आधारित होती है। ऐसे अंशदान एवं न्यूनताओं, यदि कोई हों, को भुगतान के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

पेंशन निधि

कम्पनी की पेंशन योजना परिभाषित अंशदान योजना है जिसमें कम्पनी की देयताएं प्रत्येक माह में किए गए अंशदान पर उस वेतन के 11% के समतुल्य हैं जिस पर भविष्य निधि अंशदान किया गया है। कम्पनी द्वारा नागर विमानन मंत्रालय से अनुमोदन के पश्चात भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ पेंशन योजना को अंतिम रूप दिया गया है।

परिभाषित हितलाभ योजनाएं

कम्पनी द्वारा नीचे प्रस्तुत प्रमुख परिभाषित हितलाभ योजनाएं प्रदान की गई हैं:–

उपदान

कम्पनी में परिभाषित हितलाभ उपदान योजना

लागू की गई है। पांच वर्ष अथवा अधिक काल की अनवरत सेवाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति, त्याग–पत्र, सेवा मुक्ति, अक्षमता अथवा के समय अथवा मृत्यु होने पर 20.00 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक उपदान का पात्र होता है। उपदान योजना के लिए निधियन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा इसका प्रबंधन अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ योजना (पीआरएमबीएस)

कम्पनी में सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ योजना लागू है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उसकी पत्नी/उसके पति को कम्पनी द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा की शर्त के साथ पैनलबद्ध अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

सेवानिवृत्ति के समय सामान भत्ता

सामान भत्ते के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी ऐसे स्थान के लिए, जहां कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात अपना निवास स्थापित करना चाहता है, कर्मचारी/परिवार के सदस्यों की यात्रा तथा सामान की शिफ्टिंग के लिए पुनर्भुगतान करने की व्यवस्था की गई है।

कम्पनी की परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में देयताओं अथवा परिसम्पतियों की स्वीकृति तुलन पत्र में परिभाषित हितलाभ दायित्व के विद्यमान मूल्य पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसम्पतियों में से उचित मूल्य घटाकर की जाती है। परिभाषित हितलाभ दायित्व का आकलन वार्षिक तौर पर बीमांकन द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से किया जाता है।

उक्त दायित्व के विद्यमान मूल्य का निर्धारण सरकारी बांडों, जो संबद्ध दायित्व के काल की लगभग समान अवधि के अवधि के होते हैं, के बाजार प्रतिफल के उपयोग से अनुमानित भावी रोकड़ बर्हिप्रवाह में न्यूनता करके किया जाता है।

ब्याज आय/(व्यय) का आकलन सकल परिभाषित देयता अथवा परिसम्पति पर छूट दर के उपयोग से किया जाता है। निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व अथवा परिसम्पति पर निवल ब्याज आय/(व्यय) की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

अनुभव समायोजनों से उत्पन्न पुनःमापन लाभों तथा हानियों एवं बीमांकित अनुमानों की स्वीकृति उनके उत्पन्न होने के वर्ष में सीधे अन्य विस्तृत आय में की जाती है। इन्हें इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं तुलन पत्र में धारित आय में शामिल किया जाता है।

योजना संशोधनों अथवा संक्षेपन से उत्पन्न परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के परिवर्तन पूर्व सेवा लागत पर लाभ एवं हानि विवरण में तत्काल स्वीकृत किए जाते हैं।

छुट्टी (अर्जित छुट्टी/अर्ध वेतन छुट्टी)

कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी हितलाभ (प्रतिपूरक अनुपस्थिति सहित) तथा अर्ध वेतन छुट्टी लाभ प्रदान किए जाते हैं जिनकी उत्पति वर्ष क्रमशः 30 दिन एवं 20 दिन की होती है। सेवा के दौरान 75% अर्जित छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है। अर्ध–वेतन छुट्टी का नकदीकरण केवल 50 वर्ष की आयु के पश्चात अधिकतम 480 दिनों के लिए किया जा सकता है तथा अर्ध वेतन छुट्टी के विनिमय की अनुमति नहीं है। लोक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जित छुट्टी तथा अर्ध–वेतन छुट्टी का एक साथ नकदीकरण अधिकतम 300 दिनों के लिए किया जा सकता है। इसके दायित्व की स्वीकृति बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(xii) प्रावधान

प्रावधानों की स्वीकृति तब की जाती है जब कम्पनी के समक्ष किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप (विधिक अथवा तर्कसाध्य) विद्यमान दायित्व हो तथा जिसमें आर्थिक लाभों के बर्हिप्रवाह की अपेक्षा ऐसे दायित्व के निपटान के लिए किए जाने की संभावना की गई हो तथा जिसकी राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हों। 5000/– रुपए से कम मूल्य के संव्यवहार के संबंध में व्यय/दायित्वों के प्रावधान लेखे में नहीं किए जाते हैं।

तुलन पत्र की तिथि को प्रत्येक ज्ञात दायित्वों के लिए लेखे में प्रावधान किए गए हैं। ऐसे दायित्वों को लेखे में नहीं लिया गया है जिन दायित्वों की जानकारी नहीं है अथवा जिन दायित्वों की राशि का निर्धारण औचित्यपरक सटीकता के साथ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, माल तथा मरम्मत/ओवरहॉल प्रभारों के दायित्व आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक किए गए ऐसे माल के प्रेषण के संबंध में किए गए हैं जिनकी डिलीवरी कम्पनी को वर्ष के अंत तक प्राप्त नहीं हुई है तथा इन्हें निर्माता से प्राप्त सूचना/इंजीनियरिंग अनुमानों के आधार पर लेखे में प्रभारित किए गए हैं।

किसी प्रावधान से संबंधित किसी पुनर्भुगतान के व्यय लाभ एवं हानि विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं। धन का समय मूल्य सामग्रीगत होने की स्थिति में दायित्व से संबद्ध जोखिम के समरूप चालू कर पूर्व दर के उपयोग, जहां उचित हो, से प्रावधानों में न्यूनता की जाती है। न्यूनता का उपयोग किए जाने की स्थिति में समय के साथ साथ प्रावधान में होने वाली बढ़त की स्वीकृति वित्त लागतों के रूप में की जाती है।

(xiii) आकस्मिक देयताएं/आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक देयताएं संभावित दायित्व होते हैं जो पूर्व घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं तथा जिनके आस्तित्व की पुष्टि भविष्य में उनके एक अथवा अधिक अवसरों पर घटित होने अथवा न होने से होती है जो कि कम्पनी के नियंत्रण से परे होते है अथवा जिनकी स्वीकृति दायित्वों के निपटान के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित न होने की संभावना से नहीं की गई थी। कम्पनी द्वारा किसी आकस्मिक देयता की स्वीकृति नहीं की गई है परन्तु वित्तीय विवरणों में उनके विद्यमान होने का प्रकटीकरण किया गया है। ऐसे संभावित दायित्व अथवा किसी ऐसे विद्यमान दायित्व, जिससे संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना अत्यधिक कम है, के संबंध में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

आकस्मिक परिसम्पतियां संभावित परिसम्पतियां होती हैं जो पूर्व घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं तथा जिनके आस्तित्व की पुष्टि भविष्य में उनके एक अथवा अधिक अवसरों पर घटित होने अथवा न होने से होती है जो कि कम्पनी के नियंत्रण से परे होते है।

(xiv) राजस्व स्वीकृति

राजस्व का मापन प्रतिफल की प्राप्ति अथवा प्राप्यता की स्थिति में उचित मूल्य पर किया जाता है। राजस्व की स्वीकृति किए जाने से पूर्व नीचे उल्लिखित विशिष्ट स्वीकृति मानदंडों के अंतर्गत निर्णय लिए हैं।

क) हेलीकॉप्टरों के प्रचालन से राजस्व की स्वीकृति उपचय आधार पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार की जाती है।

ख) इंजीनियरिंग तथा अन्य सेवाओं से सम्बद्ध राजस्व की स्वीकृति संव्यवहार की पूर्णता के स्तर के संदर्भ में रिपोर्टिंग तिथि के अंत में तब की जाती है जब सेवाओं की प्रस्तुति के संबंध में प्रतिफल के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हों।

ग) अपशिष्ट परिसम्पतियों/भंडार की बिक्री से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति वास्तविक प्राप्तियों के अनुसार की जानी है।

घ) वित्तीय परिसम्पतियों से ब्याज आय की स्वीकृति तब की जानी है जब ऐसी संभावना हो कि इससे कम्पनी के लिए आर्थिक लाभ प्रवाहित होगें तथा आय की राशि का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकेगा। मूल बकाया के संदर्भ में समय आनुपातिक आधार पर लागू ब्याज दर पर उत्पन्न ब्याज की दर वह होती है जो उस परिसम्पति की प्रारंभिक स्वीकृति के समय की निवल वहन राशि के अनुसार वित्तीय परिसम्पतियों के संभावित उपयोज्यता काल के माध्यम से अनुमानित भावी रोकड़ प्राप्तियों में सटीक न्यूनता करती है।

(xv) शेयरधारकों को लाभांश

इक्विटी शेयरधारक के लाभांश की स्वीकृति दायित्व के रूप में की जाती है तथा शेयरधारक की इक्विटी में से इसकी कटौती उस अवधि में की जाती है जिस अवधि के दौरान आम बैठक में शेयरधारक द्वारा लाभांश अनुमोदित किया गया था। अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, कम्पनी के

निदेशक मंडल द्वारा की गई घोषणा की तिथि के लिए दायित्व के तौर पर रिकार्ड में लिया जाता है।

(xvi) पूर्व चुकता व्यय

5,000/– रुपए की राशि से कम के एकल पूर्व चुकता व्यय का लेखांकन नहीं किया जाता है।

(xvii) ऋण लागतें

किसी ऐसी योग्य परिसम्पति, जिसके आशित उपयोग के लिए निर्माण अथवा अधिग्रहण में काफी समय लगना अपेक्षित हो, से सीधे सम्बद्ध ऋण लागतों का पूंजीयन परिसम्पतियों के भाग के रूप में उस समय तक किया जाता है जब तक ऐसी परिसम्पतियां आशित उद्देश्य के लिए तैयार होती है। अन्य ऋण लागतों की स्वीकृति व्यय के रूप में उनके व्यय के वर्ष में की जाती है।

(xviii) कमीशन

बिक्री पर चुकता/देय कमीशन की स्वीकृति टिकटों की बिक्री के लिए तथा एजेंटों (ग्राहकों) के साथ किए गए अनुबंध के उपबंधों के अनुसार की जाती है। कम्पनी इसमें चूंकि प्रधान के कार्य करती है अतः लाभ एवं हानि विवरण में इस व्यय की स्वीकृति कमीशन के रूप में की जाती है।

(xix) व्यय

व्ययों का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है तथा प्रत्येक ज्ञात हानियों एवं देयताओं के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

(xx) हेलीकॉप्टर अनुरक्षण एवं मरम्मत लागत

कम्पनी द्वारा हेलीकॉप्टर मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत (प्रमुख ओवरहॉल लागत के अलावा) को व्यय के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

(xxi) हेलीकॉप्टर ईंधन व्यय

हेलीकॉप्टर ईंधन व्ययों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में किसी प्रकार की छूट काटकर भराई एवं खपत के अनुसार की जाती है।

(xxii) आय कर

आय कर व्यय में चालू एवं आस्थगित आय कर शामिल है। लाभ एवं हानि विवरण में आय कर व्ययों की स्वीकृति इक्विटी से प्रत्यक्ष स्वीकृत मदों, जिन्हें अन्य विस्तृत आय में स्वीकृत किया जाता है, के अलावा की जाती है।

चालू कर

चालू एवं पूर्वावधियों के चालू आय कर की स्वीकृति कर प्राधिकरणों को देय संभावित राशि अथवा वसूल की जाने वाली राशि के अनुसार उन कर दरों एवं कर विधियों के उपयोग से की जाती है जिनका सम्पादन अथवा अनुवर्ती सम्पादन तुलन पत्र तिथि के लिए किया गया है।

निर्धारण के अनुसार की गई अतिरिक्त आय कर मांग की स्वीकृति अंतिम निर्धारण तय होने के वर्ष में की जाती है। तदनुसार आय कर धनवापसी पर ब्याज का लेखांकन निर्धारण तय होने के वर्ष अथवा वास्तविक प्राप्ति, जो भी बाद में हो, के अनुसार किया जाता है।

कम्पनी द्वारा उन चालू कर परिसम्पतियों तथा चालू कर दायित्वों का समंजन किया जाता है जिनके संबंध में स्वीकृत मात्रा के अनुसार समंजन के लिए विधिक प्रवर्तन अधिकार उपलब्ध हैं तथा जो सकल आधार पर इनका निपटान करने अथवा परिसम्पति से धन प्राप्त करने अथवा साथ साथ दायित्व का निपटान करने की मंशा से हो। संबंधित वर्ष के लिए आय कर प्रावधान वित्तीय वर्ष के लिए लागू संभावित वार्षिक कर दर पर किए जाते हैं।

(xxiii) आस्थगित कर

आस्थगित आय कर परिसम्पतियों एवं दायित्वों की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं दायित्वों के कर आधार एवं वित्तीय विवरणों में उनकी वहन राशि के कर आधार के मध्य उत्पन्न सभी अस्थाई अंतरों के अनुसार की जाती है। आस्थगित कर की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में होती है तथा इसे उस सीमा तक न्यून किया जाता है जहां तक उपयोग की जाने वाली आस्थगित कर परिसम्पति के प्रत्येक अथवा किसी भाग पर पर्याप्त कर योग्य लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं दायित्वों का मापन तुलन पत्र तिथि के सम्पादन अथवा अनुवर्ती सम्पादन के लिए उपयोग में लाई गई कर दरों

तथा कर विधियों के अनुसार किया जाता है तथा जिनके उपयोग की संभावना उन वर्षों की कर योग्य आय के लिए होती है जिन वर्षों में इनके अस्थाई अंतरों की वसूली अथवा निपटान संभावित हैं। आस्थगित कर परिसम्पतियों तथा दायित्वों की कर दरों में परिवर्तन के प्रभाव उनके अधिनियमन अथवा विधिवत प्रस्तावित अधिनियमन की तिथि के साथ वर्ष की आय अथवा व्यय में स्वीकृत किए जाते हैं। आस्थगित कर आय परिसम्पति की स्वीकृति उस सीमा तक की जाती है जिसके प्रति उनसे ऐसे भावी कर योग्य लाभों की प्राप्ति की संभावना हो जिससे कटौती योग्य अस्थाई अंतरों तथा कर हानियों का उपयोग किया जा सकेगा।

स्वीकृत न किए गए आस्थगित कर का पुनःमूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा उनकी स्वीकृति उस सीमा तक की जाती है जिसमें उन कर योग्य लाभों की प्राप्ति की संभावना हो जिन्हें इनके प्रति उपयोग में लाया जा सकेगा।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं दायित्वों का संमजन केवल तभी किया जाता है जब कम्पनी के पास चालू कर दायित्वों के प्रति चालू कर परिसम्पतियों के समंजन के लिए प्रवर्तन योग्य विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा आस्थगित कर परिसम्पतियां एवं आस्थगित कर दायित्व कर दायित्व उन्हीं कराधान प्राधिकरण द्वारा समान कर योग्य इकाई के लिए अधिरोपित आय कर से संबंधित हों।

लाभ एवं हानि से बाहर की मदों से संबंधित स्वीकृत आस्थगित कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि के बाहर (अन्य विस्तृत आय में अथवा इक्विटी में) की जाती है।

आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। चुकता किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत प्रयुक्त क्रेडिट की स्वीकृति परिसम्पति के रूप में केवल तभी की जाती है जब ऐसा स्वीकार्य प्रमाण उपलब्ध हो कि कम्पनी द्वारा उस अवधि के लिए सामान्य आय कर चुकता कर दिया जाएगा जिस अवधि के लिए सामान्य कर दायित्वों का समंजन न्यूनतम वैकल्पिक कर को अग्रेषित करके किया जा सकता है। परिसम्पति के तौर पर स्वीकृत न्यूनतम वैकल्पिक कर की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है तथा उपर्युक्तानुसार स्वीकार्य प्रमाण विद्यमान न होने की स्थिति में इन्हें संबंधित सीमा तक प्रभारित कर लिया जाता है।

(xxiv) प्रति इक्विटी शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय का आकलन कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के शुद्ध लाभ अथवा हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है। प्रति शेयर विरल की गई राशि सामान्य इक्विटी शेयरों के लाभ एवं हानि तथा भारित औसत इक्विटी शेयरों से समायोजित करके आकलित करते हुए सम्बद्ध की जाती है जिससे विरल किए गए शेयरों की संख्या के प्रभाव उत्पन्न हो सकें।

(xxv) सेगमेंट रिपोर्टिंग

प्रचालनात्मक सेगमेंट की रिपोर्टिंग आंतरिक रिपोर्टिंग से संगत पद्धति के अनुसार मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को की जाती है। मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक निदेशक मंडल होता है जिसके द्वारा रणनीतिक निर्णय लिए जाते हैं तथा जो प्रचालनात्मक सेगमेंट के संसाधनों एवं निष्पादन मूल्यांकन के निर्धारण के प्रति उत्तरदायी है।

(xxvi) बीमा/बीमा दावे

1) हेलीकॉप्टरों तथा मालसूची से भिन्न बीमा दावों का लेखांकन रोकड़ आधार पर किया जाता है तथा आय के रूप में इनकी स्वीकृति तब की जाती है जब ये किसी तृतीय पक्षकार को देय हों।

2) पूर्ण हानि के अलावा वसूली योग्य हेलीकॉप्टर एवं मालसूची से संबंधित दावों का लेखांकन अनुमानित/अंतिम मूल्यांकित मूल्य पर बीमा सर्वेक्षक/बीमा कम्पनी द्वारा दावे की स्वीकृति के प्रति यथार्थ निश्चितता स्थापित होने के संबंध में संबंधित वित्तीय वर्ष की लेखा बहियों के समापन से पूर्व जानकारी प्राप्त होने पर अंतिम दावा किए जाने के वर्ष की लेखा बहियों में किया जाता है अथवा इनका लेखांकन दावा स्वीकृति के वर्ष में किया जाता है। मरम्मत

के वास्तविक व्यय तथा कुल बीमा दावे की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है तथा परिसम्पतियों को उनके बही मूल्य पर अग्रेषित किया जाता है।

3) हेलीकॉप्टर की पूर्ण क्षति के मामले में घटना घटित होने के वर्ष में सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में से हेलीकॉप्टर के बही मूल्य को घटाकर समायोजन किए जाते हैं तथा ''बीमा दावा प्राप्य लेखा'' में इसका उल्लेख किया जाता है तथा बीमा कम्पनी द्वारा दावे के मूल्य की स्वीकृति/निपटान किए जाने पर ''परिसम्पति के भंजन पर प्राप्त बीमा दावे'' के लिए लाभ/हानि के उचित समायोजन किए जाते हैं।

(xxvii) हाल ही में की गई लेखांकन घोषणाएं

जारी मानक जो अभी प्रभावी नहीं हुए हैं

(i) इंड एएस 115 'ग्राहकों के साथ करारों से प्राप्त राजस्व'

मार्च, 2018 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियमावली, 2017 के माध्यम से 'ग्राहकों के साथ करारों से प्राप्त राजस्व' के संबंध में इंड एएस 115 जारी किए गए हैं। ये मानक कम्पनियों के संबंध में 1 अप्रैल, 2018 से लागू हैं।

ग्राहकों के साथ करार से प्राप्त राजस्व इंड एएस 115 के अंतर्गत कम्पनियों को ग्राहकों के साथ किए जाने वाले करार से प्राप्त राजस्व के लेखांकन के लिए एकल व्यापक मॉडल के उपयोग की व्यवस्था की गई है। इंड एएस 115 के प्रभावी होने के पश्चात इसका उपयोग वर्तमान में उपयोग में लाए जा रहे चालू राजस्व स्वीकृति मानक इंड एएस18 राजस्व, इंड एएस 11 निर्माण करार के स्थान पर किया जाएगा। इस नए मानक का प्रमुख सिद्धांत यह है कि किसी कम्पनी द्वारा अपने राजस्व की स्वीकृति से उस राशि के प्रतिबद्ध माल अथवा सेवाओं का अंतरण प्रदर्शित होना चाहिए जिसकी हकदारी की प्रत्याशा ऐसे माल अथवा सेवाओं के विनिमय के लिए कम्पनी द्वारा की गई है। विशेष रूप से इस मानक के अंतर्गत राजस्व स्वीकृति के लिए 5 चरण के उपयोग प्रारम्भ किए गए हैं:–

- चरण 1: ग्राहक के साथ किए गए करार (करारों) का संज्ञान
- चरण 2: करार के निष्पादन दायित्वों का संज्ञान
- चरण 3: संव्यवहार मूल्य का निर्धारण
- चरण 4: करार के निष्पादन दायित्व के साथ संव्यवहार का निर्धारण
- चरण 5: निष्पादन दायित्व के प्रति इकाई की संतुष्टि होने (अथवा के रूप में) पर राजस्व स्वीकृति

इंड एएस 115 के अंतर्गत इकाई द्वारा राजस्व की स्वीकृति निष्पादन दायित्व के प्रति संतुष्टि होने (अथवा के रूप में) पर की जाती है अर्थात जब माल एवं सेवाओं से सम्बद्ध विशिष्ट निष्पादन दा. यित्व का अंतरण ग्राहक को कर दिया जाता है। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे तथा वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ii) इंड एएस 21 का परिशिष्ट ख, विदेशी मुद्रा संव्यवहार एवं अग्रिम विवेचन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2018 को कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2018 जारी की गई है जिसमें इंड एएस 21 के परिशिष्ट ख, विदेशी संव्यवहार एवं अग्रिम विवेचन शामिल किया गया है तथा जिसमें किसी सम्बद्ध परिसम्पति, व्यय अथवा आय के संव्यवहार की तिथि को, जो किसी कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा में प्राप्त अथवा अग्रिम प्रतिफल के लिए चुकता की गई है, विनिमय दर के रूप में निर्धारित करने के संबंध में स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे। कम्पनी द्वारा संशोधन की अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने के साथ साथ वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है।

नोट 3: संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

3.1 सक्रिय उपयोग में आस्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	पट्टाधृत भूमि	हेलीकॉप्टर/एयरो इंजन एवं अन्य संबंधित घटक	भवन	संयंत्र एवं उपस्कर	फर्नीचर एवं जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपस्कर	कंप्यूटर एवं अन्य संबंधित उपस्कर	चालू पूंजीगत कार्य	कुल
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार सकल वहन मूल्य	**42.57**	**83,028.10**	**2,441.55**	**2,520.54**	**305.07**	**75.20**	**116.11**	**190.97**	**5,393.64**	**94,113.75**
आवर्धन	-	6,951.06	5,199.01	834.53	116.44	7.07	31.35	20.31	1,391.23	14,551.00
निपटान/समायोजन	-	(188.55)	(26.89)	(2.34)	-	-	(0.01)	(0.30)	(6,107.57)	(6,325.66)
31 मार्च, 2017 के अनुसार सकल वहन मूल्य	**42.57**	**89,790.61**	**7,613.67**	**3,352.73**	**421.51**	**82.27**	**147.45**	**210.98**	**677.30**	**102,339.09**
आवर्धन	-	6,060.91	48.15	45.93	6.84	0.38	21.37	9.89	1,634.16	7,827.63
निपटान/समायोजन	-	(4,478.70)	5.73	(39.63)	(0.75)	(0.24)	(0.28)	(15.34)	(152.89)	(4,682.10)
31 मार्च, 2018 के अनुसार सकल वहन मूल्य	**42.57**	**91,372.82**	**7,667.55**	**3,359.03**	**427.60**	**82.41**	**168.54**	**205.53**	**2,158.57**	**105,484.62**
मूल्यह्रास एवं परिशोधन										
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार संचित मूल्यह्रास	**0.66**	**6,467.23**	**122.90**	**269.97**	**57.46**	**24.74**	**32.27**	**73.28**	**-**	**7,048.51**
वर्ष में प्रभारित मूल्यह्रास	0.66	7,510.11	155.26	264.92	52.06	16.25	24.14	55.44	-	8,078.83
ह्रासित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
धारित आय से समायोजित राशि	-	-	-	-	-	-	-	7.55	-	7.55
निपटान	-	(11.85)	(12.82)	(2.15)	-	-	-	-	-	(26.82)
31 मार्च, 2017 के अनुसार संचित मूल्यह्रास	**1.31**	**13,965.49**	**265.34**	**532.74**	**109.52**	**40.99**	**56.41**	**136.27**	**-**	**15,108.07**
वर्ष में प्रभारित मूल्यह्रास	0.65	7,558.65	470.04	317.22	62.34	11.00	22.60	31.02	-	8,473.52
ह्रासित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
धारित आय से समायोजित राशि	-	(1.62)	5.73	0.02	-	-	-	0.02	-	4.15
निपटान	-	(822.15)	-	(9.85)	(0.36)	-	(0.14)	(13.14)	-	(845.64)
31 मार्च, 2018 के अनुसार संचित मूल्यह्रास	**1.96**	**20,700.37**	**741.11**	**840.13**	**171.50**	**51.99**	**78.87**	**154.17**	**-**	**22,740.10**
निवल बही मूल्य										
31 मार्च, 2018 की स्थिति	40.61	70,672.46	6,926.44	2,518.90	256.10	30.42	89.67	51.36	2,158.57	82,744.53
31 मार्च, 2017 की स्थिति	41.26	75,825.13	7,348.33	2,819.99	311.99	41.28	91.04	74.71	677.30	87,231.03

	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण	80,585.96	86,553.73
पूंजी कार्य प्रगति पर	2,158.57	677.30

3.2 निपटान/वितरण के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत

(₹ लाख में)

विवरण	संयंत्र एवं उपस्कर	हेलीकॉप्टर/ एयरो इंजन एवं अन्य संबंधित घटक	फर्नीचर एवं जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपस्कर	कंप्यूटर एवं अन्य संबंधित उपस्कर	कुल
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार सकल वहन मूल्य	**4-17**			**4-97**		**4-98**	**14-12**
आवर्धन				0-99			0-99
निपटान/समायोजन	(4-17)			(5-12)		(4-98)	(14-27)
31 मार्च, 2017 के अनुसार सकल वहन मूल्य	**-**	**-**	**-**	**0-84**	**-**	**-**	**0-84**
आवर्धन							-
निपटान/समायोजन				(0-84)			(0-84)
31 मार्च, 2018 के अनुसार सकल वहन मूल्य	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
मूल्यह्रास एवं ह्रासित							
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार संचित मूल्यह्रास	**4-17**			**4-97**		**4-98**	**14-12**
वर्ष में प्रभारित मूल्यह्रास							-
ह्रासित	(0-21)			(0-25)		(0-25)	(0-71)
धारित आय से समायोजित राशि							-
ह्रासित	(3-96)			(4-72)		(4-73)	(13-41)
31 मार्च, 2017 के अनुसार संचित मूल्यह्रास	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
वर्ष में प्रभारित मूल्यह्रास							-
ह्रासित							-
धारित आय से समायोजित राशि							-
निपटान							-
31 मार्च, 2018 के अनुसार संचित मूल्यह्रास	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
निवल बही मूल्य							
31 मार्च, 2018 की स्थिति	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2017 की स्थिति	-	-	-	0.84	-	-	0.84

नोटः 0.84 लाख रुपए की राशि 0.15 लाख रुपए के निवल ह्रासित डब्ल्यूडीवी मूल्य पर कम्पनी द्वारा निपटान के लिए धारित कार से संबंधित है। ये वाहन अप्रयुक्त स्थिति में थे और उन्हें अप्रैल, 2017 में बेचा गया।

नोट सं. 4
अमूर्त आस्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	कप्यूटर सॉफ्टवेयर	कुल
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार सकल वहन मूल्य	**210.30**	**210.30**
आवर्धन	(3.00)	(3.00)
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार सकल वहन मूल्य	**207.30**	**207.30**
आर्वधन / (निपटान) / समायोजन	-	-
31 मार्च, 2018 के अनुसार सकल वहन मूल्य	**207.30**	**207.30**
मूल्यह्रास एवं ह्रासित		
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार संचित मूल्यह्रास	**194.29**	**194.29**
परिशोधन	3.67	3.67
क्षति	-	-
31 मार्च, 2017 के अनुसार संचित मूल्यह्रास	**197.96**	**197.96**
परिशोधन	3.67	3.67
ह्रासित	-	-
31 मार्च, 2018 के अनुसार संचित मूल्यह्रास	**201.63**	**201.63**
निवल बही मूल्य		
31 मार्च, 2018 की स्थिति	5.67	5.67
31 मार्च, 2017 की स्थिति	9.34	9.34

नोट सं. 5
निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि	
	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
गैर चालू		
गैर–उदृधृत इक्विटी उपकरण		
अन्य व्यापक आय (पूर्ण चुकता) के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश		
नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रा.लि.	289.34	289.34
28,93,353 (पि.व. 28,93,353) 10 रुपए मूल्य प्रत्येक के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर)		
घटाएं: निवेश के मूल्य पर घटत के प्रावधान	(211.68)	(187.03)
योग	**77.66**	**102.31**
गैर–उद्धृत निवेश का औसत वहन मूल्य	289.34	289.34
गैर–उद्धृत निवेश का औसत बाजार मूल्य	-	-
निवेश के मूल्य की औसत ह्रासित राशि	211.68	187.03

नोट सं. 6

ऋण*

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
गैर–चालू		
(क) सुरक्षा जमा		
अप्रत्याभूत, अच्छा माना गया	364.63	353.21
अप्रत्याभूत, संदेहास्पद माना गया	1.91	1.91
	366.54	355.12
घटाएं: संदेहास्पद जमा के प्रावधान	(1.91)	(1.91)
	364.63	353.21
(ख) सम्बद्ध पार्टी को ऋण	-	-
(ग) अन्य ऋण		
(i) कर्मचारियों को ऋण		
प्रत्याभूत, अच्छा माना गया	209.76	216.25
अप्रत्याभूत, अच्छा माना गया	25.78	28.41
अप्रत्याभूत, संदेहास्पद माना गया	-	-
	235.54	244.66
घटाएं: संदेहास्पद ऋण के प्रावधान	-	-
	235.54	244.66
(ii) चुकता व्यय– प्रत्याभूत, अच्छा माना गया	-	3.84
(iii) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ऋण, संदेहास्पद माना गया	725.00	725.00
घटाएं: संदेहास्पद ऋण के प्रावधान	(725.00)	(725.00)
	-	-
योग	**600.17**	**601.71**

* निदेशक, कम्पनी के अन्य अधिकारियों अथवा फर्मों जिनमें निदेशक साझीदार हैं अथवा ऐसी निजी कम्पनियों जिनमें कोई निदेशक रिपोर्टिंग अवधि के किसी समय के दौरान निदेशक अथवा सदस्य रहा है, से कोई राशि देय नहीं है।

नोट सं. 7

अन्य वित्तीय परिसम्पतियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
(अप्रत्याभूत, अच्छा समझा गया अतिरिक्त इसके कि अन्यथा उल्लिखित नहीं)		
गैर–चालू		
उपार्जित ब्याज	-	-
–कर्मचारी ऋण		
प्रत्याभूत, अच्छा समझा गया	159.87	178.40
अप्रत्याभूत, अच्छा समझा गया	-	3.43
अप्रत्याभूत, संदेहास्पद समझा गया	22.78	22.78
	182.65	204.61
घटाएं: कर्मचारी ऋणों पर संदेहास्पद ब्याज उपार्जन के प्रावधान	(22.78)	(22.78)
	159.87	181.83
संबंधित पार्टी से अर्जित ब्याज	-	0.77
प्रतिभूति जमा	17.68	17.68
	177.55	**200.28**
चालू		
उपार्जित ब्याज :		
– सावधि जमा	521.31	200.56
– कर्मचारी ऋण		
प्रत्याभूत, अच्छा समझा गया	24.48	39.96
अप्रत्याभूत, अच्छा समझा गया	-	1.92
	24.48	41.88
सम्बद्ध पार्टी से उपार्जित ब्याज	1.01	0.89
प्राप्य बीमा दावा	664.20	508.59
घटाएं: संदेहास्पद अग्रिम प्रावधान	(5.00)	(5.00)
	659.20	503.59
बैंकों में सावधि जमा खाते/चालू खाते	47.83	45.19
(ना.वि. महानिदेशालय से परियोजना के लिए राशि उपार्जित ब्याज सहित)		
अन्य	124.81	224.80
	1,378.64	**1,016.91**
योग	**1,556.19**	**1,217.19**

नोट सं. 8

अन्य परिसम्पतियां*

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
पूंजी अग्रिम	3,252.09	3,398.40
अन्यों को अग्रिम		
प्रत्याभूत, अच्छा समझा गया	43.60	53.00
अप्रत्याभूत दृ अच्छा समझा गया	87.71	99.91
	131.31	152.91
घटाएंः संदेहास्पद अग्रिम प्रावधान	(87.71)	(99.91)
	43.60	53.00
आयकर प्रावधान (निवल प्रावधान)	6,959.91	6,393.65
घटाएंः संदेहास्पद अग्रिम प्रावधान	(34.98)	-
	6,924.93	6,393.65
पूर्व चुकता व्यय		
अन्य प्राप्य	162.77	101.96
घटाएंः संदेहास्पद अग्रिम प्रावधान	(2.92)	(2.92)
	159.85	99.04
योग	**10,380.47**	**9,944.20**
अन्यों को अग्रिम		
प्रत्याभूत, अच्छा समझा गया	1,350.27	1,373.33
अप्रत्याभूत, अच्छा समझा गया	66.08	66.08
	1,416.35	1,439.41
घटाएंः संदेहास्पद अग्रिम प्रावधान	(66.08)	(66.08)
	1,350.27	1,373.33
अप्रत्याभूत, अच्छा समझा गया		
सांविधिक प्राधिकरणों के पास शेष	2,314.17	240.86
घटाएंः संदेहास्पद अग्रिम प्रावधान	(32.66)	-
	2,281.51	240.86
एम.ए.टी. क्रेडिट पात्रता	2,784.06	-
घटाएंः एम.ए.टी. क्रेडिट प्रयुक्त	(2,784.06)	-
पूर्व चुकता व्यय	788.67	699.31
अन्य	3.87	2.75
योग	**4,424.32**	**2,316.25**

*निदेशक, कम्पनी के अन्य अधिकारियों अथवा फर्मों जिनमें निदेशक साझीदार हैं अथवा ऐसी निजी कम्पनियों जिनमें कोई निदेशक रिपोर्टिंग अवधि के किसी समय के दौरान निदेशक अथवा सदस्य रहा है, से कोई राशि देय नहीं है।

नोट सं. 9
मालसूचियां

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
(प्रमाणित तथा प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित)		
भंडार एवं कलपूर्जे	8,226.47	7,918.20
जांच किया जा रहा माल	14.96	25.48
घटाएः (i) अचल भंडार एवं कलपूर्जों के लिए प्रावधान	(3,132.86)	(2,967.97)
(ii) मालसूची में न्यूनता के लिए प्रावधान	(72.02)	(89.10)
(iii) मूल्य में न्यूनता के लिए प्रावधान	(453.14)	(453.13)
	4,583.41	**4,433.48**
मरम्मत योग्य तथा रोटेब्ल कलपूर्जे	1,575.57	1,575.57
घटाएः (i) अप्रचलित रिजर्व	(1,436.26)	(1,436.26)
(ii) मूल्य में न्यूनता के लिए प्रावधान	(139.31)	(139.31)
	-	-
	444.33	438.82
टैस्ट टूल उपकरण (लागत पर)	(425.56)	(425.40)
घटाएः (i) बट्टा	18.77	13.42
जैम मॉड्यूल	501.37	501.37
घटाएंः (i) अप्रचलित रिजर्व	(447.21)	(447.21)
(ii) मूल्य में न्यूनता के लिए प्रावधान	(54.16)	(54.16)
मार्गस्थ माल (लागत पर)	31.78	40.74
एविएशन टर्बाइन फ्यूल (लागत पर)	15.28	9.05
योग	**4,649.24**	**4,496.69**

नोट सं. 10
व्यवसाय प्राप्य

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
अप्रत्याभूत, अच्छा समझा गया	9,676.84	9,894.41
संदेहास्पद	2,007.81	1,796.25
अन्य नामे,अच्छा समझे गए	8,501.95	9,015.55
	20,186.60	20,706.21
घटाएं: संदेहास्पद नामे के लिए प्रावधान	(2,007.81)	(1,796.25)
योग	**18,178.79**	**18,909.96**

(i) व्यवसाय प्राप्य सामान्यतः ब्याज मुक्त होते हैं तथा सामान्यतः इनकी अवधि 30 से 90 दिन होती है।

(ii) कम्पनी के किसी भी निदेशक अथवा अन्य अधिकारी से अलग अलग अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यवसाय अथवा अन्य प्राप्य बकाया नहीं है। ऐसी किसी फर्म अथवा निजी कम्पनियों से भी क्रमशः कोई व्यवसाय अथवा अन्य प्राप्य बकाया नहीं है जिसमें कोई निदेशक, निदेशक, साझीदार अथवा सदस्य है।

(iii) किसी नए ग्राहक की स्वीकृति से पूर्व कम्पनी द्वारा संभावित ग्राहक की क्रेडिट गुणवता का मूल्यांकन किया जाता है जिससे ग्राहक की क्रेडिट सीमा निर्धारित होती है। ग्राहकों से सम्बद्ध सीमाओं की आवधिक समीक्षा की जाती है।

(iv) 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 11338.09 लाख रुपए के व्यवसाय प्राप्य सात ग्राहकों से शेष हैं (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार चार ग्राहकों से 10945.75 लाख रुपए शेष थे)। ऐसे कोई अन्य ग्राहक नहीं हैं जिनसे कुल शेष का 5% से अधिक व्यवसाय प्राप्य हो।

नोट सं. 11
नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ लाख में)

	विवरण	स्थिति	
		31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
11.1	बैंकों में शेष :		
	– चालू खाते में	874.06	3,054.10
	– विदेशी मुद्रा खाते में निर्यात आय	1,070.20	441.24
	– फ्लैक्सी जमा खाते	2,357.52	1,833.20
	– 3 माह से कम मूल परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते	-	-
	घटाएं: अस्थाई बैंक ओवरड्राफ्ट	(459.70)	(318.09)
	उपलब्ध रोकड़	9.13	18.89
	रोकड़ प्रवाह विवरण के अनुसार रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य	3,851.21	5,029.34
11.2	अन्य बैंक शेष		
	– सावधि जमा खाते	27,924.06	8,512.46
	(3 माह से अधिक मूल परिपक्वता वाले)		-
	– बैंकों में मार्जिन धन	2,261.00	1,789.97
	योग अन्य बैंक शेष	30,185.06	10,302.43
	योग	**34,036.27**	**15,331.77**

नोट सं. 12

ऋण

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
चालू		
सम्बद्ध पार्टियों को ऋण	-	0.51
अन्य		
– कर्मचारियों को ऋण तथा अग्रिम		
प्रत्याभूत, अच्छा समझा गया		
अप्रत्याभूत, अच्छा समझा गया	52.97	59.68
अप्रत्याभूत, संदेहास्पद समझा गया	489.44	428.06
	62.76	36.63
घटाएं: संदेहास्पद ऋण एवं अग्रिम प्रावधान	605.17	524.37
	(62.76)	(36.63)
	542.41	487.74
योग	**542.41**	**488.25**

*निदेशक, कम्पनी के अन्य अधिकारियों अथवा फर्मों जिनमें निदेशक साझीदार हैं अथवा ऐसी निजी कम्पनियों जिनमें कोई निदेशक रिपोर्टिंग अवधि के किसी समय के दौरान निदेशक अथवा सदस्य रहा है, से कोई राशि देय नहीं है।

नोट सं. 13

चालू कर आस्तियाँ एवं देयताएं

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
चालू कर परिसम्पतियां (निवल)	1,281.00	930.54
चालू कर देयताएं (निवल)	(566.26)	(2,810.63)
योग	**714.74**	**(1,880.09)**

(क) 31 मार्च, 2018 तथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय कर व्यय के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:–

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
चालू आय कर :		
चालू आय कर प्रभार	566.26	8,943.02
पूर्व वर्ष के चालू आय कर के संबंध में समायोजन	(3.98)	42.10
आस्थगित कर:		
अस्थाई अंतरों की व्युत्पति तथा व्युतक्रमण से सम्बद्ध	(1,322.47)	3,245.82
	(760.19)	**12,230.94**

अन्य व्यापक आय खंडः **(मूल्य ₹ लाख में)**

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
एफवीटीओसीआई इक्विटी सिक्योरिटिज पर अप्रयुक्त लाभ/(हानि)	-	-
निवेश के मूल्य की अवनति से निवल हानि/(लाभ)	(9.24)	(7.65)
परिभाषित हितलाभ योजनाओं के पुनःमापन से निवल हानि/(लाभ)	57.95	16.27
अन्य व्यापक आय पर प्रभारित आय कर	**48.71**	**8.62**

(ख) कर व्ययों का समाधान तथा 31 मार्च, 2018 तथा 31 मार्च, 2017 की भारतीय घरेलू कर दर से गुणक करके लाभ का लेखांकन

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
कर पूर्व लेखांकन	1,200.45	37,623.74
उपर्युक्त पर/21.3416% आयकर (31 मार्च, 2017: 21.3416%)	256.20	8,029.51
जोड़ें: बही लाभ के निर्धारण के लिए कटौती न किए जाने वाले व्ययों का कर प्रभाव		
कर उद्देश्यों से गैर–कटौती योग्य व्यय :		
– संदेहास्पद ऋण/ऋण एवं अग्रिम के प्रावधान	103.88	187.15
– स्थिर/न्यून मालसूचियों के लिए प्रावधान	35.19	44.72
– अन्य व्यापक आय के अनुसार परिभाषित हितलाभ दायित्वों का पुनः मापन	30.47	10.03
– आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत गैर अनुमत्त व्यय/प्रावधान	-	-
– इंड एएस प्रभाव तथा घटक लेखांकन के कारण वित्तीय वर्ष 2015–16 के कर पूर्व लाभ में परिवर्तन	-	-
– धारित आय में प्रभारित पूर्वावधि मदों का कर प्रभाव	140.52	146.16
– आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 234(बी) एवं 234(सी) के अंतर्गत आय कर पर ब्याज		525.45
लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए व्यय पर आय कर	**566.26**	**8,943.02**

नोट सं. 14.1
इक्विटी शेयर पूंजी

(यदि अन्यथा उल्लिखित नहीं है तो रुपए लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
शेयर पूंजी		
(क) प्राधिकृत, जारी, अभिदत्त एवं चुकता शेयर पूंजी तथा प्रति शेयर सम मूल्य		
प्राधिकृत पूंजी		
5,60,000 (पि. व. 2,50,000) 10,000/– रुपए मूल्य प्रत्येक के इक्विटी शेयर	56,000.00	25,000.00
जारी पूंजी, अभिदत्त तथा पूर्ण चुकता		
5,57,482 (पि.व. 2,45,616) 10,000/– रुपए मूल्य प्रत्येक के इक्विटी शेयर	55,748.20	24,561.60
पूर्व चुकता पूंजी		
5,57,482 (पि.व. 2,45,616) 10,000/– रुपए मूल्य प्रत्येक के इक्विटी शेयर	55,748.20	24,561.60
	55,748.20	**24,561.60**

(ख) वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का समाधान

(यदि अन्यथा उल्लिखित नहीं है तो रुपए लाख में)

विवरण	यथातिथि 31 मार्च, 2018		यथातिथि 31 मार्च, 2017	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	245,616	24,561.60	245,616	24,561.60
अवधि के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	557,482	55,748.00	245,616	24,561.60
वर्ष के दौरान परिवर्तन	**311,866**	**31,186.40**	-	-

(ग) विभिन्न वर्गों के शेयरों से सम्बद्ध राइट, अधिमान तथा प्रतिबंध

शेयरों का वर्ग	इक्विटी शेयरों के साथ सम्बद्ध शर्तें
इक्विटी	कम्पनी के 10,000 रुपए प्रति सम मूल्य शेयर के साथ सम्बद्ध राइट, अधिमान एवं प्रतिबंध तथा शेयरों के वर्ग सहित उनके समरूप वितरण के प्रतिबंधों में वोटिंग अधिकार एवं लाभांश की पात्रता तथा पूंजी का पुनःभुगतान शामिल है।

(घ) 5% से अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति		31 मार्च, 2017 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या	% धारण	शेयरों की संख्या	% धारण
भारत के राष्ट्रपति	284,316	51%	125,266	51%
ओएनजीसी लिमिटेड	273,166	49%	120,350	49%

नोट सं. 14.2
अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
सामान्य आरक्षित	2,050.00	2,050.00
धारित आय	54,152.80	56,643.81
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरणों के लिए आरक्षित	(42.22)	(26.81)
अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण उपकरणों के लिए आरक्षित	-	-
आबंटन से पूर्व प्राप्त शेयर आवेदन धन	-	15,905.00
अन्य आरक्षित	245.84	136.35
योग	**56,406.43**	**74,708.35**

नोट सं. 15
ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	परिपक्वता	स्थिति	
		31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
गैर–चालू देयताएं			
प्रत्याभूत आवधिक ऋण			
– एनटीपीसी लिमिटेड	अप्रैल, 2022	1,928.19	2,497.72
योग		**1,928.19**	**2,497.72**
ऋण की परिपक्वता का संक्षेप नीचे प्रस्तुत है:			
–एक वर्ष से अधिक नहीं		569.54	536.45
		569.54	**536.45**
दीर्घकालिक नामे की चालू परिपक्वता			
–एक वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं		1,928.19	2,497.72
–पांच वर्ष से अधिक नहीं		**1,928.19**	**2,497.72**

नोट सं. 16
प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
गैर चालू		
कर्मचारी हितलाभ के प्रावधान		
–सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ योजना	1,114.13	905.98
– अर्जित आय	1,454.77	1,494.04
– अर्द्ध वेतन अवकाश	470.58	438.64
– अन्य	18.18	16.24
योग	**3,057.66**	**2,854.90**

नोट सं. 17
आस्थगित कर देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	20,241.42	21,515.18
	20,241.42	**21,515.18**

(क) आस्थगित आय कर परिसम्पतियों तथा देयताओं से उत्पन्न कर प्रभाव का महत्वपूर्ण अस्थाई अंतर निम्नानुसार हैः–

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
आस्थगित कर देयताएंः–		
– कर उद्देश्यों से त्वरित मूल्यह्रास	25,196.67	26,416.38
– उपदान	-	57.52
कुल आस्थगित कर देयताएं	**25,196.67**	**26,473.89**

आस्थगित आय कर परिसम्पतियां :		
– कर्मचारी हितलाभ	2,223.02	1,669.40
–स्थिर मालसूची	1,119.91	1,057.99
– निवेश के मूल्य में घटत के लिए प्रावधान	73.97	64.73
– अनावशोषित मूल्यह्रास का अग्रेषण	-	-
– संदेहास्पद नामे/अग्रिम	812.31	703.05
– वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत पूर्वावधि समायोजन	690.22	911.44
– भा.वि.प्रा. के लिए पट्टा किराए के प्रावधान	-	498.69
– लक्षद्वीप में क्षति के प्रावधान	31.14	30.84
– आयकर अधिनियम की धारा 40(ए)(1ए) के अंतर्गत स्वीकार्य प्रावधान	4.68	22.57
योग आस्थगित कर परिसम्पतियां	**4,955.26**	**4,958.72**
समंजन के पश्चात आस्थगित कर परिसम्पतियां	**-**	**-**
समंजन के पश्चात आस्थगित कर देयताएं	**20,241.42**	**21,515.18**

(ख) आस्थगित कर देयताओं का समाधान (निवल)

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
1 अप्रैल को अथ शेष	21,515.18	18,260.74
लाभ एवं हानि में स्वीकृत अवधि के दौरान कर(आय)/व्यय	(1,322.47)	3,245.82
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत के दौरान कर(आय)/व्यय	48.71	8.62
31 मार्च को अंत शेष	**20,241.42**	**21,515.18**

नोट सं. 18
अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
गैर–चालू		
सुरक्षा जमा/अर्जित धन जमा	96.52	163.41
	96.52	163.41
चालू		
दीर्घकालिक नामे पर चालू परिपक्वता	569.54	536.45
अचल परिसम्पतियों की खरीद पर देय	15.51	71.12
पूंजी व्यय के लिए देय	19.02	19.02
कर्मचारियों को देय	80.40	114.05
सुरक्षा/अर्जित धन जमा	128.54	79.07
ना.वि.महानिदेशालय से परियोजना के प्रति अग्रिम (ब्याज सहित)	1,208.61	1,205.96
घटाएं : परियोजना पर व्यय की गई राशि	(1,160.77)	(1,160.77)
	47.84	45.19
	860.85	864.90
योग	**957.37**	**1,028.31**

नोट सं. 19
व्यवसाय देय*

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
सूक्षम एवं लघु उद्यमों के बकाया देय	-	-
सूक्षम एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्यों को बकाया देय	11,003.58	7,357.50
योग	**11,003.58**	**7,357.50**

*'व्यवसाय प्राप्य ब्याज मुक्त हैं तथा सामान्यतः 120 दिनों में इनका समाधान होता है।

नोट सं. 20
अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
सुरक्षा/अर्जित धन जमा	78.38	63.47
ग्राहकों से अग्रिम	383.24	177.72
सांविधिक देयताएं	1,986.77	261.49
अन्य देय	1,853.64	1,445.50
योग	**4,302.03**	**1,948.18**

नोट सं. 21
प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
–सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ योजना	35.67	29.98
–अर्जित छुट्टी	124.83	119.26
–अर्ध वेतन छुट्टी	53.36	39.97
–उपदान	652.12	-
–पेंशन	2.75	6.51
–अन्य	3,087.40	1,773.09
	3,956.13	1,968.81
लक्षद्वीप में हानि	89.12	89.12
निगमित सामाजिक दायित्व	220.33	239.78
योग	**4,265.58**	**2,297.71**

नोट सं. 22
प्रचालनों से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
सेवाओं का प्रतिपादन		
हेलीकॉप्टर किराया प्रभार	39,440.62	43,107.30
घटाएं: हेलीकॉप्टर के प्रावधान न होने पर कटौती (ए.ओ.जी)	(327.45)	(1,150.12)
	39,113.17	41,957.18
अन्य प्रचालन राजस्व		
प्रचालन एवं अनुरक्षण करारों से आय	134.89	752.99
प्रशिक्षण फीस एवं अन्य वसूलियां	100.29	38.18
रोहिणी हेलीपोर्ट से राजस्व	193.44	15.58
	428.62	806.75
योग	**39,541.79**	**42,763.93**

नोट सं. 23
अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
ब्याज आय:		
– बैंक में जमा	1,260.86	626.62
– कर्मचारियों को ऋण	29.88	33.09
– अन्य	-	71.65
	1,290.74	731.36
– परिसम्पतियों के भंजन पर बीमा दावों के निपटान से लाभ	2,955.25	1,488.28
– अचल परिसम्पतियों की बिक्री से लाभ	0.40	-
– मालसूची मदों की बिक्री से लाभ	-	12.41
– विनियम दर उतार चढ़ाव (निवल)	366.83	619.64
– अनापेक्षित समाप्त किए गए प्रावधान	1,141.27	4,544.70
– परिनिर्धारित हर्जाना (क्रय)	303.91	473.11
– विविध आय	201.38	139.62
योग	**6,259.78**	**8,009.12**

नोट सं. 24
हेलीकॉप्टर प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
हेलीकॉप्टर अनुरक्षण व्यय	5,031.05	5,002.64
ईंधन व्यय	2,393.18	2,122.32
बीमा व्यय	1,847.98	1,525.68
लैंडिंग, पार्किंग तथा अन्य व्यय	186.92	142.76
हेलीकॉप्टर पट्टा प्रभार	656.15	1,230.19
परिनिर्धारित हर्जाना	625.54	2,479.82
श्राईन बोर्ड को रायल्टी/कमीशन	66.83	51.51
स्थाई मालसूची/कालातीत मदों के लिए प्रावधान	164.89	209.55
अचल परिसम्पतियों की क्षति से हानि	54.43	0.15
बट्टाकृत अचल परिसम्पतियां	503.82	179.94
भंडारण, संचलन एवं विलम्बन प्रभार	145.56	63.05
मालभाड़ा, परिवहन एवं ढुलाई	143.10	110.11
अन्य प्रचालन व्यय	25.36	14.86
योग	**11,844.81**	**13,132.58**

नोट सं. 25
कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
वेतन, मजदूरी तथा अन्य हितलाभ	14,794.99	14,041.86
भविष्य निधि, पेंशन तथा अनुदान निधि में अंशदान	2,303.93	1,099.26
कर्मचारी कल्याण	46.41	48.97
अन्य कर्मचारी व्यय	218.16	254.90
योग	**17,363.49**	**15,444.99**

नोट सं. 26
वित्त लागत

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
ब्याज	201.17	203.51
योग	**201.17**	**203.51**

नोट सं. 27
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
मूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास	8,473.52	8,078.83
अमूर्त परिसम्पतियों का परिशोधन	3.67	3.67
योग	**8,477.19**	**8,082.50**

नोट सं. 28
अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
मरम्मत तथा अनुरक्षण		
–भवन	85.12	63.85
–उपकरण	78.80	85.88
–अन्य	100.55	105.37
	264.47	255.10
किराया	2,013.41	5,568.84
यात्रा तथा यात्रा व्यय	1,917.25	1,627.52
कर्मी दल एवं कर्मचारी प्रशिक्षण	413.42	612.75
बैंक प्रभार	35.82	46.13
विद्युत एवं जल प्रभार	277.30	237.44

टेलीफोन, फैक्स तथा पोस्टेज	107.12	119.01
विज्ञापन तथा प्रचार	47.17	35.83
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	59.52	65.62
वाहन उपयोग तथा अनुरक्षण	32.23	32.38
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		
–सांविधिक लेखा परीक्षण फीस	12.14	6.73
–अन्य मामलों के लिए	1.75	0.40
–व्ययों का पुनर्भुगतान	0.68	0.68
	14.57	7.81
दरें, फीस तथा कर	361.31	177.87
संदेहास्पद नामे तथा अग्रिम के लिए प्रावधान	486.77	876.94
निगमित सामाजिक दायित्व	29.08	83.85
बीमा व्यय	37.30	32.42
अन्य व्यय	617.72	437.41
योग	**6,714.46**	**10,216.92**

नोट सं. 29
असाधारण मदें

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
भारत सरकार की देयताओं पर ब्याज की छूट	-	33,931.19
योग	**-**	**33,931.19**

नोट सं. 30
अन्य व्यापक आय

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
कर्मचारी हितलाभ व्यय	167.44	47.01
निवेश के मूल्य पर घटत के लिए प्रावधान	(24.65)	(22.11)
योग	**142.79**	**24.90**

नोट सं. 31
प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस)

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
इक्विटी धारकों से सम्बद्ध लाभ	2,054.72	25,409.08
मूल ईपीएस (रुपए)	435	10,345
डायलूटिड ईपीएस (रुपए)	435	9,371

32. वित्तीय विवरणियों से संबंधित अतिरिक्त नोट

(31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखा के साथ पठनीय तथा भाग)

I. पूंजीगत एवं अन्य प्रतिबद्धताएं

पूंजी लेखा/निवेशों (चुकता अग्रिम का निवल) में निष्पादन के लिए शेष तथा प्रावधान न किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशिः

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	445.07	874.96

II. आकस्मिक देयताएं

क) दी गई गारंटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
बैंकों को दी गई प्रति गारंटी	2261.00	3121.12

ख) साख पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
साख पत्र	544.22	425.75

ग) कर आकस्मिकताएं

राजस्व प्राधिककरण द्वारा कम्पनी पर आय कर के संबंध में विवादाधीन मांग की गई राशियां नीचे तालिका में दर्शाई गई हैं:–

i. आयकर

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
कम्पनी द्वारा आयकर अपीलिय ट्रिब्यूनल/आय कर आयुक्त (अपील) के सम्मुख आयकर दावों का प्रतिवाद	5684.60	5464.36

कम्पनी द्वारा विभिन्न वर्षों में जमा करवाई गई मांग/धनवापसी की राशियों के प्रति आय कर विभाग द्वारा उक्त राशियों को अपने पास रखा गया है। अनेक मामलों में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन करते समय की गई आय कर मांग अपीलिय ट्रिब्यूनल द्वारा समाप्त कर दी जाती है। अधिकांश कर मांगे भारत सरकार ऋण के प्रति देय ब्याज से संबंधित हैं जो आय कर अपीलिय ट्रिब्यूनल में लम्बित पड़ी हैं। इस संबंध में नोट संख्या III की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ii. मूल्य वर्द्धित कर

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
मूल्य संवर्धित कर के जुर्माने एवं ब्याज के साथ भुगतान के संबंध में वर्ष 2006–07 से 2009–10 की अवधि मांग नोटिस	47455.68	45431.46

यह मांग हेलीकॉप्टरों के उपयोग का प्राधिकार ग्राहकों को अंतरित किए जाने के संबंध में दिल्ली बिक्री कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2009–10 की अवधि से संबंधित है।

कम्पनी द्वारा यह उत्तर दिया गया है कि चूंकि कम्पनी द्वारा ऐसे संव्यवहारों के प्रति मूल्य संवर्धित कर का भुगतान किया गया है अतः यह मांग उचित नहीं है। यह मामला अंतिम सुनवाई के लिए माननीय मूल्य संवर्धित कर ट्रिब्यूनल में सूचीबद्ध किया गया है। अगली सुनवाई दिनांक 22 नवम्बर, 2018 को होनी है।

iii. सेवा कर

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
सेवा कर विभाग से अप्रैल, 2009 से जून, 2017 की अवधि के लिए प्राप्त कारण बताओ नोटिस	2567.35	2266.63

सेवा कर विभाग से अप्रैल, 2009 से जून, 2017 की अवधि के लिए प्राप्त कारण बताओ नोटिस। कम्पनी द्वारा सेवा कर विभाग से प्राप्त इस कारण बताओ नोटिस का प्रतिवाद 34.52 लाख रुपए के मांग नोट के लिए सेवा कर आयुक्त, 1810.79 लाख रुपए तथा 722.03 लाख रुपए के मांग नोट के लिए ट्रिब्यूनल के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है जिसका न्यायनिर्णय प्रतीक्षित है, तथापि, कम्पनी का ऐसा मानना है कि इससे प्रचालन अथवा रोकड़ प्रवाह के परिणामों पर किसी प्रकार का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

घ) कानूनी विवाद

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
i)	विवाचनाधीन न्यायिक मामले / मामले	5081.87	4724.71
ii)	**अन्य मामले**	124.32	122.80

5. पवन हंस को मुम्बई उच्च न्यायालय में पवन हंस के लगभग 139 प्रत्यक्ष संविदारत कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठन एविएशन कर्मचारी संगठन द्वारा दायर की एक रिट याचिका प्राप्त हुई है जिसमें पवन हंस लिमिटेड द्वारा भविष्य निधि के भुगतान को शामिल किए जाने के संबंध में न्यायालय से निदेश मांगे गए हैं। पवन हंस सरकार के नियंत्रणाधीन विमान सेवाएं प्रदान करने वाला एक अलग संगठन है तथा यह संविदारत कर्मचारियों को शामिल करने के प्रति उत्तरदायी नहीं है। एविएशन कर्मचारी संगठन बनाम पवन हंस लिमिटेड एवं अन्यों के संबंध में मुम्बई उच्च न्यायालय में दायर की गई 2016 की रिट याचिका में उनकी नियुक्ति की तिथि से पवन हंस लिमिटेड की भविष्य निधि नियमावली के अनुसार राहत दिए जाने की मांग की गई है। मुम्बई उच्च न्यायालय की माननीय न्यायपीठ से पवन हंस लिमिटेड को संविदारत कर्मचारियों की भविष्य निधि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास दिनांक 31.12.2018 तक जमा करवाए जाने के निदेश प्राप्त हुए हैं। पवन हंस लिमिटेड द्वारा इस मामले पर अपने वकीलों से चर्चा की गई है तथा इसके प्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने की तैयारी की जा रही है। आकस्मिक देयताओं की अनुमानित राशि को उपर्युक्त घ. प) में शामिल किया गया है।

6. कम्पनी के लम्बित कानूनी विवादों में कम्पनी के खिलाफ किए गए दावे तथा कर/सांविधिक/सरकारी प्राधिकरणों में लम्बित कानूनी प्रक्रियाएं शामिल हैं। कम्पनी द्वारा अपने सभी कानूनी विवादों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई है तथा अपेक्षित प्रावधान करते हुए आवश्यकतानुसार अपने वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण, यथा लागू, किया गया

है। कम्पनी को इन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप अपनी वित्तीय स्थिति पर कोई वस्तुगत प्रभाव होता प्रतीत नहीं हो रहा है। उपर्युक्त के संबंध में भावी रोकड़ प्रवाह का निर्धारण न्यायनिर्णय/विभिन्न मंचों/प्राधिकरण के निर्णय की प्राप्ति पर ही किया जा सकेगा।

III- भारत सरकार द्वारा किया गया दावा

वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा अपने अंशदान के रूप में कम्पनी में किए गए इक्विटी निवेश के प्रयोग से कम्पनी द्वारा 25090.00 लाख रुपए की परियोजना लागत से 21 डॉफिन तथा 21 वेस्टलेंड हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल किया गया था। तथापि, कम्पनी को 11376.00 लाख रुपए की राशि की इक्विटी ही प्राप्त हुई थी जिसमें ओएनजीसी द्वारा किए गए इक्विटी अंशदान की 2450.00 लाख रुपए की राशि भी सम्मिलित है। कम्पनी द्वारा इस पूंजी अंशदान का प्रयोग आंतरिक स्रोतो की 622.97 लाख रुपए की राशि के साथ किया गया तथा 13091.03 लाख रुपए की राशि का शेष अलग रखकर प्रायोजित लागत के अंतर्गत पूंजीगत अंशदान का प्रयोग किया गया। शेष 13091.03 लाख रुपए की राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा हेलीकॉप्टरों के आपूर्तिकर्ताओं को किया गया तथा इसे भारत सरकार को बकाया राशि के तौर पर लिया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा कम्पनी से 31.03.2016 तक बकाया मूल राशि 13091.03 लाख रुपए तथा ब्याज के रूप में 33931.19 लाख रुपए अर्थात कुल राशि 47022.22 लाख रुपए होने की पुष्टि को विचार में लेकर कम्पनी ने 31.03.2001 तक इन बकायों/देयताओं के ब्याज के तौर पर 33931.19 लाख रुपए का लेखांकन कर लिया गया था तथा 31.3.2001 के पश्चात से ब्याज के प्रावधान नहीं किए गए थे। कम्पनी द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से समय समय पर भारत सरकार के सम्मुख इस आधार पर इन देयताओं और इसके ब्याज से छूट प्राप्ति के लिए इस आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं कि यह परियोजना उन 42 हेलीकॉप्टरों के आयात के लिए थी जिसका पूर्ण निधियन भारत सरकार द्वारा इक्विटी अंशदान के माध्यम से किया जाना था। इस संबंध में कम्पनी द्वारा एक बार फिर से जनवरी, 2016 में यह मामला वित्त मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा मामले पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किए जाने के लिए एक मंत्रिमंडलीय नोट प्रस्तुत किया गया था।

अंततः काफी लम्बी प्रतीक्षा के पश्चात वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान निर्णय प्राप्त हुआ जिसकी सूचना नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 1.12.2016 के पत्र के माध्यम से इस उल्लेख के साथ भिजवाई गई कि वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए दावे के निपटान का अनुमोदन मंत्रिमंडल द्वारा पवन हंस लिमिटेड के लिए 13091.03 लाख रुपए का बजट प्रावधान उपलब्ध के साथ कर दिया गया है जो सरकार को 13091.03 लाख रुपए के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग में लाए जाने हैं तथा साथ ही ब्याज के स्तर को 1.4.2001 की स्थि. ति के अनुसार फ्रिज करके पवन हंस लिमिटेड द्वारा वित्त मंत्रालय को देय 33,931.19 लाख रुपए की मांग समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 18.1.2017 के स्वीकृति आदेश के माध्यम से पवन हंस लिमि. टेड में वर्ष 2016–17 के दौरान 13091.03 लाख रुपए के इक्विटी निवेश के बजट प्रावधान की स्वीकृति भिजवाई गई थी। पवन हंस लिमिटेड द्वारा इस राशि से उपयोग से 13091.03 की मूल राशि का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के सीएएए खाते में कर दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उक्त राशि का अंतरण पवन हंस लिमिटेड को दिनांक 20.1.2017 को किया गया था। तदनुसार, वित्त मंत्रालय के निपटान के लिए 13091.03 लाख रुपए की राशि दिनांक 4.2.2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के सीएएए खाते में जमा करवा दी गई थी।

IV. वैस्टलैंड परिसम्पतियों का निपटान

क) वेस्टलैंड बेड़े को ग्रांउड किए जाने के पश्चात भारत सरकार द्वारा दिनांक 18 जनवरी,1993 को समग्र वेस्टलैंड बेड़े तथा उससे संबंधित माल सूची को वैश्विक निविदा के माध्यम से बेचे जाने तथा इसकी बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि

का उपयोग भारत सरकार तथा ब्रिटेन सरकार के मध्य आपसी परामर्श से गरीबी उन्मूलन के लिए उपलब्ध करवाए जाने के निर्णय से अवगत करवाया गया था। तथापि, इसकी वैश्विक निविदा की प्रतिक्रिया अनुकूल न होने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा दिनांक 12 मई, 1994 को कम्पनी को वेस्टलैंड परिसम्पतियों का निपटान इसकी खरीद के प्रति इच्छुक पार्टियों के साथ परक्रामण के माध्यम से किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। भारत सरकार द्वारा वेस्टलैंड परिसम्पतियों के निपटान की देख रेख के लिए एक संचलन समिति का गठन भी किया गया था।

ख) वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों (एक क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर सहित) तथा उससे संबद्ध मालसूची के रूप में ये परिसम्पतियां निपटान किए जाने तक के लिए 2239.00 लाख रुपए के औसत बही मूल्य पर दर्शाई गई हैं। कम्पनी द्वारा पिछले वर्षों में पूर्व विचार करते हुए वेस्टलैंड परिसम्पतियों से होने वाली संभावित हानियों का बही मूल्य के समरूप 100% प्रावधान किया गया था । वर्ष 1999–2000 में इन परिसम्पतियों के निपटान से संबंधित 723.00 लाख रुपए को बही मूल्य में समायोजित करने के पश्चात 1516.00 लाख रुपए के बकाया प्रावधान को अग्रेनित किया गया है।

ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान सरकारी से अनुमोदन प्राप्त करके कम्पनी द्वारा वेस्टलैंड की परिसम्पत्तियों की बिक्री पांउड स्टर्लिंग 9,00,000 की एकमुश्त राशि की एक पैकेज डील के अंतर्गत ब्रिटेन की एक फर्म मैसर्स एईएस एयरोस्पेस लिमिटेड को किए जाने के लिए करार किया गया था। यह सहमति हुई थी समग्र पैकेज अधिकाधिक दो परेषणों में तथा प्रत्येक परेषण के अनुमानित मूल्य का भुगतान करते हुए किया जाएगा। पहला परेषण दिसम्बर, 1999 में भेजा गया था तथा कम्पनी को बिक्री के तौर पर पांउड स्टर्लिंग 4,50,000 (322.00 लाख रुपए) की राशि जनवरी, 2000 में प्राप्त हुई थी जिसे प्रशासनिक मंत्रालय के निदेशानुसार तत्काल भारत सरकार के पास जमा करवा दिया गया था। क्रेता द्वारा विवाद खड़ा किए जाने के कारण दूसरा परेषण नहीं भेजा जा सका। कम्पनी द्वारा करार के अंतर्गत सहमत विभिन्न दायित्वों को पूरा न किए जाने के प्रति क्रेता के विरुद्ध विशिष्ट निष्पादन न किए जाने एवं नुकसानों की भरपाई के लिए दावा किया गया है। तथापि, क्रेता की वित्तीय स्थिति को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2012 को इस मामले को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए कहा गया है।

घ) वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान बेची गई वेस्टलैंड परिसम्पतियों (लागत 5146.00 लाख रुपए बट्टा मूल्य 723.00 लाख रुपए) से संबंधित आवश्यक समायोजन पहले परेषण के अंतर्गत किए गए लेन देन को पूर्ण बिक्री मानते हुए उस वर्ष की लेखा पुस्तिकाओं में किया गया है। बेची गई तथा मुम्बई के मालगोदाम से एकत्र की गई मालसूचियों का पूर्ण प्रमात्रा विवरण उप. लब्ध न होने के कारण इससे संबंधित आंकड़ों को अस्थाई आधार पर विचार में लिया गया है। वेस्टलैंड परिसम्पतियों की बिक्री से संबंधित करार चूंकि एकमुश्त मूल्य पर आधारित था अतः इससे संबंधित मदों के निपटान पर हुई हानि का निर्धारण पहले परेषण के अंतर्गत पांउड स्टर्लिंग 4,50,000 (322.00 लाख रुपए) की राशि से बेचे गए 9 हेलीकॉप्टरों, टेस्ट बैड, माल सूची की मदों से संबंधित उनका मदवार बिक्री मूल्य उपलबध न होने के कारण औसत बही मूल्य से कम करते हुए किया गया है। इनका लेखांकन वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान कर लिया गया था।

ङ) वैस्टलैंड हेलीकॉप्टर के शेष भाग हेलीकॉप्टर पवन हंस लिमिटेड, पश्चिमी क्षेत्र के परिसर में रखे हुए हैं तथा वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान कम्पनी के दिल्ली कार्यालय से मुम्बई कार्यालय में ले जाई जाने वाली इसकी माल सूची की मदों का मार्ग परिवर्तन खरीददार के नियुक्त परिवाहक द्वारा खरीददार के निदेश पर किया गया था तथा ये मदें मुम्बई के मालगोदाम में रखी हुई हैं। वैस्टलैंड माल सूची तथा पूंजीगत मदों की अनुमानित प्रारंभिक अधिग्रहण लागत 3250.00 लाख रुपए (बट्टा मूल्य – 450.00 लाख रुपए) है। मालगोदाम कम्पनी तथा मालवाहक द्वारा दायर की गई विशेष रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 में निरस्त कर दी गई

थी। तदनुसार, सागर वेयरहाउसिंग कम्पनी के मालगोदाम में से वैस्टलैंड की मालसूची की मदों को कम्पनी के पश्चिमी क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया था। हेलीकॉप्टरों तथा शेष बची मालसूचियों के निपटान के लिए अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। दूसरी शिपमेंट के अंतर्गत दी जाने वाली इन हेलीकॉप्टर के शेष हिस्सों तथा इनकी शेष मालसूची की मदें कम्पनी के पास हैं (इन्हें बॉक्सों में रखा गया है परन्तु वर्ष के दौरान इनकी भौतिक जांच नहीं गई है) तथा पैरा दृटप्ख के प्रावधानों के अनुसार इनके 647.00 लाख रुपए के बही मूल्य को अग्रेषित किया गया है। इनके निपटान के लिए नागर विमानन मंत्रालय से संचलन समिति के पुनर्गठन का अनुरोध किया गया था। मंत्रालय द्वारा शेष वैस्टलैंड परिसम्पतियों के मूल्य निर्धारण की रिपोर्ट तैयार करने के निदेश दिए गए थे तथा मूल्य निर्धारणकर्ता ने इसका मूल्य 25.73 लाख रुपए निर्धारित किया था। तथापि मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 7.11.2014 के पत्र के माध्यम से एक बार फिर से किसी अन्य मूल्य निर्धारणकर्ता से इनका पुनः मूल्यांकन करवाए जाने के निदेश दिए गए थे। अन्य मूल्यांकन कर्ता की रिपोर्ट में इसका मूल्यांकन 26.53 लाख रुपए किया गया है तथा इसे नागर विमानन मंत्रालय को इनके निपटान के लिए संचलन समिति का पुनर्गठन करने के लिए भिजवा दिया गया है।

V. आवासीय फ्लैट/क्वार्टर्स

क) कम्पनी द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से 25 वर्ष की अवधि के लिए आबंटित की गई भूमि पर 2270.68 लाख रुपए की लागत से 242 फ्लैटों का निर्माण एवं पूंजीयन किया गया था । कम्पनी द्वारा संयुक्त विकास करार के अंतर्गत उक्त भूमि के पट्टा किराए तथा परियोजना आर्किटैक्ट द्वारा अनुमानित इन फ्लैटों की निर्माण लागत की 595.00 लाख रुपए की राशि के स्थान पर 242 फ्लैटों में से 50 फ्लैट भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आबंटित किए गए थे।

ख) कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए वर्ष 1998 में एमएचएडीए, मुम्बई से 6 आवासीय फ्लैट खरीदे गए थे तथा इन फ्लैटों का कब्जा आबंटन पत्र के आधार पर प्राप्त कर लिया गया है तो भी ये स्टाम्प ड्यूटी देकर पंजीकरण करवा लिए जाने एवं अंतिम भुगतान किए जाने पर ये फ्लैट सोसायटी के पक्ष में उचित हस्तांतरण करार तैयार किए जाने की शर्त पर है। कुछ सोसायटियों द्वारा मुम्बई उच्च न्यायालय में एमएचएडी के खिलाफ मूल्य में भिन्नता का दावा किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

ग) कम्पनी द्वारा वर्ष 1991–92 में कर्मचारियों के लिए लोखंडवाला कन्टस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज लिमि. टेड, मुम्बई से 42 आवासीय फ्लैटों की खरीद की गई थी। कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा ये फ्लैट सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को किराए पर दिए जाने का अनुमोदन दिया गया था तथा तदनुसार 31 मार्च, 2018 तक 29 फ्लैट किराया आधार पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को किराए पर दिए गए थे। इसके पश्चात ये फ्लैट वापस ले लिए गए थे तथा अब इन्हें कर्मचारियों को आबंटित किया जाएगा।

VI. सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण

क) 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार 6566.70 लाख रुपए (31 मार्च, 2017 : 5158.24 लाख रुपए) की शुद्ध लागत तथा 2464.63 लाख रुपए (31 मार्च, 2017 : 1650.62 लाख रुपए) मूल्य के डब्ल्यू. डी.वी. विदेशी उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के पास मरम्मत के लिए पड़े हुए हैं। इनमें से 2724.02 लाख रुपए (31 मार्च, 2017:769.80 लाख रुपए) एवं 101.62 लाख रुपए (31 मार्च, 2017: 394.07 लाख रुपए) मूल्य के डब्ल्यू.डी.वी. 31 मार्च, 2018 के पश्चात प्राप्त हो गए हैं। शेष रोटेबलस संबंधित पार्टी के पास होने के संबंध में पुष्टि प्राप्त की जा रही है। ये मदें मरम्मत/ओवरहॉल के पश्चात हमें वापस भिजवाने के लिए मूल उपकरण निर्माताओं से सम्पर्क के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं।

ख) कम्पनी द्वारा सभी अचल परिसम्पतियों की मदों का भौतिक सत्यापन तीन वर्ष की अवधि में पूरा करने के लिए चरणबद्ध स्वरूप में प्रक्रिया की जा रही है। अचल परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन

वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया गया था तथा अचल परिसम्पति रजिस्टर से इनका समाधान किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। बहियों तथा भौतिक शेष के अंतर ज्ञात किए जा रहे हैं तथा इन्हें संबंधित विभाग को समाधान प्रक्रिया के लिए भेजा जा रहा है।

ग) कम्पनी की यह मत है कि कम्पनी के स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टर नागर विमानन महानिदेशालय से आवधिक/वार्षिक आधार पर उड़नयोग्यता के लिए प्रमाणित किए गए हैं तथा इनसे वर्ष के दौरान राजस्व का अर्जन किया गया है अतः हेलीकॉप्टरों के मूल्य के प्रति हानि के संबंध में, केवल एक हेलीकॉप्टर एमआई–172 (वीटी–पीएचजी) के लिए 54.43 लाख रुपए (31 मार्च, 2017: शून्य) के अलावा, किसी प्रकार की अलग से कोई प्रक्रिया किए जाने की आवश्यकता नहीं समझी गई है ।

VII. मालसूचियां

1) वर्ष के दौरान मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किए जाने पर नीचे उल्लिखित कमियां/बढ़ोतियां प्रकाश में आई हैं :

(₹ लाख में)

2017-2018		2016-2017	
कमियां	बढ़ोतियां	कमियां	बढ़ोतियां
शून्य	23.84	39.92	80.17

उक्त राशियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में उचित समायोजन कर लिए गए हैं। तथापि, भौतिक शेष एवं बही रिकार्ड का समाधान किया जा रहा है। उत्तरी क्षेत्र में ऐसा कोई अंतर प्रकाश में नहीं आया है।

2) अनुमोदित लेखांकन नीति का अनुसरण करते हुए विचाराधीन वर्ष के दौरान स्थिर भंडार, कलपूर्जो एवं उप. भोज्य वस्तुओं की समीक्षा करने पर वर्ष के दौरान 164.89 लाख रुपए (31 मार्च, 2017: 209.55 लाख रुपए) के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, पश्चिम क्षेत्र स्थिर भंडार, कलपूर्जो एवं उपभोज्य वस्तुओं की समीक्षा करने पर शून्य लाख रुपए (31 मार्च, 2017: शून्य लाख रुपए) के प्रावधान वर्ष के दौरान हटा दिए गए हैं।

3) विमानन क्षेत्र के मूल्य प्रवाह अन्य उद्योगों के मूल्य प्रवाह से भिन्न होते हैं तथा इसके अलावा पूर्व स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टरों, कलपूर्जो, उपयोज्यताओं की उपलब्धि खुले बाजार में नहीं हो पाती है। इसके अलावा, विमानन क्षेत्र का विकास काफी तेजी से हो रहा है जबकि बाजार में इसके विक्रेता काफी कम हैं। इस प्रकार, मालसूचियों का मूल्य उनके निवल प्राप्ति योग्य मूल्य के समान है।

VIII. प्रतिभूत ऋण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कहां से ऋण	स्वीकृत सीमा/तिथि	31.3.2018 तक निकासी	31.3.2018 तक पुनर्भुगतान	ब्याज दर (मासिक शेष)	भुगतान अनुसूची	प्रत्याभूत माध्यम
1.	एन.टी.पी.सी. लिमिटेड	5430.00 29/04/2010	5283.63	2785.90	6% प्रतिवर्ष	120 समान मासिक किश्ते	डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों के प्रति आडमार

IX. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार व्यवसाय प्राप्य, व्यवसाय देय एवं ऋण तथा अग्रिम/जमा के शेष की पुष्टि मांगी गई थी परन्तु इसकी सीमित प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

X. प्रबंधन द्वारा जी.एस.टी. विवरणों में दी गई सूचना के अनुसार सेवा/बिक्रियों तथा प्राप्त/क्रय की गई सेवा के आंकड़ों का समाधान लेखा बहियों में दिए गए आंकड़ों से किया जा रहा है।

XI. कम्पनी के प्रमुख ग्राहक केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश तथा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जिनके संबंध में भुगतान के प्रति चूक की स्थिति सामान्यतः नहीं आती है। प्रबंधन को अपने ग्राहकों से सभी बकायों की प्राप्ति होने की पूरी आशा है। तदनुसार, ग्राहकों से प्राप्यों की 100% वसूली की संभावना विचार में ली गई है। इसे विचार में लेते हुए कम्पनी द्वारा संभाव्य मैट्रिक्स तैयार नहीं किए गए हैं और इंड एएस 109 के अंतर्गत 'संभावित ऋण हानि प्रावधान' का लेखांकन नहीं किया गया है।

XII. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं अन्य हितलाभ

1) निदेशक मंडल द्वारा अपनी 154वीं बैठक में पॉयलटों तथा विमान अनुरक्षण अभियंताओं के लिए दिनांक 1.4.2016 से लाइसेंस सम्बद्ध भत्ता अनुमोदित कर दिया गया है तथा तदनुसार वित्तीय वष्र 2016–17 के लिए 1147.39 लाख रुपए के प्रावधान किए गए हैं। वर्ष के दौरान पॉयलटों तथा विमान अनुरक्षण अभियंताओं के लिए 1.1.2017 से प्रभावी किए जाने वाले अतिरिक्त लाइसेंस सम्बद्ध भत्ते, लोक उद्यम विभाग के अनुसार वेतन संशोधन में समय फ्रिक्वेंसी के साथ, का एक मंत्रिमंडलीय नोट नागर विमानन मंत्रालय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। तदनुसार, 1.1.2017 से 31.3.2017 की अवधि के लिए 221.00 के प्रावधान लेखा बहियों में स्वीकृत किए गए हैं तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान किए गए 1147.39 लाख रुपए के प्रावधानों में से वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 926.39 लाख रुपए के प्रावधान रिवर्स कर दिए गए हैं। विचाराधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा पॉयलटों तथा विमान अनुरक्षण अभियंताओं के लाइसेंस सम्बद्ध अतिरिक्त भत्तों के लिए 883.00 लाख रुपए के प्रावधान किए गए हैं।

2) सेवानिवृत्ति हितलाभ योजनाएं

1) नीचे दी गई तालिका में वित्तीय विवरणों में स्वीकृत सेवानिवृत्ति हितलाभ योजनाओं की स्थिति दर्शाई गई है:–

(₹ लाख में)

विवरण	2017–18			2016–17		
	अथ शेष देयताएं	वर्ष के दौरान निर्मित/समायोजित	अंत शेष देयताएं	अथ शेष देयताएं	वर्ष के दौरान निर्मित/समायोजित अंत शेष देयताएं	अर्जित छुट्टी
अर्जित छुट्टी	1613.30	(33.69)	1579.61	1602.34	10.96	1613.30
अर्ध वेतन छुट्टी	478.62	45.32	523.94	766.62	(288.00)	478.62
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ योजना	935.96	213.84	1149.80	763.90	172.06	935.96
सेवानिवृत्ति पर सामान प्रेषण भत्ता	18.59	0.80	19.39	16.63	1.96	18.59
योग	**3046.47**	**226.27**	**3272.74**	**3149.49**	**(103.02)**	**3046.47**

2) उपदान

i. परिभाषित हितलाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं:–

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
वर्ष के प्रारम्भ में परिभाषित दायित्व	3501.63	3305.02
अधिग्रहण समायोजन आईएन	5.14	-
चालू सेवा लागत	176.04	178.65
ब्याज लागत	262.62	264.40
बीमांकिक लाभ/(हानि)	(261.42)	(136.07)
चुकता हितलाभ	(216.96)	(110.37)
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व	4412.42	3501.63

ii. योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:–

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
वर्ष के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	3668.26	3487.14
योजना परिसम्पतियों पर वास्तविक लाभ	309.00	291.49
नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-
चुकता हितलाभ	(216.96)	(110.37)
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	3760.30	3668.26

iii. कुल योजना परिसम्पतियों में से प्रमुख वर्गों की योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य का प्रतिशत निम्नानुसार है:–

विवरण	31 मार्च, 2018 (%)	31 मार्च, 2017 (%)
सरकारी प्रतिभूतियां/भा.रि.बैं. में विशेष जमा	65.36	64.18
उच्च गुणवत्ता वाले निगमित बांड	31.49	24.48
बीमा कम्पनियां	शून्य	शून्य
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, बैंक शेष	2.15	1.86
सावधि जमा	शून्य	9.02
इक्विटी (म्यूचुअल फंड)	1.00	0.46

iv. परिभाषित हितलाभ दायित्व का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	4412.42	3501.63
योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	3760.30	3668.26
हितलाभ देयताएं	(652.12)	166.63

v. लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
चालू सेवा लागत	1121.41	178.65
हितलाभ दायित्व की ब्याज लागत	(12.50)	(14.57)
अवधि के दौरान निवल व्यय	1108.91	164.08

vi. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में स्वीकृत व्ययः

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
अवधि से सम्बद्ध दायित्वों पर बीमांकित लाभ/(हानि)	261.42	136.07
योजना परिसम्पतियों पर बीमांकित लाभ/(हानि)	33.89	12.52
निवल संचयी गैर–स्वीकृत बीमांकित लाभ/(हानि) अथ शेष	-	-
अवधि के दौरान स्वीकृत अन्य व्यापक आय पर बीमांकित लाभ/(हानि)	295.31	148.59

vii. कर्मचारी हितलाभ के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रमुख अनुमान :–

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
छूट दर	7.60%	7.50%
भावी लागत वृद्धि/वेतन संवर्धन दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
संघर्षण दर		
आयु (वर्ष)		
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष तक	2.00%	2.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%

उक्त सूचना का प्रमाणन बीमांकिक द्वारा किया गया है तथा इसे लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकृत किया गया है।

बीमांकन मूल्यांकन के लिए विचार में लाई गई अनुमानित भावी वेतन वृद्धि में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग जैसे अन्य सम्बद्ध घटकों की ओर ध्यान दिया गया है। योजना परिसम्पतियों के प्रतिफल की समग्र प्रत्याशित दर का निर्धारण तुलन पत्र तिथि को प्रचलित बाजार मूल्यों के आधार पर किया गया है जो दायित्व का समाधान किए जाने की अवधि के लिए लागू हैं।

viii. संवेदी विश्लेषण

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
चालू पूर्वानुमानों पर अनुमानित हितलाभ दायित्व		
डिस्काउंटिंग दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(115.74)	(107.13)
डिस्काउंटिंग दर में –0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	121.22	112.69
वेतन वृद्धि की दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	48.58	113.77
वेतन वृद्धि की दर में – 0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(51.17)	(109.10)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(22.14)	(8.18)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में –0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	22.38	8.55

ix. अनुमानित हितलाभ दायित्वों का परिपक्वता विश्लेषण : निधि में से

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
रिपोर्टिंग तिथि में से भावी वर्षों में देय अनुमानित हितलाभ		
पहले अनुगामी वर्ष	343.03	227.44
दूसरे अनुगामी वर्ष	187.67	55.00
तीसरे अनुगामी वर्ष	207.49	96.37
चौथे अनुगामी वर्ष	251.13	252.99
पांचवे अनुगामी वर्ष	243.47	244.53
छठे अनुगामी वर्ष	242.08	302.96
6 वर्षों के पश्चात	2937.54	2322.34

x. चालू एवं पूर्व अवधियों की राशियां निम्नानुसार हैं :–

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
परिभाषित हितलाभ दायित्व	4412.42	3501.63
योजना परिसम्पतियां	3760.30	3668.26
अधिशेष / (न्यूनता)	(652-12)	(166-63)

3) सेवानिवृति उपरांत हितलाभ योजना

i. हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में हुआ परिवर्तन निम्नानुसार है:–

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	935.96	763.90
चालू सेवा लागत	30.30	24.42
ब्याज लागत	70.20	61.11
बीमांकिक लाभ / (हानि)	128.83	101.34
पूर्व सेवा लागत	-	-
चुकता हितलाभ	(15.49)	(14.81)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1149.80	935.96

ii. तुलन पत्र तथा सम्बद्ध विश्लेषण :–

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1149.80	935.96
योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में गैर–निधियन देयताएं / प्रावधान	(1149.80)	(935.96)
तुलन पत्र में स्वीकृत गैर–निधियन दायित्व	(1149.80)	(935.96)

iii. लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :–

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
चालू सेवा लागत	30.30	24.42
हितलाभ दायित्व पर ब्याज लागत	70.20	61.11
अवधि के दौरान निवल व्यय	100.50	85.53

iv. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में स्वीकृत व्यय :–

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
अवधि के दौरान दायित्व पर बीमांकिक हानियां	(128.84)	(101.34)
निवल गैर–स्वीकृत बीमांकिक लाभ / (हानि) अथ शेष	-	-
अवधि के दौरान परिसम्पतियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	-	-
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत अवधिक में निवल व्यय	(128.84)	(101.34)

v. कर्मचारी हितलाभों के निर्धारण के लिए उपयोग में लाए गए प्रमुख अनुमान निम्नानुसार हैं:–

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
छूट दर	7.60%	7.50%
भावी लागत वृद्धि / बेतन संवर्धन दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
संघर्षण दर		
आयु (वर्ष)		
30 वर्ष तक	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00
44 वर्ष से अधिक	1.00	1.00

उक्त सूचना का प्रमाणन बीमांकिक द्वारा किया गया है तथा इसे लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकृत किया गया है।

बीमांकन मूल्यांकन के लिए विचार में लाई गई अनुमानित भावी वेतन वृद्धि में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग जैसे अन्य सम्बद्ध घटकों की ओर ध्यान दिया गया है।

vi. संवेदी विश्लेषण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
वर्तमान धारणाओं पर अनुमानित लाभ दायित्व		
डिस्काउंटिंग दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(54.23)	(56.40)
डिस्काउंटिंग दर में –0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	58.42	67.59

4) अर्जित छुट्टी देयता

i. हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है :–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1613.30	1602.34
चालू सेवा लागत	110.05	118.12
ब्याज लागत	121.00	128.19
बीमांकिक लाभ/(हानि)	95.00	217.58
चुकता हितलाभ	(359.74)	(452.93)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1579.61	1613.30

ii. तुलन पत्र तथा सम्बद्ध विश्लेषण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1579.61	1613.30
योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	-	--
गैर–निधियन देयताएं/तुलन पत्र में प्रावधान	(1579.61)	(1613.30)

iii. लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
चालू सेवा लागत	110.05	118.12
हितलाभ दायित्व पर ब्याज लागत	121.00	128.18
अवधि के दौरान स्वीकृत निवल बीमांकिक (हानि)/लाभ	95.00	217.58
अवधि के दौरान निवल व्यय	326.05	463.88

iv. कर्मचारी हितलाभ के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रमुख अनुमान निम्नानुसार हैं:–

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
छूट दर	7.60%	7.50%
भावी लागत वृद्धि/बिक्री संवर्धन दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
संघर्षण दर		
आयु (वर्ष)		
30 वर्ष तक	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00
44 वर्ष से अधिक	1.00	1.00

उक्त सूचना का प्रमाणन बीमांकिक द्वारा किया गया है तथा इसे लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकृत किया गया है।

बीमांकन मूल्यांकन के लिए विचार में लाई गई अनुमानित भावी वेतन वृद्धि में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग जैसे अन्य सम्बद्ध घटकों की ओर ध्यान दिया गया है।

v. संवेदी विश्लेषण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
चालू पूर्वानुमानों पर अनुमानित हितलाभ दायित्व		
डिस्काउंटिंग दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(44.46)	(55.16)
डिस्काउंटिंग दर में –0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	46.68	51.79
वेतन वृद्धि की दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	47.18	52.29
वेतन वृद्धि की दर में – 0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(45.32)	(51.07)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(2.93)	(2.73)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में –0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	2.98	3.80

vi. अनुमानित हितलाभ दायित्व का परिपक्वता विश्लेषण : नियोक्ता की ओर से

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
पहले अनुगामी वर्ष	124.83	119.26
दूसरे अनुगामी वर्ष	24.68	25.49
तीसरे अनुगामी वर्ष	25.36	42.35
चौथे अनुगामी वर्ष	83.99	134.38
पांचवे अनुगामी वर्ष	112.47	108.81
छठे अनुगामी वर्ष	178.13	173.50
6 वर्षों के पश्चात	1030.14	1009.02

5) सामान प्रेषण भत्ता

i. हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैः–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	18.59	16.63
चालू सेवा लागत	0.81	0.79
ब्याज लागत	1.39	1.33
बीमांकिक लाभ/(हानि)	(0.97)	0.23
चुकता हितलाभ	(0.43)	(0.40)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	19.39	18.59

ii. तुलन पत्र तथा सम्बद्ध विश्लेषण :–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	19.39	18.59
योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	-	-
गैर–निधियन देयताएं/तुलन पत्र में प्रावधान	(19.39)	(18.59)
गैर–निधियन देयताएं/तुलन पत्र में स्वीकृत	(19.39)	(18.59)

iii. लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
चालू सेवा लागत	0.81	0.79
हितलाभ दायित्व पर ब्याज लागत	1.39	1.33
अवधि के दौरान निवल व्यय	2.20	2.12

iv. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में स्वीकृत व्यय :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
अवधि के दौरान दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानिया	0.97	(0.24)
निवल गैर–स्वीकृत बीमांकित लाभ/(हानि) अथ शेष	-	-
अवधि के दौरान परिसम्पतियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि	-	-
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत अवधिक में निवल व्यय	0.97	(0.24)

v. कर्मचारी हितलाभ के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रमुख अनुमान निम्नानुसार हैं:–

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
छूट दर	7.60%	7.50%
भावी लागत वृद्धि/बिक्री संवर्धन दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
संघर्षण दर		
आयु (वर्ष)		
30 वर्ष तक	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00
44 वर्ष से अधिक	1.00	1.00

उक्त सूचना का प्रमाणन बीमांकिक द्वारा किया गया है तथा इसे लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकृत किया गया है।

बीमांकन मूल्यांकन के लिए विचार में लाई गई अनुमानित भावी वेतन वृद्धि में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग जैसे अन्य सम्बद्ध घटकों की ओर ध्यान दिया गया है।

vi. संवेदी विश्लेषण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
चालू पूर्वानुमानों पर अनुमानित हितलाभ दायित्व		
डिस्काउंटिंग दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(0.61)	(0.55)
डिस्काउंटिंग दर में –0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	0.64	0.57
कर्मचारी टर्नओवर की दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(0.04)	(0.56)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में –0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	0.05	0.59

vii. अनुमानित हितलाभ दायित्व का परिपक्वता विश्लेषणः निधि में से

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
पहले अनुगामी वर्ष	1.21	1.22
दूसरे अनुगामी वर्ष	0.28	0.27
तीसरे अनुगामी वर्ष	0.31	0.54
चौथे अनुगामी वर्ष	0.95	1.38
पांचवे अनुगामी वर्ष	1.44	1.34
छठे अनुगामी वर्ष	1.81	1.76
6 वर्षों के पश्चात	1.33	12.05

6) अर्द्ध–वेतन छुट्टी देयता

i. हितलाभ दायित्व में परिवर्तन का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार है :–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
वर्ष के प्रारम्भ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	478.62	766.61
चालू सेवा लागत	26.92	24.15
ब्याज लागत	35.90	61.33
बीमांकिक लाभ/(हानि)	16.74	(348.56)
चुकता हितलाभ	(34.24)	(24.91)
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व	523.94	478.62

ii. तुलन पत्र तथा सम्बद्ध विश्लेषण :–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	523.94	478.62
योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	-	-
गैर निधियन देयता/तुलन पत्र में प्रावधान	(523.94)	(478.62)

iii. लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
चालू सेवा लागत	26.92	24.15
हितलाभ दायित्व की ब्याज लागत	35.90	61.33
अवधि के दौरान स्वीकृत बीमांकिक लाभ/(हानि)	16.74	(348.56)
अवधि के दौरान निवल व्यय	79.56	(263.08)

iv. कर्मचारी हितलाभ के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रमुख अनुमान निम्नानुसार हैं:–

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
छूट दर	7.60%	7.50%
भावी लागत वृद्धि/बिक्री संवर्धन दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
संघर्षण दर		
आयु (वर्ष)		
30 वर्ष तक	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00
44 वर्ष से अधिक	1.00	1.00

उक्त सूचना का प्रमाणन बीमांकिक द्वारा किया गया है तथा इसे लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकृत किया गया है।

बीमांकन मूल्यांकन के लिए विचार में लाई गई अनुमानित भावी वेतन वृद्धि में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग जैसे अन्य सम्बद्ध घटकों की ओर ध्यान दिया गया है।

v. संवेदी विश्लेषण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
चालू अनुमानों पर संभावित हितलाभ दायित्व		
डिस्काउंटिंग दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(13.82)	(14.83)
डिस्काउंटिंग दर में –0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	14.43	13.90
वेतन वृद्धि की दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(13.82)	14.04
वेतन वृद्धि की दर में –0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	14.43	(15.09)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(0.76)	(1.30)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में –0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	0.81	1.33

vi. अनुमानित हितलाभ दायित्वों का परिपक्वता विश्लेषण : नियोक्त की ओर से

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
पहले अनुगामी वर्ष	53.35	39.18
दूसरे अनुगामी वर्ष	7.87	7.41
तीसरे अनुगामी वर्ष	7.97	18.88
चौथे अनुगामी वर्ष	24.78	39.72
पांचवे अनुगामी वर्ष	35.43	29.06
छठे अनुगामी वर्ष	57.18	44.51
6 वर्षों के पश्चात	337.35	299.07

XIII. इक्विटी शेयरों (गैर–सूचीबद्ध) में लागत पर निवेश – (स्तर 3 निवेश)

कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, गोंदिया, महाराष्ट्र में 289.34 लाख रुपए का इक्विटी अंशदान (गैर–सूचीबद्ध) किया गया है। निवेशित कम्पनी को 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार 8368.40 लाख रुपए की चुकता शेयर पूंजी में से 6122.42 लाख रुपए की हानियां (गैर–लेखापरीक्षित लेखा) हुई हैं जो एनएफटीआई की कुल चुकता शेयर पूंजी का लगभग 73.16% (31 मार्च, 2017–64.64%) है। कम्पनी द्वारा 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार हानि के मूल्य के लिए 211.68 लाख रुपए (31 मार्च, 2017:187.03 लाख रुपए) के प्रावधान किए गए हैं (संदर्भ नोट संख्या XXIII)।

XIV. बीमा दावे

क) दिनांक 28 जून, 2013 को उत्तराखंड में मातेली से हार्शिल के लिए एक बचाव मिशन के दौरान एन3 हेलीकॉप्टर पंजीकरण संख्या वीटी–पीएचजैड दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हेलीकॉप्टर की मरम्मत के पश्चात 1086.76 लाख रुपए की राशि का वित्तीय दावा मैसर्स न्यू इंडिया एश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड को मूल्यांकन तथा अग्रेतर कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात दिनांक 10 सितम्बर, 2015 को सर्वेयर से प्राप्त ई–मेल के अनुसार दावे का मूल्यांकन 733.45 लाख रुपए के लिए हुआ था जो कि बीमा कम्पनी द्वारा समाधान किए जाने की शर्त के अध्याधीन था। बीमा कम्पनी द्वारा हमारा दावा नागर विमानन महानिदेशालय की दुर्घटना रिपोर्ट के आधार पर निरस्त कर दिया गया है। कम्पनी द्वारा अपने दिनांक 13 अगस्त, 2018 के माध्यम से दुर्घटना के कारणों के बारे में विस्तार में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए हैं तथा बीमा कम्पनी को एक बार फिर से इस मामले पर पुनर्विचार करने और दावे का निपटान करने का अनुरोध किया गया है।

ख) दिनांक 24.11.2015 को मारूली हैलीपैड, नागालैंड में लैंडिंग के दौरान डॉफिन एन हेलीकॉप्टर, रजिस्ट्रेशन संख्या वीटी–ईएलजे (सकल ब्लॉक 752.98 लाख रुपए निवल ब्लॉक 154.26 लाख रुपए) विमान में सवार कर्मी दल के 2 सदस्यों तथा 4 यात्रियों के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हेलीकॉप्टर के लिए सहमत बीमा मूल्य 1325.00 लाख रुपए है जिसमें से पोत बीमा पॉलिसी के नियम तथा शर्तों के अनुसार 40.00 लाख रुपए की राशि काटी जानी है। विचाराधीन वर्ष के दौरान यह दावा पूरी तरह से स्वीकृत करके लेखाबद्ध कर लिया गया है।

ग) जुहू से ओएनजीसी के उत्तरी क्षेत्रों के लिए सोर्टी उड़ान के दौरान दिनांक 13.1.2018 को डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर, पंजीकरण संख्या वीटी–पीडब्ल्यूए (सकल ब्लॉक 3873.07 लाख रुपए निवल ब्लॉक 3145.17 लाख रुपए) एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गया था जिसमें 2 कर्मी दल सदस्यों तथा 5 यात्रियों की मृत्यु हुई थी। यह हेलीकॉप्टर 5000.00 लाख रुपए की बीमा राशि के लिए बीमाकृत था जिसमें से 70.00 लाख रुपए काटे जाने योग्य थे। कम्पनी द्वारा बीमे का दावा बीमा कम्पनी के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया था। हेलीकॉप्टर के संबंध में पोत बीमा का समाधान 5000.00 लाख रुपए के लिए किया गया है जिसमें से पोत बीमा पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार 70.00 लाख रुपए काटे गए हैं तथा इसे विचाराधीन वर्ष के दौरान लेखाबद्ध कर लिया गया है।

XV. कराधान

क) 31.3.2007 से 31.3.2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्षों के दौरान करयोग्य हानियों को विचार में लेकर कम्पनी द्वारा आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी के अंतर्गत 13,343.44 लाख रुपए (31 मार्च, 2017: 13,343.44 लाख रुपए) का न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) विचाराधीन वर्ष तक के लिए चुकता किया गया था। वर्ष के दौरान सामान्य प्रावधान के अंतर्गत देय कर 3350.32 लाख रुपए है तथा आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी के अंतर्गत कर देयता 566.26 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान सामान्य कर देय एवं न्यूनतम वैकल्पिक कर, जिसमें 10559.38 लाख रुपए उपलब्ध हैं जो न्यूनतम वैकल्पिक कर चुकता किए जाने के वर्ष से आगे के 15 वर्षों में समायोजित किए जा सकते हैं, में से 2784.06 लाख रुपए का समायोजन किया गया है। तथापि, इसे विवेक के आधार पर लेखाबद्ध नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन को उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट के समायोजन के लिए भावी करयोग्य लाभ उत्पति के प्रति निश्चितता नहीं है।

ख) 7674.65 लाख रुपए (पिछले वर्ष 4513.56 लाख रुपए) के अग्रिम कर के निवल कर प्रावधानों का ब्यौरा 6924.93 लाख रुपए के गैर चालू अग्रिम कर के अंतर्गत दर्शाया गया है जिसमें से 34.98 लाख रुपए के अमान्य स्रोत पर कर कटौती प्रमाण पत्र शामिल नहीं है जो मूल्यांकन वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 (पिछले वर्ष 6393.65 लाख रुपए) से संबंधित हैं तथा 1281.00 लाख रुपए (पिछले वर्ष 930.54 लाख रुपए) के चालू अग्रिम कर एवं 566.26 लाख रुपए (पिछले वर्ष 2810.63 लाख रुपए) की चालू देयताओं के अंतर्गत हैं जो निम्नानुसार है:–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम कर	44428.74	40705.38
आय कर के लिए प्रावधान	36754.09	36191.82
अग्रिम चुकता आय कर की निवल राशि	**7674.65**	**4513.56**

ग) अग्रिम कर की राशि में मूल्यांकन वर्ष 2015–16 तक के पूर्ण मूल्यांकनों से संबंधित 6504.53 लाख रुपए (31 मार्च, 2017: 6498.44 लाख रुपए) एवं मूल्यांकन वर्ष 2016–17 तथा मूल्यांकन वर्ष 2017–18 से संबंधित 823.64 लाख रुपए की वह राशि शामिल है जिसके मूल्यांकन अभी नहीं हुए हैं तथा शेष 346.48 लाख रुपए का अग्रिम कर चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त अग्रिम कर में से 6504.53 लाख रुपए की राशि मूल्यांकन वर्ष 2015–16 (31 मार्च, 2017:6498.44 लाख रुपए) तक धनवापसी योग्य राशि है जो वर्तमान स्तर पर आय कर अपीलिय ट्रिब्यूनल के सम्मुख इनके मामले लम्बित होने के कारण स्वीकृति योग्य नहीं है। इस प्रकार आय कर विभाग से धनवापसी के रूप में प्राप्य/समायोजन योग्य 6393.65 लाख रुपए (31 मार्च, 2017:6393.65 लाख रुपए) की राशि को 'गैर चालू परिसम्पतियों' के अंतर्गत दर्शाया गया है तथा 1281.00 लाख रुपए (31 मार्च, 2017: (–)1880.09 लाख रुपए) को 'चालू कर परिसम्पतियों' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

कम्पनी ने मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दी गई अस्वीकृति एवं आय कर आयुक्त (अपील) द्वारा की गई पुष्टि के प्रति आय कर अपीलिय ट्रिब्यूनल के सम्मुख अपीलें दायर की गई है। ये अपीलें मुख्यतः कम्पनी द्वारा केन्द्र सरकार को देय ब्याज के दावों/वित्तीय वर्ष 1996–97 से 2001–02 के कर मुक्त बांडों के ब्याज से संबंधित हैं।

XVI. हेलीपोर्ट परियोजना

सरकार द्वारा कम्पनी के लिए रोहिणी, नई दिल्ली में 6400 लाख रुपए (1907 लाख रुपए की भूमि लागत सहित जो नागर विमानन मंत्रालय के नाम है) की अनुमानित लागत से हेलीपोर्ट के निर्माण की परियोजना का अनुमोदन दिया गया था जिसे नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 7.6.2016 को अनिवार्य सुरक्षा, संरक्षा तथा प्रचालनात्मक अवसंरचना लागत के लिए अतिरिक्त मदों एवं आकस्मिकताओं को विचार में लेकर 9925.00 लाख

रुपए कर दिया गया था। इस परियोजना के लिए निधियन निम्नानुसार किया गया है:–

क) अनुमानित मूल्य अवसंरचना विकास की 80% लागत के लिए सरकारी इक्विटी के तौर पर लगभग 6414.00 लाख रुपए का योगदान

ख) कम्पनी द्वारा परियोजना लागत 20% भाग के तौर पर 1604 लाख़ रुपए का योगदान

कम्पनी को हेलीपोर्ट परियोजना की लागत के लिए भारत सरकार से 6414.00 का इक्विटी अंशदान (जिसमें भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) से मार्च, 2017 में इक्विटी अंशदान के रूप में प्राप्त 2814.00 लाख रुपए शामिल हैं) मार्च 2017 तक प्राप्त हो गया है।

इस परियोजना पर 31.3.2018 तक किए गए व्यय का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
भूमि की लागत–भारत सरकार द्वारा निधियन नहीं	7.01	7.01
परामर्शदाताओं को डिजायनिंग तथा परियोजना योजना के लिए भुगतान	178.68	178.68
चारदीवारी तथा ठेकेदारों, बिजली लोड स्वीकृति फीस इत्यादि के आर/ए बिलों के भुगतान के लिए।	5948.26	5948.26
योग	**6133.95**	**6133.95**

वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 28.2.2017 से रोहिणी स्थित हेलीपोर्ट से प्रचालन प्रारम्भ हो गए थे। तदनुसार, दिनांक 28.2.2017 को घटक एप्रोच का अनुसरण करते हुए विभिन्न स्वीकृत घटकों के अंतर्गत 6133.95 लाख रुपए का अस्थाई पूंजीयन कर लिया गया था। इसके अलावा, चूंकि रोहिणी हेलीपोर्ट के संबंध में कम्पनी एवं नागर विमानन मंत्रालय के बीच किसी प्रकार का करार किए जाने की आवश्यकता थी अतः कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित उपयोज्यता काल को संबंधित स्वीकृत घटकों के लिए विचार में लिया गया है।

मैसर्स दिनेशचन्द्र आर. अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड (डीआरएआईपीएल) द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विवाचन याचिका संख्या 472/2017 दायर करके कम्पनी द्वारा अपने दिनांक 15.3.2017 के 1886.77 लाख रुपए के दावे के नोटिस के प्रति नामित विवाचक (श्री कृष्ण कांत को नामित विवाचक नियुक्त किए जाने के संबंध में) को रोहिणी हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य के संबंध में विवाचक नियुक्त किए जाने की मांग की गई है। तथापि, याचिकाकर्ता द्वारा यह नोटिस वापस ले लिया गया था। दिनांक 23.11.2017 को उच्च न्यायालय द्वारा पवन हंस लिमिटेड को अपना विवाचक नामित करने के आदेश जारी किए किए थे। तदनुसार, पवन हंस लिमिटेड द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश जे.डी.कपूर तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऊषा मेहरा को पीठासीन विवाचक के रूप में नियुक्त करते हुए 2 विवाचक नियुक्त किए गए थे। डीआरएआईपीएल द्वारा 2085.00 लाख रुपए का दावा किया गया है जिसकी प्रतिक्रिया में पवन हंस लिमिटेड द्वारा दिनांक 10.5.2018तथा 5.7.2018 को हुई आखिरी सुनवाइयों के दौरान 2928.00 लाख रुपए का प्रति दावा किया है। दावे/प्रति दावे के संबंध में पार्टियों द्वारा प्रत्युत्तर फाइल कर दिए गए हैं। दिनांक 3.9.2018 को तर्क वितर्क प्रारंभ हो गए हैं। ऊपर नोट संख्या 32(II(डी)) में 2085.00 लाख रुपए की आकस्मिक देयताएं शामिल की गई हैं।

इसके अलावा, कम्पनी के विनिवेश की प्रक्रिया जारी होने को विचार में लेते हुए पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2017 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में रोहिणी हेलीपोर्ट से अलग होने का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है। 31 मार्च, 2018 तथा 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की

परिसम्पतियां एवं देयताओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
परिसम्पतियां		
सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण	5657.71	6095.57
प्राप्य व्यवसाय	16.90	-
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य	169.90	-
अन्य चालू परिसम्पतियां	14.33	-
योग	**5858.84**	**6095.57**
अन्य इक्विटी	(563.57)	(37.67)
इन्टर यूनिट शेष	5771.83	6128.21
अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं	3.81	0.94
व्यवसाय देय	26.44	3.70
अन्य चालू देयताएं	620.34	0.38
योग	**5858.84**	**6095.57**

रोहिणी हेलीपोर्ट की आय तथा व्यय निम्नानुसार है:–

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
आय		
प्रचालन से राजस्व	193.44	15.58
अन्य आय	2.65	-
आय	**196.09**	**15.58**
व्यय		
हेलीकॉप्टर प्रचालन व्यय	61.50	3.22
कर्मचारी हितलाभ व्यय	0.27	-
मुख्यालय/उत्तरी क्षेत्र निर्धारण	101.00	5.89
मूल्यह्रास तथा परिशोधन	437.85	38.39
अन्य व्यय	121.36	5.75
योग	**721.99**	**53.24**
निवल लाभ	**(525.90)**	**(37.67)**

रोहिणी हेलीपोर्ट का रोकड़ प्रवाह विवरण निम्नानुसार है:–

	विवरण	2017–18	2016–17
क	**प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह**		
	कर पूर्व निवल लाभ	(525.90)	(37.67)
	मूल्यह्रास तथा परिशोधन	437.86	38.39
	कार्यशील पूंजी प्रभारों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(88.05)**	**0.72**
	परिसम्पतियों तथा देयताओं में परिवर्तन		
	व्यवसाय देय, अन्य देयताएं एवं प्रावधान	642.70	4.08
	ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य परिसम्पतियां	(11.46)	0.94
	व्यवसाय प्राप्य	(16.90)	Nil
	इन्टर यूनिट शेष	(356.39)	6128.21
	प्रचालन क्रियाकलापों से उत्पन्न रोकड़	**257.95**	**6133.23**
	प्रचालन क्रियाकलापों से उत्पन्न निवल रोकड़	**169.90**	**6133.95**
ख	**निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह**		
	अचल परिसम्पतियों का क्रय	शून्य	(6133.95)
	निवेश क्रियाकलापों से निवल रोकड़ उत्पत्ति	**शून्य**	**(6133.95)**
ग	**वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़**	**शून्य**	**शून्य**
	रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि / उपयोज्यता (क+ख+ग)	**169.90**	**शून्य**
	अवधि के प्रारम्भ में रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य	**शून्य**	**शून्य**
	अवधि के अंत में रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य	**169.90**	**शून्य**

इसके परिणामी प्रभाव कम्पनी के कर प्रावधानों तथा आस्थगित कर पर भी होंगे।

XVII. हडपसर, पुणे में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी एवं हेलीपोर्ट

कम्पनी को हडपसर, पुणे में स्थित नागर विमानन महानिदेशालय के स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन विद्यमान ग्ला. इडिंग सेन्टर में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी एवं हेलीपोर्ट के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदन दे दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इस उद्देश्य से अप्रैल, 2010 में 1000.00 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। उक्त अग्रिम में से 31.3.2018 तक निम्नानुसार व्यय किए गए हैं:–

(मूल्य ₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
क	–नागर विमानन महानिदेशालय से अप्रैल, 2010 में प्राप्त अग्रिम	1000.00	1000.00
	–कुल उपार्जित एवं अर्जित ब्याज	208.61	205.96
	कुल निधि	**1208.61**	**1205.96**
ख	– एनबीसीसी को दी गई राशि	1134.09	1134.09
	– कम्पनी द्वारा परियोजना पर व्यय की गई राशि	26.68	26.68
	योग वितरण / व्यय	**1160.77**	**1160.77**
ग	बैंक में उपलब्ध रोकड़	5.38	5.37
	– चालू खाते में	41.76	39.41
	– ब्याज उपार्जित एवं अन्य	0.70	0.41
	योग	**47.84**	**45.19**

XVIII. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीय विकास निधि

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार 1 अप्रैल, 2014 से कम्पनी से पूर्व तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा उपार्जित शुद्ध लाभ के औसत का प्रत्येक वर्ष कम से कम 2% सीएसआर नीति के अंतर्गत व्यय किया जाना अपेक्षित किया गया है। इसके आधार पर सीएसआर में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 109.76 लाख रुपए (31 मार्च, 2017: 125.36 लाख रुपए) की राशि व्यय की अपेक्षा की गई है। इसके अलावा, पूर्व वर्षों के लिए 200.92 लाख रुपए (31 मार्च, 2017: 200.92 लाख रुपए) के प्रावधान अग्रेषित किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों पर निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत 29.08 लाख रुपए (31 मार्च, 2017: 83.85 लाख रुपए) व्यय किए गए हैं :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
स्वच्छ भारत अभियान	28.87	39.27
शिक्षा प्रोत्साहन	0.21	44.58
स्वास्थ्य सेवा	शून्य	शून्य
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	शून्य	शून्य
प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास	शून्य	शून्य
योग	**29.08**	**83.85**

*वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसआर के अंतर्गत 44.58 लाख रुपए की लागत से विद्यालय की मरम्मत का एक करार किया गया था जिसमें से 31.3.2018 तक 25.17 लाख रुपए का व्यय किया जा चुका है तथा 19.41 लाख रुपए के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व प्रावधान लेखा बहियों में सीएसआर के अंतर्गत प्रतिबद्ध दायित्व में अग्रेषित कर दिए गए हैं।

लोक उपक्रम विभाग के दिनांक 23.9.2011 के दिशानिर्देशों तथा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 31.3.2014 तक की अवधि के लिए व्यय न की गई 200.92 लाख रुपए की शेष राशि का विधिवत उपयोग किया जाएगा।

XIX. प्रचालन पट्टे के प्रति दायित्व :–

निरस्त किए गए प्रचालन पट्टों 2669.56 लाख रुपए (31 मार्च, 2017: 6799.03 लाख रुपए) का किराया व्यय/हेलीकॉप्टर पट्टा प्रभार लाभ एवं हानि विवरणी में प्रभारित किए गए है। कम्पनी द्वारा गैर–निरस्त प्रचालन पट्टे नहीं किए गए हैं

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ प्रचालन पट्टे का प्रकटीकरणः–

(₹ लाख में)

विवरण	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं	पांच वर्ष से अधिक
हि.ए.लि. से ड्राई लीज पर ध्रुव हेलीकॉप्टर (वीटी–एचएक्यू)*	374-24	-	-

* वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 643.83 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹209.00 लाख रुपए) लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए हैं।

इसके अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं कम्पनी के बीच सफदरजंग हवाईअड्डा तथा जुहूड्राम पर स्थित हैंगरों एवं भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई आधारभूत पट्टा नहीं किया गया है तथा तदनुसार, इस पट्टे को रद्द किए जा सकने अथवा रद्द न किए जा सकने का संज्ञान नहीं किया जा सकता है। इसे विचार में लेते हुए इंड–एएस के प्रावधानों के अनुसार भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान से संबंधित प्रावधानों के अनुसार प्रकटीकरण व्यवहार्य नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पट्टा किराए के संबंध में

1917.41 लाख रुपए (पिछले वर्ष 5476.15 लाख रुपए) का लेखांकन किया गया है।

इंड एएस 17 के अनुसार कम्पनी के पास नोएडा कार्यालय की भूमि के संबंध में 27.11.1989 से 90 वर्ष का पट्टा करार है, तदनुसार, इंड एएस के अंतर्गत कटौती दर पर किए गए वित्तीय पट्टे से संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार है:–

(₹ लाख में)

विवरण	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं	पांच वर्ष से अधिक
कटौती पर नोएडा कार्यालय के भूमि पट्टा का किराया	1.70	4.98	10.43

XX. तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित घटनाएं:

क) दिनांक 3.10.2018 को बेल 206एल4 हेलीकॉप्टर वीटी–पीएचडी (बीमित मूल्य 875.00 लाख रुपए) ने पादौम से टेक ऑफ किया तथा लेह से आगे जांसकार में कारगियाक पर आपात लैंडिंग की। इसकी जानकारी बीमा कम्पनी को दी गई है।

ख) विचाराधीन वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात दमन डिटैचमेंट के तात्कालिक बेस सहायक द्वारा दमन एवं दीव प्रशासन की ओर से जारी टिकटों पर संग्रहण के प्रति 3.56 लाख रुपए (अनुमानित) रुपए की राशि का अपाहरण किया गया था। धन की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई थी तथा अब तक संबंधित कर्मचारी से 2.30 लाख रुपए वसूल कर लिए गए हैं तथा अन्य उचित कार्रवाई किए जाने के साथ साथ शेष 1.26 लाख रुपए की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

XXI. घटक लेखांकन

वित्तीय वर्ष 2016–17 से हेलीकॉप्टर के कलपुर्जों के लिए घटक लेखांकन की प्रक्रिया अपनाई गई थी तथा घटक लेखांकन के लिए निम्नलिखित कलपुर्जे विचार में लिए गए थे:–

1 इंजन
2 मुख्य गियर बॉक्स
3 हब एसेम्बली
4 ट्रांसमिशन एसेम्बली
5 सन्निहित लागत
6 हल्ल

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान हैलीकॉपटरों तथा घटकों के मूल्यह्रास की कुल राशि 6899.14 लाख रुपए (31 मार्च, 2017: 6692.44 लाख रुपए) है। ओवरहॉल प्रभार/जी निरीक्षण व्यय की राशि 4969.28 लाख रुपए (31 मार्च, 2017:6383.01 लाख रुपए) का वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान पूंजीयन किया गया है।

XXII. क) वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान लक्षद्वीप डिटैचमेंट में एक वित्तीय अनियमितता पाई गई थी। सतर्कता विभाग द्वारा जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रबंधन को प्रस्तुत की गई थी। सतर्कता विभाग द्वारा सूचित 129.21 लाख रुपए की अनुमानित वित्त हानि में से वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 89.12 लाख रुपए के प्रावधान किए गए थे। 89.12 लाख रुपए की इस राशि का निर्धारण 129.21 लाख रुपए की अनुमानित लागत के अनुसार किया गया था जिसमें से कर्मचारियों को सहायक कार्यों/बीजकों इत्यादि के लिए देय 40.09 लाख रुपए का संज्ञान कर लिया गया था। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान लक्षद्वीप प्रशासन से अप्रैल, 2008 से मार्च, 2011के यात्री बिलों के लिए 59.29 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। मानव संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच कार्रवाई पूरी हो चुकी है तथा दिए गए सुझाव के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

ख) कम्पनी द्वारा मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) ट्रियूम्फ इंजन कंट्रोल सिस्टम, यू.एस.ए. को हाइड्रो मैकेनिकल यूनिट की मरम्मत के लिए $41,184 का अग्रिम चुकता किया गया था। आपूर्तिकता द्वारा भुगतान प्राप्त न होने

की पुष्टि की गई थी जो जांच के पश्चात सही पाई गई थी। कम्पनी द्वारा मामले की जांच के लिए साइबर क्राइम सैल तथा संबंधित पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज करवा दी गई है। इसके लिए वर्ष के दौरान 26.14 लाख रुपए (पिछले वर्ष : शून्य) के प्रावधान किए गए हैं।

XXIII. प्रावधान

31.3.2018 की स्थिति के अनुसार बहियों में किए गए विभिन्न प्रावधान नीचे दिए गए हैं:–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2016 की स्थिति	ववर्ष के दौरान निर्मित / प्रयुक्त / अन्य समायोजन	31 मार्च, 2017 की स्थिति	वर्ष के दौरान निर्मित / प्रयुक्त / अन्य समायोजन	31 मार्च, 2018 की स्थिति
परिसम्पतियों की क्षति	1615.99	(0.46)	1615.53	54.43	1669.96
1.1.2007 से पेंशन एवं अन्यों सहित वेतन एवं भत्तों में संशोधन के प्रावधान	100.20	-	100.20	(30.30)	69.90
पॉयलटों तथा इंजीनियरों के लिए लाइसेंस सम्बद्ध भत्ते के प्रावधान	4381.16	(3233.77)	1147.39	(43.39)	1104.00
1.1.2017 से वेतन एवं भत्तों में संशोध ान के प्रावधान	-	515.35	515.35	1385.85	1901.20
संदेहास्पद ऋण / अग्रिम	1776.32	756.50	2532.82	516.79	3049.61
अचल मालसूचियां / कालातीत मदें इत्यादि	2848.70	208.37	3057.07	147.81	3204.88
लक्षद्वीप डिटैचमेंट में क्षति के लिए प्रावधान	89.12	-	89.12	-	89.12
निवेश के मूल्य के प्रति घटाव के लिए प्रावधान	164.92	22.11	187.03	24.65	211.68

XXIV.

क) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 15.6.2017 के पत्र संख्या एवी.30020 / 365 / 2015–जी के माध्यम से कमपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 25,000 लाख रुपए से बढ़ाकर 56,000 लाख रुपए अर्थात 31,000 लाख रुपए की वृद्धि के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जो आम सभा में शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त किए जाने की शर्त पर है। तदनुसार, प्राधिकृत शेयर पूंजी 25,000 लाख रुपए से बढ़ाकर 56,000 लाख रुपए किए जाने के लिए राइट इश्यू के शेयर नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) के लिए 15,905 लाख रुपए (13,091 लाख रुपए दिनांक 20.1.2017 को प्राप्त तथा 2,814 लाख रुपए 31.3.2017 को प्राप्त) तथा ओएनजीसी लिमिटेड के लिए 15,281.60 लाख रुपए (6.7.2017 को प्राप्त) जारी करने के संबंध में दिनांक 22.6.2017 को आयोजित असाधारण आम सभा में कम्पनी के शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। दिनांक 10.7.2017 को आयोजित 159वीं बैठक में निदेशक मंडल राइट इश्यू जारी करने तथा भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) के पक्ष में 10,000 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य के 1,59,050 इक्विटी शेयर तथा ओएनजीसी लिमिटेड के पक्ष में 1,52,816 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदनुसार, 10.2.2017 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की इक्विटी संरचना निम्नानुसार है:–

पवन हंस लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारक	10.7.2017 से पूर्व शेयरध. ारिता	10.7.2017 को आबंटित राइट इश्यू के इक्विटी शेयर	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारिता (प्राधिकृत पूंजी 56,000 लाख रुपए)	% शेयर धारिता
ना.वि.मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	12,526.60	15,905.00	28,431.60	51%
ओएनजीसी लि.	12,035.00	15,281.60	27,316.60	49%
कुल चुकता पूंजी	**24,561.60**	**31,186.60**	**55,748.20**	**100%**

ख) भारत सरकार द्वारा प्रबंधकीय नियंत्रण के अंतरण के साथ साथ पवन हंस लिमिटेड में भारत सरकार की 51% शेयरधारिता में रणनीतिक विनिवेश करने का निर्णय लिया गया है। निवेश एवं लोक सम्पति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2017 को रणनीतिक विनिवेश के उक्त उद्देश्य से एसबीआई कैप्टिल मार्केट की नियुक्ति संव्यवहार सलाहकार के रूप में की गई है। इसके अंतर्गत की जाने क्रियाकलापों के अंतर्गत प्रारम्भिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) एवं रूचि अभिव्यक्ति (ईओआई) की प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं तथा इनका प्रकाशन दिनांक 14.4.2018 को समाचार पत्रों में कर दिया गया था। उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत वैश्विक बोलियां आमंत्रित की गई थीं तथा पवन हंस लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश के लिए दिनांक 14 अप्रैल, 2018 को जारी प्रारंभिक सूचना ज्ञापन एवं दिनांक 31 मई, 2018 को जारी प्रारंभिक सूचना ज्ञापन के शुद्धिपत्र की प्रतिक्रिया में रूचि अभिव्यक्ति प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 18 जून, 2018 थी।

उपर्युक्त के अलावा, निवेश एवं लोक सम्पति विभाग द्वारा मैसर्स क्राफर्ड बेयले एंड कम्पनी को उक्त रणनीतिक विनिवेश के लिए विधि सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया था। मैसर्स आर.बी.एस.ए., परामर्शदाता की नियुक्ति नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पवन हंस लिमिटेड की परिसम्पतियों के मूल्यांकन के लिए की गई थी। मैसर्स आर.बी.एस.ए. द्वारा परिसम्पतियों के मूल्यांकन से संबंधित अपना कार्य पूरा कर लिया है।

उपर्युक्त का अनुगमन करते हुए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा भी अपने निदेशक मंडल से दिनांक 2 अगस्त, 2018 को पारित संकल्प के माध्यम से पवन हंस लिमिटेड में 49% की अपनी पूर्ण शेयरधारिता की बिक्री किए जाने की मंशा व्यक्त की गई है। इस स्थिति को विचार में रखकर सभी संभावित एवं विद्यमान बोलीदाताओं को विनिवेश की प्रक्रिया में प्रतिभागिता का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 15.8.2018 को प्रारंभिक सूचना ज्ञापन से संबंधित एक परिशिष्ट जारी किया गया था। तदनुसार, इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रूचि अभिव्यक्ति की तिथि भी 12 सितम्बर, 2018 तक के लिए बढ़ा दी गई थी, जिसे बाद में 19 सितम्बर, 2018 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। बोलियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया की जा रही है तथा पवन हंस लिमिटेड द्वारा एसबीआई कैप्स के माध्यम से विधिवत तैयार किया गया पुनरीक्षित गोपनीय सूचना ज्ञापन (सीआईएम) नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है।

XXV. पूर्वावधि चूकें

कम्पनी से वित्तीय विवरणों को तैयार किए जाने के दौरान सुधार की गई निम्नलिखित चूकों के संबंध में प्रकटीकरण किए जाने की अपेक्षा की गई है:–

क) पूर्वावधि चूक का स्वरूप

ख) प्रत्येक प्रस्तुत पूर्वावधि के संबंध में राशि में यथासंभव व्यवहार्य सुधार निम्नानुसार है:–

- प्रत्येक प्रभावित वित्तीय विवरण प्रविष्टि; तथा
- प्रति शेयर मूल एवं आय न्यूनता के संबंध में;

(ग) पूर्वावधियों के प्रारम्भ के संबंध में प्रस्तुत पूर्वावधि की राशि में सुधार;

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित पूर्वावधि समायोजन किए गए हैं:–

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
वित्तीय वर्ष 2015–16 तथा पूर्व वर्षों के संबंध में संज्ञान में ली गई पूर्वाधियों का अथ रिजर्व एवं अधिशेष में से किया गया समायोजन	
नामे	
हेलीकॉप्टर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय	4.44
कर्मचारी हितलाभ व्यय	7.06
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	159.38
अन्य व्यय	234.71
प्रचालन से राजस्व	80.81
योग	**486.40**
जमा	
अन्य आय	0.16
कर्मचारी हितलाभ व्यय	126.03
योग	**126.19**
वत्तीय वर्ष 2016–17 से संबंधित वित्तीय वर्ष 2017–18 में ली गई पूर्वावधियां का वित्तीय वर्ष 2016–17 की संबंधित प्रविष्टि के अंतर्गत किया गया समायोजन	
नामे	
हेलीकॉप्टर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय	16.33
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	184.22
अन्य व्यय	0.45
कर्मचारी हितलाभ व्यय	9.27
योग	**210.27**
जमा	
अन्य आय	25.02
कर्मचारी हितलाभ व्यय	141.62
अन्य व्यय	17.19
आस्थगित आय देयताएं	1157.31
योग	**1341.14**

XXVI. सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण

भारतीय लेखांकन मानक–24 के अंतर्गत अपेक्षित सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:–

1) नियंत्रण प्रभाव वाले व्यक्ति

भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार – 51% शेयरधारिता

तेल एवं प्राकृतिक गैस कम्पनी लिमिटेड – 49% शेयरधारिता

2) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i. डा. बी.पी. शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ii. श्री अशोक नायक, स्वतंत्र निदेशक (2.1.2017 के पश्चात से)

iii. डा. हरीश चौधरी, स्वतंत्र निदेशक (2.1.2017 के पश्चात से)

iv. श्री धीरेन्द्र सहाय, मुख्य वित्त अधिकारी

v. श्री संजीव अग्रवाल, कम्पनी सचिव

3) संव्यवहार का विवरण (प्रमुख प्रबंधन कार्मिक)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	110.92	97.92
परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ में अंशदान	6.17	6.00
सेवानिवृत्ति उपरांत हितलाभ	61.78	71.42
अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	शून्य	शून्य
टर्मीनेशन लाभ	5.00 लाख रुपए का मेडीक्लेम बीमा	5.00 लाख रुपए का मेडीक्लेम बीमा
शेयर आधारित भुगतान	शून्य	शून्य
निदेशकों की सीटिंग फीस	1.20	शून्य
प्राप्य राशि	1.01	2.17
देय राशि	0.23	शून्य

घ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित निदेशकों को चुकता पारिश्रमिक –

(₹ लाख में)

विवरण	2017-2018	2016-2017
अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	35.06	34.16
परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ में अंशदान	2.35	2.02
सेवानिवृत्ति उपरांत हितलाभ	12.19	8.72
अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	शून्य	शून्य
टर्मीनेशन लाभ	5.00 लाख रुपए का मेडीक्लेम बीमा	5.00 लाख रुपए का मेडीक्लेम बीमा
शेयर आधारित भुगतान	शून्य	शून्य

ङ) महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त उद्यम –

ओएनजीसी लिमिटेड–इक्विटी शेयरधारिता – 49% जिसकी राशि 27316.60 लाख रुपए है।

(₹ लाख में)

संव्यवहार –	2017- 18	2016-17
हेलीकॉप्टर किराया प्रभार (ए.ओ.जी. का निवल)	14,182.85	16,218.66
अन्य सेवाएं	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में व्यवसाय प्राप्य (नामे	2,509.72	2,300.87
चुकता ऋण (मूलधन राशि)	शून्य	331.56
चुकता ब्याज	शून्य	4.48
बकाया ऋण (मूलधन राशि)	शून्य	शून्य

6) ट्रस्ट जिनमें कम्पनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है: –

(₹ लाख में)

ट्रस्ट का नाम	2017- 18			2016-17		
	चुकता	देय	प्राप्य	चुकता	देय	प्राप्य
पवन हंस कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	1272.86	128.07	-	1521.28	117.70	-
पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लि. कर्मचारी उपदान ट्रस्ट	-	652.58	-	-	-	166.20
पवन हंस लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति ट्रस्ट	430.53	380.37	-	464.53	37.57	-

XXVII. मूल एवं डायलूटिड शेयरों की संख्या के मध्य समाधान निम्नानुसार है:–

विवरण	शेयरों की संख्या	
	2017-18	2016-17
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	2,45,616	2,45,616
जोड़ें: ओएनजीसी तथा भारत सरकार को 10.7.2017 को आबंटित शेयरों की संख्या/शेयर आवेदन राशि प्राप्ति के कारण आबंटन के लिए लम्बित डायलूटिड शेयरों की संख्या	2,26,423	25,542
वर्ष के अंत में डायलूटिड शेयरों की कुल संख्या	4,72,039	2,71,158

XXVIII.

क) तुलन पत्र तिथि को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति कम्पनी द्वारा 30 दिन की अवधि से अधिक कुछ बकाया नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम व्यवसाय देयताओं के संबंध में ब्याज एवं मूलधन राशि का विवरण नीचे दिया गया है:–

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति	31 मार्च, 2017 की स्थिति
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय		
– मूलधन	शून्य	शून्य
– ब्याज	शून्य	शून्य
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के अंतर्गत क्रेता द्वारा चुकता की गई ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात सूक्ष्म एवं लघु आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशियां	शून्य	शून्य
भुगतान में देरी के कारण चुकता एवं देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात एमएसएमईडी अधिनियम,2006 में निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना चुकता की गई है)	शून्य	शून्य
उपार्जित ब्याज की राशि जो प्रत्येक लेखांकन वर्ष में चुकता नहीं की गई है।	शून्य	शून्य
आगे देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि, जो नियत तिथि से लघु उद्यमी को किए गए भुगतान पर अगले वर्षों के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, व्यवकलनीय व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से देय है।	शून्य	शून्य

ख) सामान्य प्रचालन क्रम को चूंकि परिभाषित किया जाना संभव नहीं है अतः इसे 12 माह की संकल्पित अवधि के अनुसार किया गया है तथा कम्पनीज अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के उद्देश्य से परिसम्पतियों देयताओं का वर्गीकरण दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक आधार पर किया गया है।

ग) सेगमेंट रिपोर्टिंग

कम्पनी द्वारा मुख्यतः भारत में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय किया जा रहा है जो कि ''प्रचालन सेगमेंट'' के संदर्भ में भारतीय लेखांकन मानक दृ 108 के अंतर्गत मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक (''सीओडीएम'') को आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप रिपोर्ट किए जाने योग्य केवल एक ही व्यवसाय सेगमेंट माना गया है। निदेशक मंडल को मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक माना गया है क्योंकि इसके द्वारा कार्यनीतिक निर्णय लिए जाते हैं तथा यह प्रचालन सेगमेंट के संबंध में संसाधनों के निर्धारण तथा निष्पादन का मूल्यांकन करने के प्रति उत्तरदायी है। कम्पनी अपने प्रचालन भारत में करती है जो कि समान प्रकार के जोखिम होने के कारण एक ही भौगोलिक सेगमेंट माना गया है।

घ) प्रमुख ग्राहक

कम्पनी के प्रमुख ग्राहक निम्नानुसार हैंः–

i. तेल एवं प्राकृतिक गैस कम्पनी लिमिटेड
ii. अंडमान एवं निकोबार प्रशासन
iii. जम्मू एवं कश्मीर सरकार
iv. मेघालय सरकार
v. त्रिपुरा सरकार
vi. मिजोरम सरकार
vii. महाराष्ट्र पुलिस

XXIX. वित्तीय उपकरण

i. मूल्यांकन

सभी वित्तीय उपकरणों की प्रारंभिक स्वीकृति एवं अनुवर्ती पुनःमापन उनके उचित मूल्य पर किया जाता है जो कि ऐसे मामलों में नहीं किया जाता जिनके संबंध में इंड एएस 101 के पैरा डी20 के अंतर्गत इंड एएस में पारगमन के दौरान निम्नानुसार प्राप्त छूट का उपयोग किया गया हैः–

क) कर्मचारियों को दिए गए ऋण का उचित मूल्यांकन

पूर्व सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन व्यवहारों (जीएएपी) के अंतर्गत कर्मचारियों को रियायती दर जिनकी वसूली ऋण की शर्तों के अनुसार नकद की जाती है) पर दिए जाने वाले ऋण संव्यवहार के मूल्य पर रिकार्ड में लिए जाते थे। इंड एएस के अतर्गत सभी वित्तीय परिसम्पतियों की स्वीकृति उनके उचित मूल्य पर किए जाने की अपेक्षा की गई है। तदनुसार, कम्पनी द्वारा पारगमन की तिथि को विद्यमान ऋणों के अलावा इंड एएस के अंतर्गत ऐसे ऋणों का उचित मूल्य निर्धारण किया गया है ऋणों के उचित मूल्य एवं संव्यवहार मूल्य के बीच के अंतर को वर्ष से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में स्वीकृति दी गई है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ऋण की राशि 0.61 लाख रुपए कम हुई है। 31 मार्च,2018 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान लाभ एवं कुल इक्विटी में 0.56 लाख रुपए की आई है जो कि कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर स्वीकृत संकल्पित ब्याज आय के कारण है।

ख) सुरक्षा जमा

पूर्व सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन व्यवहारों (जीएएपी) के अंतर्गत ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा (जो पट्टा काल की समाप्ति के पश्चात नकद धनवापसी योग्य है) को संव्यवहार मूल्य पर रिकार्ड में लिया जाता था। इंड एएस के अंतर्गत सभी वित्तीय परिसम्पतियों की स्वीकृति उनके उचित मूल्य पर किए जाने की अपेक्षा की गई है।

तदनुसार, कम्पनी द्वारा ऐसे सुरक्षा जमा के संबंध में इंड एएस के अंतर्गत उचित मूल्य आंके गए हैं। ऐसे सुरक्षा जमा के उचित मूल्य एवं संव्यवहार मूल्य के बीच के अंतर को आस्थगित कर के रूप में स्वीकृति दी गई है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार सुरक्षा जमा की राशि में 0.08 लाख रुपए की कमी हुई है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार आस्थगित कर की राशि में 0.08 लाख रुपए की बढ़त हुई है। इसके अलावा, प्रबंधन की मंशा के आधार पर आस्थगित कर परिसम्पतियों को चालू एवं गैर–चालू में विभाजित किया गया है जिसकी राशि क्रमशः 0.07 लाख रुपए तथा 0.041 लाख रुपए है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार लाभ तथा कुल इक्विटी में 0.0003 लाख रुपए की कमी आई है जो कि 0.10 लाख रुपए के आस्थगित किराए का परिशोधन किए जाने, जिसका आंशिक संमजन सुरक्षा जमा पर स्वीकृत 0.10 लाख रुपए की संकल्पित ब्याज आय में किया गया है, के कारण है।

ग) जहां कहीं लागू होता है वहां वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य का निर्धारण बट्टाकृत रोकड़ प्रवाह के विश्लेषण से किया जाता है।

वित्तीय उपकरणों का वर्गीकरण **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति	31 मार्च, 2017 की स्थिति
वित्तीय परिसम्पतियां		
परिशोधन लागत पर मापन		
गैर – चालू परिसम्पतियां		
क) ऋण	600.17	601.71
ख) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	177.55	200.28
चालू परिसम्पतियां		
क) व्यवसाय प्राप्य	18178.79	18909.96
ख) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	3851.21	5029.34
ग) अन्य बैंक शेष	30185.06	10302.43
घ) ऋण	542.41	488.25
ङ) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	1378.64	1016.91
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन		
क) इक्विटी उपकरणों में निवेश	77.66	102.31
लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन		
वित्तीय देयताएं		
परिशोधन लागत पर मापन		
गैर चालू देयताएं		
क) ऋण	1928.19	2497.72
ख) अन्य वित्तीय देयताएं	96.52	163.41
चालू देयताएं		
क) ऋण	0.00	0.00
ख) व्यवसाय प्राप्य	11003.58	7357.50
ग) अन्य वित्तीय देयताएं	860.85	864.90

ii. उचित मूल्य वर्गीकरण व्यवस्था

नीचे दी गई तालिका में कम्पनी की उन वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का ब्यौरा दिया गया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई हैं अथवा जिनका उचित मूल्य प्रकटीकरण 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित किया गया है:

विवरण	योग	निम्नलिखित के उपयोग से किया गया उचित मापन		
		सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण विचारणीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण अलक्ष्य इनपुट (स्तर 3)
एफवीटीओसीआई वित्तीय परिसम्पतियां/ देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसम्पतियां / देयताए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परिशोधन लागत वित्तीय वित्तीय परिसम्पतियां /देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नीचे दी गई तालिका में कम्पनी की उन वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का ब्यौरा दिया गया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई हैं अथवा जिनका उचित मूल्य प्रकटीकरण 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित किया गया है:

विवरण	योग	निम्नलिखित के उपयोग से किया गया उचित मापन		
		सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण विचारणीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण अलक्ष्य इनपुट (स्तर 3)
एफवीटीओसीआई वित्तीय परिसम्पतियां/देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसम्पतियां/देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परिशोधन लागत वित्तीय वित्तीय परिसम्पतियां/ देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii. विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन :–

कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्राओं के मूल्य वर्ग में संव्यवहार किए गए हैं; जिसके कारण विनिमय दर में उतार चढ़ाव के प्रति जोखिम होता है।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की परिसम्पतियां तथा देयताओं की वहन राशि का वर्णन निम्नानुसार है :–

(₹ लाख में)

विवरण	अमेरिकी डालर		यूरो		अन्य मुद्राएं	
	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	12.97	833.13	2.99	237.06	-	-
व्यवसाय प्राप्य	9.55	613.86	7.04	558.38	-	-
अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	1.02	65.36	2.02	160.22	0.004	0.37
व्यवसाय देय	8.12	530.13	29.96	2444.95	0.02	2.05
अन्य वित्तीय देयताए	0.52	33.53	-	-	-	-

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की परिसम्पतियां तथा देयताओं की वहन राशि का वर्णन निम्नानुसार है :–

(₹ लाख में)

विवरण	अमेरिकी डालर		यूरो		अन्य मुद्राएं	
	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	-	-	6.47	441.24	-	-
व्यवसाय प्राप्य	-	-	13.71	935.21	-	-
अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	3.26	216.19	0.60	40.55	-	-
व्यवसाय देय	1.02	66.47	14.93	1045.82	0.02	1.80
अन्य वित्तीय देयताए	0.11	6.87	-	-	-	-

iv. विदेशी मुद्रा की संवेदनशीलता का विश्लेषण :

कम्पनी द्वारा मुख्यतः अमेरिकी डालर एवं यूरो मुद्रा में संव्यवहार किया जाता है;

iv. विदेशी मुद्रा संवेदी विश्लेषण :–

कम्पनी के सम्मुख मुख्यतः अमेरिकी डालर तथा यूरोपियन यूरो मुद्रा के प्रति जोखिम होता है;

नीचे दी गई तालिका में सम्बद्ध विदेशी मुद्राओं के प्रति रुपए में 5% बढ़त अथवा घटत की संवेदनशीलता दर्शाई गई है। 5% की संवेदनशील दर का उपयोग तक किया जाता है जब प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को विदेशी मुद्रा जोखिक की आंतरिक रिपोर्टिंग की जाती है तथा जिससे प्रबंधन के मूल्यांकन में विदेशी मुद्रा दरों से औचित्यपरक संभावित परिवर्तन होते हैं। मुख्यतः यह रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समूह में प्राप्य अथवा बकाया जोखिम से सम्बद्ध है। संवेदी विश्लेषण में केवल बकाया विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की मदें शामिल होती हैं तथा उनके अंतरण का समायोजन अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा पर 5% प्रभारित करके किया जाता है। नीचे प्रस्तुत सकारात्मक संख्या से सम्बद्ध मुद्रा के प्रति 5% मजबूती आने से लाभ अथवा इक्विटी में बढ़त दर्शाई गई है। रुपए की सम्बद्ध मुद्रा के प्रति 5% कमजोरी होने से लाभ अथवा इक्विटी पर तुलनात्मक प्रभाव होता है तथा नीचे प्रस्तुत शेष नकारात्मक होंगे।

(₹ लाख में)

विवरण	अमेरिकी डालर प्रभाव	
	31 मार्च, 2018 की स्थिति	31 मार्च, 2017 की स्थिति
विनिमय दर में 5% की बढ़त	92.81	(1.48)
विनिमय दर में 5% की घटत	(92.81)	1.48

विवरण	यूरो प्रभाव	
	31 मार्च, 2018 की स्थिति	31 मार्च, 2017 की स्थिति
विनिमय दर में 5% की बढ़त	(73.08)	(19.96)
विनिमय दर में 5% की घटत	73.08	19.96

विवरण	अन्य मुद्रा प्रभाव	
	31 मार्च, 2018 की स्थिति	31 मार्च, 2017 की स्थिति
विनिमय दर में 5% की बढ़त	(0.08)	(0.09)
विनिमय दर में 5% की घटत	0.08	0.09

v. बीमा जोखिम

कम्पनी की वित्तीय देयताओं से सम्बद्ध किसी प्रकार का ब्याज जोखिम नहीं है।

vii. चलनिधि जोखिम –

चलनिधि जोखिम वह जोखिम है जिसमें कम्पनी के सम्मुख अपनी वित्तीय देयताओं से सम्बद्ध दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई होती है तथा जिसका समाधान रोकड़ अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पतियों की आपूर्ति से किया जाता है। कम्पनी का ऐसा मानना है कि इसकी कार्यशील पूंजी अपनी वर्तमान अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। तदनुसार, किसी चलनिधि जोखिम की संभावना नहीं है।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वता से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:–

(₹ लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–5 वर्ष	5+ वर्ष	योग	वहन राशि
ऋण	569.54	1928.19	-	2497.73	2497.73
व्यवसाय प्राप्य	11003.38	-	-	11003.38	11003.38
अन्य वित्तीय देयताएं	291.31	96.52	-	387.83	387.83

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वता से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:–

(₹ लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–5 वर्ष	5+ वर्ष	योग	वहन राशि
ऋण	536.45	2497.72	-	3034.17	3034.17
व्यवसाय प्राप्य	7357.50	-	-	7357.50	7357.50
अन्य वित्तीय देयताएं	328.45	163.41	-	491.86	491.86

XXX. पूंजी प्रबंधन

कम्पनी द्वारा अपनी पूंजी का प्रबंधन ऋण एवं इक्विटी शेष के माध्यम से भागीदारों को इष्टतम लाभ प्रदान करने के साथ साथ चलायमान रहने के सुनिश्चय के लिए किया जाता है।

कम्पनी की पूंजी संरचना में निवल ऋण तथा कम्पनी की कुल इक्विटी है।

कम्पनी किन्हीं बाह्य प्रत्यारोपित पूंजी अपेक्षाओं के अध्याधीन नहीं है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति	31 मार्च, 2017 की स्थिति
उधारी	2497.73	3034.17
व्यवसाय प्राप्य	11003.58	7357.50
अन्य वित्तीय देयताएं	387.83	491.86
निवल ऋण	**13889.14**	**10883.53**
इक्विटी शेयर पूंजी	55748.20	24561.60
अन्य इक्विटी	56406.43	74708.35
कुल पूंजी	**112154.63**	**99269.95**
पूंजी और ऋण	**126043.77**	**110153.48**
गियरिंग अनुपात	0.110	0.099

XXXI. चालू वर्ष के आंकड़ों की अनुरूपता के लिए जहां आवश्यक समझा गया है वहां पूर्व वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहन किया गया है।

पवन हंस लिमिटेड द्वारा बेल्ल हैलीकॉप्टर्स (बेल्ल) से 3 नए हेलीकॉप्टर प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया की गई थी जिसके लिए अगस्त, 2016 में आदेश जारी कर दिया गया था। 3 हेलीकॉप्टरों की प्राप्ति के लिए जारी किए गए आदेश की लागत लगभग 20500.00 लाख रुपए थी।

इन तीन हेलीकॉप्टरों में 2 हेलीकॉप्टर बेल द्वारा भिजवा दिए गए थे तथा इनके मुम्बई पहुंचने पर इनकी तकनीकी स्वीकृति लम्बित थी। तथापि, पवन हंस लिमिटेड की तकनीकी समिति की अनुशंसा पर इन हेलीकॉप्टरों की दोषयुक्त निर्माण तिथि के कारण इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये निविदा दस्तावेज एवं क्रय करार के स्वीकृत मानदंडों के अनुरूप नहीं थे। पवन हंस लिमिटेड द्वारा विधिक परामर्श भी प्राप्त किया गया तथा उसके अनुसरण में पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा तकनीकी समिति की रिपोर्ट, विधिक परामर्श तथा बेल्ल द्वारा प्रस्तावित हेलीकॉप्टरों को बदले जाने के प्रति की गई मनाही को विचार में लेकर कोई अन्य विकल्प न होने के कारण इन हेलीकॉप्टरों को स्वीकार न करने और करार को रद्द किए जाने का मत प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधन को बेल्ल द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी रोकने का निदेश दिया गया जिससे पवन हंस लिमिटेड द्वारा बेल्ल को किए गए अग्रिम भुगतान की वसूली हो सके। इसकी प्रतिक्रिया में बेल्ल द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में अन्य विविध याचिका दायर की गई थी। इसी दौरान, उच्च न्यायालय द्वारा सिटी बैंक को बैंक गारंटी के अध्याधीन राशि का भुगतान पवन हंस लिमिटेड को न किए जाने तथा बैंक गारंटी का विस्तार नवम्बर, 2017 तक किए जाने के निदेश दिए गए। इसके पश्चात, बेल्ल को विवाचन की मध्यस्थता के लिए विवाचक करने का नोटिस दिया तथा पवन हंस लिमिटेड द्वारा भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश को अपना विवाचक नामित किया गया तथा इसके पश्चात इन दोनों विवाचकों द्वारा तीसरे विवाचक का नामांकन किया गया।

विवाचक ट्रिब्यूनल की स्थापना चूंकि की जा चुकी थी अतः दिनांक 28.11.2017 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अन्य विविध याचिका (ओएमपी) का निपटान कर दिया गया। न्यायालय द्वारा बेल्ल को विवाचन एवं समाधान अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत विवाचक ट्रिब्यूनल के सम्मुख आवेदन फाइल करने तथा अग्रिम

भुगतान की बैंक गारंटी की वैधता (30 नवम्बर, 2017 को कालातीत होने वाली) आगामी छः माह की अवधि के लिए विस्तारित करने का निदेश दिया गया। न्यायालय द्वारा बैंक गारंटी के प्रति स्थगन आदेश भी पारित किया गया जो विवाचन ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक के समय के लिए लागू रहेगा। तदनुसार, बेल द्वारा बैंक गारंटी की अवधि अगले छः माह के लिए विस्तारित कर दी गई थी।

मैसर्स बीएचटीआई द्वारा पवन हंस लिमिटेड से ''समझौता करार'' के माध्यम से स्वीकार्य समाधान करने के लिए सम्पर्क किया गया है। पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा अपनी 162वीं बैठक में ''समझौता करार'' के माध्यम से समाधान प्रक्रिया का अनुमोदन प्रदान किया गया है। वर्तमान में यह समाधान प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है तथा दिसम्बर, 2018 तक इसे पूरा किए जाने की संभावना है। समझौता करार के अंतर्गत बीएचटी. आई द्वारा पवन हंस लिमिटेड को 5060745.38 अमेरिकी डालर के अग्रिम भुगतान, सीमा शुल्क तथा चुंगी एवं उसके ब्याज इत्यादि की धनवापसी की जाएगी। इसकी प्रतिक्रिया में पवन हंस द्वारा बीएचटीआई को हेलीकॉप्टर वापस अमेरिका के लिए पुनःनिर्यात करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

इसके साथ ही बीएचटीआई द्वारा विवाचन ट्रिब्यूनल से इस प्रक्रिया के साथ ही करार के प्रावधानों के अंतर्गत प्रार्थना प्रस्तुत की गई है। बीएचटीआई द्वारा विवाचन के लिए हेलीकॉप्टरों के शेष 25,360,962.39 अमेरिकी डालर के भुगतान तथा उसके ब्याज एवं अन्य मापे न जा सकने वाले व्यय (लगभग 18186.75 लाख रुपए) का दावा प्रस्तुत किया गया है। यह राशि मूलतः तीन हेलीकॉप्टरों की लागत के भुगतान के लिए है। पवन हंस लिमिटेड द्वारा भी 4105.84 लाख रुपए का ब्याज सहित दावा प्रस्तुत किया गया है जिसमें हानियां एवं अन्य मापन न किए जा सकने वाले व्यय शामिल नहीं हैं। तथापि, पवन हंस लिमिटेड द्वारा दावे का भुगतान किए जाने की अपेक्षा होने की स्थिति में ये हेलीकॉप्टर कम्पनी को उपलब्ध करवाए जाएंगे। तदनुसार, मामले के उपर्युक्त तथ्यों को विचार में लेकर इसे आकस्मिक देयता नहीं माना गया है।

उपर्युक्त स्थिति होने पर भी समझौता करार के प्रावधानों के अंतर्गत विवाचन प्रक्रिया समझौता करार के अं. तिमकरण के पश्चात समाप्त हो जाएगी।

नोट 1 से 32 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।.

यह हमारी समान तिथि की रिपोर्ट में संदर्भित लेखांकन नोट है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कृते जे.पी., कपूर एवं उबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म निबंधन सं. 000593एन

(डॉ. बी. पी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 07125290

(श्रीमती गार्गी कौल)
निदेशक
डीआईएन सं. 07173427

(विनय जैन)
साझीदार
सदस्यता सं. 095187

(रंजीत सिंह चौहान)
कम्पनी सचिव

(धीरेन्द्र सहाय)
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 20.10.2018

अनुबंध – 'क'

स्वतन्त्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर

सेवा में,
सदस्य, पवन हंस लिमिटेड

इंड ए.एस. वित्तिय विवरणों की रिपोर्ट

हमने पवन हंस लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न इंड ए एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं समाप्त वर्ष के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षेप एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना (इसका उल्लेख एतद्वारा ''इंड एएस वित्तीय विवरणों'' के रूप में किया जाएगा) के साथ साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा पश्चिम क्षेत्र की लेखा परीक्षित रिपोर्ट शामिल की गई है।

इंड ए एस वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन के दायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के खंड 134(5) में इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार किए जाने के मामलों के प्रति किए गए उल्लेखानुसार इनकी प्रस्तुति के लिए इस प्रकार उत्तरदायी ठहराया गया है कि इससे ऐसी सत्य एवं स्पष्ट छवि के वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जा सकें जिनसे अन्य व्यापक आय सहित कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी परिवर्तन एवं कम्पनी के रोकड़ प्रवाह भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ साथ कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 यथा संशोधित, के साथ पठनीय अधिनियम के खंड 133 में किए गए निर्धारण के अनुसार प्रस्तुत हो सकें।

इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमिततओं के निवारण तथा उनका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियो के चयन तथा अनुप्रयोग, युक्तिसंगत निर्णय लेने तथा ऐसे मितव्ययी अनुमान लगाने जो उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण के लिए

औचित्यपरक हों तथा जिनका प्रभावी रूप से प्रचालन लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता के सुनिश्चय के लिए किया गया हो तथा जो इंड ए एस वित्तीय रिपोर्ट को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हों तथा जो सत्य एवं स्पष्ट छवि प्रस्तुत करते हों तथा किसी भी प्रकार की सामग्रीगत जालसाजी अथवा दुर्विवरण, से मुक्त हों, के उचित लेखांकन रिकार्ड के अनुरक्षण का दायित्व भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारे द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के आधार पर इन इंड ए एस वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समावेश किए जाने के लिए अपेक्षित लेखांकन एवं लेखापरीक्षा मानकों की ओर ध्यान दिया है।

हमारे द्वारा किया गया इंड ए एस वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा कार्य अधिनियम के खंड 143(10) में किए गए विनिर्देशन के अंतर्गत सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों का अनुसरण करते हुए किया गया है। इन मानकों के अंतर्गत नीतिपरक अपेक्षाओं के उपयोग से लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन का कार्य करते हुए हमें यह औचित्यपरक सुनिश्चय करना होता है कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरण वस्तुपरक मिथ्या कथन से मुक्त हैं अथवा नहीं।

लेखापरीक्षा कार्य के लिए प्रक्रियाबद्ध निष्पादन के माध्यम से राशियों के संबंध में एवं इंड ए एस वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटन के लेखापरीक्षा प्रमाण एकत्र करना अपेक्षित होता है। इंड ए एस वित्तीय विवरणों में वस्तुपरक मिथ्याकथन, जालसाजी अथवा चूक के कारणों के जोखिमों के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षकों के विवेकानुसार किया जाता है। ऐसे जोखिमों का मूल्यांकन करते हुए लेखा परीक्षकों द्वारा स्थितियों के अनुरूप लेखा परीक्षा की उचित प्रक्रिया तैयार करने के उद्देश्य से इंड ए एस वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं सत्य प्रस्तुति के लिए कंपनी के संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार किया जाता है। लेखा परीक्षा कार्य में प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखा अनुमानों की औचित्यता के मूल्यांकन सहित इंड ए

एस वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुतियों का मूल्यांकन भी इसमें सम्मिलित होता है।

हमारी धारणा है कि इंड ए एस वित्तीय विवरणों के संबंध में, हमें प्राप्त लेखा परीक्षा प्रमाण हमारे मान्य सुझावों की प्रस्तुति के आधार के लिए उचित एवं पर्याप्त हैं।

योग्य मत का आधार

1. *अरूणाचल प्रदेश सरकार से पिछले सात से भी अधिक वर्षों से बकाया 596.11 लाख रुपए की राशि का प्रावधान न किए जाने को विचार में लेते हुए संदेहास्पद ऋणों से संबंधित लेखांकन नीति का अनुपालन नहीं किया गया है। संदर्भ नोट संख्या 2.ख.(ग) क) पपप के अनुसार कम्पनी द्वारा संबंधित राज्य सरकार को सेवाएं नहीं प्रदान की जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप "व्यवसाय प्राप्य" में 596.11 लाख रुपए की राशि तथा कर पूर्व लाभ एवं हानि विवरण में समान राशि का अत्युक्तिपूर्ण उल्लेख किया गया है*

अरूणाचल प्रदेश–तवांग सरकार से वित्तीय वर्ष 2010–11 के संबंध में 596.11 लाख रुपए की राशि बकाया है जो गृह मंत्रालय द्वारा 75% अनुदान के पश्चात बिलों को विधिवत सत्यापित करके भुगतान कार्रवाई हेतु अरूणाचल प्रदेश–तवांग सरकार को भिजवाए गए थे।

उक्त बकाया के संबंध में प्रावधान इस कारण से नहीं किए गए थे क्योंकि बिलों का विधिवत सत्यापन राज्य सरकार द्वारा करके गृह मंत्रालय को 75% अनुदान की राशि के भुगतान के लिए भिजवाया गया था। निदेशक, नागर विमानन, अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 12 अक्तूबर, 2018 के पत्र संख्या डीसीए/पीओएस/पीएच/2018–19 के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि उनके द्वारा सूचित बकाया देयताओं के बारे में कार्रवाई की जा रही है तथा पुराने रिकार्ड की जांच करने तथा भुगतान, यदि देय है, प्रक्रिया के समाधान में समय लगने की पुष्टि की गई है।

पूर्वानुभवों को ध्यान में रखते हुए एवं साथ ही राज्य एवं केन्द्र सरकार के वित्त विभाग की लम्बी संसाधन प्रक्रियाओं, जो विशेषतः गृह मंत्रालय से पूर्वोत्तर राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान से संबंधित हैं, को विचार में लेते हुए भुगतान में सामान्य से भी अधिक समय लगने की संभावना है। इस मामले में गृह मंत्रालय के अंशभाग के रूप में 75% भुगतान प्राप्त हो चुका है अतः राज्य से बकाया शेष 25% अंशभाग के बकाया को संदेहास्पद ऋण की स्वीकृति प्रदान करने के लिए किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किए गए हैं।

2. *कम्पनी द्वारा जनवरी, 2014 से सितम्बर, 2016 की अवधि के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा लेवी की गई 336.89 लाख रुपए की राशि के निर्णित हर्जाने का लेखांकन नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप "व्यवसाय प्राप्य" में 336.89 लाख रुपए की राशि की तथा "आरक्षित एवं अतिरिक्त" में समान राशि का*

पवन हंस लिमिटेड द्वारा सीमा सुरक्षा बल के ध्रुव हेलीकॉप्टरों के संबंध में प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) करार किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के बेस कमांडर, बीएसएफ एएमई तथा पवन हंस लिमिटेड के बेस प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षिरत ये बिल पवन हंस लिमिटेड के प्रति निर्णित हर्जाने की उपयोज्यता न होने के समर्थन के

अत्युक्तिपूर्ण उल्लेख हुआ है।

लिए ''हेलीकॉप्टर सेवायोज्यता एवं उपलब्धता'' के समर्थित दस्तावेज के अनुसार मासिक आधार पर भुगतान के लिए भेजे गए थे। निर्णित हर्जाने की गलत कटौती का मामला सीमा सुरक्षा बल के सम्मुख उठाया गया है तथा आशा है कि इसका समाधान शीघ्र ही कर लिया जाएगा।

3. *व्यवसाय प्राप्यों की क्षति के मापन एवं स्वीकृति के लिए इंड एएस 109 ''वित्तीय उपकरण'' के अंतर्गत संभावित ऋण हानि (ईसीएल) माडल का अनुसरण नहीं किया गया है। पिछले अनेक वर्षों से संदेहास्पद ऋण के प्रावधानों में बढ़ोतरी के बावजूद भी प्रबंधन द्वारा संभाव्यता के मैट्रिक्स को आंके बिना ग्राहकों से बकाया की प्राप्ति का 100: दावा किया गया है। प्रबंधन द्वारा चूंकि ऋण की अवधि के आधार पर संभाव्यता मैट्रिक्स नहीं आंके गए अतः इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का मात्रा निर्धारण किया जाना संभव नहीं है।*

व्यवसाय प्राप्य के मामले में कम्पनी द्वारा व्यवसाय प्राप्य से संबंधित इंड एएस 109 के अनुसार सरलीकृत विधि को अपनाया गया है। सरलीकृत विधि की उपयोज्यता के अंतर्गत कम्पनी से ऋण जोखिम के प्रति ट्रैक परिवर्तनों की अपेक्षा नहीं की गई है तथा इसके स्थान पर प्रारंभिक स्वीकृति के समय से प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को संभावित ऋण हानि के उपयोज्यता काल पर क्षति हानि भत्ते की स्वीकृति की जाती है।

कम्पनी के प्रमुख ग्राहक केन्द्र राज्य एवं संघ शासित प्रदेश तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जहां भुगतान के प्रति चूक की संभावना लगभग नहीं होती है। प्रबंधन को अपने सभी ग्राहकों से सभी प्राप्यों की प्राप्ति होने की आशा है। तदनुसार, प्रबंधन द्वारा कम्पनी की अनुमोदित लेखांकन नीति के अनुसार केन्द्र, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के मामले में अपने ग्राहकों से अपनी वसूली की 100% संभाव्यता के लिए 7 वर्ष तथा ग्राहकों के मामले में 3 वर्ष की अवधि विचार में ली गई है।

तदनुसार, संभाव्यता मैट्रिक्स आंके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार कम्पनी द्वारा इंड एएस 109 का अनुसरण करते हुए संभावित ऋण हानि के संबंध में लेखांकन नीति संख्या (x) (क) का अनुपालन किया जा रहा है।

4. *कम्पनी द्वारा घटक लेखांकन के अनुसार मूल्यह्रास का आकलन किए जाने के दौरान संज्ञान में लिए गए सभी घटकों के पारगमन की तिथि के लिए ''शून्य' उड़ान घंटे विचार में लिए गए हैं। तथापि, ऐसे घटक पहले से ही पूंजीयन किए जाने की तिथि से उपयोग में लाए जा रहे थे। हमें यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि पारगमन की तिथि को प्रत्येक घटक के वास्त. विक उड़ान घंटों का संज्ञान किया जाना संभव नहीं है तथा इसे ध्यान में रखते हुए इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।*

कम्पनी द्वारा घटक लेखांकन नीति का कार्यान्वयन वर्ष 2016 से प्रारम्भ किया गया है तथा नई घटक लेखांकन नीति के अनुसार मूल्यह्रास निर्धारण करने के लिए इंजन तथा एमजीबी के लिए शून्य उड़ान घंटे विचार में लिए गए हैं जो कि इंजन तथा एमजीबी के निर्माताओं द्वारा परिभाषित डिजायन तथा मरम्मत, अनुरक्षण एवं ओवरहॉल की जटिलता के कारण हैं। डॉफिन एन/एन3 सीरिज, बेल 206/407 तथा इक्वेरियल एस350बी3 सीरिज के हेलीकॉप्टरों के इंजन माड्यूलर डिजायन होते हैं तथा इनके पूरे इंजन के स्थान पर इनका ओवरहॉल माड्यूल के अनुसार किया जाना होता है जिससे प्रत्येक माड्यूल के संबंध में उड़ान घंटा वार रिकार्ड का अनुरक्षण कर पाना व्यवहार्य नहीं हो पाता है।

इस जटिलता एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार नई घटक लेखांकन नीति का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता को विचार में लेते हुए एकरूपता, जटिलता एवं आधार स्तरीय वस्तुस्थिति और साथ ही नई घटक लेखांकन नीति के अनुसार इन इंजनों के मूल्यह्रास के आकलन के उद्देश्य से इंजनों तथा एमजीबी के संबंध में शून्य उड़ान घंटे विचार में लिए गए हैं।

इसके अलावा, इनमें से अधिकांश इंजन प्रारम्भ अथवा इंजन प्रतिष्ठापन के समय से ही इनके घटकों का ओवरहाल किए जाने तथा सेवा में पुनःउपयोग में लाए जाने के पश्चात अपने पूर्ण उपयोज्यता काल को प्राप्त कर लेते हैं। एमआई–172 इंजन जैसे पुरानी तकनीक वाले इंजन जटिल होते हैं तथा इनका उपयोज्यता काल गत्यात्मक होता है जिससे इनके किसी घटक को परिवर्तित करके ओवरहाल के पश्चात पूर्ण उपयोज्यता काल में परिवर्तित किया जा सकता है। माड्यूलर अवधारणा जैसी नई तकनीक के अंतर्गत केवल अनुरक्षण सरल होता है परन्तु इससे लेखांकन की जटिलताओं में बढ़ोतरी होती है। अपने उपयोज्यता काल के दौरान ऐसे इंजन/एमजीबी अनेक बार शून्य उपयोज्यता काल के दायरे में आते हैं जिसके कारण इस प्रतिष्ठापन को विचार में लिया जाना व्यवहार्य नहीं होता है। तदनुसार, अनिवार्य घटक लेखांकन नीति का कार्यान्वयन किए जाने के दौराल वन टाइम एक्सॉइज के तौर शून्य को विचार में लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप इंजनों/एमजीबी के वास्तविक घंटों/काल क्रम का लेखांकन घटक मानीटरिंग के लिए किया गया है।

5. *कम्पनी द्वारा पारगमन की प्रक्रिया के दौरान वहन मूल्य को सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की अनुमानित लागत माना गया है। कम्पनी ने पारगमन की तिथि को प्रत्येक डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर के सन्निहित अनुरक्षण के लिए 40 लाख रुपए तथा प्रत्येक डॉफिन एन हेलीकॉप्टर के सन्निहित अनुरक्षण के लिए 60 लाख रुपए विचार में लिए गए हैं। ऐसे निर्धारण को युक्तिसंगत नहीं माना जा सकता है तथा तदनुसार इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले प्रभाव की मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।*

एन3 विमान बेड़े के संबंध में 40,00,000 रुपए तथा एन3 विमान बेड़े के संबंध में 60,00,000 रुपए के सन्निहित अनुरक्षण का निर्धारण केवल पारगमन की अवधि के दौरान एन तथा एन3 विमान बेड़े के जी–अनुरक्षण पर औसत व्यय को आंकने के लिए किया गया है तथा इसका स्पष्टीकरण वर्ष 2016–17 के लेखों में कर दिया गया है।

इसके अलावा, अब वित्तीय वर्ष 2015–16 के पश्चात से सन्निहित लागत का पूंजीयन उनके वास्तविक मूल्य पर किया जा रहा है। हम विभिन्न हेलीकॉप्टरों के संबंध में वर्ष के दौरान सन्निहित लागत के रूप में किए गए औसत व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे हैं:–

हेलीकॉप्टर प्रकार	**राशि**
वित्तीय वर्ष – 2017–18	
डॉफिन एन का औसत	70.90 लाख रुपए
डॉफिन एन3 का औसत	107.28 लाख रुपए

6. *योग्य मत के आधार के पैरा की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके खंड 3 से 5 में इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर या तो कोई प्रभाव न पड़ने अथवा मात्रा निर्धारण न किए जा सकने का उल्लेख किया गया है। खंड 1 तथा 2 के परिणामस्वरूप ''व्यवसाय प्राप्य'' में 933 लाख रुपए की घटत, ''आरक्षित एवं अतिरेक'' में 336.89 लाख रुपए की घटत तथा कर पूर्व लाभ में आस्थगित कर, कर प्रावधान तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के ईपीएस पर परिणामी प्रभाव के साथ 596.11 लाख रुपए की घटत होगी।*

इसके संबंध में ऊपर उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

योग्य मत

हमारे मतानुसार और हमारे पास उपलब्ध सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, *ऊपर योग्य मत के आधार के पैरा में वर्णित मामले के प्रभाव के अतिरिक्त,* जिनमें कुछ मामलों में लेखा परीक्षा की स्वीकृति का प्रमाणन नहीं किया जा सका है, उपर्युक्त इंड ए एस वित्तीय विवरण अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के क्रियाकलापों तथा इसकी वित्तीय स्थिति तथा इस तिथि को अन्य विस्तृत आय एवं रोकड़ प्रवाह इक्विटी परिवर्तन से संबंधित अपेक्षित सूचना की प्रस्तुति इंड ए एस सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करते हैं।

मामलों का महत्व

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:

1. जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार को अक्तूबर, 2017 से मार्च, 2018 की अवधि के दौरान नागर विमानन विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार से करार का विस्तार किए जाने के आश्वासन पर 927.94 लाख रुपए की राशि की सेवाएं प्रदान की गई हैं। दिनांक 1 मार्च, 2017 के करार विस्तार परिशिष्ट पर अभी राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। इससे इंड एएस वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका है।

जम्मू व कश्मीर के संबंध में किए गए करार का विवरण नीचे दिया गया है :–

- करार का निष्पादन सितम्बर, 2017 तक के पहले छः माह के लिए किया गया था।
- सितम्बर, 2017 के पश्चात से जून, 2018 तक के लिए विस्तार का पत्र जारी कर दिया गया है।
- जून, 2018 के पश्चात आगे दिसम्बर 2018 तक अथवा आगे की अवधि के लिए विस्तार दिए जाने से संबंधित बैठक के कार्यवृत्त में पवन हंस लिमिटेड को 3+3 माह की अवधि के लिए विस्तार प्रदान किए जाने का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है।
- जून, 2018 के पश्चात से मार्च, 2019 तक के पत्र की अनुशंसा नागर विमानन, जम्मू व कश्मीर द्वारा

की गई है तथा समान प्रकार की अनुशंसा की पुष्टि राज्यपाल के विमानन परामर्शदाता एवं प्रधान सचिव द्वारा अक्तूबर, 2018 तक के लिए विस्तार पत्र जारी किए जाने के संबंध में की गई है।

इसके अलावा, दिनांक 4 अक्तूबर, 2018 को 44.81 लाख रुपए की राशि प्राप्त हो गई है तथा 927.94 लाख रुपए की बकाया राशि में से राज्य सरकार द्वारा 560.03 लाख रुपए के बिल भुगतान जारी करने के लिए अग्रेषित किए गए हैं।

2. हमारे द्वारा की गई परीक्षण जांच में हमने यह देखा है कि श्रीनगर तथा जम्मू बेस में सीधे नियुक्त किए गए संविदारत कर्मचारियों के उपदान, बोनस एवं छुट्टी नकदीकरण की देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं। इससे इंड एएस वित्तीय वितरणों पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन नहीं किया जा सका है।

उपदान अधिनियम, 1972 के अनुसार उपदान का भुगतान 5 वर्ष की निरंतर सेवा के पश्चात देय होता है। जम्मू बेस के संबंध में प्रारंभिक करार की अवधि मार्च, 2017 से प्रभावी 6 माह के लिए थी। तदनुसार, कर्मचारियों की सेवा संविदा आधार पर प्राप्त की गई थी। संविदा आवधिक रूप से जून, 2018 तक विस्तारित की गई थी तथा आगे इसका नवीकरण मार्च, 2019 तक के लिए किया जाना प्रस्तावित है। बेस का करार चूंकि स्थाई नहीं है तथा यह पांच वर्ष से कम अवधि का है अतः उपदान का प्रश्न नहीं उठता है।

यह पुष्टि की जाती है कि पवन हंस लिमिटेड के सभी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1936 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, बोनस अधिनियम, 1965 के अंतर्गत बोनस का भुगतान सभी पात्र कर्मचारियों को किया जा रहा है।

साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा के प्रावधान के अंतर्गत उपर्युक्त अर्जित छुट्टियां भुनाए जाने योग्य नहीं हैं।

3. हमारे द्वारा की गई परीक्षण जांच के दौरान हमारा ध्यान कुछ बेसों पर करार के अंतर्गत तथा आकस्मिक रूप से सीधे नियुक्त किए गए कर्मचारियों के कर्मचारी राज्य बीमा के लिए कर्मचारियों से कटौती न किए जाने तथा लेखांकन न किए जाने तथा नियोक्ता का अंशदान जमा न किए जाने की ओर गया है तथा अगरतला एवं गुवाहाटी बेस पर नियुक्त किए गए कुछ कर्मचारियों की व्यावसायिक कर कटौती न किए जाने तथा कुछ बेसों पर करार के अंतर्गत सीधे नियुक्त किए गए अथवा आकस्मिक कर्मचारियों से भविष्य निधि अंशदान की कटौती न किए जाने एवं उनका लेखांकन न किए जाने तथा नियोक्ता

प्रबंधन द्वारा किसी भी कर्मचारी को आकस्मिक आधार पर नियुक्त नहीं किया गया है। रोहिणी हेलीपोर्ट के संबंध में किया गया श्रम प्रभारों से संबंधित भुगतान विभिन्न प्रकार के तात्कालिक कार्यों से संबंधित है जिसके लिए श्रम प्रभारों का भुगतान किया गया था तथा ऐसे श्रम एवं प्रबंधन के बीच किसी प्रकार की कर्मचारी–नियोक्ता संबद्धता नहीं है। माननीय सिविल न्यायालय, साकेत में विचाराधीन मामला नियमित कर्मचारियों के कर्मचारी राज्य बीमा से संबंधित है। पवन हंस लिमिटेड द्वारा दावे की समीक्षा के लिए माननीय न्यायालय के सम्मुख अपील दायर की गई है। मामले का निपटान होने के पश्चात प्रत्यक्ष भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा का कार्यान्वयन कर दिया जाएगा। व्यावसायिक कर के संबंध

अंशदान जमा न करवाए जाने और साथ ही शिमला एवं बड़ौदा बेस पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का पालन न किए गए मामलों की ओर गया है जिसके कारण इनसे इंड एएस वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव आंके नहीं जा सकते हैं।

4. 'भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996' के प्रावधानों के अनुसार प्रधान नियोक्ता के रूप में कम्पनी से ठेकेदारों के बिल में से 1% श्रम उपकर के तौर पर ब्याज एवं जुर्माने, यदि कोई हो, के अलावा 64.04 लाख रुपए की कुल राशि की कटौती किए जाने की अपेक्षा की गई है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान पूंजीयन किए गए रोहिणी हैलीपोर्ट, नई दिल्ली तथा हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी, हदसपुर, पुणे, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2012 में पूरा हो गया था, के संबंध में किए कार्य ठेकों के लिए न तो श्रम उपकर की कटौती की गई है और न ही इसे संबंधित राज्य सरकारों को जमा करवाया गया है। यह राशि चूंकि ठेकेदारों से प्राप्त करके जमा करवाई जानी है अतः इससे इंड एएस वित्तीय विवरणों पर किसी प्रकार का वित्तीय प्रभाव नहीं होगा परन्तु यह चूक निरंतर बनी हुई है।

में पंजीकरण संबंधी कार्रवाई की जा रही है तथा अगरतला में पंजीकरण के पश्चात इसे शीघ्र ही जमा करवा दिया जाएगा।

रोहिणी हेलीपोर्ट के मामले में श्रम कल्याण उपकर के रूप में 52.70 लाख रुपए अर्थात 5269.70 लाख रुपए पर 1% की राशि देय है जिसका भुगतान मैसर्स दिनेश आर. अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड को किया जाना था तथा हदसपर, पुणे परियोजना के लिए मैसर्स एनबीसीसी को चुकता की गई 1134.09 लाख रुपए की राशि पर 1% की दर से 11.34 लाख रुपए की राशि श्रम कल्याण उपकर के रूप में देय है। तदनुसार, श्रम कल्याण उपकर के लिए कुल देय राशियों का योग 64.04 लाख रुपए है।

कम्पनी द्वारा पंजीकरण से संबंधित आवश्यक कार्रवाई के पश्चात अनुवर्ती वर्ष में श्रम उपकर जमा करवा दिया जाएगा। पिछले डेढ़ वर्ष से निर्माण एजेंसी मैसर्स दिनेश चन्द्र आर अग्रवाल इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड (डीआरएआईपीएल) को परियोजना के प्रति किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है। निर्माण एजेंसी को आगे भुगतान जारी किए जाने के समय पवन हंस लिमिटेड द्वारा पहले से ही चुकता श्रम कल्याण उपकर की वसूली कर ली जाएगी। मैसर्स दिनेश चन्द्र आर अग्रवाल इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड तथा पवन हंस लिमिटेड के बीच विवाद के लिए विवाचन ट्रिब्यूनल पहले से ही गठित किया जा चुका है तथा उसमें ट्रिब्यूनल के सम्मुख दावा की गई श्रम उपकर की राशि को भी शामिल किया गया है तथा ट्रिब्यूनल के सम्मुख दोनों पक्षों की सुनवाई अंतिम दौर में है।

हदसपर परियोजना के मामले में निर्माण कार्य का निष्पादन पवन हंस लिमिटेड द्वारा केन्द्र सरकार के उपक्रम एनबीसीसीएल के माध्यम करवाया गया था। श्रम कल्याण उपकर के तौर पर 11.34 लाख रुपए की कटौती करना तथा उसे संबंधित सांविधिक प्राधिकरण को इस कार्य के प्रति जमा करवाने का दायित्व एनबीसीसीएल का है। पवन हंस लिमिटेड द्वारा इस संबंध में एनबीसीसीएल से अनेक बार पुष्टि मांगी है। एनबीसीसीएल ने अपने दिनांक 1.11.2018 के पत्र संख्या एच–एसबीजी(एमएएच) /एकाउंट्स/ 2018–19/1160 के माध्यम से पुणे में पवन हंस के कार्य के प्रति 9.84 लाख रुपए का श्रम उपकर जमा करवाए जाने की पुष्टि की है।

5. नोट संख्या 32 XXXII की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार बेल हेलीकॉप्टर टैक्सट्रोन इनकारपोरेशन, सं.रा. अमेरिका से तीन बेल 412 ईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए दिए गए अग्रिम के उद्देश्य से 3,252.09 लाख रुपए के पूंजी अग्रिम प्राप्त किए गए हैं तथा जिनमें से 2 हेलीकॉप्टर फरवरी, 2017 से जुहू एयरोड्राम, मुम्बई के एयरवर्क्स हैंगर में कम्पनी द्वारा तकनीकी कारण ों से स्वीकार न किए जाने के कारण खड़े हुए हैं। विवाचन पैनल का गठन कर लिया गया है तथा बेल द्वारा अपना दावा प्रस्तुत किया गया है जिसके प्रति कम्पनी द्वारा अपना दावा प्रस्तुत किया गया है। इसी के साथ साथ समझौते के बारे में भी चर्चा हुई है। यह मामला चूंकि न्यायाधीन है अतः अग्रिम के तौर पर आपूर्तिकर्ता को दिए 3,252.09 लाख रुपए एवं सीमा शुल्क तथा चूंगी के रूप में चुकता की गई 374.48 लाख रुपए की राशि बेल हेलीकॉप्टर टै. क्सटान इनकारपोरेशन को नामे कर दी गई है तथा उक्त हेलीकॉप्टरों के संबंध में व्यय किए गए 15.62 लाख रुपए का पूंजी कार्य प्रगति पर है। इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले प्रभाव की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

मैसर्स बेल हेलीकॉप्टर टैक्सट्रोन इनकारपोरेशन तथा पवन हंस लिमिटेड के बीच, दोनों पक्षों के विधिक अधिकारों पर किसी विपरीत प्रभाव के बिना, न्यायालय से बाहर समझौता किए जाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है तथा पार्टियों द्वारा ट्रिब्यूनल से सुनवाई स्थगित किए जाने का अनुरोध किया गया है। इससे संबंधित विवरण लेखांकन नोट की मद संख्या 32 (XXXII) में दिए गए हैं।

6. नोट संख्या 2 बी (vi) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें आंतरिक तकनीकी समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II उपयोज्यता काल की 20 वर्ष की अवधि को आंतरिक तकनीकी समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार बढ़ाकर डॉफिन/बेल/एक्यू. रिल बेड़े के लिए 35 वर्ष तथा एमआई बेड़े के लिए 30 वर्ष किए जाने का उल्लेख किया गया है जिससे मूल्यह्रास प्रभार में कमी आएगी तथा जिसका परिणामी प्रभाव इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ वर्ष के लाभ पर पड़ेगा। यह चूंकि एक तकनीकी मामला है अतः इसके संबंध में हम तकनीकी समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आश्रित हैं।

हेलीकॉप्टरों के अनुमानित उपयोज्यता काल का मूल्यांकन आंतरिक तकनीकी समिति द्वारा किया गया है। बेल तथा एयरबस हेलीकॉप्टरों का उपयोज्यता काल असीमित है। एयरबस हैलीकॉप्टर्स द्वारा उत्पाद के संबंध में 30 से 35 वर्ष तक सेवा उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया है जिसके आधार पर उपयोज्यता काल 30 से 35 वर्ष आंका गया है।

एमआई–172 के मामले में एम.आई.एल. द्वारा 30 वर्ष का निश्चित काल निर्धारित किया गया है तथा इसके पश्चात आगे का विस्तार उनके द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले विस्तार कार्यक्रम पर निर्भर करता है। विश्व भर में हेलीकॉप्टरों की तैनाती संबंधित देश के विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र पर आधारित होती है।

इस प्रकार हेलीकॉप्टरों के उपयोज्यता काल का निर्धारण केवल नागर विमानन महानिदेशालय (विनियामक प्राधिकरण) द्वारा जारी उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र एवं मूल उपकरण निर्माता से सेवाएं निरंतर प्राप्त होने के मानदंड से किया जा सकता है।

7. लेखांकन नीति के नोट संख्या बी2 (x)(ख) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो उन गैर वित्तीय परिसम्पतियों की क्षति की वसूली योग्यता का मूल्यांकन तब किए जाने से संबंधित है जब उनकी वहन राशियों की वसूली न हो सकने के कोई लक्षण स्पष्ट हों। हमारा ध्यान पिछले कुछ वर्षों से एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड (एओजी) के दिनों की संख्या में हो रही बढ़त तथा राजस्व उड़ान घंटों एवं हेलीकॉप्टरों के उपयोग में हो रही घटत की ओर गया है जिसके कारक आंतरिक हो सकते हैं तथा डॉफिन एएस 365एन के कुछ वैमानिक कलपूर्जों की प्राप्ति निर्माता/मूल उपकरण निर्माता से, कालातीत होने के परिणामस्वरूप न किए जा सकने के कारक बाह्य कारक हैं। भारत के सनदी लेखाकार द्वारा परिसम्पतियों की क्षति के संबंध में जारी इंड एएस 36 में की गई अपेक्षाओं के अनुसार कम्पनी को नागर विमानन महानिदेशालय से उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अलावा, हेलीकॉप्टरों की क्षति के निर्धारण के लिए उपर्युक्त आंतरिक एवं बाह्य कारकों पर भी विचार करना चाहिए।

प्रत्येक हेलीकॉप्टर के लिए वार्षिक आधार पर नागर विमानन महानिदेशालय से उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार हेलीकॉप्टर के लिए उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र जारी होने पर ऐसा मान लिया जाता है कि हेलीकॉप्टर कम्पनी के लिए राजस्व उत्पति करने की स्थिति में है। हेलीकॉप्टर (परिसम्पति) प्रचालन का यह विशिष्ट आकर्षण है। इसके अलावा, किसी परिसम्पति, विशेष हेलीकॉप्टर, के क्षति होने अथवा न होने के संकेतों का मूल्यांकन बाह्य (तकनीकी, बाजार, आर्थिक अथवा विधिक परिवेश, बाजार ब्याज दर इत्यादि में महत्वपूर्ण गिरावट) तथा आंतरिक कारक (कोई परिसम्पति कालातीत होने अथवा भौतिक क्षति होने, परिसम्पतियों का आर्थिक निष्पादन खराब होने इत्यादि) को विचार में लेकर किया जाता है तथा इंड एएस 36 में किए गए उल्लेखानुसार इनकी जांच की गई है तथा केवल एक एमआई172 वीटी–पीएचजी हेलीकॉप्टर की क्षति के अलावा किसी ऐसी परिसम्पति की क्षति नहीं पाई गई है। इसके अलावा, विमान बेड़ा वार/ग्राहक वार लाभदेयता का संज्ञान करने के लिए भी नियमित आधार पर आवधिक प्रकिया की जाती है। विचाराधीन वर्ष के दौरान 54.43 लाख रुपए के बही मूल्य वाले एक एमआई–172 हेलीकॉप्टर की क्षति हुई है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कोई हेलीकॉप्टर ग्राउंड नहीं किया गया था। तथापि, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित प्रमुख अनुसूचित अनुरक्षण के पश्चात बेड़े में शामिल किए गए थे। घटकों के अप्रचलन के कारण मूल उपकरण निर्माता के पास अतिरिक्त कलपूर्जे उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित अनुरक्षण जांच में सामान्य से अधिक समय लगता है।

डॉफिन एसए 365एन (डॉफिन हेलीकॉप्टर)

1. डॉफिन एसए 365एन वीटी –एसएलआर क्रम #6268 ''जी'' जांच के अध्याधीन
2. डॉफिन एसए 365एन वीटी –ईएलजी क्रम #6217 ''जी'' जांच के अध्याधीन
3. डॉफिन एसए 365एन वीटी –ईएलआई क्रम #6236 ''2टी'' जांच के अध्याधीन
4. डॉफिन एसए 365एन वीटी –ईएलके क्रम #6245 ''जी'' जांच के अध्याधीन
5. डॉफिन एसए 365एन वीटी –ईएलक्यू क्रम #6261 ''300 घंटा'' जांच के अध्याधीन.

मुख्यतः डॉफिन एसए 365एन डॉफिन हेलीकॉप्टर बेड़े निम्नलिखित घटक काफी पुराने हैं तथा इनका उत्पादन

मूल उपकरण निर्माता द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा इन्हें सेवायोज्य बनाए जाने के लिए इनकी खोज/प्राप्ति/क्रय/मरम्मत खुले बाजार में से की जाती है। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है। ऐसे घटकों का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	पार्ट संख्या	विवरण
1	एमआई585–300–4	ट्रांसरिसिवर आरटी 5001 (एवियोनिक्स)
2	एमआई585–3013	राडारस्कोल डीआई 5001 (एवियोनिक्स)
3	एमआई585–302	मैकेनिज्म एंटिना कंट्रोल (एवियोनिक्स)
4	622–6557–001	ट्रांसरिसिवर एचएफ (एवियोनिक्स)
5	622–1270–001	ट्रांसपोंडर (एवियोनिक्स)
6	9599–607–1	547 ट्रांसरिसिवर, ईआरटी 011 (एवियोनिक्स)
7	010–00137–00	जीपीएस 150एक्सएल (एवियोनिक्स)
7क	011–00345–00	जीपीएस 150एक्सएल (एवियोनिक्स)

तदनुसार, इंड एएस 36 का अनुपालन न किए जाने का कोई मामला नहीं है।

8. नोट संख्या 32 XV की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें वर्ष के दौरान अस्थाई आधार पर रोहिणी हेलीपोर्ट का पूंजीयन किए जाने का उल्लेख किया गया है जो ठेकेदार द्वारा मामला विवाचन के लिए प्रस्तुत किए जाने के कारण है। अंतिम पूंजीयन तथा परिणामी मूल्यह्रास विवाचन मामले के परिणाम पर निर्भर होगा। यह मामला चूंकि न्यायाधीन है अतः इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता है।

यह तथ्यपरक विवरण है।

9. नोट संख्या 32 XXIII की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें लेखा परीक्षण किए जा रहे वर्ष के दौरान निदेशक मंडल द्वारा पॉयलटों तथा विमान अनुरक्षण इंजीनियरों को 1.4.2016 से 31.12.2016 की अवधि के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए जाने की शर्त पर लाइसेंस संबद्ध भत्ता प्रदान किए जाने के प्रावधानों के निर्माण की सिफारिश की गई है। इसके परिणामस्वरूप 926.39 लाख रुपए के प्रावधानों में घटत आई है तथा समान राशि के लाभ में बढ़त हुई है।

यह तथ्यपरक विवरण है।

10. नोट संख्या 32 XXII क) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें लक्षद्वीप बेस में हुई 129. 20 लाख रुपए की राशि की वित्तीय अनियमितता के संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा करके प्रबंधनको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तथा प्रबंधन द्वारा 40.09 लाख रुपए के समर्थित/बीजक/बिल/कर्मचारियों को देय क्रेडिट के संबंध में स्वीकृति दिए जाने एवं 89.12 लाख रुपए की शेष राशि को क्षति माने जाने तथा इसके प्रावधान वित्तीय वर्ष 2014–15 में किए जाने का उल्लेख है। इसके अलावा, जांच कार्रवाई जारी होने का उल्लेख किया गया है। हमें प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार जांच पूरी की जा चुकी है तथा सक्षम प्राधिकारी की सहमति सुझाई गई कार्रवाई की जा चुकी है। इस रिपोर्ट का सहभाजन हमारे साथ नहीं किया गया है जिसके कारण इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले प्रभाव की जानकारी हमें नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 की लेखा बहियों में आवश्यक प्रावधान निर्मित किए गए हैं। जांच पूरी कर ली गई है तथा सक्षम प्राधिकारी के सुझाव के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर ली गई है तथा इसका स्पष्टीकरण लेखा नोट संख्या 32(XXII(क) में दिया गया है।

11. लेखा परीक्षा किए जा रहे वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा के निदेशानुसार तिमाही आंतरिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के स्थान पर प्रत्येक क्षेत्र के लिए दो रिपोर्टें जारी की गई है। इसके अलावा, हमारा ध्यान संलग्न आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी रिपोर्ट में की गई अपेक्षा के स्थान पर अनेक आंतरिक नियंत्रण कमियों की ओर गया है। इसे ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को सशक्त किया जाना, बनाया जाना, लेखा परीक्षा की रिपोर्टिंग की बारम्बारता को बढ़ाना तथा आंतरिक लेखा परीक्षा का पूर्ण विस्तार सभी विभागों में सत्यापन के लिए किया जाने की आवश्यकता है ताकि कम्पनी के प्रचालनों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आनुपातिक वर्णन किए जाने की संभावना हो सके।

लेखा परीक्षण की रिपोर्टें वर्ष 2016–17 तक पारम्परिक/प्रचलन के अनुसार जारी की जाती थी। लेखा परीक्षण समिति द्वारा वर्ष 2017–18 से तिमाही लेखा परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में निदेश दिए गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान जनशक्ति की कमी (स्वीकृत 4 जनशक्ति के स्थान पर 2) के कारण अर्द्ध वार्षिक रिपोर्टों के लिए लेखा परीक्षण कार्यक्रम निर्मित किया गया था तथा तदनुसार इसकी प्रस्तुति की गई थी। तथापि, 2018–19 के पश्चात से लेखा परीक्षा रिपोर्टों की प्रस्तुति तिमाही आधार पर की जाएगी।

आंतरिक लेखा परीक्षण में वर्ष 2017–18 के अन्य कार्यात्मक क्षेत्रों के साथ साथ विपणन एवं विधिक क्षेत्र शामिल किए गए हैं।

12. वस्तु एवं सेवा कर विवरण के संबंध में नोट संख्या 32 X की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं तथा इन लेखा बहियों में किए गए उल्लेख के अनुसार प्राप्त/क्रय की गई सेवाओं के आंकड़ों का समाधान किए जाने के लिए प्रक्रिया किए जाने का उल्लेख किया गया है। लम्बित समाधान के कारण इंड एएस वित्तीय विवरण पर इससे होने वाले परिणामी प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

निगमित कार्यालय के अलावा वस्तु एवं सेवा कर समाधान किए जा रहे हैं। निगमित कार्यालय में बहियों तथा मार्च, 2018 के पश्चात प्राप्त बिलों की आईटीसी पर वस्तु एवं सेवा कर समाधान किए गए हैं जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष के वस्तु एवं सेवा कर विवरण में शामिल किया जाएगा।

13.	व्यवसाय प्राप्य, व्यवसाय, दीर्घकालिक एवं अल्पक. ालिक देयताओं, अन्य चालू देयताओं, दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम तथा जमा शीर्ष के अंतर्गत आने वाली पार्टियों से शेष की सीमित पुष्टि प्राप्त की गई है। किसी भी प्रमुख पार्टी द्वारा शेष की पुष्टि नहीं की गई है तथा तदनुसार इससे संभावित अंतर, यदि कोई हों,का संज्ञान नहीं किया जा सकता है। पुष्टि एवं समाधान लम्बित होने के कारण इंड एएस वित्तीय विवरणों पर होने वाले परिणामी प्रभावों का आकलन किया जाना संभव नहीं है।	वर्ष के अंत में व्यवसाय प्राप्य/देय के संबंध में भेजे गए शेष पुष्टि पत्र में संबंधित प्रतिक्रिया/पुष्टि सीधे सांविधिक लेखा परीक्षक को भिजवाए जाने का उल्लेख किया गया था।
14.	नोट संख्या 32 XXVIII, जो इंड ए एस वित्तीय विवरणों का भाग है, में कम्पनी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की कोई भी देयताएं बकाया नहीं हैं। विचाराधीन वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की उपयोज्यता के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि मांगी गई है परन्तु इसकी प्रतिक्रिया सीमित रही है। तदनुसार, हम उक्त कम्पनी अधिनियम के अनुपालन पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं; उक्त मामलों के संबंध में हमारा मत अर्हक नहीं है।	हमने सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा फार्मेट में सभी आपूर्तिकर्ताओं को 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की उपयोज्यता के संबंध में इस सूचना के यह अनुरोध किया है कि वे इससे संबंधित अपनी प्रतिक्रिया/पुष्टि सीधे ही सांविधिक लेखा परीक्षकों को भिजवाने की व्यवस्था करें।
अन्य मामले		
1.	हमारे द्वारा कम्पनी के इंड ए एस वित्तीय विवरणों में सम्मिलित पश्चिम क्षेत्र के इंड ए एस वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया गया है जिसके संबंध में वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना में 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कुल परिसम्पतियां 78,433.95 लाख रुपए तथा निवल परिसम्पतियां 88,216.05 लाख रुपए की दर्शाई गई है तथा समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व वित्तीय विवरणियों में किए गए उल्लेखनुसार 26,594.13 लाख रुपए, निवल लाभ 2,899.60 लाख रुपए तथा निवल रोकड़ प्रवाह की राशि 1,277.24 लाख रुपए दर्शाई गई है। इस वित्तीय विवरण तथा अन्य वित्तीय सूचनाओं का लेखा परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है तथा उनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा उसके अनुसार हमारा सुझाव तदनुसार इंड ए एस वित्तीय विवरणों के लिए ऐसे वित्तीय विवरणों से	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

संबंधित लेखा परीक्षक की रिपोर्टसे प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

उक्त मामलों के संबंध में हमारा मत अर्हक नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. अधिनियम के खंड–143 के उपखंड (।।) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम आदेश के पैराग्राफ–3 तथा 4 में निर्दिष्ट मामलों के विवरण अनुलग्नक–क में प्रस्तुत कर रहे हैं।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
2. खंड 143(3) में की गई अपेक्षा के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :–	
क. हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार योग्य मत के आधार के पैरा में हमारी टिप्पणियों की शर्त पर हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं;	इसके संबंध में ऊपर उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
ख. ऊपर योग्य मत के आधार के पैरा में किए गए उल्लेख के अलावा हमारे मतानुसार कम्पनी ने लेखा बहियों का अनुरक्षण विधि द्वारा अपेक्षित विधि के अनुरूप किया गया है अथवा ऐसा इन बहियों के संबंध में हमारे द्वारा किए गए परीक्षण से प्रतीत होता है। तथापि, हमने यह देखा है कि कम्पनी लेखांकन पैकेज के लिए उस पुराने अंक का उपयोग कर रही है जो अब प्रचलन में नहीं है तथा कम्पनी से चालू अपेक्षाओं के अनुसार उन्नयन अपेक्षित किया गया है;	लेखांकन पैकेज को उन्नत बनाने की प्रक्रिया की जा रही है।
ग. अधिनियम के खंड 143(8) के अंतर्गत पश्चिम क्षेत्र के लेखों की रिपोर्ट का लेखा परीक्षण शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा करके हमें भिजवाया गया है तथा हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए इस लेखा परीक्षित रिपोर्ट का उचित उपयोग किया है;	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
घ. इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण (अन्य विस्तृत आय सहित) इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण बही खातों से मेल खाते हैं;	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
ङ. योग्य मत के आधार के पैराग्राफ में उल्लिखित मामले के प्रभाव के अतिरिक्त हमारी राय में उपर्युक्त इंड	इसके संबंध में ऊपर उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

	ए एस वित्तीय विवरण अधिनियम के खंड 133 के अंतर्गत जारी संबंधित नियमों के साथ पठनीय विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं	
च.	चूंकि यह एक सरकारी कंपनी है, अतः किसी निदेशक की नियुक्ति के लिए निदेशक की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 164 (2) के प्रावधान दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार कंपनी के मामले में लागू नहीं हैं;	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
छ.	कंपनी के वित्तीय नियंत्रणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में कृपया 'अनुलग्नक ख' में अलग से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट देखें; तथा	इसके संबंध में अनुलग्नक 'ख' में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है।
ज.	कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मतानुसार तथा हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
i.	कंपनी ने अपने इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लम्बित मुकदमों से होने वाले प्रभाव का प्रकटन कर दिया है – इंड ए एस वित्तीय विवरणों का संदर्भ नोट 32 II देखें।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
ii.	कंपनी के सम्मुख डैरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर किसी प्रकार की ऐसी सामग्रीगत हानि संभावित नहीं है, जिसके प्रति किसी हानियों के प्रावधान किए जाने अपेक्षित हों। तथापि, पश्चिम क्षेत्र के लेखा परीक्षकों द्वारा यह सूचित किया गया है कि: "कम्पनी ने लागू विधि एवं लेखांकन मानकों के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार डैरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर किसी प्रकार की सभांवित हानियों, यदि कोई हों, के प्रावधान किए हैं।"	कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान किसी प्रकार की डैरिवेटिव संविदा नहीं की गई है।
iii.	कम्पनी से निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई राशि स्थानांतरित किए जाने की अपेक्षा नहीं थी।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
iv.	8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान विशिष्ट बैंक नोटों के धारण एवं संव्यवहार	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

के संबंध में अपने इंड ए एस वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया जाना अपेक्षित नहीं है क्योंकि ये 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित नहीं हैं; तथा

v. अधिनियम के खंड 143(5) में की गई अपेक्षा के अनुसार हम अनुलग्नक – ग में कम्पनी के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट मामलों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। .

कृते जे.पी., कपूर एंड उबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 000593एन

विनय जैन
साझीदार
सदस्यता संख्याः 095187

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 22 अक्तूबर, 2018

31 मार्च, 2018 का समाप्त वर्ष के स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर पवन हंस लिमिटेड के सदस्यों को संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'।

	लेखा परीक्षक का प्रेक्षण	प्रबंधन का उत्तर
(i)	क) कम्पनी द्वारा अचल सम्पतियों के मात्रात्मक एवं स्थिति के पूर्ण विवरण दर्शाने वाले रिकार्ड का उचित अनुरक्षण किया गया है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
	ख) हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी में अचल सम्पतियों के भौतिक सत्पापन के लिए नियमित कार्यक्रम स्थापित है जिसके अंतर्गत सभी अचल परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन चरणबद्ध पद्धति से तीन वर्ष की अवधि में किया जाता है। कम्पनी के आकार तथा इसकी परिसम्पतियों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए *हमारे मतानुसार भौतिक सत्यापन की इस अवधि को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए तथा विमान एवं अतिरिक्त इंजनों का सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 में किए गए भौतिक सत्यापन का समाधान अभी किया जा रहा है तथा बही एवं भौतिक शेष के बीच पाए गए अंतर संबंधित विभागों को भेजे गए इसके अलावा, एक मामले में 6,566.70 लाख रुपए के निवल मूल्य के मरम्मत के लिए भिजवाए गए रोटेब्ल्स तथा भारत के बाहर स्थित विक्रेताओं के पास रखे रोटेब्ल्स के मामले में केवल कुछ विदेशी ओईएम (वास्तविक मूल निर्माता) द्वारा कम्पनी को न तो कोई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट भेजी गई है और न ही कम्पनी की ओर से ऐसे रोटेब्ल्स का धारण करने से संबधित कोई पुष्टि भेजी गई है।*	कम्पनी द्वारा स्थिर परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन चरणबद्ध पद्धति से करके तीन वर्ष की अवधि में पूरा किया जाता है। स्थिर परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया गया था तथा भौतिक परिसम्पति रजिस्टर से इनका समाधान किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। बहियों तथा भौतिक शेष के बीच के अंतर तलाश कर लिए गए हैं तथा इनके संबंध में संबंधित विभाग को सत्यापन प्रक्रिया करने के लिए भेजा गया है। 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार 6566.70 लाख रुपए के सकल मूल्य तथा 2464.63 लाख रुपए के बही मूल्य के रोटेब्ल्स एवं मरम्मतयोग्य विदेशी उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के पास रखे हुए हैं। इनमें से 3290.79 लाख रुपए की सकल लागत तथा 118.03 लाख रुपए की बही मूल्य लागत के रोटेब्ल्स वापस प्राप्त हो गए हैं। संबंधित पार्टियों से शेष रोटेब्ल्स अपने होने के संबंध में पुष्टि प्राप्त की जा रही है। मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) से पूर्णत मरम्मत/ओवरहॉल की गई मदें प्राप्त किए जाने के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।
	ग) इंड ए एस वित्तीय विवरणों में सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण के नोट संख्या 3 में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार अचल परिसम्पतियों के हक विलेख कम्पनी के नाम हैं तथा ऐसे हक विलेख *रोहिणी हेलीपोर्ट के अलावा, जिसकी भूमि का स्वामित्व नागर विमानन मंत्रालय के पास है एवं पश्चिम क्षेत्र में आवास भवन (जेएचसी) के अलावा हैं जिसका हक विलेख कम्पनी के नाम पर इसलिए नहीं है कि इसकी भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम पर है तथा कम्पनी द्वारा इस भूमि पर फ्लैट निर्मित किए गए हैं जो*	यह तथ्यपरक विवरण है।

आंशिक रूप से पट्टे पर 25 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त किए गए हैं।

(ii) हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी द्वारा नीतिगत रूप से प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। तृतीय पक्षकारों के पास रखी गई मालसूची तथा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों के भंडार तथा कलपूर्जों की मालसूची के अलावा पश्चिम क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र के मामले में भंडार एवं पूर्जों की उच्च मूल्य की मदें मुख्य भंडार में रखी गई हैं तथा वर्ष की समाप्ति पर प्रबंधन द्वारा इनका भौतिक सत्यापन कर लिया गया है तथा ऐसे सत्यापन से किसी प्रकार की भौतिक अनियमितता नहीं पाई गई है। डिटेचमेंट के भंडार एवं पुर्जों का मामलों का निवारण क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा वर्ष के अंत में किया जाता है तथा डिटेचमेंट के भंडार एवं पुर्जों के अंत शेष को संबंधित डिटेचमेंट द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर रिकार्ड में लिया जाता है तथा ऐसा होने से इसके लिए सीमित नियंत्रण की व्यवस्था की गई है, *अतः नियंत्रण प्रक्रिया सीमित है क्योंकि स्टॉक रिकार्ड का मैनुअल अनुरक्षण डिटेचमेंट में किया जा रहा है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, विचाराधीन वर्ष के दौरान सामग्री विभाग की शिफ्टिंग सफदरजंग हवाईअड्डे से रोहिणी हेलीपोर्ट पर किए जाने के कारण उत्तरी क्षेत्र में मालसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।*

मालसूचियों के स्टाक रजिस्टर का मैनुअल अनुरक्षण प्रत्येक डिटेचमेंट पर किया जा रहा है। इसके अलावा, बेस प्रबंधकों को मालसूची के रजिस्टर का का अनुरक्षण अनवरत आधार पर किए जाने के निदेश दिए गए हैं।

सामग्री विभाग का स्थानांतरण सफदरजंग हवाईअड्डे से रोहिणी हेलीपोर्ट पर किए जाने के कारण उत्तरी क्षेत्र में भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका है। उत्तरी क्षेत्र की मालसूची का भौतिक सत्यापन अनुवर्ती वर्ष में किया जाएगा।

(iii) प्रदान की गई सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी द्वारा कम्पनियों, फर्मों अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में समाहित अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का ऋण, रक्षित अथवा अनारक्षित, प्रदान नहीं किया गया है। तदनुसार आदेशों के अनुच्छेद 3(iii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

(iv) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड की जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा खंड 185 तथा 186 के अंतर्गत समाहित पक्षकारों को किसी प्रकार के ऋण अथवा उनमें कोई निवेश, अथवा उन्हें किसी प्रकार की गारंटी अथवा प्रतिभूति प्रदान नहीं की गई है। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3(iv) के प्रावधान

कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

कम्पनी के लिए लागू नहीं होते हैं ।

(v) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 73 से 76 तथा किसी अन्य संबंधित प्रावधान तथा उनके अध्याधीन नियमों के अंतर्गत किसी प्रकार के स्वीकार्य जमा जनता से प्राप्त नहीं किए गए हैं। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (v) कम्पनी पर लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
(vi) प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 148(1) के अंतर्गत कम्पनी द्वारा प्रदत्त सेवाओं अथवा बेचे जाने वाले सामान के लिए लागत रिकार्ड का अनुरक्षण किए जाने का निर्धारण नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (vi) कम्पनी पर लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
(vii) क) में उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी की लेखा बहियों में राशियों की कटौती/प्राप्ति के रिकार्ड की जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य संवर्धित क, वस्तु एवं सेवा कर तथा उपकर एवं लागू अन्य सभी अविवादित सांविधिक देयताओं के संबंध में सामान्यतः वर्ष के दौरान संबंधित प्राधिकरणों को नियमित रूप से भुगतान किया गया है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उत्पाद कर के लिए कम्पनी द्वारा भी बकाया देय नहीं है। हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, मूल्य संवर्धित कर तथा उपकर लागू अन्य सभी देयताओं के 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार उनकी देयता से छः माह की अवधि से अधिक बकाया नहीं थे जो सिवालय पश्चिम क्षेत्र के लिए 13.81 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी के अलावा हैं जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। पश्चिम क्षेत्र के मामले में कम्पनी द्वारा वर्ष 1998 में अपने कर्मचारियों के लिए 6 आवासीय फ्लैट एमएचएडीए, मुम्बई से खरीदे गए थे तथा अस्थाई आधार पर कम्पनी द्वारा इनका कब्जा आबंटन पत्र के आधार पर लिया गया था अतः कम्पनी द्वारा अस्थाई आधार पर स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण करवाया गया है जिसके लिए अंतिम भुगतान सोसायटी के नाम उचित कन्वेंस डीड तैयार होने पर किया जाएगा। कुछ सोसायटियों द्वारा मुम्बई उच्च न्यायालय में एमएचएडीए के खिलाफ मूल्य में भिन्नता का दावा किया है। अतः ऐसी स्थिति में स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

ख) हमें प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नानुसार किए गए उल्लेख के अलावा 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कम्पनी द्वारा संबंधित प्राधिकरण में किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए आय कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, मूल्य संवर्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, तथा उपकर के प्रति कोई देयता बकाया नहीं है :–

इस राशि के संबंध में लेखांकन नोट 32(II) में आकस्मिक देयता के अंतर्गत विचार किया गया है।

क्र सं.	विधान विवरण	देयता का स्वरूप	राशि (रुपए लाख में)	राशि से संबद्ध अवधि	मामला विवाद स्तर
1	दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	मू.सं.क., ब्याज तथा जुर्माना	10,825.37	वि.वर्ष 2006–07	अपीलिय प्राधिकरण, मू.सं.क., दिल्ली
2	दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	मू.सं.क., ब्याज तथा जुर्माना	10,962.36	वि.वर्ष 2007–08	अपीलिय प्राधिकरण, मू.सं.क., दिल्ली
3	दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	मू.सं.क., ब्याज तथा जुर्माना	12,960.71	वि.वर्ष 2008–09	अपीलिय प्राधिकरण, मू.सं.क., दिल्ली
4	दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	मू.सं.क., ब्याज तथा जुर्माना	12,707.23	वि.वर्ष 2009–10	अपीलिय प्राधिकरण, मू.सं.क., दिल्ली
5	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	545.30 (71.21)	वि.व. 2009–10	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
6	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	473.36	वि.व. 2010–11	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
7	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	560.64	वि.व. 2011–12	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
8	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	274.11 (50.51)	वि.व. 2012–13	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
9	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.42 (0.08)	वि.व. 2013–14	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
10	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	173.68 (29.19)	वि.व. 2014–15	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
11	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	245.88 (0.30)	वि.व. 2015–16	न्यायिक प्राधिकरण, सीजीएसटी, मुम्बई पश्चिम#
12	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	277.66	वि.व. 2016–17	न्यायिक प्राधिकरण, सीजीएसटी, मुम्बई पश्चिम#
13	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	16.30	वि.व. 2017–18	न्यायिक प्राधिकरण, सीजीएसटी, मुम्बई पश्चिम#
14	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948	क.रा.बी. अंशदान तथा ब्याज	20.40	वि.व. 2012–13 से अगस्त 2016	जिला न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली

15	आयकर अधिनियम, 1961	व्यय एवं ब्याज की अस्वीकृति	2,997.00 (1,055.04)	मू.व. 1997–98	आयकर अपीलिय ट्रिब्यूनल, दिल्ली
16	आयकर अधिनियम, 1961	व्यय एवं ब्याज की अस्वीकृति	2,975.00 (3,536.36)	मू.व. 1998–99	आयकर अपीलिय ट्रिब्यूनल, दिल्ली
17	आयकर अधिनियम, 1961	व्यय एवं ब्याज की अस्वीकृति	2,650.00 (3,292.78)	मू.व. 1999–00	आयकर अपीलिय ट्रिब्यूनल, दिल्ली
18	आयकर अधिनियम, 1961	व्यय एवं ब्याज की अस्वीकृति	4,742.00 (5,047.84)	मू.व. 2000–01	आयकर अपीलिय ट्रिब्यूनल, दिल्ली
19	आयकर अधिनियम, 1961	व्यय एवं ब्याज की अस्वीकृति	2,556.00 (3,278.93)	मू.व. 2001–02	आयकर अपीलिय ट्रिब्यूनल, दिल्ली
20	आयकर अधिनियम, 1961	व्यय एवं ब्याज की अस्वीकृति	7.49 (7.49)	मू.व. 2014–15	आयकर अपीलिय ट्रिब्यूनल, दिल्ली
21	आयकर अधिनियम, 1961	व्यय एवं ब्याज की अस्वीकृति	220.25	मू.व. 2015–16	सीआईटी (अपील), दिल्ली

कम्पनी द्वारा न्यायिक प्राधिकरण, सीजीएसटी, मुम्बई पश्चिम में अपना उत्तर फाइल करने की प्रक्रिया की जा रही है।
* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कम्पनी द्वारा या तो साविरोध जमा करवाए गए हैं अथवा प्राधिकरणों द्वारा इन्हें कम्पनी की धनवापसी की राशि में से रोका गया है।

(viii)	हमारे मतानुसार एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिक. र्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के ऋणों के प्रति कोई चूक नहीं की गई है। इसके अलावा, सरकार से कोई ऋण अथवा उधार प्राप्त नहीं किए गए हैं तथा 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कोई लाभांश नहीं किए गए थे।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
(ix)	कम्पनी द्वारा किसी प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा किसी आगामी सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) तथा आ. वधिक ऋणों के माध्यम से धन की उत्पति नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
(x)	हमें प्रदान की गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा परीक्षण की प्रक्रिया के वर्ष के दौरान कम्पनी अथवा इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के विरूद्ध अथवा कम्पनी	इसके संबंध में नोट 32(XXII)(ख) में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है।

	द्वारा की गई किसी प्रकार की धोखेबाजी की सू. चना केवल एक घटना के अलावा प्रकाश में नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है तथा ऐसी घटना उपकरणों के मूल निर्माता ट्रिम्फ इंजन कंट्रोल सिस्टम, यूएसए के तथाकथित बैंक खाते में $41,184 अग्रिम भुगतान किए जाने से संबंधित है तथा जिसके संबंध में आगे की जांच कार्रवाई की जा रही है। कम्पनी द्वारा साइबर क्राइम सेल तथा नोएडा के संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। कम्पनी द्वारा 26.14 लाख रुपए की राशि के पूर्ण अग्रिम के प्रावधान किए गए हैं।	
(xi)	एक सरकारी कंपनी होने के नाते कम्पनी अधि. नियम, 2013 के खंड संख्या (xi) के अंतर्गत दिनांक 5.6.2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस. आर.463(ई) को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन पारितोषिक से संबंधित मामले कम्पनी के लिए लागू नहीं हैं।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
(xii)	हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3(xii) कम्पनी के मामले में लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
(xiii)	हमारे मतानुसार एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा संबद्ध पक्षकारों से किया गया लेन देन व्यवहार, जहां लागू हो, कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 177 तथा 188 के अनुसरण में किया गया है तथा इसके संबंध में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार लोन इंड ए एस के वित्तीय में अपेक्षित प्रकटीक. रण किया गया है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
(xiv)	हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों का राइट्स इश्यू जारी किया है। तथापि, पूर्णतः अथवा आंशिक परिवर्तनीय लाभ. ांशों का किसी प्रकार का अधिमान्य आबंटन अथवा निजी नियोजन नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

(xv)	हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर कम्पनी द्वारा निदेशकों अथवा स्वयं से सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर–नकदी लेन व्यवहार नहीं किया गया है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3(xv) कम्पनी के लिए लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
(xvi)	हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45–। के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनी से पंजीकरण करवाया जाना अपेक्षित नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

कृते जे.पी., कपूर एंड उबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 000593एन

विनय जैन
साझीदार
सदस्यता संख्याः 095187

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 22 अक्तूबर, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए पवन हंस लिमिटेड के स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समान तिथि का अनुबंध 'ख'

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड वाक्य (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार **पवन हंस लिमिटेड** ("कम्पनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हमारे द्वारा किए गए इंड ए एस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कम्पनी का प्रबंधन भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में जारी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखकर कम्पनी द्वारा स्थापित किए गए अनिवार्य घटकों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्वों में कंपनी की नीतियों के साथ साथ इसके व्यवसाय, इसकी परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व चूकों, लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता एवं सम्पूर्णता तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टों की सामयिक प्रस्तुति के सुनिश्चय के लिए प्रभावशाली रूप से कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण के प्रति उत्तरदायित्व शामिल है।

लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है। हमारे द्वारा किया गया लेखा परीक्षण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शी नोट तथा लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार, जो कम्पनी अधिनियम के खंड 143(10) में निर्धारित माने गए, आंतरिक लेखा परीक्षण के लिए यथासंभव लागू है, जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए लागू हैं, तथा जो दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं, किया गया है।

इन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट की अपेक्षाओं के अनुसार हमसे नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करते हुए लेखा परीक्षण की योजना बनाकर एवं निष्पादन करते हुए यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना की गई है अथवा नहीं तथा क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावपूर्ण एवं प्रत्येक वस्तुगत दृष्टि से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं।

हमारे लेखा परीक्षण में प्रक्रियाबद्ध निष्पादन के माध्यम से वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के लेखा परीक्षण प्रमाण एकत्र करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में जोखिमों के आकलन, किसी वस्तुगत दोष की उपस्थिति, तथा मूल्यांकित जोखिमों के आधार पर आंतरिक नियंत्रण पर डिजाइन तथा प्रचालनात्मक प्रभाव्यता का परीक्षण एवं मूल्यांकन के प्रति अनुकूलता प्राप्ति भी शामिल है। इंड एएस विवरणों के वस्तुपरक मिथ्याकथन, जालसाजी अथवा चूक के कारण, के जोखिमों के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के विवेकानुसार किया जाता है।

हमारी ऐसा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्यवस्था के लिए हमारे मान्य सुझावों की प्रस्तुति के आधार के लिए हमें प्राप्त लेखा परीक्षण प्रमाण उचित एवं पर्याप्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अभिकल्प वित्तीय रिपोर्टिंग तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों से वित्तीय विवरणों के संबंध में औचित्यपरक आश्वासन प्राप्त करने के लिए है। किसी कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए नीतियां एवं प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं जिनके अनुसार (1) रिकार्डों का अनुरक्षण इस प्रकार किया जाना होता है कि उसमें औचित्यपरक विवरण, परिशुद्धता तथा कम्पनी की परिसम्पतियों के संबंध में लेन देन व्यवहार एवं विन्यास की छवि स्पष्ट प्रतीत होती हो; (2) जिससे इस औचित्यपरक आश्वासन की प्राप्ति होती हो कि किए गए लेन देन व्यवहारों को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों के अनुमत्त निर्माण की आवश्यकता के अनुरूप रिकार्डबद्ध किया गया है तथा कम्पनी की प्राप्तियां एवं व्यय की प्रविष्टि केवल कम्पनी

के प्रबंधन तथा निदेशकों से प्राधिकार प्राप्ति के पश्चात की गई है; तथा (3) जिनसे कम्पनी की परिसम्पतियों के संबंध में वित्तीय विवरणों पर सामग्रीगत प्रभाव करने वाले कम्पनी की परिसम्पतियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान के संबंध में रोकथाम अथवा समय पर जानकारी प्राप्त होने का औचित्यपरक आवश्वासन प्राप्त होता हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित बाध्यताएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित बाध्यताओं के कारण सांठ गांठ अथवा नियंत्रणों पर लंघन द्वारा अनुचित प्रबंधन, चूक अथवा धोखेबाजी के कारण गलत बयानी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं तथा उनका पता नहीं भी लगाया जा सकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में भावी अवधियों के लिए किए जाने वाले मूल्यांकन के अनुमानों में भी इस जोखिम से परिपूर्ण होते हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय नियंत्रणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के कारण इनके अनुपालन का स्तर कम हो सकता है।

योग्य मत

हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा, पश्चिम क्षेत्र के अलावा जिसका लेखा परीक्षण शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, के अनुसार *कम्पनी में आरसीएम एवं लक्ष्य, प्रक्रिया एवं उनसे संबंधित जोखिम के अंतर की ट्रेकिंग से युक्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण सहित आंतरिक नियंत्रण को सुचारू बनाने के लिए विस्तृत मॉडल का प्रलेखन नहीं किया गया है। मॉडल के परीक्षण एवं स्थापित प्रणाली की पर्याप्तता एवं प्रभाव्यता की समीक्षा के दौरान पर्याप्तता के डिजायन एवं अचल परिसम्पति प्रबंधन, अधिप्राप्ति प्रक्रिया, बोली प्रक्रिया, राजस्व लेखांकन, सांविधिक अनुपालन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सामान्य नियंत्रण की प्रभाव्यता में अंतर पाए गए हैं। बेस (बेसों) में व्ययों की समेकित प्रविष्ठियां की गई हैं अर्थात व्ययों की स्वीकृति में देरी की गई है जिसके कारण स्रोत पर कर कटौती, वस्तु एवं सेवा कर एवं सेवा कर जैसे सांविधिक देय की देयताएं प्रभावित हुई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में दोष के कारण साफ्टवेयर से इंड एएस के अनुसार वित्त प्रलेख तैयार नहीं किए जा सके हैं। लेखांकन को मूल्यांकन के लिए भेजे गए कर्मचारियों एवं पीआईएस के अनुसार कर्मचारियों से संबंधित डाटा में समानता नहीं है। विधिक मामलों के संबंध में आंतरिक* कम्पनी में प्राधिकार प्रत्यायोजन मैट्रिक्स, सामग्री मैनुअल, मानव संसाधन मैनुअल, लेखा मैनुअल सथापित हैं। नागर विमानन महानिदेशालय नियमावली का अनुपालन किया जा रहा है जो आंतरिक लेखा परीक्षण, सतर्कता चौकसी एवं नियंत्रक एवं कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत महालेखापरीक्षक द्वारा निरीक्षण से इतर अन्य सांविधिक लेखा परीक्षण के अध्याधीन है। इसके अलावा, दस्तावेजीकरण, समीक्षा एवं संव्यवहारों के सुपरवीजन के लिए प्रभावी व्यवस्था स्थापित की गई है। संव्यवहार स्तर, मिलान/संग्रहण स्तर तथा प्रस्तुति रिपोर्टिंग स्तर पर नियंत्रण कार्य कर रहे हैं।

स्थिर परिसम्पति प्रबंधन, अधिप्राप्ति प्रक्रिया, राजस्व लेखांकन, सांविधक अनुपालन, कोष प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए नियंत्रण स्थापित हैं एवं कार्य कर रहे हैं।

स्रोत पर कर कटौती, वस्तु एवं सेवा कर, सेवा कर से संबंधित दायित्वों का निर्वाह कुशलता से किया जा रहा है तथा इसमें होने वाली किसी प्रकार की देरी उल्लेखनीय नहीं है।

साफ्टवेयर में इंड एएस आउटपुट वित्तीय व्यवस्था नहीं है तथा बाजार में उपलब्ध प्रत्येक साफ्टवेयर के लिए मैनुअल

नियंत्रण सुदृढ़ बनाया जाना अपेक्षित है तथा नोट संख्या XXII(ख) तथा XX(ख) में कम्पनी के प्रति किए गए जालसाजी के 2 संज्ञान में आए हैं जिनमें से एक वर्ष के दौरान किया गया है तथा दूसरा वर्ष समाप्ति के पश्चात किया गया है, जिसके मूल कारण को जानने के लिए विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि संबंधित कारणों को या तो समाप्त किया जा सके या फिर उनमें लाई जा सके। हमारे मतानुसार, नियंत्रण मानदंडों के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में ऊपर उल्लिखित सामग्रीगत कमी/कमियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों के अलावा कम्पनी द्वारा प्रत्येक सामग्रीगत स्वरूप में वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रक्रिया का अनुरक्षण किया गया है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण के मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों के अनुरूप कम्पनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए की गई स्थापना के आधार पर 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

हमने संज्ञान में लाई गई प्रत्येक सामग्रीगत कमजोरी/कमजोरियों तथा उपर्युक्तानुसार 31 मार्च, 2018 की स्थिति के लिए कम्पनी के इंड ए एस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए उपयोग में लाई गई लेखा परीक्षण की प्रकृति, समय उपर्युक्ता एवं विस्तार पर विचार किया है तथा हमारे मतानुसार ये सामग्रीगत कमजोरियां कम्पनी के इंड ए एस वित्तीय विवरणों को प्रभावित नहीं करती हैं।

कृते जे.पी., कपूर एंड उबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 000593एन

विनय जैन
साझीदार
सदस्यता संख्याः 095187

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 22 अक्तूबर, 2018

कार्य किए जाने की आवश्यकता सदैव बनी रहती है।

प्रत्येक संविदा अपनी विशेषता एवं विलक्षणता के कारण लागत लेखा के स्वरूप का निर्धारण अलग से किया जाता है।

पीआईएस द्वारा उत्पन्न डाटा एवं बीमांकक को मूल्यांकन के लिए भेजे जाने वाले डाटा में कुछ समायोजन किए जाने अपेक्षित होते हैं, तथापि ऐसे अंतरों को न्यूनतम करने/समाप्त करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

व्यय में 50% से अधिक अंशभाग का सहभाजन करने वाले पश्चिम क्षेत्र के शाखा लेखा परीक्षक द्वारा आईएफसी के संबंध में यह मत दिया गया है कि पश्चिम क्षेत्र में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

31 मार्च, 2018 का समाप्त वर्ष के इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर पवन हंस लिमिटेड के सदस्यों को संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग' भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(5) के अंतर्गत जारी निदेश

क्र. सं.	निदेश	लेखा परीक्षक की टिप्पणी
1.	क्या कम्पनी के पास फ्री होल्ड तथा लीज होल्ड भूमि के लिए क्रमशः क्लीयर टाईटल/लीज डीड हैं? यदि नहीं, तो कृपया उस फ्री होल्ड तथा लीज होल्ड भूमि का क्षेत्रफल बताएं जिनके टाईटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं हैं।	कम्पनी के पास कोई फ्री होल्ड भूमि नहीं है तथापि, कम्पनी के पास अपने निगमित कार्यालय के लिए नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर लीज होल्ड पट्टा भूमि के लिए टाईटल डीड है जिसका धारण कम्पनी द्वारा किया गया है। रोहिणी हेलीपोर्ट के संबंध में कम्पनी तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच किसी प्रकार का पट्टा करार नहीं किया गया है। पश्चिम क्षेत्र के लेखा परीक्षकों द्वारा निम्नलिखित सूचना दी गई है : कम्पनी के पास कोई फ्री होल्ड पट्टा भूमि नहीं है परन्तु कम्पनी के पास 35706.84 वर्ग मीटर की लीज होल्ड पट्टा भूमि है जिसकी टाईटल डीड कम्पनी के पास नहीं है तथा इसकी उपलब्धि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जुहू एयरोड्राम, एस.वी.रोड, विले पार्ले पश्चिम, मुम्बई–400056 में करवाई गई है। चालू वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा 11,700.38 वर्ग मीटर भूमि दिनांक 10 जुलाई, 2017 को तथा 3,354.24 वर्ग मीटर भूमि दिनांक 1 अक्तूबर, 2017 को वापस कर दी गई है जिससे कम्पनी के कब्जे में 20651.57 वर्ग मीटर भूमि शेष है।
2.	क्या देयताओं/ऋणों/ब्याज इत्यादि के लिए छूट प्राप्ति/बट्टा करने का कोई मामला है, यदि हां, तो उसके कारण एवं उससे संबंधित राशि बताएं।	कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार कम्पनी द्वारा ऋण/ब्याज के संबंध में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। कम्पनी द्वारा 2,007.81 लाख रुपए की वसूली को व्यवसाय प्राप्यों के अंतर्गत संदेहास्पद माना गया है तथा उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। पश्चिम क्षेत्र के लेखा परीक्षकों द्वारा निम्नलिखित सूचना दी गई है : छूट देने/बट्टा खाता/ऋणों/ब्याज इत्यादि से संबंधित कोई मामला नहीं है।
3.	क्या तृतीय पक्षकारों के पास रखी गई माल–सूचियों तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार स्वरूप प्राप्त परिसम्पतियों के रिकार्ड का उचित रखरखाव किया जाता है।	कम्पनी द्वारा तृतीय पक्षकारों के पास रखी मालसूचियों का उचित रिकार्ड रखा गया है, तथापि, विदेशी विक्रेताओं को भेजे गए रोटेब्ल्स तथा मरम्मत योग्य मदों के शेष की पुष्टियां उपलब्ध नहीं हैं। सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण से कोई उपहार प्राप्ति का कोई मामला नहीं है। पश्चिम क्षेत्र के लेखा परीक्षकों द्वारा निम्नलिखित सूचना दी गई है : कम्पनी द्वारा कुछ मामलों के अलावा तृतीय पक्षकारों के पास रखी मालसूचियों का उचित रिकार्ड रखा गया है वर्ष के दौरान कम्पनी को सरकार से कोई उपहार प्राप्त नहीं हुआ है तथा तदनुसार उक्त प्वांइट लागू नहीं है।

कृते जे.पी., कपूर एवं उबेराय
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 000593एन)
विनय जैन
साझेदार
सदस्यता संख्या 095187

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 22 अक्तूबर, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में पवन हंस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए पवन हंस लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद–143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 22 अक्तूबर, 2018 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए पवन हंस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य अभिलेखों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कंपनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरे लेखापरीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम के खंड 143(6) (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो मेरे संज्ञान में आए हैं तथा जो मेरे मतानुसार वित्तीय विवरणों तथा सम्बद्ध लेखा परीक्षित रिपोर्ट के बेहतर तालमेल की स्थापना के लिए आवश्यक हैं।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
क) प्रकटीकरण पर टिप्पणियां **वित्तीय विवरणों (नोट 32 XIV) पर अतिरिक्त टिप्पणियां बीमा दावे** उपर्युक्त नोट में वीटी–पीएचजैड की दुर्घटना के मामले में बीमा पॉलिसी की शर्त 12 के अनुसार 12 कैलेंडर माह पूरे हो जाने के कारण पवन हंस लिमिटेड द्वारा किया गया बीमा दावा बीमा कम्पनी द्वारा कालातीत होने के कारण रद्द किए जाने का तथ्य इन कारणों से त्रुटिपूर्ण है कि रद्द किए गए दावे के प्रति कम्पनी द्वारा न्यायिक न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी तथा इसका समावेश उपर्युक्त नोट में नहीं किया गया है।	लेखांकन नोट के पैरा ग्प्ट(क) में बीमा कम्पनी द्वारा पवन हंस लिमिटेड के दावे को नागर विमानन महानिदेशालय की हार्ड लैंडिंग से संबंधित घटना रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया है। यह अस्वीकृति मैसर्स न्यू इंडिया एश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा अपने दिनांक 13.1.2017 के पत्र के माध्यम से पूरे दावे के संबंध में सूचित की गई थी जो पवन हंस द्वारा बीमा पॉलिसी में स्वीकृत अपवर्जन खंड पर आधारित थी तथा इसमें बीमा पॉलिसी में शामिल वारंटी खंड के संबंध में उल्लंघन / अतिक्रमण का उल्लेख किया गया था। बीमा कम्पनी के दिनांक 13.1.2017 के पत्र के उत्तर में पवन हंस द्वारा दिनांक 29.6.2018 को पत्र के माध्यम से पवन हंस के दावे की स्वीकृति के लिए बीमा कम्पनी को विस्तृत औचित्य दिए गए थे। इसके अलावा, पवन हंस लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा मैसर्स न्यू इंडिया एश्यूरेंस कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को

	हाल ही में संबोधित पत्र के माध्यम से इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए कहा गया है। पवन हंस लिमिटेड द्वारा भी न्यू इंडिया एश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड के साथ अनुवर्तन किया जा रहा है तथा उनकी स्वीकृति न होने की स्थिति में पवन हंस के पास उचित न्यायालय के सम्मुख यह मामला प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं होगा। बीमा कम्पनी की 12 माह की अवधि से संबंधित शर्त संख्या 12 के संबंध में रद्द किए जाने की तिथि से न्यायालय में चुनौती दिए जाने के संबंध में पवन हंस द्वारा वरिष्ठ वकीलों से दिनांक 18.12.2018 को विधिक परामर्श प्राप्त किया गया है। इस विधिक परामर्श के अनुसार बीमा पॉलिसी भारतीय संविदा अधि. नियम के खंड 28 के अनुकूल नहीं है तथा इसे निष्प्रभावी माना जा सकता है कि क्योंकि विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ करने के संबंध में कोई समयावधि निर्धारित नहीं की जा सकती है तथा ऐसा सीमा निर्धारण अधिनियम,1963 में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत देश के सामान्य कानून के प्रतिकूल है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी प्रस्तुतियों के समर्थन में निर्णय दिए गए हैं जिनके अनुसार किसी विवाद के समाधान के लिए न्यायालय से सम्पर्क करने के अधिकार के उपयोग में किसी अवधि से संबंधित निर्धारित खंड, जो कानून के अंतर्गत निर्धारित सामान्य अवधि की व्यवस्था से अलग है, को निष्प्रभावी माना गया है। तदनुसार सीमा निर्धारण अधिनियम, 1963 के अंतर्गत न्यायालय से सम्पर्क करने की सीमा अवधि उस से तीन वर्ष होगी जिस तिथि को बीमा कम्पनी द्वारा पवन हंस के दावे को अस्वीकार किया गया है।

(2) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियां लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक क	
ऊपर उल्लिखित अनुलग्नक की मद संख्या (पप) में यह उल्लेख है कि कम्पनी में तीन वर्ष की अवधि में मालसूचियों के भौतिक सत्यापन के लिए नीति व्यवस्था स्थापित है। सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा दी गई यह सूचना सही नहीं है कि पवन हंस लिमिटेड में तीन वर्ष की अवधि में भौतिक सत्यापन किए जाने की ऐसी कोई नीति व्यवस्था स्थापित नहीं है।	सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए प्रेक्षण की समीक्षा की गई है तथा यह स्वीकार किया है कि तीन वर्ष की अवधि में मालसूचियों के भौतिक सत्यापन का उल्लेख चूकवश किया गया है जो कि कम्पनी में अपनी अचल परिसम्पतियों के भौतिक सत्यापन के लिए स्थापित नीति व्यवस्था है।

कृते तथा की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(प्राची पांडे)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक तथा
पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड – I, नई दिल्ली

स्थल : नई दिल्ली
दिनांक: 21 दिसम्बर 2018

निदेशकों की रिपोर्ट का
अनुबंध 'ग'

फार्म सं. एमआर–3
साचिविक ऑडिट रिपोर्ट
[कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 204(1) तथा कम्पनी (कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में
सदस्य,
पवन हंस लिमिटेड,

मैंने संगत सांविधिक प्रावधानों एवं मान्य निगमित क्रियाकलापों का अनुसरण किए जाने के प्रति **पवन हंस लिमिटेड** (एतद्वारा "कम्पनी" के रूप में उल्लिखित) का साचिविक ऑडिट किया है। साचिविक ऑडिट की प्रक्रिया का संचलन निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन का औचित्यपरक आधार प्राप्त करने तथा उनके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने के विचार से किया गया था।

हमारे द्वारा कम्पनी की बहियों, दस्तावेजों, कार्य विवरण पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड तथा साचिविक ऑडिट किए जाने के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के संबंध में की गई जांच के आधार पर मैं, एतद्वारा, यह सूचित करता हूं कि मेरे विचारानुसार 31 मार्च, 2018 ("ऑडिट अवधि") को समाप्त वित्तीय वर्ष की समाहित ऑडिट अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का पूर्णत अनुसरण किया गया है तथा कम्पनी में यहां किए गए उल्लेख के अनुसार बोर्ड प्रक्रियाएं एवं अनुसरण की यंत्र–व्यवस्था रिपोर्टिंग की शर्त के साथ यथोचित ढंग से की गई है:

मैंने निम्नलिखित प्रावधानों का अनुसरण किए जाने के संदर्भ में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की बहियों, दस्तावेजों, कार्य विवरण पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड की जांच की है :–

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम; (ऑडिट अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन निर्धारित किए गए विनियम एवं उप नियम।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के लिए बनाए गए नियम **(ऑडिट अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा इस अधिनियम के अध्याधीन निर्धारित नियम एवं विनियम **(कम्पनी चूंकि असूचीबद्ध पब्लिक कम्पनी है अतः ऑडिट अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**

हमने नीचे उल्लिखित लागू उपवाक्यों का अनुसरण किए जाने के संबंध में भी जांच की है : –

1) इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सैक्रेटरिज्स ऑफ इंडिया (भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान) द्वारा जारी साचिविक मानक।

2) शेयर बाजारों के साथ सूचीबद्ध किए जाने के लिए कम्पनी द्वारा किए गए अनुबंध **(ऑडिट अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**

3) भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005–जीएम में सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के निगमित संचालन के लिए निर्धारित दिशानिर्देश।

हम यह भी सूचित करते हैं कि, कम्पनी की विद्यमान अनुसरण व्यवस्था तथा उससे संबंधित दस्तावेजों तथा परीक्षण जांच आधार पर उनके रिकार्ड का परीक्षण किए जाने पर यह पाया गया है कि कम्पनी द्वारा, विशिष्ट रूप से संबद्ध, निम्नलिखित विधान व्यवस्था का अनुसरण किया गया है:

1) वायुयान अधिनियम, 1934 तथा वायुयान नियमावली, 1937

विचाराधीन अवधि के दौरान, नीचे उल्लिखित प्रेक्षणों के साथ, कम्पनी द्वारा अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, इत्यादि के प्रावधानों के संबंध में अनुपालन किया गया है:

मैं यह भी सूचित करता हूं कि :

1. कम्पनी में जोखिम प्रबंधन समिति स्थापित नहीं है। कम्पनी को व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने तथा उसका कार्यान्वयन करने का परामर्श दिया गया है।
2. कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अध्याधीन नियमों के अंतर्गत जहाँ कहीं भी प्रयोज्य हो अतिरिक्त शुल्क के साथ अपेक्षित फार्मों एवं विवरणियों को विधिवत रूप से दाखिल किया गया है।
3. कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 173(3) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक मंडल की बैठक के आयोजन के संबंध में कार्यसूची के साथ सूचना कम से कम 7 दिन अग्रिम भिजवाई जानी अपेक्षित की गई है। कम्पनी को इस संबंध में अनुपालन का परामर्श दिया गया है।

कार्यवृत्तों में किए गए रिकार्ड के अनुसार निदेशक मंडल अथवा मंडल की समितियों की बैठकों में लिए गए सभी निर्णय, जैसे भी मामलें हों, एकमत रूप से लिए गए हैं।

मैं आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं कि लागू विधानों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का संचलन एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार एवं प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

कृते एसजीएस एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
(डी.पी. गुप्ता)
एम.एन.एफसीएस 2411
सी.पी.सं. 1509
तिथि:
स्थल: नई दिल्ली

नोट: यह रिपोर्ट "अनुबंध–क" पर संलग्न हमारे इसी तिथि के पत्र के साथ पठनीय है जो इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

अनुबंध 'क'

सेवा में,
सदस्यगण,
पवन हंस लिमिटेड

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1) साचिविक रिकार्डों का अनुरक्षण कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व इन साचिविक रिपोर्टों के संबंध में हमारे द्वारा किए गए ऑडिट के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है।

2) हमने ऑडिट व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है तथा हमें उचित रूप से साचिविक रिकार्डों की अंतर्वस्तु के संबंध में इनके परिशुद्ध होने का औचित्यपरक आश्वासन प्राप्त हुआ है। साचिविक रिकार्डों में दिए गए तथ्यों की शुद्धता के सुनिश्चय के लिए परीक्षण आधार पर जांच की गई हैं। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों से हमें अपना मत व्यक्त करने का औचित्यपरक आधार प्राप्त हुआ है।

3) हमने कम्पनी के वित्तीय रिकार्डों तथा लेखा बहियों की परिशुद्धता तथा उपयुक्तता की जांच नहीं की है।

4) आवश्यकतानुसार हमने विधियों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन एवं घटित घटनाओं इत्यादि के संबंध में प्रबंधन से जानकारी प्राप्त की है।

5) निगमित एवं अन्य लागू विधानों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारे द्वारा की गई जांच पड़ताल परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित है।

6) इस साचिविक ऑडिट रिपोर्ट से न तो कम्पनी की भावी व्यावहारिकता के प्रति तथा न ही कम्पनी के प्रबंधन द्वारा संचलित किए गए कार्यों के प्रति उनकी निपुणता अथवा प्रभाव्यवता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन प्राप्त होता है।

कृते एसजीएस एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

डी.पी. गुप्ता
दिनांकः 24 दिसम्बर, 2018
स्थांनः नई दिल्ली

सदस्यता संख्या एफसीएस 2411
व्यवसाय प्रमाण पत्र संख्या 1509

बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित करने हेतु
नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के अवलोकन और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब–लिंक का संदर्भ शामिल है।

दिनांक 02वीं मई, 2017 को संपन्न पवन हंस की 158वीं निदेशक मण्डल की बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित पवन हंस की नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सतत विकास (एसडी) निगम मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कंपनियों की (नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुच्छेद 135 में प्रतिष्थापित सीएसआर पॉलिसी फ्रेमवर्क की अधिसूचना और लोक उपक्रम विभाग, भारत सरकार (डीपीई दिशानिर्देश, 2014) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सततता पर दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

यह अधिनियम की अनुसूची–VII में सूचीबद्ध गतिविधियों की उदार व्याख्या के अनुसार पवन हंस द्वारा भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर, अधिमानतः हाशिए वाले, वंचित, गरीब और वंचित वर्गों के लाभों के लिए समुदाय और पर्यावरण के लिए की गई सभी नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं / कार्यक्रमों पर लागू होगा।

नीति के अनुसार, परियोजनाओं / कार्यक्रमों की पहचान की जाती है और उपयुक्त कार्यान्वयन अभिकरणों की पहचान को शामिल करने वाली प्रक्रिया के माध्यम से उनके लिए आवंटित बजट, वांछित परिणामों के आंकलन और स्पष्ट रूपरेखा की आवश्यकता होती है। नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं / कार्यक्रम, यथासंभव निम्नलिखित घटकों को लागू करेंगेः

i. आवश्यकता आधारित आकलन / आधारभूत सर्वेक्षण / अध्ययन जहां आवश्यक / व्यवहार्य हो;
ii. पहचाने गए क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में विशिष्ट और मापन योग्य वस्तुओं / लक्ष्यों की पहचान;
iii. परियोजना का गठन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी;
iv. समय रेखाओं की पहचान – प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि का स्पष्ट विनिर्देश;
v. वार्षिक वित्तीय आवंटन का विशिष्टता;
vi. लाभार्थियों की स्पष्ट पहचान (जहां संभव हो वहां नाम से)
vii. परियोजना / कार्यक्रम की पूरी अवधि के लिए मील के पत्थर की पहचान
viii. कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समझौते की तैयारी और हस्ताक्षर;
ix. व्यापक समवर्ती दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया की तैयारी और कार्यान्वयन;
x. सशक्त, आवधिक समीक्षा और निगरानी;
xi. अनिवार्य रिपोर्टिंग

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और गैर सरकारी/निजी अभिकरणों सहित विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त प्रस्ताओं के आधार पर व्यक्तिगत सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के लिए फोकस क्षेत्र और बजट आवंटन आरंभतः सीएसआर एवं एसडी की प्रथम स्तरीय (कनिष्ठ) और उसके पश्चात द्वितीय स्तरीय (वरिष्ठ) समिति द्वारा तैयार किया जाता जाता है।

सरकारी राजपत्र अधिसूचनाओं यथा दिनांक 28.02.2014, 06.08.2014, 24.10.2014 और 23.05.2016 और अन्य प्रपत्रों, डीपीई ओ एंड एम दिनांक 21.10.2014, निगम मामलों के मंत्रालय सामान्य परिपत्र सं. 21/2014 दिनांक 28.06.2014, 01/2016 दिनांक 12.01.2016, 05/2016 दिनांक 16.05.2016 के संदर्भानुसार पवन हंस की वेबसाइट www.pawanhans.co.in पर सीएसआर और एसडी गतिविधियों की लिंक दी गई है।

2. सीएसआर समिति की संरचना

पवन हंस के निदेशक मंडल की सीएसआर समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं:

i) डॉ हरीश चौधरी, पवन हंस की सीएसआर समिति के अध्यक्ष

ii) डॉ बी पी शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (पवन हंस) एवं सीएसआर समिति के सदस्य

iii) श्री अशोक नायक, स्वतंत्र निदेशक व सीएसआर समिति के सदस्य

iv) एवीएम संजीव कपूर, निदेशक (ओपीएस व टीपीटी) भारतीय वायु सेना, सीएसआर समिति के सदस्य

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ निम्नानुसार है:

(आंकड़े लाख में)

विवरण	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
अनुच्छेद 138 के अनुसार लाभ	7318.12	3806.60	(-) 245.00
अनुच्छेद 135 के अनुसार विगत तीन वर्षों के लिए औसत लाभ	3626.57 (7318.12+3806.60-245.00=10879.72/3)		

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त 3 मदों में राशि का दो प्रतिशत)।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए विनिर्धारित सीएसआर व्यय रुपए 72.52 लाख (अनुच्छेद 135 के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के लिए औसत लाभ का 2%)।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय सीएसआर का विवरण

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए रुपए 87.50 लाख के सीएसआर बजट का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए पवन हंस ने रुपए 28.87 लाख का व्यय किया जिसमें रुपए 58.63 लाख का प्रावधान अन्य देयताओं के भुगतान के लिए था जिन्हें तत्संबंधी प्रदान की गई परियोजना के संबंध में अभिकरणों द्वारा माइलस्टोन की उपलब्धि के आधार पर 2018–19 में जारी किया जाएगा।

(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि – रु.87.50 लाख

(ख) अव्ययित राशि, यदि कोई हो – रु.58.63 लाख

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि नीचे दी गई है:

(आंकड़े लाख में)

क्र. सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना और गतिविधि	सेक्टर जिसमें परियोजना कवर की जाती है	परियोजना और कार्यक्रम 1.स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2. राज्य और जिला विनिर्दिष्ट करें जहां परियोजना कार्यक्रम चलाए गए	परियोजना या कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर व्यय राशि के उपशीर्ष 1.परियोजनाओं / कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2.ऊपरी व्यय	समीक्षाधीन अवधि के लिए संचयी व्यय	प्रत्यक्ष या निष्पादित करने वाले अभिकरण के माध्यम से व्यय की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
	स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान (आवंटित बजट का 33%)	स्वच्छ भारत कोष – भारत सरकार	भारत सरकार, नई दिल्ली	28.87	28.87	28.87	प्रत्यक्ष

2	वंचित नागरिकों के लिए प्राथ. मिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की एक मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	अंडमान व निकोबार संघ शासित क्षेत्र (पोर्ट ब्लेयर)	20.00	20.00	48.87	प्रत्यक्ष
3	वंचित नागरिकों के लिए प्राथ. मिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की एक मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र (कवरती)	20.00	20.00	68.87	निष्पादक अभिकरण दृभारत सरकार
4	बेरोजगार युवाओं के कौशल के लिए नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में रोजगार सक्षम बनाने का प्रस्ताव 10 छात्रों के लिए / रु. 75000.00.	कौशल विकास	दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (गुरुग्राम, हरियाण ा)	11.25	11.25	80.12	प्रत्यक्ष
5	केआईएसएस विश्वविद्यालय, निर्धन जनजातीय बच्चों के लिए विशेष रूप से पूरी तरह से निःशुल्क आवासीय जनज. ातीय विश्वविद्यालय है अर्थात 27 जनजातीय छात्रों के लिए रु. 25000.00 रुपये प्रत्येक की लागत)	शिक्षा	भुवनेश्वर (ओड़ीसा)	6.75	6.75	86.87	प्रत्यक्ष
	योग			**87.50**	**86.87**		

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी हिस्से के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि व्यय नहीं करने के क्या कारण प्रदान करेगी।

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान सीएसआर बजट की रु. 28.87 लाख की राशि व्यय की गई है और 2018–19 में उपयोग के लिए रु. 58.63 लाख की राशि शेष है क्योंकि सीएसआर की अधिकांश परियोजनाओं में 2018–19 में माइलस्टोन आधारित भुगतान प्रसारित है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एम्बुलेंस के लिए एएस 125 की आवश्यकता का शुभारंभ किया गया है और खरीदारों के लिए जीईएम पोर्टल पर विवरण अपलोड करने से पहले निर्माता के साथ इसके प्रमाणीकरण के मुद्दे को अदद 2 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (एम्बुलेंस) के लिए वितरण अनुसूची में विलंबित किया गया है जो चार महीने से लंबित है। पिछले वर्ष (2017–18) के सीएसआर अनिर्दिष्ट कोषों के शेष राशि से 58.63 लाख रुपये के कैरी फॉरवर्ड बजट के विरुद्ध, इन विभिन्न चल रही परियोजनाओं की दिशा में अबतक 87.50 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। इनके विरुद्ध व्यय अगले वित्तीय वर्ष (2018–19) में मिलेंगे।

7. सीएसआर समिति का एक जिम्मेदारी बयान है कि सीएसआर नीति के कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2017–18 के लिए सीएसआर पहल के तहत कवर सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में सीएसआर नीति के कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

डॉ. बी. पी. शर्मा
सदस्य, सीएसआर समिति

डॉ. हरीश चौधरी
अध्यक्ष, सीएसआर समिति

निदेशक रिपोर्ट का अनुबंध 'ङ'
फार्म संख्या एओसी –2
(अधिनियम के खंड 134 के उप खंड (3) के खंड वाक्य (ज) तथा कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 188 के उप खंड (1) में संदर्भित सम्बद्ध पार्टी व्यवहार के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंध व्यवस्थाओं तथा उनके संबंध में तीसरे परंतुक के अंतर्गत किए गए निष्पक्ष लेन देन व्यवहार के विवरणों के प्रकटीकरण का फार्म।

1. निष्पक्ष आधार के अलावा किए गए अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन देन व्यवहारों का विवरण

क्र.सं.	(क) सम्बद्ध पार्टी का (के) नाम और सम्बन्धों की प्रकृति		(ख) अनुबंधों /व्यवस्थाओं / लेन–देन की प्रकृति	(ग) अनुबंधों /व्यवस्थाओं / लेन–देन की अवधि	(घ) अनुबंध की मुख्य शर्तें या		(ङ) निदेशक मंडल द्वारा दिए गए अनुमोदन की तिथि (तिथियाँ) यदि कोई हों	(च) अग्रिम के रूप में चुकता राशि, यदि कोई हो	(छ) अग्रिम के रूप में	(ज) खंड 188 के प्रथम परंतुक के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार आम बैठक में किस तिथि को विशेष संकल्प पारित किया गया
	नाम	रिश्ता			मुख्य शर्तें	लेनदेन (रुपए मिलियन में)				
शून्य										

2. निष्पक्ष आधार पर किए गए अनुबंध अथवा व्यवस्थाएं अथवा लेन देन व्यवहारों का विवरण

क्र.सं.	(क) सम्बद्ध पार्टी का (के) नाम और सम्बन्धों की प्रकृति		(ख) अनुबंधों /व्यवस्थाओं / लेन–देन की प्रकृति	(ग) अनुबंधों /व्यवस्थाओं / लेन–देन की अवधि	(घ) अनुबंध की मुख्य शर्तें या		(ङ) निदेशक मंडल द्वारा दिए गए अनुमोदन की तिथि (तिथियाँ) यदि कोई हों	(च) अग्रिम के रूप में चुकता राशि, यदि कोई हो
	नाम	रिश्ता			मुख्य शर्तें	लेनदेन (रुपए मिलियन में)		
1	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	हेलीकॉप्टर सेवाओं की उपलब्धता	वित्त वर्ष 2017–18 के लिए	आईसीबी के माध्यम से संपर्क	1210.39		
2	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	सेवाओं के किराए पर एएफई हानि व लाभ	वित्त वर्ष 2017–18 के लिए	वास्तविक	(-) 21.88		
3	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	ओएनजीसी द्वारा पवन हंस के हेलीकोप्टरों का उपयोग	वित्त वर्ष 2017–18 के लिए	वास्तविक	शून्य		
4	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाने में देरी के कारण एलडी की कटौती	वित्त वर्ष 2017–18 के लिए	वास्तविक	47.53		
5	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	इक्विटी पर लाभांश का भुगतान	वित्त वर्ष 2017–18 के लिए	वास्तविक	181.24		
6	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	ऋण पर ब्याज भुगतान	वित्त वर्ष 2017–18 के लिए	वास्तविक	शून्य		

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–'च'

फॉर्म संख्या एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का सार

31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

(कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 92(3) तथा
कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार)

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

i) सीआईएन : **यू62200 डीएल 1985 जीओआई 022233**

ii) पंजीकरण तिथि : **15.10.1985**

iii) कम्पनी का नाम : **पवन हंस लिमिटेड**

iv) कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी : **यात्रियों के लिए वायु परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाना**

v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण :

सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली–110 003

दूरभाष : 011–24620889

फैक्स : 011.24610764

ई–मेल : co.secy@pawanhans.co.in

vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है : **नहीं**

vii) रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता तथा सम्पर्क विवरण यदि कोई हो : **लागू नहीं**

II. कंपनी की प्रधान व्यावसायिक क्रियाकलाप

क्रं. सं.	प्रमुख उत्पाद/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी का कुल टर्नओवर का %
1.	यात्रियों के लिए अंतर्देशीय गैर अनुसूचित वायु सेवाओं की उपलब्धि	99462420	100%

III. धारक, सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनियों का विवरण : लागू नहीं

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में एक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

i) श्रेणीवार –शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता				वर्ष के अंत में शेयर धारिता				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	योग	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	योग	कुल शेयरों का %	
क. प्रोमोटर									
(1) भारतीय									
क) वैयक्तिक/अ.हि. परिवार									
ख) केन्द्रीय सरकार	-	125266	125266	51%		284316	284316	51%	शून्य
ग) राज्य सरकार/सरकारें	-	-							
घ) निकास निगम	-	120350	120350	49%		273166	273166	49%	शून्य
ङ) बैंक वित्तीय संस्थान									
प्रोमोटरों की कुल शेयर धारिता (क) = (क) (1) + (क) (2)		245616	245616	100%		557482	557482	100%	
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता			शून्य	शून्य				शून्य	शून्य
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर			शून्य					शून्य	शून्य
सकल योग (क+ख+ग)	**-**	**245616**	**245616**	**100%**	**-**	**557482**	**557482**	**100%**	**-**

ii) प्रोमोटरों द्वारा शेयरधारिता

क्र.सं	शेयरधारी का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयर की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में से %	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % अंतर
1	भारत के राष्ट्रपति	125266	51%	शून्य	284316	51%	-	-
2	ओएनजीसी लि.	120350	49%		273166	49%	-	-
	योग	**245616**	**100%**	**-**	**557482**	**100%**	**-**	-

iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें) **शून्य**

iv) शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर धारकों से इतर) : **शून्य**

v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का शेयरधारण पैटर्न

क्र.सं.		वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के प्रारम्भ तथा अंत के दौरान संचित शेयर धारिता	
	प्रत्येक निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंध में	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में से %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में से %
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	निदेशक				
	1. श्रीमती उषा पाढी	1	-	1	-
	2. श्रीमती गार्गी कौल	1	-	1	-

V. ऋण ग्रस्तता

बकाया/संचित ब्याज सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता जिसके लिए भुगतान देय नहीं है

(₹ करोड़ में)

	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	24.98	0	-	24.98
ii) ब्याज देय पर चुकता नहीं	शून्य	0	-	0
iii) संचित ब्याज किंतु अप्रदत्त	शून्य	शून्य	-	-
योग (i+ii+iii)	**24.98**	**470.22**	**-**	**24.98**
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
परिवर्धन	-	-	-	-
कमी	5.69	0	-	**5.69**
शुद्ध परिवर्तन	**5.69**	**0**	**-**	**5.69**
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	19.28	-	-	19.28
ii) भुगतान नहीं किए गए देय ब्याज	-	-	-	-
iii) अप्रदत्त संचित ब्याज	-	-	-	-
योग (i+ii+iii)	**19.28**	**-**	**-**	**19.28**

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/अथवा प्रबंधकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्र.नि./पू.का.नि./प्रबंधक का नाम			कुल राशि ₹
		डा. बी.पी. शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक			
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(3) के अंतर्गत वेतन के अंतर्गत लाभ	26,04,202 4,91,781 -	- -	- -	- - -
2.	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	-
3.	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-
4.	कमीशन – लाभ पर % के रूप में – अन्य निर्दिष्टत करें...	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-
	योग (क)	30,95,983		-	-
	अधिनियम के अंतर्गत सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिकः 1,20,000/-

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशको के अलावा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक			
		मुख्य कार्यकारी अधिकारी	श्री संजीव अग्रवाल, कम्पनी सचिव	श्री डी. सहाय, मुख्य वित्तीय अधिकारी	योग
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(3) के अंतर्गत वेतन के अंतर्गत लाभ		32,14,909 1,86,720 -	32,84,395 6,33,749 -	-

2.	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	-
3.	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-
4.	कमीशन – लाभ पर % के रूप में – अन्य निर्दिष्ट करें	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-
	योग		**34,01,629**	**39,18,144**	-

VII. जुर्माने/दंढ/अपराधों की आवृत्ति

प्रकृति	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाया गया जुर्माना/दंड/संचयी शुल्क	प्राधिकार (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	अपील, यदि कोई हो, (विवरण दें)
क. कम्पंनी					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
संचयी	-	-	-	-	-
ख. निदेशक					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
संचयी	-	-	-	-	-
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
संचयी	-	-	-	-	-